Wednesday, 25th February, 1987

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

आठवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 24, आठवां सत्र, 1987/1908 (शक)

अंक 3, बुधवार, 25 फरवरी, 1987/6 फाल्गुन, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 21, 22, 24 से 26, 28 से 30, 32, 36 और 37	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—182
तारांकित प्रश्न संख्या : 23, 31, 33, 34, 35, 38 और 40	22—27
अतारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 234, 236 से 243, 245 से 259, 261 से 296, 298 से 330, 332 से 375, 377 से 432 और 434 से 457	27—182
रेल बजट, 1987-88	183—198
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	198—209
गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठनों सम्बन्धी कुदाल जांच आयोग का समापन करने के बारे में वक्तव्य	209—210
कार्य-मंत्रणा समिति	210
तेतीसवां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	210—215
(एक) लोगों के कल्याण हेतु अपेक्षित धन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान के सम्बन्ध में सामान्य मार्गनिदेशक सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक संसदीय आयोग स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह	210

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी ने पूछा था।

(दो) दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में रह रहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने हेतु आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर 211

(तीन) मधुबनी चित्रकारी को वैशाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में चित्रित करने और उसका नाम बदलकर वैदेही-वैशाली एक्सप्रेस रखने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस 211

(चार) उन क्षेत्रों में जहां नलकूपों से पेयजल प्राप्त किया जाता है, संखिया विषाक्तता से बचने के लिए उपचारी उपाय करने हेतु तत्काल सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह 212

(पांच) देश में पूजा स्थलों से आतंकवादी तत्वों को हटाने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी 213

(छह) देश में कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

डा० सुधीर राय 213

(सात) तमिलनाडु में चेंगलपट्टु और विल्लुपुरम के बीच दोहरी रेल-लाइन बनाने का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

श्री एस० जगतरक्षकन 214

(आठ) नई चीनी नीति को युक्तिसंगत बनाने और सिंचाई क्षमता के आधार पर सहकारी क्षेत्र में नए चीनी कारखाने स्थापित करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार 214

(नौ) विजयवाड़ा में एक दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव 215

विषय	पृष्ठ
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	215—304
श्री जगन्नाथ कौशल	215
श्री भागवत झा आजाद	221
श्री मेवा सिंह गिल	232
श्री मुकुल वासनिक	238
श्री शरद दिघे	240
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	243
डा० एस० जगतरक्षकन	287
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	290
श्री अनादि चरण दास	293
श्री मदन पांडे	297
श्री लाल विजय प्रताप सिंह	300
श्री मनोज पांडे	302
डा० गौरी शंकर राजहंस	303

लोक सभा

बुधवार, 25 फरवरी, 1987/6 फाल्गुन, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का अमेरिकन एसोसिएशन फार एडवांसमेंट आफ साइंस के साथ सम्बन्ध

+

*21. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री सैफुद्दीन चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सदस्यों में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की भूमिका और अमेरिकन एसोसिएशन फार एडवांसमेंट आफ साइंस के साथ उसके सम्बन्धों के बारे में मतभेद है;

(ख) क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन ऐसे क्षेत्रों में, जो उसके कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, विदेशी सहयोग प्राप्त करने की इच्छुक हैं; और

(ग) क्या कुछ आमंत्रित अमरीकी वैज्ञानिकों ने भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी की है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार को इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि अमरीका से आमंत्रित वैज्ञानिकों ने भारतीय वैज्ञानिकों के विरुद्ध कोई प्रतिकूल टिप्पणी की है।

प्रो० मधु दंडवते : वे नकारात्मक उत्तर देने के प्रभारी मंत्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : घटा को घटा से गुणा करने पर वह जमा हो जाता है।

श्री वसुदेव आचार्य : देश के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों को भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस को अमेरिकन

कांग्रेस ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस के एक फोरम में बदले जाने पर निराशा हुई है। अमेरिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विज्ञान की समस्या पर चर्चा करने के लिए तीन दिन का समय लिया गया और 60 प्रतिशत समय अमरीकी वैज्ञानिकों की बैठक की तैयारी में लगाया गया। क्या यह सच है कि अमरीकी वैज्ञानिकों को प्रतिनिधियों के रूप में आमंत्रित किया गया था और उससे पूर्व विदेशी वैज्ञानिकों ने प्रेक्षकों के रूप में उसमें भाग लिया? क्या यह भी सच है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन की भूमिका तथा अमेरिकन एसोसिएशन फार एडवांसमेंट ऑफ साइंस के साथ उसके सम्बन्धों के बारे में मतभेद था?

श्री के० आर० नारायणन : वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन पूर्णतया एक स्वशासी निकाय है जो अपने निर्णय स्वयं करती है? इस स्थिति के कारण यह सच है कि अमेरिकन एसोसिएशन फार एडवांसमेंट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया गया था। वास्तव में विज्ञान कांग्रेस अपने वार्षिक कांग्रेस में सदा ही विदेशी प्रतिनिधियों को आमंत्रित करती है। इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। वास्तव में जब से भारतीय विज्ञान कांग्रेस ने कार्य करना शुरू किया है तब से कई वर्षों से ऐसा हो रहा है। यह बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस ने अमरीकी वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श में तीन दिन लगाए। हुआ यह कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन ने अमेरिकन एसोसिएशन फार एडवांसमेंट ऑफ साइंस से अमरीकी वैज्ञानिकों को विज्ञान कांग्रेस से पूर्व होने वाले एक सेमीनार में आमंत्रित किया था। जिस चर्चा की बात की जा रही है वह कांग्रेस में हुई। चर्चा 60 प्रतिशत नहीं बल्कि 100 प्रतिशत समय हुई क्योंकि ये सेमीनार भारतीय वैज्ञानिकों और अमरीकी वैज्ञानिकों के बीच ही था। किन्तु जहां तक खुद कांग्रेस का प्रश्न है, यह बिल्कुल गलत है कि इतना समय लगाया गया। वास्तव में यह एक परम्परा है कि जब विदेशों से प्रतिनिधि कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस उनकी उपस्थिति से लाभ उठाते हुए उन्हें चर्चा, विचार-गोष्ठियों तथा विशेष रूप से आयोजित भाषणों में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। यह कांग्रेस में अमरीकी वैज्ञानिकों का कोई प्रभुत्व नहीं था। यह सच है कि अनेक अमरीकी वैज्ञानिक कांग्रेस से पूर्व होने वाले सेमीनार तथा कांग्रेस, दोनों के लिए आमंत्रित किए गए थे।

श्री वसुदेव आचार्य : उन्होंने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का, अर्थात् क्या भारतीय विज्ञान कांग्रेस में इस सम्बन्ध में मतभेद था, या नहीं उत्तर नहीं दिया।

श्री के० आर० नारायणन : मेरे विचार में इस सम्बन्ध में कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं था। वास्तव में, यदि आप सेमीनार में भाग लेने वाले भारतीय वैज्ञानिकों की संख्या पर ध्यान दें तो आप पाएंगे कि हमारे लगभग सभी शीर्षस्थ वैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया था जो कांग्रेस से पहले आयोजित हुई थी इसमें मतभेद की कोई बात नहीं थी। यह सच है कि कुछ खबरें छपी थीं किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि उनमें कोई अधिक सार नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने अमेरिकन साइंस एसोसिएशन से भू-कटाव, खानों के आस-पास पर्यावरण की अशुद्धता तथा वनों के कटाव जैसी समस्याओं पर काबू पाने तथा उन क्षेत्रों को कृषि के लिए उपयुक्त बनाने के लिए, जिन पर हरित क्रांति से विपरीत प्रभाव पड़ा, मदद मांगी थी।

श्री के० आर० नारायणन : महोदय, साइंस कांग्रेस तथा सेमीनार का विषय था "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संसाधन तथा मानव कल्याण आदान।" जो बात माननीय सदस्य ने पूछी है वह

इसके अन्तर्गत आती है और स्वाभाविक है कि सेमीनार में अमरीकी वैज्ञानिकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था। यह एक चर्चा थी तथा शिक्षा क्षेत्र में ऐसा होता रहा है। वास्तव में भारतीय विज्ञान कांग्रेस तथा अमेरिकन सोसायटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस के बीच द्विपक्षीय सहयोग के लिए यह एक समझौता था। यह सामान्य रूप में दो देशों के वैज्ञानिकों के बीच शिक्षण के आधार पर एक सहयोग, विचारों एवं जानकारी का आदान-प्रदान था कांग्रेस अथवा सेमीनार में शिक्षा के क्षेत्र से बाहर कोई चर्चा नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दंडवते।

प्रो० मधु दंडवते : इस प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा रही है अथवा अगला प्रश्न पूछने की ?

अध्यक्ष महोदय : जैसा आप चाहें।

ओवरड्राफ्ट की राशि को ऋण में बदलने का कर्नाटक का प्रस्ताव

*22. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्णाटक सरकार ने ओवरड्राफ्ट की बकाया राशि को 15 से 20 वर्षों में भुगतान योग्य दीर्घकालीन ऋण में बदलने के विकल्प का सुझाव दिया है ताकि सातवीं योजना-अवधि के दौरान पुनर्भुगतान के भारी दायित्व से बचा जा सके; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 1985 में राज्य सरकारों को अपने ओवरड्राफ्टों का भुगतान करने के लिए मध्यावधि ऋण दिये थे। सम्बन्धित राज्यों की सातवीं योजना के लिए निधियों की व्यवस्था को अन्तिम रूप देते समय सातवीं योजना अवधि के दौरान इन ऋणों की वापिसी को ध्यान में रखा गया था। इस प्रकार, पहले किए गए निर्णय पर पुनः विचार करना आवश्यक नहीं था और कर्णाटक सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, तकनीकी दृष्टि से तो यह प्रश्न केवल कर्नाटक से सम्बन्धित है, किन्तु वास्तव में यह कांग्रेसी अथवा गैर-कांग्रेसी सरकार वाले सभी राज्यों से सम्बन्धित है—और भाग्यवश सभी की कार्य-प्रणाली एक सी है—केन्द्रीय स्तर पर नहीं, राज्य के स्तर पर। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि यह निर्णय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात् लिया गया है कि आगे से किसी ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक ओवरड्राफ्ट की बकाया राशि का प्रश्न है केन्द्र सरकार की योजना यह है कि बकाया राशि को मध्यावधि-ऋण में बदल दिया जाये, जिसका पुनर्भुगतान 4 वर्षों में किया जाये। और यह भी निर्धारित किया गया है कि पुनर्भुगतान निम्नलिखित तरीके से हो : प्रथम वर्ष में 10 प्रतिशत, दूसरे तथा तीसरे वर्ष में 35-35 प्रतिशत तथा चौथे वर्ष में 20 प्रतिशत। यदि यह सही है तो क्या यह सम्बन्धित राज्यों के लिए एक भारी बोझ नहीं साबित होगा, विशेषकर तब जब वे सातवीं पंचवर्षीय योजना में अपने लक्ष्य प्राप्त करने की आशा कर रहे होंगे। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते

हुए कर्नाटक के मुख्य मन्त्री श्री हेगड़े द्वारा एक रचनात्मक प्रस्ताव किया गया है कि इन्हें मध्यावधि ऋण में बदलने की अपेक्षा 15-20 वर्षों के दीर्घावधि ऋण में बदल दिया जाये ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों में कोई रद्दोबदल न हो। पुराने वित्त मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि वे इस विशेष बात पर पुनः विचार करेंगे ऐसा समाचार-पत्रों में छपा था। तो क्या नये वित्त मन्त्री इस मामले में पुराने वित्त मन्त्री के अनुरूप कार्यवाही करेंगे और श्री हेगड़े द्वारा बकाया राशि को 15 या 20 वर्षों में पुनर्भुगतान हेतु दीर्घावधि ऋण में बदलने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री वी० के० गढ़वी : मैं समाचार पत्र में छपी खबरों की सच्चाई का जिम्मा नहीं ले सकता कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए सहमत हो गए थे। किन्तु यह सच नहीं है। बात यह है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाते समय यह प्रावधान किया गया था कि राज्यों द्वारा चरणबद्ध ढंग से भुगतान किया जायेगा—10% राज्यों का योगदान होगा तथा ओवरड्राफ्ट की 90% राशि को ऋण में बदल दिया जाएगा। योजना को अन्तिम रूप देते समय पुनर्भुगतान के पहलू को भी ध्यान में रखा जाएगा। किन्तु जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, वर्ष 1985-86 में 189.13 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाने का अनुमानित लक्ष्य था किन्तु वास्तव में इनकी प्राप्ति 79.13 करोड़ रुपये थी। यह एक कमी थी किन्तु वास्तव में जहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है, पुनर्भुगतान को ध्यान में रखा गया था और उसके बाद वर्ष 1987-88 के लिए योजनाओं को अन्तिम रूप दिया गया था। इस वर्ष भी वार्षिक योजना परिव्यय पर चर्चा करते हुए सभी मुख्य मन्त्रियों ने आश्वासन दिया था कि वे अपना चालू वर्ष एक संतुलित आधार पर बिना घाटे के बन्द कर देंगे। यह आश्वासन दिया गया था। इसलिए योजना पर इसका प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : दूसरा प्रश्न पूछने से पहले, मैं माननीय मन्त्री को उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है छठी योजना में संसाधनों को जुटाना इतना प्रभावकारी रहा कि समाचार-पत्रों में छपा—"कि जबकि लक्ष्य 457 करोड़ रुपये का था, 790 करोड़ रुपये के संसाधन जुटाए गए।" अतः वे राज्य स्तर पर संसाधनों को जुटाने में पिछड़े हुए नहीं हैं। मेरा दूसरा ठोस पूरक प्रश्न यह है कि चूंकि केन्द्र-राज्य के परस्पर सम्बन्धों का मामला आयोग के सुपुर्द कर दिया गया है और आयोग को वित्त-वितरण क्षेत्र में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की जांच के लिए अधिकार निदेश पद भी दिए गए हैं तो क्या केन्द्र ऐसा कड़ा कदम उठाने से पहले और कांग्रेस अथवा गैर-कांग्रेस सरकार वाले प्रत्येक राज्य के सिर पर तलवार लटकाने से पहले, कम से कम सरकारिया आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करेगी ?

श्री वी० के० गढ़वी : बात ऐसी नहीं है कि हमने कठोर कदम उठाया है। जहां तक वर्तमान नीति का सम्बन्ध है, वास्तव में इसे सरकारिया आयोग की सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा और बाद में इस पर विचार किया जायेगा। किन्तु अभी यही नीति लागू रहेगी। वास्तव में ओवरड्राफ्ट का प्रश्न एक गम्भीर समस्या थी वर्ष 1972 में भारत सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि यदि कोई ओवरड्राफ्ट हो तो उसे सात कार्य-दिवसों में चुकाना होगा। किन्तु इस नीति का समय रहते कार्यान्वयन नहीं किया गया। इसलिए 1985 में पहली बार यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं दी जाएगी। किन्तु मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं.....

प्रो० मधु दण्डवते : जबकि यह मामला सरकारिया आयोग के समक्ष लम्बित है, तो क्या ऐसी स्थिति में नए वित्त मन्त्री.....

श्री बी० के० गढ़वी : यह लम्बित नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यह लम्बित है। (व्यवधान) सिफारिशों के आने तक आप प्रतीक्षा क्यों नहीं करते ? (व्यवधान) आप चिल्ला क्यों रहे हैं ? (व्यवधान)

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : सरकारिया आयोग की सिफारिशें जो भी हो, आज की आर्थिक योजना में व्यवधान नहीं डाल सकती हैं। हमारी आर्थिक योजना में कोई अनुशासन तो होना ही चाहिए। राज्यों को मनमर्जी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। राज्य सरकारों का भी कुछ न कुछ उत्तरदायित्व होना ही चाहिए। वे उत्तरदायित्वविहीन कार्य नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने नियंतनों और स्वयं जुटाये जाने वाले संसाधनों के भीतर ही रहना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, हम निर्णय ले चुके हैं और जैसा कि उन्होंने अनुरोध किया है कि हम सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करें, हम उस निर्णय को पुनः लागू करने से पूर्व सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन के आने तक प्रतीक्षा करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रधान मन्त्री की अनुमति के बिना ही अनेक राज्यों में सूखा पड़ रहा है और इसीलिए, खर्चा बढ़ गया है-और इसीलिए यह प्रश्न उठाया गया है।

श्री बी० के० गढ़वी : जहां तक सूखे तथा अन्य बातों का सम्बन्ध है और जहां तक राज्यों को अतिरिक्त सहायता देने का सम्बन्ध है, केन्द्र सहायता दे ही रहा है। हमने राज्यों की संसाधन सीमाएं बढ़ा दी हैं और इसके साथ ही केन्द्रीय करों की अतिरिक्त वसूली में, जिनमें अल्प-बचत तथा इन्दिरा विकास पत्र भी शामिल हैं, इन करों में राज्यों का भी हिस्सा होता है.....

प्रो० मधु दण्डवते : आगामी महीनों में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वे सभी राज्य अपने संसाधन गंवा चुके हैं। (व्यवधान)

श्री विजय एन० पाटिल : हाल ही में विगत समय में कुछ राज्य केन्द्रीय सरकार की निधि से धोती, साड़ी, चावल आदि बांटने में व्यस्त रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन राज्यों ने ओवर-ड्राफ्ट लिए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन्हें मध्यावधि ऋण अथवा दीर्घावधि ऋण में परिवर्तित करने के बारे में विचार करेगी।

श्री बी० के० गढ़वी : जैसा कि हम बता चुके हैं हम निरन्तर सात दिनों से अधिक अवधि के लिए ओवर-ड्राफ्ट की अनुमति नहीं देते। इसलिए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रयोजन के लिए ओवर-ड्राफ्टों की अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों की बैंकों में जमाराशि

*24. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों की बैंकों में जमाराशियों में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस जमाराशि में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है ?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) बैंकों में अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां जो 31-12-1985 को 5027.88 करोड़ रुपया थी बढ़कर 31-12-1986 को 7388.92 करोड़ रुपए हो गई है।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : नान-रेजीडेंट इण्डियन्स दो प्रकार के खाते खोल सकते हैं। एक तो फारेन करेन्सी एकाउन्ट में दूसरा जैसे सामान्य भारतीय नागरिक खोल सकते हैं। तो जो ब्यौरा माननीय मन्त्री जी ने दिया है उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि नान-रेजीडेंट इण्डियन्स के द्वारा डिपाजिट्स में जो वृद्धि हुई है वह फारेन एकाउन्ट्स के खाते में हुई है या जनरल खाते में हुई है। अगर फारेन एकाउन्ट्स के खाते में हुई है तो कितनी और जनरल एकाउन्ट के खाते में हुई है तो कितनी और किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने सर्वाधिक डिपाजिट्स की है ?

श्री ब्रह्म दत्त : मैंने जो आंकड़े दिए हैं वह तीनों प्रकार के एकाउन्ट्स के हैं। तीन प्रकार के खाते होते हैं। एक जो विदेशों में रहने वाले भारतीय रुपये में रखते हैं अपने निजी उपयोग के लिए और दूसरे वे रखते हैं विदेशी मुद्रा में जो विदेशी मुद्रा में चलता रहता है और इन दोनों का जोड़ मैंने बताया है। जहां तक राज्य का सवाल है इस प्रकार के आंकड़े कभी रखे नहीं जाते कि किस राज्य के कितने विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने पैसा जमा किया है लेकिन चार लाख के करीब तादाद है। राज्यों के अनुसार आंकड़े नहीं हैं।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या नान-रेजीडेंट इण्डियन्स के फारेन करेंसी एकाउण्ट में इसलिए लगातार कमी होती जा रही है कि उसका रेट आफ इन्टरेस्ट गवर्नमेंट आफ इण्डिया लगातार कम करती जा रही है ? यदि हां, तो उसको सुधारने के लिए वित्त मन्त्रालय क्या कदम उठा रहा है ताकि हमारे फारेन करेन्सी एकाउण्ट में डिपाजिट्स बढ़ें ?

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, स्थिति बिलकुल दूसरे तरह की है। इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। 1983 में जो डालर्स में हमारे एकाउन्ट्स थे—मैं यह डेसिमल हटा रहा हूं—वह 374 करोड़ रुपए के बराबर थे। 1984 में 540 करोड़ के बराबर हो गए। 1985 में 1393 करोड़ के बराबर हो गए और 1986 में 2833 करोड़ के बराबर हो गए। यह इसलिए हो गए कि हमने प्रोत्साहन ज्यादा दिया है, ब्याज की दर भी ज्यादा दी है, और सहूलियतें दी हैं। टैक्स में भी सहूलियतें दी हैं। इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी हुई है। 1983 के मुकाबले में 9 गुना यह पैसा विदेशी मुद्रा में हमारे पास जमा हुआ है।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, खाड़ी देशों में ऐसे लाखों लोग हैं जो वहां कार्य रहे हैं और जो मेरे राज्य गोवा तथा केरल से गए हैं। ये श्रमिक करोड़ों रुपया विभिन्न बैंकों में जमा कर रहे हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वित्त मन्त्रालय उद्योग मन्त्रालय के सहयोग से कोई ऐसी

योजना बनाएगी जिससे कि यह जमाराशि इन लोगों के हित के लिए उस समय उपयोग में लाई जा सके जब वे लोग भारत वापस लौटते हैं।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, जो पैसा बाहर से आता है वह तो हमारे विदेशी मुद्रा के कोष में ही जमा होता है क्योंकि हमें विदेशी व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत होती है। तो उसको किसी तरह से अलग-अलग तो नहीं कह सकते लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीयों को कुछ प्रकार के विशेष उद्योगों में लगाने के लिए अलग-अलग तरह के प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

बैंकिंग उद्योग में विकास की दर

*25. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के दौरान बैंकिंग उद्योग में जमाराशियों तथा ऋणों में विकास की निम्न दर रिकार्ड की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि लोग अधिकाधिक धन जमा कराएं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की औसत जमाराशियों में 1985-86 में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि इसके मुकाबले 1984-85 के दौरान 17.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी लेकिन बिन्दु से बिन्दु आधार पर गत वर्ष के दौरान जमाराशियों में हुई 19.2 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 1985-86 के दौरान जमाराशियों में 18.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वर्ष 1985-86 में अग्रिमों की वृद्धि की दर, 14.2 प्रतिशत थी जब कि इसकी तुलना में गत वर्ष यह 18.5 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण खाद्य ऋणों के लिए आवश्यकता का कम होना है। 1985-86 के दौरान खाद्य भिन्न ऋणों में अधिक वृद्धि हुई। यह वृद्धि 1984-85 के 16.1 प्रतिशत के मुकाबले 16.4 प्रतिशत थी।

बैंक जमाराशियां जुटाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहते हैं। इन प्रयत्नों में सम्भावित जमाकर्ताओं को बैंकों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना और वर्तमान जमाकर्ताओं को पुनः निवेश करने के वास्ते प्रेरित करना, जमाराशियां जुटाने की योजनाएं तैयार करना तथा बैंक रहित क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलना शामिल हैं। जमाराशियों की वृद्धि में हुई प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के अपने-अपने निदेशक मण्डलों द्वारा निरन्तर नजर रखी जाती है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अग्रिमों की वृद्धि की दर में कमी का कारण बैंकों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा अनेक बार ऋण प्राप्तकर्ताओं को दौड़ाना है। इसको सरलीकरण बनाने तथा उसके निस्तारण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : जमाराशियों के जुटाने के सम्बन्ध में बैंकों ने अच्छा कार्य किया है। बैंकों में प्रस्तुत किए गए ऋण आवेदनों और समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सम्बद्ध आवेदनों का निपटारा बैंकों द्वारा 14 दिन के अन्दर कर दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के आवेदनों का निपटारा 4 सप्ताह के अन्दर, और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों और मध्यम एककों के आवेदनों का निपटारा उन्हें तीन महीनों के अन्दर करना पड़ता है।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्राइवेट बैंक और विदेशी बैंक के मुनाफे बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे नेशनलाइज्ड बैंकों के मुनाफे घट रहे हैं। इस बारे में आप क्या कदम उठा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष 1985 में 117 करोड़ रुपए का लाभ हुआ था। अब जो अद्यतन सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को वर्ष 1986 में 150 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है अर्थात् बैंकों की लाभराशि 117 करोड़ रुपए से बढ़कर 150 करोड़ रुपए हो गई है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा विकास पत्रों की लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। किन्तु इसके साथ ही बैंकों की सामान्य जमाराशियों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। क्या चालू वर्ष के दौरान इन्दिरा विकास पत्रों से बैंकों की जमाराशियों पर प्रतिकूल प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है ? इसका कारण यह है कि इन्दिरा विकास पत्रों पर दी जाने वाली ब्याज की दर बहुत आकर्षक है और सामान्य बैंक जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज से कहीं अधिक हैं। इसीलिए इन्दिरा विकास पत्रों की जबरदस्त मांग है और इसके परिणामस्वरूप बैंकों में जमाराशियां कम होती जा रही हैं। बैंक जमाराशियों के सम्बन्ध में इन दो बातों के प्रभाव के बारे में क्या मन्त्री महोदय अध्ययन करने की कृपा करेंगे ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, अब तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में जमाराशियां जुटाने की विकास दर जनवरी तक 20.3 प्रतिशत रही है। इसलिए, इसमें कोई गिरावट नहीं आई है और जैसा कि मुझे बताया गया है यह सच है कि इन्दिरा विकास पत्र विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। हमें यही सूचना मिली है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जमाराशि बचतों को विशेष कर इन्दिरा विकास पत्रों के माध्यम से ही जुटाया गया है और यही प्रभाव कहा जा सकता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मन्त्री महोदय ने बताया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों का लाभ बढ़

गया है। मैं मानता हूं कि लाभ बढ़ गया है। किन्तु क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का सेवा प्रभार उससे बहुत अधिक बढ़ गया है जो सेवा प्रभार गत दो वर्षों के दौरान था और इसीलिए लाभ बढ़ गया है। क्या मन्त्री महोदय यह बात स्पष्ट करेंगे कि सेवा प्रभार क्यों बढ़ाए गए हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह सच है कि लाभ बढ़ जाने का यह भी एक कारण है। किन्तु सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लाभ बढ़ने का यह मुख्य कारण नहीं है। बैंक प्रभार बढ़ जाने से लाभ की राशि कितनी बढ़ी है, इसके आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

सीमा शुल्क से छूट

*26. श्री तम्पन थामस : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से अपनी नौकरियों के बाद लौटने वाले व्यक्तियों तथा दौरे पर विदेश जाने वाले तथा वापस आने वाले व्यक्तियों को इस समय सीमाशुल्क से कितनी छूट दी जाती है; और

(ख) वर्ष 1986 के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर विदेशों से आये यात्रियों द्वारा लाए गए सामान पर सीमाशुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई तथा जब्त किए गए माल की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) असबाब नियम, 1978 के तहत, श्रीलंका अथवा नेपाल को छोड़कर किसी अन्य देश से आने वाले 12 वर्ष के और इससे अधिक आयु के यात्रियों को, जिनमें अनिवासी भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं, 1250 रु० मूल्य तक के सामान को निःशुल्क लाने की अनुमति है। श्रीलंका से आने वाले व्यक्तियों को 300 रु० तक का सामान निःशुल्क लाने की अनुमति है। नेपाल से आने वाले यात्री निःशुल्क सामान लाने के पात्र नहीं हैं।

जहां तक विदेश में दो वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे और भारत में आवास अन्तरण करने वाले व्यक्तियों का सम्बन्ध है, वे अपनी निजी और घरेलू इस्तेमालशुदा वस्तुओं के निःशुल्क आयात के पात्र हैं बशर्ते कि उन्होंने विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया हो जिनमें उन वस्तुओं का कम-से-कम एक वर्ष तक कब्जे में रहने और इस्तेमाल किए गए होने की शर्त शामिल है। एक वर्ष की अवधि से अधिक विदेश में कार्य करने वाले और दो वर्ष की अवधि पूरा करने से पहले अपने कार्य की समाप्ति पर लौटने वाले व्यक्ति 5,000 रु० तक के मूल्य की अपनी इस्तेमालशुदा निजी तथा घरेलू वस्तुएं निःशुल्क आयात करने के पात्र हैं बशर्ते कि उन्होंने विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किया हो जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि विदेश में कम से कम छः महीने की अवधि के लिए ये वस्तुएं उनके कब्जे में और उपयोग में रही हों। विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन तथा अपने नियोजन के देश में स्थित भारतीय मिशन से अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ऐसे व्यक्ति 20,000 रु० मूल्य की उपयोगशुदा घरेलू वस्तुएं और निजी वस्तुओं का निःशुल्क आयात करने की सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं।

(ख) वर्ष 1986 के दौरान त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर यात्री असबाब पर शुल्क के रूप 21.13 करोड़ रु० की राशि वसूल की गई थी। वर्ष 1986 के दौरान जब्तशुदा माल की बिक्री से त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर 51 लाख रुपए की राशि वसूल की गई थी।

श्री तम्पन थामस : विवरण में यह दर्शाया गया है कि विदेश यात्रा करने तथा वहां से वापस आने वाले व्यक्ति को 1250 रुपए मूल्य तक के सामान को निःशुल्क लाने की अनुमति है और श्रीलंका से आने वाले व्यक्ति को 300 रुपए तक का सामान निःशुल्क लाने की अनुमति है। विवरण में यह भी दर्शाया गया है कि अकेले त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर ही एक साल में 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि का शुल्क वसूल किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि उपरोक्त छूट इतनी कम है कि इतना मूल्य तो एक सूटकेस या घड़ी का ही हो जाएगा, जिसे कोई व्यक्ति विदेश से लाएगा। वास्तव में इससे परेशानी होती है और विदेश से आने वाले किसी व्यक्ति को अपने असबाब की निकासी लेने के लिए सीमा-शुल्क कार्यालय में बहुत समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मेरा प्रश्न यह है कि अनुभव के आधार पर क्या इन नियमों में और छूट दी जाएगी। मेरे कहने का तात्पर्य है कि त्रिवेन्द्रम से विदेश जाने तथा वहां से वापिस आने के लिए केवल एक ही उड़ान है। केवल एक ही उड़ान में 21 करोड़ रुपए की राशि वसूल की गई है। अतः आप इस बात का स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि यहां से विदेश जाने तथा विदेश से यहां आने वाले यात्रियों अथवा श्रमिकों को कितनी परेशानी होती है। यह बात इस विवरण से सुस्पष्ट है।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार अपने अनुभव के आधार पर तथा अन्य देशों द्वारा किए जा रहे उन प्रयोगों के आधार पर जो हमारे यहां से उन देशों में गए व्यक्तियों के साथ वहां जो व्यवहार किया जाता है, उसके आधार पर उपरोक्त सीमा पर पुनर्विचार करेगी तथा और अधिक मूल्य का सामान निःशुल्क लाने की अनुमति देगी जिससे विदेश से अपने देश में आने वाला व्यक्ति पर्याप्त मूल्य का सामान ला सके और इस प्रकार तस्करी तथा वैज्ञानिक ढंग से की गई इसी प्रकार की तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए कदम उठाएगी ?

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, 21 करोड़ रुपए कम राशि नहीं है और वास्तव में, हमारी अर्थ-व्यवस्था असबाब के छान-बीन की मांग करती है। यदि 1250 रुपये मूल्य तक के सामान को निःशुल्क लाने की अनुमति दी जाती है और प्रत्येक वर्ष यात्रियों की संख्या 20 लाख हो तो, यह राशि लगभग 250 करोड़ रुपये होगी। यदि सामान या व्यक्तिगत सामान देश में बिना शुल्क लाया जाता है, तब हमारे स्वदेशी उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए, इन सामानों को लाने से रोकने के लिए, जब ये देश के अन्दर उपलब्ध हैं, सरकार ने ठीक निर्णय लिया है।

श्री तम्पन थामस : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है, सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के कारण, वे विदेशों से आने वाले यात्रियों की कीमत पर अमीर हो रहे हैं, और हाल ही में बम्बई, दिल्ली और कुछ अन्य नगरों के सीमाशुल्क अधिकारियों पर पड़े छापों से यह पता चलता है। इसलिए, कुछ मामलों में ऐसे कदाचार चल रहे हैं। लगभग सभी हवाई अड्डों पर जहां सीमाशुल्क अधिकारी सम्बद्ध हैं, वे देश में किसी भी अन्य व्यक्ति से अधिक धन संचित कर रहे हैं। इस मौके का फायदा उठाकर उनके पास धन संचित करने के साधन हैं। अतः इन नियमों पर छूट देना बिलकुल उचित है और तस्करी तथा अन्य बातों रोकना सुनिश्चित करने हेतु आसूचना पद्धति शुरू

करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि सीमाशुल्क अधिकारियों के कदाचारों में सम्बद्ध होने से रोकने के लिए कौन से तरीके या कदम उठाए गए हैं। क्या सरकार के पास इसके लिए कोई कार्यक्रम है?

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक यात्रियों को परेशान करने का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य की चिन्ता में शामिल होता हूं। यह सच है कि यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि न केवल विदेशों से आने वाले भारतीय यात्रियों को परेशान किया जाए अपितु विदेशी यात्रियों को भी परेशान न किया जाए। लेकिन, महोदय, यह भी हमारा कर्त्तव्य है कि हम यह सुनिश्चित करे कि सामान पर दी गई छूट का गलत इस्तेमाल न किया जाए। अतः विदेशों से जब भी यात्री आते हैं, उनको दिए जाने वाले व्यवहार के बारे में हम बहुत सावधान हैं और हम दी जाने वाली परेशानी को कम कर रहे हैं और हम इस पर निगरानी भी रख रहे हैं।

यदि छूट का गलत इस्तेमाल और कदाचार हो रहे हैं तो हम पहले से ही कार्यवाही कर चुके हैं और कुछ अधिकारियों को हटा दिया गया है और उनके मकानों पर छापे मारे गए हैं। हमने किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा है। व्यक्तिगत रूप से, मैं कहना चाहता हूं कि वित्त विभाग में सरकार इन अधिकारियों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रख रही है और जो भी परेशानी के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, उसके विरुद्ध हमने कार्यवाही की है। यह जारी रहेगी और ऐसी कार्यवाहियां बन्द नहीं की जाएंगी। केवल इतना ही नहीं अपितु जब भी वे अपने साधनों से अधिक रहन-सहन वाले पाये जाएंगे, उनके मकानों पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा छापा मारा जाता है।

[हिन्दी]

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर की दिल्ली शाखा में कदाचार

*28. **श्री राज कुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-85 की अवधि के दौरान स्टेट बैंक आफ इन्दौर की दिल्ली शाखा में धन निकालने, ऋण देने तथा कर्मचारियों की नियुक्ति में कदाचार के कितने मामलों का पता लगा;

(ख) क्या इन मामलों की जांच कर ली गई है और क्या इन मामलों में बैंक कर्मचारियों की कोई सांठ-गांठ पाई गई है; और

(ग) जांच के परिणाम क्या निकले हैं और इस सम्बन्ध में कौन से कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) स्टेट बैंक आफ इन्दौर ने सूचित किया है कि वर्ष 1983 से 1985 तक की अवधि के दौरान उसके ध्यान में ऋणों के सम्बन्ध में कदाचार के दो मामले आए हैं। बैंक द्वारा इन

दोनों मामलों की जांच की गई है। पहले मामले में ब्याज सहित लगभग 28.50 लाख रुपये की पूरी रकम वसूल कर ली गई है। इस मामले के सम्बन्ध में, शाखा प्रबन्धक को नौकरी से निकालने की सजा दी गई है, जबकि दो अन्य बैंक अधिकारियों को वेतन में कटौती/भर्त्सना का दण्ड दिया गया है।

2. दूसरे मामले में 2.17 लाख रुपये में से 1.58 लाख रुपये की राशि वसूल कर ली गई है और शेष रकम वसूल करने का प्रयास जारी है। इस मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी गई है तथा एक अधिकारी को उसकी लापरवाही के लिए चार्जशीट दिया गया है।

3. इसी अवधि के दौरान कम आयु के एक व्यक्ति की अस्थायी चपरासी के रूप में अनियमित नियुक्ति का मामला प्रकाश में आया था। सम्बन्धित व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था और जब छठे दिन की समाप्ति पर यह पता चला कि इसकी आयु कम है, तब उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। सम्बन्धित शाखा प्रबन्धक को सावधान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी की कर्मठता पर तो कोई उंगली नहीं उठा सकता लेकिन इतना जरूर है कि बैंक के अधिकारी और ब्योरोक्रेट्स इनको बराबर गुमराह कर रहे हैं। मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने बताया कि दो ऐसे मामले आए, जिनमें एक बैंक मेनेजर को डिसमिस कर दिया गया है और दूसरे आदमी पर कार्यवाही हो रही है। मान्यवर, 1983 में एक फर्म मेसर्स सेन सेल्स कारपोरेशन के खाते में करीब 35 लाख रुपये का घोटाला सी० बी० आई० ने पकड़ा था। इसमें दो आदमी श्री पी० एन० श्रीवास्तव और श्री पी० के० मुदगिल जिम्मेदार पाए गए थे। मान्यवर, ऐसा हुआ था कि आईटम नं० 28, दिनांक 30-8-83 के मुताबिक इनके हैड आफिस की एक्जीक्युटिव कमेटी ने इन दोनों को समान रूप से दोषी पाया था कि इन दोनों ने गल्तियां की हैं और इन दोनों को दण्डित किया जाना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि श्री पी० एन० श्रीवास्तव के परिवार के आदमी बैंक विजिलैंस में थे तो उनको पदोन्नति दे दी गयी और श्री पी० के० मुदगिल जो ब्रांच मेनेजर थे उन्हीं पर सारा दोष मढ कर उनको डिसमिस कर दिया गया। यह बैंकों की वर्किंग है।

दूसरे, एक दूसरी फर्म मेसर्स एक्सपो इम्टर नेशनल, मेसर्स कासमीन जिनमें 1984-85 में एक करोड़ से अधिक का घाटा था, लेटर आफ क्रेडिट के मामले में.....

अध्यक्ष महोदय : कोई एलीगेशन नहीं लगाते हैं। अगर कोई एलीगेशन हो तो उसको पहले आप मुझे लिखकर देंगे।

श्री राज कुमार राय : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब बैंक के हैड आफिस ने स्पेसिफिकल्ली दो आदमियों को दोषी पाया था तो क्या कारण था कि श्री मुदगिल को ही बलिदान का बकरा बनाया गया और श्री पी० एन० श्रीवास्तव जिसके रिश्तेदार बैंक विजिलैंस में इस मामले में जांच कर रहे थे उन्हें यों ही छोड़ दिया गया?

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : हम इस आरोप का खण्डन करते हैं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने किसी

व्यक्ति को छोड़ा है। माननीय सदस्य की जानकारी हेतु, केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी अधिक निष्ठा वाले हैं। जहां तक आरोपों का सम्बन्ध है, हमने इनकी जांच-पड़ताल की है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भी इस मामले की जांच-पड़ताल की है। वास्तव में, जहां तक प्रबन्धक का सम्बन्ध है—श्री पी० के० मुदगिल—उसे बर्खास्त कर दिया गया है और उसके मामले को हम जांच कर रहे हैं कि क्या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, उस पर फौजदारी मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जहां तक बैंक को हानि का सम्बन्ध है, बैंक को आर्थिक हानि नहीं हुई है। जहां तक श्री श्रीवास्तव, लेखाकार के मामले का सम्बन्ध है, विभागीय कार्यवाही की जा रही है और उसकी वेतन वृद्धि समाप्त कर दी गई है। उसका अपराध इतना गम्भीर नहीं है कि उसे बर्खास्त किया जाता। वास्तव में, दूसरे मामले में भी, हम इसकी छानबीन कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं। माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि मैंने उन्हें हमारे द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा देते हुए पत्र लिखा है। यदि आप इससे सन्तुष्ट नहीं हैं, आप एक बार फिर मुझे पत्र लिख सकते हैं और मैं निश्चित ही आपके नए मुद्दों पर, जो आप लाना चाहते हैं, जांच-पड़ताल करूंगा।

[हिन्दी]

श्री राज कुमार राय : मान्यवर, चूंकि श्री पी० एन० श्रीवास्तव को भी कमेटी ने समान रूप से अकाऊन्टेबल पाया था तो उसको क्यों प्रमोट कर दिया गया? इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कइयों को जब निकालना होता है तो ऊपर कर देते हैं।

श्री राज कुमार राय : मान्यवर, प्रधान मन्त्री जी अब वित्त मन्त्री भी हैं, अब वे यह स्थिति नहीं चलने देंगे।

तीसरा जवाब जो आपका था उसके बारे में मैं यह जानना चाहूंगा कि जब एक अण्डर एज्ड आदमी को नियुक्ति कर दी गई और उसको करने में प्रकाश शर्मा नाम का आदमी पाया गया उसको क्या दण्ड दिया गया? जबकि अण्डर एज्ड को 6 दिन के बाद निकाल दिया गया और उसको आर० एम० आफिस में लाकर बेहतर जगह पर रख दिया गया। उसी हैड आफिस के श्री सी० एल० वर्मा ने रिटन कम्प्लेंट की थी कि अण्डर एज आदमी की नियुक्ति की गई है तो उसको मध्य प्रदेश भेज दिया गया और दो साल से उसको सबसिस्टेंस अलाउंस भी नहीं दिया गया, मेरे एक दर्जन बार पत्र लिखने के बाद भी नहीं मिला।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, इस मामले में एक अस्थायी चपरासी बैंक की सफाई के लिए नियुक्त किया गया। उसकी नियुक्ति बहिरंग रोगी की पर्ची पेश करने पर की गई। उस पर्ची में यह उल्लेख था कि उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है। छह दिनों के अन्दर यह पता चला कि वह 18 वर्ष का नहीं है और सौभाग्य या दुर्भाग्य से उस लड़के को हटा दिया गया और प्रबन्धक को चेतावनी दी गई।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इंडीविजुअल केसेस इस तरह से नहीं रखने चाहिए।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि हमें भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री एस० एम० गुरुडी : मैं जानना चाहता हूं क्या आपको दूसरे राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारियों जैसे प्रबन्धकों या अध्यक्षों से कोई शिकायत मिली है और क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है और बहुत लम्बा प्रश्न है।

अगला प्रश्न। श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : पहले तो मुझे प्रसन्नता है कि मेरा प्रश्न दो वर्षों बाद आ रहा है। प्रश्न संख्या 29.

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको दो साल में मिला है, कई लोग 12 साल तपस्या करते हैं, उनको तब प्राप्त होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

"तमिलनाडु में वन क्षेत्रों का संरक्षण"

*29. **श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कौन-कौन से क्षेत्रों में 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक वन क्षेत्र हैं;

(ख) क्या पिछले कई वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने से वहां की वन सम्पदा नष्ट हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय क्षेत्र में वन रोपण सम्बन्धी विशेष योजनाओं सहित इस सम्बन्ध में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

[हिन्दी]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) तमिलनाडु के किसी भी जिले में 60 प्रतिशत से अधिक वन नहीं हैं। तथापि, नीलगिरि जिले के लगभग 59 प्रतिशत क्षेत्र में वन हैं।

(ख) पिछले सालों में नीलगिरी जिले में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कोई कटाई नहीं हुई है, जो इसको अपनी वन सम्पदा से वंचित करती हो।

(ग) 1977 से आरक्षित वनों में प्राकृतिक सम्पदा की पूरी तरह कटाई पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। जिले में निजी वनों का प्रबन्ध तमिलनाडु निजी वन परिरक्षण अधिनियम, 1949 और तमिलनाडु पहाड़ी क्षेत्र (वृक्षों का परिरक्षण) अधिनियम, 1955 के अधीन होता है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्रीय स्कीम खास तौर से चलाई जा रही है। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत वनीकरण के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : महोदय, सबसे पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूं कि जहां हम बहुत आभारी हैं तथा गर्व···(व्यवधान)···

मैं कुछ बातों को हिन्दी में स्पष्ट नहीं कर सकती···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। उन्हें दो वर्षों बाद मौका मिला है।

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : हम इस बात पर बहुत गर्व है कि वर्तमान भारत सरकार प्रदूषण की समस्या, तथा हमारे वन क्षेत्रों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास की आवश्यकता से पूर्णतः अवगत है।

महोदय, दक्षिण में, हमारे यहां नीलगिरी है जहां भूमि के कुल क्षेत्र 2549 वर्ग किलोमीटर में से 1559 वर्ग किलोमीटर तक वन क्षेत्र है जो कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 61 प्रतिशत है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे माननीय मन्त्री कुल भूमि क्षेत्र का उल्लेख करने के बारे में बिलकुल सही नहीं हैं। विशिष्ट आंकड़ों की जांच करने पर पता चलता है कि यह 61 प्रतिशत है और माननीय मन्त्री द्वारा जो उल्लेख किया गया है, वह ठीक नहीं है।

मेरा प्रश्न इस क्षेत्र में वनों के वर्ग के बारे में है। मुझे बताया गया है कि 1304 वर्ग किलोमीटर आरक्षित क्षेत्र है और 59 वर्ग किलोमीटर सुरक्षित क्षेत्र है और 196 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अभी वर्गीकरण किया जाना है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि जब तक इस क्षेत्र को विशेष रूप से वर्गीकृत नहीं किया जाता तब तक कौन से सुरक्षात्मक उपाय किए जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जी ने कोई खास प्रश्न तो ऐसा किया नहीं, इतना ही कह सकता हूं·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खास सदस्या ने तो किया है।

श्री भजन लाल : मैंने सदस्या ही कहा है। इन्होंने कहा है कि वहां पर 61 परसेंट वन हैं। लेकिन मैं आंकड़ों से साबित करता हूं कि इसका जो टोटल एरिया है तमिलनाडु में एक लाख 49 हजार पांच सौ हैक्टेयर है जोकि 59 प्रतिशत बैठता है। टोटल एरिया का हिस्सा ले लीजिए या वनों का एरिया ले लीजिए, 59 और 60 में कोई ज्यादा अन्तर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक वनों की कटाई का ताल्लुक है या फोर्स लगाने का ताल्लुक है, सरकार की पूरी कोशिश है कि इस मामले में कम से कम वनों की कटाई हो और उससे दुगुने वन वहां लगने चाहिए। उसके लिए भी भारत सरकार ने तमिलनाडु में पूरी मदद की है। तकरीबन

सत्तर करोड़ रुपया तमिलनाडु के लिए हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में रखा है। आधा पैसा भारत सरकार का है और आधा स्टेट का है। इसके अलावा तीस करोड़ रुपये की सहायता स्वीडन से मिली है। उस सहायता से तीन प्रान्तों में काम कर रहे हैं। इसमें तमिलनाडु, उड़ीसा और गुजरात प्रान्त आते हैं। स्वीडन की खास स्कीम तमिलनाडु में चालू की गई है।

[अनुवाद]

श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली : माननीय मन्त्री ने दूसरे उत्तर में कहा है कि बड़े पैमाने पर वनों की कटाई नहीं की गई है। लेकिन छोटे पैमाने पर भी, मैं कहना चाहती हूं कि शीशम और टीकवुड ईंधन प्रयोजनों के लिए नहीं छोड़ी गई है।

मैं जानना चाहती हूं कि क्या कोई दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य रखा गया है और इसमें क्या-क्या बाधाएं हैं। इतना ही नहीं, क्या यह सच नहीं है कि मनुष्य दो दशकों में भी वनों को उत्पन्न नहीं कर सकता ? उसे केवल प्रकृति की सहायता करनी है और इस समय वनों के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और वह काटे गए हैं। यहां मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या मनुष्य द्वारा निर्मित वनों का क्षेत्र भी दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और जब से यूकिलिप्टस (ब्लूगम) सब जगह लगाया गया है वनों का कितना विकास हुआ है। जमीन में बहुत उत्पादकता है जिसका क्षय होता जा रहा है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहती हूं कि वनों के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं।

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि वनों की जो कटाई है, वह वर्किंग प्लान के तहत कटती है। कौन-से पेड़ कितने साल के बाद कटने चाहिए, उसके हिसाब से काटे जाते हैं। यह बात भी माननीय सदस्या ने बिल्कुल सही कही है कि वनों की कटाई है। लेकिन उसको रोकने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। सरकार ने कानून बना रखा है। हम सख्ती भी करते हैं। लेकिन जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, मैं समझता हूं यह कटाई रुकने वाली नहीं है। वनों को बचाना हर मनुष्य का परम धर्म होना चाहिए। उसी को लेकर सरकार कार्यवाही कर रही है। कम से कम वनों की कटाई हो, उसके लिए जो भी कर सकते हैं, हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी है और जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, मैंने पहले ही बताया कि तमिलनाडु में जो वनों की कटाई है, कुल से बीस परसेंट के करीब है। बीस परसेंट जहां कटाई हुई है, वहां तकरीबन ग्यारह परसेंट नए पेड़ भी लगाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : नाजायज कटाई करने वालों की आवज पिटाई कर दो।

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : क्या केन्द्रीय सरकार इस बात से अवगत है कि राज्य सरकार वन क्षेत्रों में वनरोपण कार्य का समर्थन कर रही है ? केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या कदम उठाने जा रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह तो इन्होंने जवाब दे दिया है।

श्री भजन लाल : इसके लिए हम प्लान बना रहे हैं।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, योजना आयोग की तरफ से राज्य सरकारों को कहा जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा अपने रिसोर्सेज मोबलाइज करें। राज्य सरकारों के पास इसके लिए एक ही रास्ता रह जाता है कि वह जंगल काटे और अपना राजस्व बढ़ाये। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार की इस नीति को और राज्य सरकारों की जंगल काटकर आय बढ़ाने की जो प्रवृति है उसकी रोकथाम के लिए आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं?

श्री भजन लाल : भारत सरकार कभी यह नहीं कहती कि जंगल को काटकर रिसोर्स जुटाओ। माननीय सदस्य को किसी ने गलत आंकड़े बताये होंगे। भारत सरकार की हमेशा यह कोशिश रही है और रहेगी कि वनों को बचाया जाये और प्रदेशों को इसके लिए सहायता दी जाये। सातवीं पंचवर्षीय योजना में दो हजार करोड़ रुपये हम वनों पर खर्च करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा वन सम्पदा लग सके।

श्रीमती ऊषा वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में बहुत वन सम्पदा है। लेकिन जब से वन निगम बना है वनों की कटाई बराबर हो रही है। क्या मन्त्री जी को जानकारी में यह है?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सवाल तो तमिलनाडु का है, लेकिन आपकी इजाजत हो तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। जहां तक यू० पी० का सवाल है, यह ठीक बात है कि वहां वनों की कटाई होती है और उसकी रोकथाम के लिए प्रधान मन्त्री जी ने सारे मुख्य मन्त्रियों को पत्र लिखे हैं कि इस पर सख्ती से अमल किया जाये और वनों की कटाई को रोका जाये।

[अनुवाद]

व्यय कर सम्बन्धी डा० राजा चेलैया समिति की रिपोर्ट

+

*30. **डा० कुपार्सिघु भोई :**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यय कर सम्बन्धी डा० राजा चेलैया समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें की गयी सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसे कार्यान्वित करने के लिए कौन से कदम उठाये गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) "व्यय के कराधान" सम्बन्धी अध्ययन दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 19-12-86 को प्रस्तुत की थी। इस अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट अभी तक अन्तिम रूप से प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) इस अध्ययन दल ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं उनकी सरकार जांच कर रही है।

डा० कृपासिंधु भोई : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आशा नहीं थी कि मेरे माननीय मित्र, श्री पुजारी ऐसा उत्तर देंगे। समाचार-पत्रों में पहले ही व्यय कर पर डा० चेलैया समिति की सिफारिशों की प्रमुख बातें छपी हैं। मैं प्रश्न पूछने से पहले क्या माननीय मन्त्री से अनुरोध कर सकता हूं कि वह की गई सिफारिशों की मुख्य बातें हमें बताएं ?

श्री जनार्दन पुजारी : यह केवल अन्तरिम प्रतिवेदन है और अन्तरिम प्रतिवेदन की सिफारिशों को छापा नहीं जा सकता। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है और यदि कोई भी निर्णय लिये गए तो ये आगामी बजट में परिलक्षित होंगी। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे कथन को ध्यान में रखते हुए आगे कोई और प्रश्न न पूछें।

डा० कृपासिंधु भोई : महोदय, मैं अपने मित्र को परेशान नहीं करूंगा। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 80ग और 80घ को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव है और क्या सरकार व्यय कर का भी प्रस्ताव रख रही है।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं पहले ही अपने मित्र से कोई अन्य प्रश्न न पूछने का अनुरोध कर चुका हूं। तथापि बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जायेगा।

"पर्यावरणीय संरक्षण सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त प्राधिकरण"

+

*32. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री मानिक रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय पर्यावरणीय संरक्षण नीति के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने हेतु पर्यावरण सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त प्राधिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम और निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) यह प्राधिकरण कब से कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) पर्यावरण सुरक्षा प्राधिकरण, जो अन्य बातों के साथ सरकार को राष्ट्रीय संरक्षण नीति पर सलाह देगी, के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष जी, मेरे मूल प्रश्न का सही उत्तर माननीय मन्त्री जी ने नहीं दिया। मैंने पूछा था कि क्या देश में राष्ट्रीय पर्यावरणीय संरक्षण नीति के सम्बन्ध में सरकार को सलाह देने हेतु किसी बोर्ड का गठन किए जाने का प्रस्ताव है परन्तु मन्त्री जी ने उसका कुछ और ही जवाब दे दिया है। मैं उनसे सप्लीमेंटरी के रूप में जानना चाहता हूं कि वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अध्ययन-रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया का तीसरे नम्बर का प्रदूषण-प्रभावित शहर है। यदि उक्त अध्ययन रिपोर्ट सही है तो प्रदूषण को खत्म करने के लिए यहां जितनी लापरवाही से काम किया जाता है, प्रदूषण के प्रति जितनी उपेक्षा बरती जाती है, उसको नियन्त्रित करने के लिए सरकार ने

क्या पग उठाए हैं और प्रभावी निगरानी के लिए क्या किसी उच्च शक्ति प्राप्त प्राधिकरण या बोर्ड वगैरह स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जनाबे-वाला, जहां तक ऑनरेबल मैम्बर ने कहा कि उनके प्रश्न का मैंने सही उत्तर नहीं दिया, यदि वे देखें तो मेरा जवाब बहुत साफ है । एन्वायरनमैंट प्रोटैक्शन एक्ट के सैक्शन 3(3) के अन्तर्गत सरकार का एक ऑथोरिटी बनाने का विचार है जो सरकार को कन्जर्वेशन स्ट्रैटजी पर भी एडवाइज करेगी । जनाबेवाला, जहां तक प्रदूषण का सवाल है, यह मसला भी उक्त ऑथोरिटी के तहत होगा । यह बात सही नहीं है कि सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रभावी स्टैप्स नहीं लिए हैं । यदि आपकी आज्ञा हो तो इस दिशा में जितने मुख्तलिफ स्टैप्स लिए गए हैं, मैं उन सब को सदन के सामने पेश कर दूं, जो खासकर दिल्ली के सिलसिले में हमने उठाए हैं । हमारी मुश्किल यह है कि प्रदूषण को खत्म करने का मसला जल्दी से हल होने वाला नहीं है । जहां प्रदूषण के मूल कारणों में थर्मल पावर स्टेशन्स से निकलने वाला धुंआ है, हमने समय-समय पर इस मसले को सम्बन्धित ऑथोरिटीज के साथ टेक-अप किया है और कहा है कि वे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रैसिपिटेटर्स को ठीक तौर पर लगाएं, उनकी वर्किंग ठीक करें । परन्तु इस डायरैक्शन में हम जितने स्टैप्स ले रहे हैं, उसमें वक्त लगेगा । एक थर्मल पावर स्टेशन को तो हमने बन्द ही करवा दिया क्योंकि उससे प्रदूषण बहुत ज्यादा होता था । यदि हम एकदम से सभी को बन्द करवा दें तो वह भी मुनासिब नहीं होगा, कल हाउस में फिर यह सवाल उठेगा कि हमको बिजली नहीं मिलती है । प्रदूषण के मूल कारणों में दूसरा नम्बर ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स का आता है और उसके सम्बन्ध में भी मैन्यूफैक्चरिंग स्टेज और पैट्रोल के सिलसिले में हमने मुख्तलिफ स्टैप्स लिए हैं । उसके फ्यूल में पाए जाने वाले सल्फर कन्टैन्टस और लैड कन्टैन्टस को कम करने की दिशा में प्रभावी पग उठाए हैं । इसलिए दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने के लिए हमने मुख्तलिफ स्टैप्स लिए हैं और ले रहे हैं ।

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरीय क्षेत्रों में प्रदूषण का मुख्य कारण घरों से फेंका जाने वाला कूड़ा-कचरा और खुले गंदे नाले हैं । यदि यह बात सही है तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ।

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : जहां तक वाटर पौल्यूशन का सवाल है, यह सही है कि घरों का कूड़ा-कचरा नदियों में जाता है और हमारे सिवरेज सिस्टम पुराने हो गए हैं । सिवरेज सिस्टम को रैनोवेट करने और ठीक करने के प्रयास जारी हैं, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन इस दिशा में पूरे तौर पर प्रयत्नशील है और उसने इस सम्बन्ध में कई स्कीमें बनायी हैं ।

श्री रामविलास सिंह : अध्यक्ष जी, मैं हाउस के माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से गंगा जी के प्रदूषण को साफ करने की योजना बनाई गई है, वैसे ही क्या यमुना जी के प्रदूषण के लिए भी कोई योजना विचाराधीन है ?

(व्यवधान)

श्री वी० तुलसीराम : प्रश्न संख्या क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं । यह सप्लीमैंट्री है तुलसीराम जी ।

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष जी, ये शाम से परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने कुछ खिला तो नहीं दिया ?

श्री भानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं यमुना जी के प्रदूषण को दूर करने के सम्बन्ध में पूछ रहा था कि क्या कोई योजना विचाराधीन है या नहीं, अगर विचाराधीन है, तो यमुना-प्रदूषण को कब से दूर करने का कार्य शुरू किया जाएगा और कब पूरा करेंगे तथा प्रदूषण खत्म करने की यमुना जी की जो योजना प्रारम्भ होगी वह कहां से होगी। तीसरी बात मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह चाहता हूं कि यमुना जी के प्रदूषण को दूर करने की योजना का प्रारम्भ कृष्ण भगवान की जन्मभूमि मथुरा से प्रारम्भ करने का आश्वासन वे आज इस सदन में दें ?

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : अध्यक्ष महोदय, यमुना जी के प्रदूषण को दूर करने की स्कीम भी हमारे विचाराधीन है और उसमें स्टेट्स से प्रपोजल्स और स्कीम्स भी आई हैं। हम उसको देख रहे हैं। हम तो जितने भगवान हैं, सब की जमीन को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन प्रदूषण मुक्त करना एकदम सम्भव नहीं है। कुछ भगवान भी जोर लगाएं, कुछ हम जोर लगाएंगे, मिलकर करेंगे, तो दूर हो जाएगा।

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि कितने भगवान हैं और कितने भगवानों को आप पवित्र करने जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जियाउर्रहमान अंसारी : अध्यक्ष जी, मैं माफी चाहता हूं अगर माननीय सदस्य की फीलिंग्स इनज्योर्ड हुई हैं। मेरी मंशा सिर्फ यह थी कि हिन्दुस्तान मुल्क, भगवानों का, ऋषियों का, मुनियों का और देवताओं का है। जब यह देश ऋषियों और मुनियों का है, तो हमारी ख्वाहिश तो यह है कि हम देश के कण-कण से, एक-एक जगह से, प्रदूषण को निकाल दें, प्रदूषण रहित कर दें। यह हमारी मंशा है। अगर इसमें कोई बुरी बात है, तो मैं अपने अलफाज वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बेकार तूल न दिया करें, हर एक बात को।

[अनुवाद]

बम्बई कम्प्यूटर चैक समाशोधन प्रणाली का कल्याण काम्पलैक्स तक विस्तार

*36. **श्री एस० जी० सोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की कम्प्यूटर चैक समाशोधन प्रणाली का क्षेत्राधिकार कल्याण काम्पलैक्स तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तार कब किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बम्बई बैंकर्स समाशोधन गृह की 17 नवम्बर, 1986 को हुई साधारण सभा की बैठक में, बम्बई बैंकर्स समाशोधन गृह के क्षेत्राधिकार को पहली जुलाई, 1987 से कल्याण तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस निर्णय को अमल में लाने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

श्री एस० जी० धोलप : महोदय, यह स्वीकार किया गया है कि बम्बई बैंकर्स समाशोधन गृह के क्षेत्राधिकार को पहली जुलाई 1987 से कल्याण तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह कल्याण काम्पलैक्स पर लागू होगा और केवल कल्याण पर लागू नहीं होगा? वास्तविक स्थिति क्या है?

श्री जनार्दन पुजारी : कल्याण का आशय एक ऐसा क्षेत्र है जो कल्याण काम्पलैक्स के अन्तर्गत भी आता है। महोदय, यहां, इस निर्णय को लागू करने के लिए हमने कदम भी उठाए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं।

श्री एस० जी० धोलप : जी नहीं।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क विभाग द्वारा सोना पकड़ा जाना

+

*37. **श्री बनवारी लाल बैरवा :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गए सोने का ब्यौरा क्या है और सोने की तस्करी में यदि कोई वृद्धि हुई है, तो उसके कारण क्या हैं;

(ख) क्या इतने बड़े पैमाने पर सोने के पकड़े जाने के कारण सोने के मूल्यों में कोई गिरावट आई है; और

(ग) क्या भारत में सोने की तस्करी रोकने हेतु सरकार ने कोई नई योजना बनाई है?

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम के तहत अभिगृहीत सोने का कुल मूल्य इस प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1984	10.24
1985	51.89
1986	46.71

सोना, इसकी सदैव मांग एवं सीमित आपूर्ति के कारण, देश में तस्करी द्वारा लायी जाने वाली संवेदनशील वस्तुओं में से एक है। तस्करी द्वारा देश में लाए जाने वाले सोने की मात्रा का निर्धारण अधिकांश रूप से, सोने की देश में तथा अन्तरराष्ट्रीय कीमतों के बीच घटते-बढ़ते लाभ द्वारा किया जाता है।

(ख) प्राप्त हुई रिपोर्टों से यह पता चलता है कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सोने की बड़ी मात्रा में अभिग्रहण से देश में सोने की कीमतों पर अवश्य ही थोड़ा-बहुत प्रभाव पड़ता है।

(ग) देशभर में, विशेषकर समुद्रीतट, भू-सीमा क्षेत्रों, हवाई अड्डों के सुगम्य क्षेत्रों में तस्करी-रोधी तन्त्र सतर्क रहता है ताकि देश में सोने की तस्करी पर नियन्त्रण रखा जा सके एवं उसका पता लगाया जा सके। धातु-खोजी (मेटल डिटेक्टर), असबाब एक्सरे मशीनें, क्लोज सर्किट टेलीविजन जैसे अत्याधुनिक तस्करी-रोधी उपकरणों का इस्तेमाल यात्रियों के शरीर में तथा उनके असबाब में कोर्गों के अन्दर छुपाए गए सोने को पकड़ने एवं उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। देश में सोने की तस्करी को रोकने तथा इसका-पता लगाने में भी सम्बन्धित एजेंसियों के साथ घनिष्ट तालमेल रखा जाता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बचत दर में गिरावट

*23. श्रीमती एम० पी० झांसी लक्ष्मी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत दर में विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में, पिछले कुछ महीनों में निरन्तर गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गिरावट को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) बचत तथा बचत दर के अनुमान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में समाविष्ट विस्तृत लेखों, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी निगम क्षेत्र के उद्यमों के आदि के लोगों के आधार पर प्रति वर्ष तैयार किए जाते हैं। ये लेखे मासिक आधार पर उपलब्ध नहीं हैं। अतः बचत दर में गत कुछ महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को मापना सम्भव नहीं है।

उदार इलैक्ट्रानिक नीति का प्रभाव

*31. श्री बालासाहेब विखे पाटिल : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदार इलेक्ट्रॉनिक नीति, जो मार्च, 1985 में लागू हुई थी, भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहन देने में समर्थ हुई है;

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1986 तक का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग स्थापित किए गए हैं और ये उद्योग किन-किन राज्यों में स्थापित किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। इसे संलग्न प्राफ में दर्शाया गया है।

(ख) उदारीकृत नीति के फलस्वरूप, इलेक्ट्रॉनिक संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में न केवल पूंजी निवेश अपितु उत्पादन दोनों में ही उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस प्रकार, जबकि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुल पूंजी-निवेश का आधार अनुमानतः 200 करोड़ रुपए था, वर्ष 1985 में इलेक्ट्रॉनिक संघट-पुर्जा उद्योग में 85 करोड़ रु० का अतिरिक्त पूंजी-निवेश किया गया, जबकि वर्ष 1986 में यह अतिरिक्त पूंजीनिवेश बढ़कर अनुमानतः 270 करोड़ रु० हो गया। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक संघट-पुर्जों का उत्पादन जहां कैलेण्डर वर्ष 1984 में 303 करोड़ रुपए था वहां कैलेण्डर वर्ष 1985 में वह बढ़कर 410 करोड़ रुपए हो गया, जो 35.3 प्रतिशत के विकास के दर को परिचायक है। वर्ष 1986 में उत्पादन 510 करोड़ रुपए से भी अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) संगठित-क्षेत्र में संघटक-पुर्जों की जिन इकाइयों ने वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 में उत्पादन करना शुरू कर दिया था, उनकी संख्या क्रमशः 8, 9 तथा 27 थी। इन इकाइयों के राज्य-वार ब्यौरे नीचे दिए अनुसार है :—

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	दादरा तथा नागर हवेली	1
3.	गुजरात	3
4.	गोआ	1
5.	हिमाचल प्रदेश	1
6.	जम्मू तथा कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	8
8.	महाराष्ट्र	5
9.	उड़ीसा	2
10.	पंजाब	2

1	2	3
11.	राजस्थान	4
12.	तमिलनाडु	3
13.	उत्तर प्रदेश	5
14.	पश्चिम बंगाल	5
	कुल	44

इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग में प्रगति

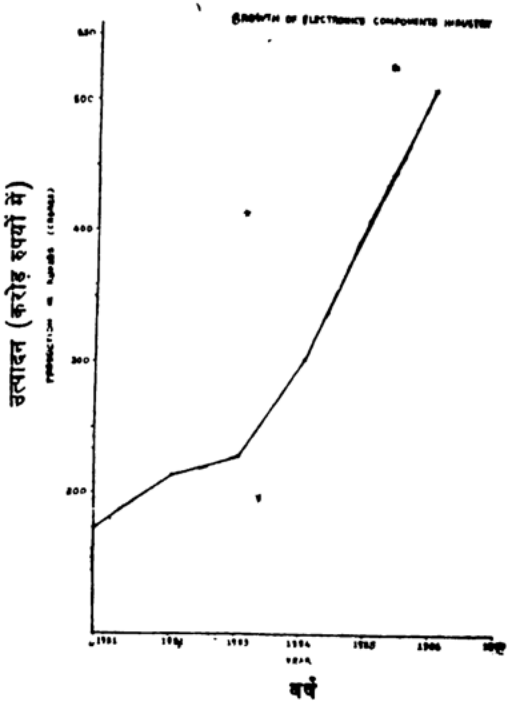

"हिमालय में भू-स्खलन"

*33. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हिमालय में भू-स्खलन से तबाही हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाया गया है और इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : (क) जी, हां।

(ख) हिमालय में भू-स्खलन के निम्नलिखित कारण हैं :—

1. हिमालय की पर्वत श्रेणियां भू-वैज्ञानिक रूप से नई और भूकम्प की दृष्टि से समस्यादायक हैं;

2. बादल-फटने और अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की अधिक घटनाएं; और

3. तीव्र गति से वन नाशन, अधिक चराई, सड़क निर्माण और अन्य अनियोजित विकास आदि।

निम्नलिखित शोधक उपाय किए जा रहे हैं :—

1. 1000 मीटर ऊंचाई से ऊपर वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध;

2. व्यापक वन-रोपण;

3. विकास परियोजनाओं में पर्यावरण से सम्बन्धित नियन्त्रण उपायों को शामिल करना, और

4. पर्यावरणीय क्षति के निवारण और नियन्त्रण उपाय सोच निकालने के लिए अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देना।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकारी उपक्रमों के ऋण पत्रों की खरीद

*34. श्री दौलतसिंह जी जडेजा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों द्वारा जनता से अंशदान प्राप्त करने के लिए जारी किए गए ऋण-पत्र खरीदते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी यह प्रक्रिया सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले में सरकार द्वारा कोई मार्गनिर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट का छोड़ा जाना

*35. डा० चिन्ता मोहन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) के मार्च, 1987 में छोड़े जाने की संभावना है; और

(ख) क्या मार्च, 1987 में छोड़ा जाने वाला संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट पूर्णत. देश में बनाया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) की प्रथम विकासात्मक उड़ान के श्रीहरिकोटा से मार्च 20 से अप्रैल 5 की प्रमोचन-समय अनुसूची में मार्च/अप्रैल, 1987 में किए जाने की संभावना है।

(ख) ए० एस० एल० वी० का डिजाइन और निर्माण स्वदेशी रूप में किया गया है। फिर भी, राकेट मोटरकेसिंग के लिए उच्च शक्ति वाले ऐलॉय स्टील, केवलार फाइबरों, बंधकों जैसे साज-सामान और कुछ अन्तरिक्ष-अर्ह इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों को विदेश से प्राप्त किया गया है।

व्यक्तिगत गारंटी के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश

*38. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संस्थाओं और एसोसिएशनों ने ऋण लेने वाले औद्योगिक उपक्रमों के निदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत गारन्टी लिए जाने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के विरुद्ध आपत्तियां की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनंत बैन पुजारी) : (क) और (ख) ऋणकर्ता कम्पनियों के निदेशकों और अन्य प्रबन्धक अधिकारियों से, कुछ परिस्थितियों में, व्यक्तिगत गारंटियां प्राप्त करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के नाम जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के विषय में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ये मार्गनिर्देश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्योगों में बढ़ती हुई रुग्णता तथा बैंकों के अवरुद्ध/वसूल न हो सकने वाले अग्रिमों के बढ़ते हुए आकार को देखते हुए जारी किए गए थे। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक ने इन मार्गनिर्देशों में संशोधन किए हैं और बैंकों से यह कहा है कि आमतौर पर, उन मामलों को छोड़कर, जिनमें पेशेवर प्रबन्धकों/निदेशकों के कम्पनी में काफी शेयर हों, व्यक्तिगत गारंटी पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति की हकशफ़ा खरीद

*40. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आयकर अधिनियम के अधीन अचल सम्पत्ति की हकशफा खरीद जारी रखने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह निर्णय प्रारम्भिक सफलता से प्रेरित होकर किया गया है और वर्ष 1986 में कुल कितनी अचल सम्पत्ति खरीदी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । अचल सम्पत्तियों की हकशफा खरीद को दीर्घकालीन वित्तीय-नीति के प्रचालन के एक भाग के रूप में जारी रखा जा रहा है । कैलिण्डर वर्ष 1986 में कुल 71 अचल सम्पत्तियों की खरीद के लिए आदेश दिए गए ।

[अनुवाद]

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण देना

231. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा राज्य-वार कितने व्यक्तियों को ऋण दिया गया और शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि के ऋण दिए गए;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 में जिन लोगों को ऋण दिए गए थे उन्होंने वह वापस करना शुरू कर दिया है और यदि नहीं, तो ऋण वापस न करने वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस प्रकार से ऋण वापस न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) संभवत: माननीय सदस्य का आशय शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना से है जो वर्ष 1983-84 में आरम्भ की गयी थी । वर्ष 1986-87 के दौरान मंजूर किए गए ऋणों की राज्य-वार प्रगति का पता वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही चलेगा ।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से प्रश्न में पूछे गए ढंग से सूचना प्राप्त नहीं होती ।

देश में इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का निर्माण

232. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में क्वार्ट्ज और डिजिटल घड़ियों का निर्माण करने वाले औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं और प्रत्येक एकक में प्रतिवर्ष ऐसी कितनी घड़ियां बनाई जाती हैं; और

(ख) क्या भारत में घड़ियों की उत्पादन लागत बहुत अधिक है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) क्वार्ट्ज अनालॉग घड़ियों तथा अंकीय घड़ियों का विनिर्माण संगठित क्षेत्र तथा लघु उद्योग क्षेत्र दोनों ही प्रकार की इकाइयों में किया जा रहा है जिन कम्पनियों से वर्ष 1985 में उत्पादन की रिपोर्ट मिली है, उनके उत्पादन सहित उन इकाइयों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) इन इकाइयों से क्वार्ट्ज तथा अंकीय घड़ियां बाजार में उपलब्ध हैं जिनकी कीमत 127 रुपये से लेकर 45 रु० तक है ।

विवरण

क्वार्ट्ज अनालॉग घड़ियां

विनिर्माणकर्त्ता का नाम	वर्ष 1985 में उत्पादन
1. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर	162,103
2. हैदराबाद आल्विन लिमिटेड, हैदराबाद	94,022
3. प्योरवल एण्ड एसोशिएट्स लिमिटेड (जिसमें यांत्रिक घड़ियां शामिल हैं) नई दिल्ली	321,000(1985-87 के लिए)
4. जैना टाइम इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली	6,570
5. राघव इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज प्रा० लिमिटेड, सोलन	1,196
अंकीय इलेक्ट्रोनिक घड़ियां	
1. अर्मादाह इलेक्ट्रोनिक्स, चंडीगढ़	1,000
2. इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड, मद्रास	6,096
3. केल्ट्रान फिस्टस लिमिटेड, केनौर	3,896
4. रीको वाच संयोजन एकक, अजमेर	3,798

वर्ष 1987-88 के लिए विभिन्न राज्यों के लिए योजना आवंटन

233. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
डा० डी० एन० रेड्डी :
श्री महेन्द्र सिंह :
श्री कृष्ण सिंह :
श्री टी० बशीर :
डा० जी० विजय रामाराव :

क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1987-88 के लिये राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए योजना आवंटन को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा राज्य-वार और वर्ष-वार क्या मांग की गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना वास्तविक राशि आवंटन किया गया है; और

(ग) इनकी वर्ष 1986-87 के लिए किए गए राशि आवंटन की तुलना में यह कितना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) तमिलनाडु और पंजाब को छोड़कर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1987-88 की वार्षिक योजनाओं के समग्र आकार को अन्तिम रूप दे दिया गया है। परन्तु, कुछ राज्यों के क्षेत्रकीय परिव्ययों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना 1987-88 के लिए अनुमोदित समग्र परिव्यय और 1987-88 के लिए यथा सहमत परिव्ययों का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वार्षिक योजनाएं—1986-87 तथा 1987-88

(करोड़ रु०)

राज्य	वार्षिक योजना 1986-87 अनुमोदित परिव्यय	वार्षिक योजना 1987-87	
		राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	सहमत परिव्यय
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	1000.00	1363.20	1200.00
असम	500.00	763.33	575.00
बिहार	1150.00	1563.91	1500.00
गुजरात	950.00	1331.16	1160.00
हरियाणा	525.00	530.99	585.00
हिमाचल प्रदेश	205.00	235.00	235.00
जम्मू व कश्मीर	315.00	448.62	375.00
कर्नाटक	765.00	920.00	870.00
केरल	390.00	505.00	440.00
मध्य प्रदेश	1381.90	1538.00	1570.00
महाराष्ट्र	2100.00	2320.00	2320.00
मणिपुर	87.00	146.04	105.00
मेघालय	91.00	169.84	110.00
नागालैंड	78.00	126.91	94.00

1	2	3	4
उड़ीसा	600.00	716.68	750.00
पंजाब	575.00	865.00	—
राजस्थान	525.00	694.57	645.00
सिक्किम	50.00	68.69	57.00
तमिलनाडु	1153.00	1250.03	—
त्रिपुरा	105.00	179.98	122.00
उत्तर प्रदेश	2030.00	2451.64	2500.00
पश्चिम बंगाल	776.00	875.00	862.00
संघ शासित प्रदेश			
अंडमान और निकोबार दीपसमूह	69.00[1]	125.66[2]	48.00[3]
अरुणाचल प्रदेश	90.00	156.33	110.00
चंडीगढ़	42.48	52.99	44.00
दादर और नगर हवेली	8.65	9.97	9.00
दिल्ली	483.00[4]	577.83[5]	541.34[6]
गोवा, दमन और द्वीव	73.00	109.00	86.00
लक्षदीप	8.40	10.31	9.50
मिजोरम	58.00	117.58	70.00
पांडिचेरी	39.00	54.73	43.00

1. 34 करोड़ रु० शामिल है
2. 51.20 करोड़ रु० शामिल है } जहाजों की खरीद के लिए
3. 3 करोड़ रु० शामिल है

4. 83 करोड़ रु० शामिल है
5. 65 करोड़ रु० शामिल है } विद्युत परियोजनाओं के लिए
6. 71.34 करोड़ रु० शामिल है

सिविल सेवाओं में महिला अधिकारियों की समस्यायें

234. **श्री टी० लाल गौड़ :**
श्री के० प्रधानी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिला अधिकारियों से, उनकी विशेष समस्याओं का अध्ययन करने तथा उनके समाधान के लिए, सुझाव मांगे हैं;

(ख) क्या महिला अधिकारियों को होने वाली सामान्य समस्याओं को दृष्टिगत करते हुए उनके स्थानान्तरण और पदोन्नति के नियमों के मौजूदा स्वरूप की पुनरीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) वर्ष 1983, 1984 और 1985 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के आधार पर चुनी गई महिला अधिकारियों से सूचना प्राप्त करके यह जानने के लिए एक अध्ययन किया गया था कि सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में क्यों नहीं आ रही हैं।

(ख) और (ग) 1986 में सभी मंत्रालयों/विभागों को इस आशय के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं कि सरकार की यह नीति है कि जहां तक सम्भव हो तथा प्रशासनिक नियंत्रणों के भीतर पति और पत्नी की तैनाती एक ही स्थान पर की जानी चाहिए। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन विभिन्न श्रेणियों के ऐसे मामले हैं जो उत्पन्न हो सकते हैं, और इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह भी निर्धारित किया गया है कि मामलों की प्रत्येक श्रेणी पर कैसे कार्रवाई की जाए।

ये मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्य सरकारों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कर दिए गए हैं कि वे राज्य सरकारों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में इसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने पर विचार करें।

अमरीकी डालर, पौंड, ड्यूश मार्क और रूसी रूबल की तुलना में रुपए का मूल्य

236. **श्री अरुण नेहरू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी डालर, पौंड, ड्यूश मार्क (जर्मनी) और रूसी रूबल की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट आई है; और

(ख) 30 जून, 1985, 30 जून, 1986 और 1 जनवरी, 1987 को भारतीय रुपए की तुलना में इन मुद्राओं का मूल्य कितना था ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) रुपए की विनिमय दर उन देशों की करेंसियों की डाली (बास्केट) के मूल्य के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जो मुख्य रूप से भारत के साथ प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं। रुपए तथा अन्य करेंसियों के बीच विनिमय दर में उर्ध्वमुखी अथवा नीचे की ओर परिवर्तन होते रहते हैं जो कि इन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घटबढ़ पर निर्भर करते हैं। परिवर्तनशील विनिमय दरों के युग में रुपए के विनिमय मूल्य में बार-बार ऐसे परिवर्तन होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। इन तारीखों को पौंड स्टर्लिंग, संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर, ड्यूश

मार्क तथा रूसी रूबल के संदर्भ में भारतीय रुपए की विनिमय दर निम्नलिखित सारणी में बताई गई है :—

तारीख	एक पौंड स्टर्लिंग=रुपए	एक सं० राज्य अमरीकी डालर=रुपए	एक ड्यूश मार्क=रुपए	एक रूसी रूबल=रुपए*
1	2	3	4	5
30-6-85	16.10	12.3089	4.0590	11.3442
30-6-86	19.05	12,4347	5.6483	12.9577
1-1-87	19.35	13.0347	6.7854	14.3049

*वाणिज्यिक लेनदेनों के सम्बन्ध में।

शुल्क वापसी नियमों में संशोधन

237. **श्री एच० वी० पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्तमान शुल्क वापसी प्रणाली में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) व्यापारी वर्ग द्वारा किए गए विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए प्रतिअदायगी प्रणाली में हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। निर्यात करने के पश्चात् ब्रांड दरें निर्धारित करने हेतु आवेदन करने के लिए 30 दिन की सामान्य समय-सीमा की व्यवस्था करने के लिए प्रतिअदायगी नियमावली को संशोधित किया गया है। कुछेक इंजीनियरी मदों के सम्बन्ध में सभी उद्योग दरों की भी घोषणा की गई है।

[हिन्दी]

बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए समिति

238. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए कोई समिति गठित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा उद्योग को जारी की गई प्रक्रियाओं में कमी

239. श्री सी० अंजन रेड्डी :
डॉ० ए० के० पटेल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् द्वारा उद्योग को वर्ष 1983 जारी प्रक्रियाओं की तुलना में वर्ष 1985 में कम प्रक्रियाएं जारी की गई और इस अवधि के दौरान उत्पादन के लिए कितनी परियोजनाएं जारी की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अवधि के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् का कार्य संचालन सम्बन्धी व्यय कितना था और अब तक इस परिषद् पर कुल कितना राशि निवेश किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1983 में विभोचित प्रक्रमों की संख्या 111 थी जबकि इसकी तुलना में 1985 में यह संख्या 125 थी। उन्हीं वर्षों में सी० एस० आई० आर० की तकनीकी जानकारियों के उत्पादनीकरण के लिए करार किए गए लाईसेंसों की संख्या क्रमश: 187 और 257 थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वित्तीय वर्ष 1983-84 और 1985-86 में सी० एस० आई० आर० पर क्रमश: 112.1 करोड़ रुपये और 164.7 करोड़ रुपये का व्यय किया गया। वर्ष 1985-86 तक व्यय के रूप में सी० एस० आई० आर० का कुल निवेश 1203.09 करोड़ रुपये है।

ऋण अनुमोदन योजना

240. श्री आर० एम० भोये : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण अनुमोदन योजना का प्रयोग बड़ी कम्पनियों से उत्पाद शुल्क अदायगियां प्राप्त करने के साधन के रूप में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि ऋण प्राधिकार योजना का प्रयोग बड़ी कम्पनियों से उत्पाद शुल्क या इस तरह के अन्य शुल्कों की अदायगियां प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, अनुज्ञेय बैंक वित्त का परिकलन करने के प्रयोजन से बैंक ऋणकर्ता

की कर देयताओं को देनदारी के रूप में मान लेते हैं और इस प्रकार चूककर्ता एकक की पात्रता उतनी ही कम हो जाती है।

भारी जल संयंत्र स्थल

241. श्री अमर सिंह राठवा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने भारी जल संयंत्र हैं और वे किन-किन स्थानों पर स्थित हैं तथा प्रत्येक संयंत्र का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या भारी जल का उत्पादन घटा है;

(ग) यदि हां, तो कौन-कौन से संयंत्र अपनी क्षमता के अनुसार भारी जल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं;

(घ) इनका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या मांग को पूरा करने के लिए सातवीं योजना के दौरान भारी जल का उत्पादन करने हेतु देश में कुछ और संयंत्र लगाने का कार्यक्रम है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) हमारे देश में छः भारी पानी संयंत्र हैं। इनके नाम तथा वार्षिक स्थापित क्षमता निम्नलिखित है :

1. नांगल—पंजाब	—	14 मीटरिक टन
2. बड़ौदा—गुजरात	—	45 मीटरिक टन
3. कोटा—राजस्थान	—	85 मीटरिक टन
4. तूतीकोरिन—तमिलनाडु	—	49 मीटरिक टन
5. तलचर—उड़ीसा	—	50 मीटरिक टन
6. थाल-वैशट—महाराष्ट्र	—	110 मीटरिक टन

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) बड़ौदा तथा तूतीकोरिन स्थित संयंत्रों में परिवर्तन तथा सुधार किए जा रहे हैं। कोटा संयंत्र में भाप पैदा करने वाला एक केप्टिव यूनिट लगाने की योजना है और नांगल संयंत्र में फीड तैयार करने के लिए एक वैकल्पिक स्कीम के अन्तर्गत स्थापना-कार्य चल रहा है। इन उपायों से उत्पादन बढ़ने की आशा है।

(ङ) सातवीं योजना में दो और भारी पानी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक संयंत्र आन्ध्र-प्रदेश में मानुगुरु में लगाया जा रहा है तथा उसकी वार्षिक क्षमता 185 मीटरिक टन होगी। दूसरा संयंत्र, जिसकी वार्षिक क्षमता 110 मीटरिक टन होगी, गुजरात में हजीरा में लगाया जा रहा है।

जिला आयोजना के लिए वैज्ञानिक प्रयोग सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करना

242. श्री के० राममूर्ति : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में उन 100 जिलों के नाम क्या हैं जिन्हें जिला आयोजना हेतु वैज्ञानिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चुना गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : प्राकृतिक संसाधन आंकड़ा व्यवस्था प्रणाली को, पांच चुने हुए जिलों अर्थात्, विशाखापतनम (आन्ध्र प्रदेश), सुल्तानपुर (उत्तर प्रदेश), गुड़गांव (हरियाणा), खेडा (गुजरात) और कोरापुट (उड़ीसा) में प्रायोगिक आधार पर सातवीं योजनावधि के दौरान जिला स्तरीय आंकड़ा आधार स्थापित करके परिचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस समय, इस कार्यक्रम में 100 जिलों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।

"थार मरुस्थल में वृक्षारोपण"

243. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के थार मरुस्थल में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या अन्तिम रूप से यह निर्णय ले लिया गया है कि कौन-कौन से वृक्ष लगाए जाएंगे; और

(घ) वृक्षारोपण कार्यक्रम के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां, थार रेगिस्तान में वनरोपण कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है।

(ख) विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिनमें वन रोपण एक हिस्सा है, ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान के थार मरुस्थल में मरुस्थल विकास कार्य की एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके अन्तर्गत वानिकी के लिए 10.57 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

(ग) थार मरुस्थल में वन रोपण कार्यक्रम के लिए देशज, स्थान-विशिष्ट, बहुउद्देश्यीय, मिश्रित वृक्ष प्रजातियों की सिफारिश की गई है।

(घ) वनों के एक नवीकरणीय संसाधन होने के कारण, पौधरोपण एक दीर्घकालिक कार्यक्रम है और इसे निरन्तर आधार पर चलाया जाना होगा।

440 मेगावाट क्षमता आणविक ऊर्जा संयंत्रों की खरीद

245. श्री अनन्त नायक : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 440 मेगावाट रूसी आण्विक ऊर्जा संयंत्र की खरीद की सम्भाव्यता की जांच के लिए कोई पैनल नियुक्त किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) एक परमाणु विद्युत संयंत्र के निर्माण में सहायता देने के लिए सोवियत संघ ने जो पेशकश की है उस पर एक वर्ग विचार कर रहा है। इस वर्ग के अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य तथा प्रधान मन्त्री के वैज्ञानिक सलाहकार प्रो० एम० जी० के० मेनन हैं तथा उसके सदस्यों में परमाणु ऊर्जा आयोग तथा सरकार के अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हैं।

ब्याज की विभेदी दर योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा ऋण

246. श्री नित्यानंद मिश्र : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा ब्याज की विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण प्रदान करने के मामले में निर्धारित मानदण्डों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गरीबी उन्मूलन करने सम्बन्धी सभी ऋण योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) विद्यमान बैंक ऋण योजनाओं के नाम, उनके उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान उनका किस प्रकार क्रियान्वयन हुआ है; और

(ङ) वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन उनके बकाया अग्रिमों की राशि गत वर्ष के अन्त में उनके कुल अग्रिमों के 1 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गये अग्रिमों का कम से कम दो तिहाई हिस्सा ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं के जरिये दिया जाना चाहिए और इन ऋणकर्ताओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं का हिस्सा 40 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। सितम्बर 1986 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत दिए गये अग्रिमों की बकाया राशि 1985 के अन्त में उनके अग्रिमों की कुल बकाया रकम का 1.1 प्रतिशत थी और विभेदी ब्याज दर योजना के ऋणों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं का हिस्सा 51 प्रतिशत था। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार दिसम्बर 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत अपने कुल ऋणों का 72 प्रतिशत ग्रामीण और शहरी शाखाओं के माध्यम से दिया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के वास्ते बैंकों के नाम

व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम/शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार के कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर अनुदेश दिए जाते हैं जिनमें विभिन्न महत्त्वपूर्ण बातों का उल्लेख होता है। बैंकों से अपनी ग्रामीण शाखाओं की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने और निरीक्षणों के दौरान ध्यान में आई त्रुटियों को तुरन्त दूर करने के लिए कहा गया है।

(घ) और (ङ) बैंक समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए कई योजनाएं चलाते हैं जिनके परिणाम-स्वरूप इन वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों की राशि में पर्याप्त वृद्धि हुई है। गत 3 वर्षों के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

समाज के कमजोर वर्गों के नाम अग्रिमों की बकाया राशि	खातों की संख्या (हजारों में)	(करोड़ रुपये) बकाया रकम
दिसम्बर 1984	15065	3704
दिसम्बर 1985	17875	4894
जून 1986	18995	5382

कपड़ा मिलों को ऋण देना

247. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा हाल ही में शुरू की गयी कपड़ा आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत कितनी कपड़ा मिलों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं; और

(ख) इन मिलों को इस प्रकार ऋणों में कितनी राशि दी गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि दिनांक 31 जनवरी, 1987 तक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत 30 एककों को कुल 111 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की गई।

आयकर की माफी योजना की अवधि बढ़ाना और बकाया आयकर की वसूली

248. **डा० बी० एल० शीलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आयकर माफी योजना कितनी अवधि के लिए बढ़ाई गई है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान 31 जनवरी, 1987 तक इस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी आय की घोषणा की गई है इससे आयकर और धन-कर की कितनी धनराशि प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(ग) उन व्यक्तियों, कम्पनियों, हिन्दू अविभाजित परिवारों और औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं, जिन पर इस समय आयकर की 50 लाख रुपए और उससे अधिक धनराशि बकाया है और

प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि बकाया है और इन्हें वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर राजक्षमा योजना 31-3-1987 तक बढ़ा दी गई है।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय सेवाओं के अधिकारियों द्वारा चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार के निर्णय का विरोध

249. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारी, (श्रेणी-क) उनके लिए चौथे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए कथित निर्णय से असन्तुष्ट हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन, कुछ सेवा संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सामान्य परिपाटी के अनुसार, इनकी प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग और संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर जांच की जाएगी जिसमें सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो वित्त मन्त्रालय से परामर्श किया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश में बैंक की शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस देना

250. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को नई शाखा लाइसेंस नीति (1985-90) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए स्थानों की सूची प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए स्थानों के जिलावार नाम क्या हैं तथा उनमें से किन-किन स्थानों के लिए लाइसेंस दे दिए गए हैं;

(ग) चुने गए शेष स्थानों के लिए किस सम्भावित तारीख तक लाइसेंस दे दिए जाएंगे;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक को हिमाचल प्रदेश से इन स्थानों की सूची किस तारीख को प्राप्त हुई थी;

(ङ) क्या इनको शीघ्रता से लाइसेंस देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के वास्ते हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से दिनांक 20 सितम्बर, 1986 को पता लगाए गए 174 केन्द्रों की सूची प्राप्त हुई थी। राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए केन्द्रों में से भारतीय रिजर्व बैंक ने 104 केन्द्र वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवंटित किए हैं जो रिजर्व बैंक के अनुसार शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चण्डीगढ़ स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय से पता लगाए गए इन 104 केन्द्रों के सम्बन्ध में आवश्यक लाइसेंस जारी करने के वास्ते कहा है। चूंकि सूची में शामिल बाकी केन्द्र मानदण्डों के अनुरूप नहीं पाए गए थे, इसलिए उन्हें किसी भी बैंक को आवंटित नहीं किया गया। राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए स्थानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को आवंटित केन्द्रों का जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पता लगाए गए स्थानों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवंटित केन्द्रों का जिले-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	केन्द्रों के नाम
1	2
बिलासपुर	बेहाल0, छकोह0, इगराहल0, कलथसा0, गंधीर0, औहर0, कारलोटी, रानी कोटला, बागी बिनौला, मोरसिंघी, हरलोग और दवात मंजरी।
चम्बा	हाटली0, होबार0, माले0, घुलारा, बाघधर0, दुरबट्टी0, गरोला0, सिरीरी0, लाहल0, भारमौर, हरसर0, साच0, धारवाला0, मंगला0, दियूर0, खैरी0, तेलका0, तरेल्ला0, भजराड़, सई कोठी0, बैरागढ़0, साहू0, साच, जडेरा0, राजनगर0 और चानेड0।
हमीरपुर	भोरंज, ताल0, लुधर, नंदौन, किटपल, पतलंधर, नाल्टी, कोट, चकमोह0, महराल, जोरे आम्ब, गारली, धनगोटा0 और बिझारी।
कांगड़ा	राझून0, माझिब0, बन्खंडी0, भरोली0, रजैना, श्रीमाली0, गन्धार, बालक-रूपी, सुन्ही0, चामुंडा0, मस्तगढ़0, नूरपुर, संसारपुर-टेरेस0, और दारणी0।
किन्नौर	मुरंग0 और कारचम0।
कुल्लू	सिवबाग0, जगतसुख, कलाथ0, सरसारी0, बिजौरा, शमशी, दोहरा नाल0, गुशैनी0, जीपी0, लहरी0, कुंगास0, लागीपुल0, और बरोह।
लाहुल और स्पीती	गेमूर0, हंसा और सगनाम।

1	2
मण्डी	अलसिंघी0, टाटापाणि0, करसोग, जमंनी0, जलवान0, बलद्वारा, छत्तरी, जरोल0, सुन्दर नगर, गौहर, धर्मपुर, संधौल, लदभरोल, बालटिकर0, घटरानी0, जोगिन्द्रनगर, लेडा0, करकोहु0, मझवार0, कबल0 और रत्ती।
शिमला	कोटी0, टुटीकांडी, भट्ट-कुफ्फर, जाखोच, बल्च0, छलली, फागू, जिप्पाड़, जरोग, कुठार0, दारेच0, जाडून, उडी, कंयाल, मझौली0, बनोटी0, निरच0, कुगंल बस्ती, कण्डी0, धमोली0, कबर0, कुटारा0, पुआरली-4 0, दबोरी खनेटी0, जुब्बाल, मण्डल और मोहरी0।
सिरमूर	भगानी0, कमराऊ, हम्बन मरेची, नेरीपुल0, खेड़ी0, दिदगखनोत्थान0, खलोग0, बासनी0, टिम्बी0, धारवा0, हलाहन0, कोटी धीमान0, पानीग0, पराड़ा0, बनेठी0, बोगधर0, राजना0, अंधेरी, भरारी0 और भवाई0।
सोलन	कबर्ग0, गौड0, सई0, बड्डी, नन्द0, दमोटा0, ओहारघाट0, बलेरा0, देवरा0, गोयला और कोटबेजा0।
ऊना	बेहदाला, दगोंली, संतोखगढ़, गलून, तालमेड़ा, अम्बोटा, मारवाड़ी, गोंडपुर, बांचरा, चम्बी, लोहारली और त्यूरी।

0भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित केन्द्रों को दर्शाते हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों और राज्यों को बांड जारी करने की अनुमति देना

251. श्री अनादि चरण दास : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन उद्यमियों और राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1986-87 के दौरान बांड जारी करने की अनुमति मांगने पर अनुमति प्रदान कर दी गई थी और ऐसे बांडों से वर्ष 1986 के अन्त तक कितनी धनराशि एकत्र हुई;

(ख) क्या इन बांडों पर सरकार की गारंटी है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य ने बांड जारी करने की अनुमति मांगी है; और

(घ) क्या उड़ीसा को अनुमति प्रदान की गई थी और यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) उन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष 1986-87 के दौरान बांड निर्गमित करने की अनुमति दी गई थी, और 1986 के अन्त तक ऐसे बांडों पर अनुमेय अत्यधिदत्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) वर्तमान योजना मुख्यतः आधारभूत क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तक ही सीमित है। इस सुविधा को इन्हीं क्षेत्रों में राज्य सरकारों के वित्तीय रूप से सक्षम उपक्रमों पर लागू करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा निर्णय इस योजना के संचालन से पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेने के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की अपनी वचनबद्धताओं के सम्बन्ध में सम्पूर्ण स्रोत स्थिति को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1986-87 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिनको बांड निर्गमित करने की अनुमति दी गई

(रुपये करोड़ में)

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	मूल स्वीकृति	अत्यधिदत्त स्वीकृति
1.	निवेली लिग्नाइट निगम लि०	50.00	11.20
2.	राष्ट्रीय जल-विद्युत शक्ति निगम लि०	125.00	21.00
3.	भारतीय पेट्रो-रसायन लि०	40.00	55.00
4.	मद्रास रिफाइनरीज लि०	15.00	—
5.	महानगर टेलीफोन निगम लि०	150.00	75.00
6.	राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लि०	120.00	60.00

"केरल वासियों को भूमि का हक प्रदान करना"

252. श्री के० मोहन दास : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने ऊंचाई पर, वन भूमि में रहने वाले लोगों को भूमि के हक-विलेख प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुमति मांगी है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) केरल सरकार ने इडुक्की और अन्य जिलों में खेतिहरों के आवंटन के लिए 25588.155 हैक्टेयर वन भूमि के क्षेत्रपरिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इडुक्की जिले में वन भूमि के आवंटन पर केरल उच्च न्यायालय के सभी कार्यवाहियों पर रोक के आदेश को देखते हुए प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय स्टेट बैंक में यांत्रिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम

253. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक ने देश में अपनी कुछ शाखाओं में यांत्रिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी बैंक शाखाओं में कम्प्यूटर लगाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1987-88 में भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों की और अधिक शाखाओं में मशीनें लगाने और उन्हें आधुनिक बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने 229 शाखाओं में यंत्रीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया है। इन 229 शाखाओं का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

महाराष्ट्र	54
तमिलनाडु	38
गुजरात	33
आन्ध्र प्रदेश	11
कर्नाटक	36
मध्य प्रदेश	9
दिल्ली	27
चण्डीगढ़	5
उत्तर प्रदेश	6
पश्चिम बंगाल	6
असम	6
बिहार	1
उड़ीसा	1
कुल :	229

(ग) जी, हां।

(घ) अलबत्ता, वर्ष 1987-88 के दौरान, यंत्रीकरण के लिए भारतीय स्टेट बैंक और सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों की शाखाओं की ठीक-ठीक संख्या के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

"केरल में घटता हुआ वन क्षेत्र"

254. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वन क्षेत्र तेजी से घटता जा रहा है;

(ख) वहां वन कटाव किसी गति से हो रहा है;

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति के अध्ययन के लिए वहां एक विशेषज्ञ दल भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो दल की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी (एन० आर० एस० ए०), हैदराबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 1972-75 से 1980-82 की अवधि के दौरान 1235 किमी० ^{2} वन आवरण की क्षति हुई जो 1972-75 में प्रचलित वनावरण का 14.3% है।

(ग) जी, हां।

(घ) दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी पाया कि अवैध कटाई, अनधिकार प्रवेश, फसलें उगाने और आग से राज्य में खासतौर से इदुक्की और नीलाम्बर क्षेत्रों में वनों को भारी क्षति होती है। अतः दल ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1. सदाबहार और अर्ध-सदाबहार वनों तथा प्रपाती ढलानों में स्थित वनों को संरक्षित किया जाए;
2. स्थल अवक्रमण आकलन की दृष्टि से वर्तमान टीक की पौधरोपण का अध्ययन किया जाए;
3. परस्पर एकान्तिक भूमि उपयोगों को परिभाषित किया जाए और भूमि की क्षमता के आधार पर भूमि जोनिंग की एक प्रणाली तैयार की जाए;
4. प्राकृतिक वनों की पूर्णतः कटाई के बाद यूकलिप्टस, अकोसिया आदि जैसे विदेशी प्रजाति के पौधे न उठाए जाएं;
5. अनधिकार-प्रवेश के सम्बन्ध में प्राथमिकता आधार पर एक सर्वेक्षण किया जाए; और
6. प्राकृतिक पुनर्जनन, अग्निरोधन और कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए आवंटनों में पर्याप्त वृद्धि की जाए।

[हिन्दी]

"दिल्ली के चिड़ियाघर में पशुरोग विशेषज्ञ सर्जन की नियुक्ति"

255. श्री शान्ति धारीवाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के चिड़ियाघर में पशु रोग विशेषज्ञ सर्जन की नियुक्ति कब तक की जाएगी;

(ख) क्या सरकार ने पशुरोग विशेषज्ञ सर्जन की नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) पशु-पक्षियों के स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए अन्य कौन से उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) प्रतिनियुक्ति के आधार पर पशुचिकित्सक की नियुक्ति के प्रयास कामयाब नहीं हो सके हैं। मान्य नियमों के अनुसार अन्य उपायों के माध्यम से नियुक्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) दिल्ली के चिड़ियाघर में पक्षियों और पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल के किए गए उपायों में बेहतर सफाई स्थितियां बनाए रखना और पिंजड़ों तथा बाड़ों में स्वास्थ्य सतर्कता, आहार में सुधार और बेहतर चिकित्सा सतर्कता शामिल हैं।

[अनुवाद]

भूमि विकास बैंक से ऋणों की वसूली सम्बन्धी मानदण्डों में छूट

256. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने गैर-सरकारी भूमि विकास बैंकों से ऋणों की वसूली सम्बन्धी मानदण्डों में छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय पहली जुलाई, 1986 से प्राथमिक भूमि विकास बैंकों द्वारा प्राप्त की जा रही, पुनर्वित्त सहायता सुविधा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा निर्धारित पात्रता मानदण्डों से है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि इन मानदंडों में उनके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी

257, **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1987 को महंगाई भत्ते की कितनी धनराशि देय है; और

(ख) कर्मचारियों को उक्त धनराशि का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभागमें राज्य मंत्री (श्री वी० के० पाण्डे) : (क) और (ख) चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, जैसी कि वे सरकार द्वारा समूह "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में स्वीकार की गई हैं, 1-1-1987 से देय महंगाई भत्ता, अखिल भारतीय

औद्योगिक श्रमिक (सामान्य) उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (आधार 1960=100) के 12 महीने के औसत में सम्पूर्ण अंकों में हुई वृद्धि के प्रतिशत-अनुपात के आधार पर, दिसम्बर, 1986 को समाप्त अवधि के लिए 608 के औसत सूचकांक से अधिक वृद्धि होने पर समूह "ख", "ग" और "घ" के कर्मचारियों के लिए आठ प्रतिशत बैठता है। इस सम्बन्ध में सरकारी आदेश सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए यथा समय जारी कर दिए जाएंगे।

"समूह "क" के कर्मचारियों के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय पर संकल्प अभी जारी किया जाना है।

सूखा और बाढ़ राहत व्यय को पूरा करने और उस पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय निधि

258. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सूखा और बाढ़ राहत व्यय को पूरा करने और उस पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय निधि स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गड़वी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लघु औद्योगिक यूनिटों में रुग्णता

259. श्री सी० के० कुप्पूस्वामी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योग क्षेत्र में व्याप्त रुग्णता का कारण बैंकों द्वारा इन यूनिटों को समय पर वित्तीय सहायता का न दिया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऋण मंजूर करने और उनके वितरण की वर्तमान प्रक्रिया की पुनरीक्षा करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) लघु उद्योग यूनिटों में रुग्णता का एक कारण यह भी हो सकता है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें समय पर वित्तीय सहायता देर से दी जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस स्थिति की समीक्षा की है और लघु उद्योग यूनिटों को विलम्ब से और अपर्याप्त कार्यशील पूंजी सहायता दिए जाने के कारणों का पता लगाया है। दूसरा एक कारण बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों के बीच समन्वय का अभाव है। इस सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु उद्योग एककों की परियोजनाओं का संयुक्त रूप से/एक साथ मूल्यांकन करने के लिए मार्गनिर्देश जारी किए हैं ताकि ऐसे एककों की परियोजना के चालू होने से पूर्व कार्यशील पूंजी की सहायता मंजूर की जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों पर इस बात का भी जोर दिया है कि लघु उद्योग एककों के 25,000 रुपये तक के सभी ऋण आवेदन एक पखवाड़े के अन्दर-

अन्दर और 25,000 रुपये से अधिक के आवेदन 8 से 9 सप्ताह के अन्दर-अन्दर निपटा दिए जाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग एककों के पुनरुद्धार के लिए बैंकों के नाम नये मार्गनिर्देश भी जारी किए हैं।

टेलीफोन उपकरण बनाने वाले कारखानों की स्थापना

261. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीफोन उपकरण बनाने वाले कुछ और कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ये कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जाएंगे; और

(ग) इन कारखानों में प्रतिवर्ष कितने टेलीफोन उपकरणों का निर्माण होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) सरकार ने टेलीफोन उपकरणों का विनिर्माण करने की दृष्टि से 80,45,000 नगों की वार्षिक लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता के लिए 32 पार्टियों को आशय-पत्र प्रदान किए हैं।

(ख) और (ग) ये फैक्टरियां देश के विभिन्न राज्यों में अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में स्थापित की जाएंगी। उनके वार्षिक उत्पादन का तभी पता चल पाएगा जब ये पार्टियां उत्पादन करना शुरू कर देंगी।

"असम में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों द्वारा प्रदूषण"

262. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह शिकायत की है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग जैसे सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उद्योग वायु प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अवकर्षण को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने राज्य बोर्ड के सहयोग से एक अध्ययन किया है तथा प्रदूषण नियन्त्रण के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कदम उठाए हैं।

[हिन्दी]

छोटे उद्योगों की सहायता के लिए बैंकों की नये मार्ग-निर्देश

263. **श्री मदन पांडे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे उद्योगों को सहायता देने के बारे में बैंकों को नये मार्ग-निर्देश जारी करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो ये मार्ग-निर्देश कब तक जारी किए जाएंगे और उनसे कितने उद्योगों के लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वित्तीय सहायता के लिए लघु उद्योग एककों से प्राप्त आवेदनों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई करते हैं। इन मार्ग-निर्देशों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बराबर समीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

अमरीका द्वारा सुपर कम्प्यूटरों की बिक्री

264. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री अमल दत्ता :
श्री जी० एस० बसवराजू :
श्री शान्ता राम नायक :
श्री वी० एस० विजय राघवन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के उप-सहायक विदेश मन्त्री ने, जिन्होंने दिसम्बर में भारत आये अमरीकी शिष्ट मंडल का नेतृत्व किया था, अमरीका द्वारा भारत को सुपर कम्प्यूटरों की बिक्री के बारे में भारतीय प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की थी;

(ख) अमरीका के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भारत को यदि कोई शंकाएं थीं, तो वे क्या थीं;

(ग) क्या इन शंकाओं को दूर कर दिया गया है और सुपर कम्प्यूटर की खरीद के लिए अन्तिम रूप से शर्तें तय कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। संयुक्त राज्य अमेरिका के सरकारी विभाग के प्रौद्योगिकी-अन्तरण नीति के वरिष्ठ प्रतिनिधि ने भारत को सुपर कम्प्यूटर बेचने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए भारत में दिसम्बर, 1986 में आए शिष्ट-मंडल का नेतृत्व किया था।

(ख) से (ङ) विचार-विमर्श के दौरान कई व्यापक मुद्दों पर विचार किया गया तथा शिष्ट-मंडल ने कतिपय प्रस्ताव पेश किए जिन पर दोनों देशों द्वारा और आगे विचार किया जा रहा है।

बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों द्वारा उत्पाद-शुल्क की चोरी

265. श्री राम भगत पासवान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में कुछ बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों और औषध-कम्पनियों ने छोटे एकक स्थापित किये हैं और उत्पाद-शुल्क की चोरी कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को उत्पादन शुल्क की चोरी के प्रयोजन के लिए बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों और औषध कम्पनियों द्वारा छोटे एकक स्थापित करने की नियोजित चाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि सरकार की जानकारी में यदि कोई विशिष्ट मामला आता है तो वह उस पर कार्रवाई करेगी।

रिएक्टरों को बन्द करना

266. श्री मुरली देवरा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रिएक्टरों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद उन्हें निष्क्रिय करने और बन्द करने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) प्रत्येक रिएक्टर को बन्द करने पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) क्या सरकार ने योजनाओं में इन रिएक्टरों को बन्द करने के लिए अलग से धनराशि निर्धारित करने की आवश्यकता पर विचार किया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सरकार को यह मालूम है कि जब न्यूक्लियर रिएक्टरों का उपयोगी कार्यकाल समाप्त हो जाता है तब उन्हें अन्तिम रूप से बन्द करना आवश्यक होता है। रिऐक्टरों को इस प्रकार से बन्द करने पर आने वाली लागत के बारे में कुछ प्रारम्भिक अनुमान उपलब्ध हैं। इस बारे में और सही लागत सम्बन्धी सूचना यथासमय तब मिलने की आशा है जब विश्व के आरम्भिक रिऐक्टरों में से कुछ को अन्तिम रूप से बन्द किया जाएगा। परमाणु बिजलीघरों में पैदा हुई बिजली का बिक्री मूल्य तय करते समय बिजलीघरों को अन्तिम रूप से बन्द करने के लिए आवश्यक कोष बनाने के लिए भी एक छोटा सा प्रभार निर्धारित किया जाता है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर

267. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान और स्थिर मूल्यों पर अनुमानित विकास दर कितनी है; और

(ख) वर्ष 1980 से स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की वार्षिक प्रतिशतता कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के नवीनतम अनुमानों तथा सम्बद्ध समाहारों के अनुसार 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर वर्तमान मूल्यों पर 12.5 प्रतिशत और स्थिर (1970-71) मूल्यों पर 5.1 प्रतिशत थी। 1986-87 के लिए तत्सम्बन्धी अनुमान जनवरी, 1988 में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे।

(ख) स्थिर (1970-71) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की प्रतिशतता 1980-81 में 5.1 प्रतिशत, 1981-82 में 3.0 प्रतिशत, 1982-83 में 0.3 प्रतिशत, 1983-84 में 5.9 प्रतिशत, 1984-85 में 1.4 प्रतिशत और 1985-86 में 3.0 प्रतिशत थी।

"गंगा नदी को साफ करना"

268. श्री राम प्यारे पनिका :
डा० बी० एल० शैलेश :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा नदी को साफ करने की योजना के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) गंगा नदी के प्रदूषण के स्रोतों को समाप्त करने हेतु कौन से कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं कि ऋषिकेश और हरिद्वार के आस-पास नदी के ऊपरी भाग में, जहां केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा नदी को साफ कर दिया गया है, पुनः प्रदूषण न हो ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 31 जनवरी, 1987 तक उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई 193.82 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 177 स्कीमों में से 94.41 करोड़ रुपए की लागत पर 133 स्कीमें मंजूर की जा चुकी हैं। इनमें से 59.98 करोड़ रुपए की लागत पर 55 स्कीमें उत्तर प्रदेश में 6.10 करोड़ रुपए की लागत पर 20 स्कीमें बिहार में और 28.13 करोड़ रुपए की लागत पर 58 स्कीमें पश्चिम बंगाल में मंजूर की गई। इन स्कीमों के संचालन के लिए 31 जनवरी, 1987 तक 29.36 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की जा चुकी है। 27 शहरों में से 21 शहरों में कार्य संचालन शुरू हो गया है जहां गंगा कार्य योजना के अधीन स्कीमें हाथ में ली जाएगी और 100 स्कीमों के सम्बन्ध में संचालन कार्य पहले ही शुरू हो चुका है।

हरिद्वार-ऋषिकेश में अपशिष्ट जल को नदी में गिरने से रोकने और दूसरी ओर मोड़ने के लिए 1.60 करोड़ रुपए की लागत पर 2 स्कीमें, वाराणसी के निकट राम नगर में सीवेज पम्पिंग प्लांट

की मरम्मत के लिए 0.10 करोड़ रुपए की लागत पर एक स्कीम और पटना में जल-मल उपचार संयंत्र के नवीकरण और पुर्नस्थापन के लिए 2 स्कीमें पूरी हो गई हैं।

(ख) जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययन दर्शाते हैं कि नदी में अधिकांश प्रदूषण शहरी द्रव अपशिष्टों से होता है और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में अपशिष्ट जल को नदी में गिरने से पहले रोकने तथा उसको दूसरी ओर मोड़कर किसी अन्य स्थान पर उपचार करने के लिए 27 श्रेणी-1 के शहरों में स्कीमें शुरू की जा रही हैं।

(ग) हरिद्वार-ऋषिकेश में, उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीकृत और नवनिर्मित पम्पिंग स्टेशनों के संचालन के लिए पहले ही कदम उठा लिए हैं ताकि नदी में अपशिष्ट जल के प्रवाह के कारण फिर से प्रदूषण न हो जाए।

जिला योजना बोर्ड का गठन

269. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक किन राज्यों में जिला योजना बोर्डों का गठन किया गया है;

(ख) उड़ीसा में कितने जिला योजना बोर्डों का गठन किया गया है तथा इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है;

(ग) जिला योजना बोर्डों को क्या कर्तव्य, दायित्व तथा कार्य सौंपे गये हैं;

(घ) क्या सभी जिला योजना बोर्डों में उनके सही कार्य-निष्पादन के लिए सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो किन बोर्डों में अभी तक सुविधाएं नहीं प्रदान की गई हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा को छोड़कर सभी राज्यों में जिला योजना निकाय हैं जिन्हें जिला आयोजना बोर्डों, जिला योजना समितियों, जिला योजना परिषदों, जिला विकास बोर्डों, जिला योजना विकास परिषद, जिला योजना और प्रबोधन समितियों और जिला समन्वय समितियों जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। त्रिपुरा सरकार का, योजना को ब्लाक स्तर तक विकेन्द्रित करने का प्रस्ताव है और इसने ब्लाक विकास समितियां स्थापित की हैं।

(ख) से (घ) जिला योजना तैयार करने के लिए मार्ग-दर्शन करने और लोगों की सहभागिता प्राप्त करने के लिए, एक शीर्षस्थ योजना निकाय जिसे "जिला योजना बोर्ड" कहा जाता है, मंत्रि-परिषद के एक सदस्य की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में गठित की गई है। कुछ संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों, पंचायत समितियों के अध्यक्ष, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों, तकनीकी विशेषज्ञों और जिला योजना समिति के सदस्यों को इस बोर्ड के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। जिले का समाहर्ता इसके सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला योजना बोर्ड, जिला योजना तैयार करने और इसको अन्तिम रूप देने का कार्य करता है। योजना अभ्यास करने के लिए नवम्बर, 1984

में प्रत्येक जिले में एक जिला योजना समिति भी स्थापित की गई है जिसका अध्यक्ष समाहर्ता होता है और निकास विभागों के अन्य जिला प्रमुख इसके सदस्य होते हैं। जिला योजना समितियों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए कृषि, सिंचाई, ग्रामीण विकास, उद्योग आदि जैसे सभी प्रमुख तकनीकी विषयों के लिए प्रत्येक जिले में विषय-कार्यकारी दल भी स्थापित किए गए हैं। न्यूकलनीय जिला योजना एकक जिसकी स्थापना प्रत्येक जिले में जुलाई, 1984 के आरम्भ में एक सहायक निदेशक (जिला योजना) और दो वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषकों सहित की गई थी, जिला योजना समिति को सचिवालयीन सहायता भी उपलब्ध कराता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चमड़ा निर्यातक कम्पनियों द्वारा शुल्क वापसी के बारे में घोटाला

270. **श्री मुकुल वासनिक :**
डा० गौरी शंकर राजहंस :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व आसूचना विभाग के प्रवर्तन स्कन्ध ने हाल ही में मद्रास में परिष्कृत चमड़ा निर्यातक कम्पनियों द्वारा करोड़ों रुपए के सरकारी राजस्व की धोखाधड़ी करके शुल्क वापसी के बारे में घोटाला करने वाले गिरोह का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) परिष्कृत चमड़े के निर्माण के लिए निविष्टियों की खपत के गलत और बढ़ाए गए आंकड़े देकर अधिक शुल्क-प्रतिअदायगी का दावा करने के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसरण में, राजस्व आसूचना निदेशालय के प्राधिकारियों ने 2-12-1986 को निम्नलिखित फर्मों के परिसरों की तलाशियां ली :—

(i) मैसर्ज इन्टर कान्टीनेंटल लैदर लिमिटेड, मद्रास (निर्यातक)

(ii) मैसर्ज खिजारियो लैदर्ज, मद्रास (निर्यातक)

(iii) मैसर्ज चावला एण्ड चावला, शिव महल, कनाट प्लेस, नई दिल्ली (परामर्शदाता)

(iv) मैसर्ज, वर्मा एण्ड महाजन एसोसियेट्स, करोल बाग, नई दिल्ली (परामर्शदाता)।

पकड़े गए दस्तावेजों की संवीक्षा से पता चला है कि निर्यातकों ने अपने परामर्शदाताओं की सहायता से खपत के अत्याधिक बढ़ाए गए आंकड़े प्रस्तुत करके प्रति अदायगी की ब्रान्ड दरें भूतलक्षी प्रभाव से निर्धारित करवाई हैं। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए सबूत भी दिए गए थे कि प्रतिअदायगी के दावे मानो समय पर ही दायर किए गए थे इंडियन फिनिशड लैदर मैनुफैक्चर्स एण्ड एक्सपोर्ट्स एसोसियेशन ने इन अनियमितताओं के बारे में परामर्शदाताओं को दोषी ठहराया है और वह उनके द्वारा दावा की गई अधिक प्रतिअदायगी को वापस करने के लिए सहमत हो गई है।

अभी तक उनके द्वारा 73.93 लाख रुपयों की राशि वापस कर दी गई है। और आगे छान-बीन/जांच पड़ताल चल रही है।

विकास की दर में कमी

271. श्री गुरुदास कामत :
श्री मुरलीधर माने :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986-87 में अर्थ-व्यवस्था की विकास दर योजना लक्ष्य से कम होने की सम्भावना है जैसा कि राष्ट्रीय अनुप्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की समीक्षा में उल्लेख किया गया है और सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की योजना में लक्षित विकास दर को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय अनुप्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा की गई समीक्षा से यह पता चलता है कि 1986-87 में लगातार दूसरे वर्ष भी अर्थव्यवस्था की विकास दर योजना लक्ष्य के कम रहने की संम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 के लिए योजना लक्ष्य क्या है और उसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है;

(घ) लगातार दूसरे वर्ष योजना लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा सातवीं योजना की शेष अवधि में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक पत्रिका 'मार्जिन' (अक्तूबर, 1986 का अंक) में भारतीय अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई है जिसमें बताया गया है कि "1986-87 के दौरान अर्थ-व्यवस्था की प्रत्याशा के बारे में कुछ बताना समय से पूर्व की बात है लेकिन फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि इस वर्ष फिर से समग्र संवृद्धि दर पिछले वर्ष की दर 4.5 प्रतिशत के आस-पास हो सकती है।" सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में उपादान लागत पर सकल देशीय उत्पादन की संवृद्धि पद का लक्ष्य 5 प्रतिशत रखा गया है और वर्षानुवर्ष कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। वास्तव में, सातवीं योजना के पहले वर्ष 1985-86 में उत्पादन लागत पर सकल देशीय उत्पाद में वास्तविक अर्थ में अर्थात् वर्ष 1970-71 की कीमतों पर पिछले वर्ष 1984-85 (छठी योजना का अन्तिम वर्ष) की अपेक्षा केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी त्वरित अनुमान के अनुसार 5.1 प्रतिशत संवृद्धि दर रिकार्ड की है, और तदनुसार, उपर्युक्त राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के प्रकाशन के अनुसार जो पिछले वर्ष (अर्थात् 1985-86) में 4.5 प्रतिशत की समग्र संवृद्धि दर दी गई है, वह अब वैध नहीं है।

वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि 1985-86 में प्राप्त संवृद्धि दर को 1986-87 में भी बनाए रखा जाएगा। 1985-86 में, सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से संवृद्धि संवर्धन,

गरीबी दूर करने के कार्यक्रम को दृढ़ता से लागू करने और राजकोषीय नीति को नई दिशा देने के लिए कुछ प्रमुख नीति सम्बन्धी की गई पहल विभिन्न क्षेत्रकों में विकास कार्यक्रमों के इन नीति सम्बन्धी पहल और विकास कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन से सातवीं योजना की शेष अवधि में लक्षित संवृद्धि दरें प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

"अधिक भूमि पर वन लगाना"

272. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति :
श्री जगन्नाथ पटनायक :
श्री एच० वी० पाटिल :
श्री जितेन्द्र प्रसाद :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन नीति में यह निरूपित किया गया है कि भू-क्षेत्र के एक तिहाई हिस्से पर वन लगाए जाएंगे और यह उद्देश्य किस हद तक पूरा हो पाया है;

(ख) क्या वर्ष 1950 से 1980 तक विशाल वन क्षेत्र नष्ट हो गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए इस आशय के मार्ग-निदेशों का 10 हेक्टर से अधिक क्षेत्र वाला वन भूमि प्रयोग में लाने सम्बन्धी सभी प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार से मंजूरी ली जानी चाहिए, अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में कितनी वन भूमि का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया गया है जिससे पारिस्थितिकी को क्षति पहुंची है; और

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में वन भूमि क्षेत्र में खनन के पट्टों के नवीनीकरण के प्रस्तावों को रद्द करने का निर्णय किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारत की राष्ट्रीय वन नीति में यह निर्धारित किया गया है कि सम्पूर्ण भारत का लक्ष्य अपनी कुल भूमि के एक तिहाई भाग पर वन लगाना होना चाहिए। इस समय वैधानिक रूप से वन भूमि के रूप में वर्गीकृत भूमि कुल भू-क्षेत्र का 22.8 प्रतिशत मात्र है । राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी की रिपोर्ट में यह दर्शाया गया है कि इस भूमि के केवल लगभग 14 प्रतिशत पर ही प्रभावी वन आवरण है ।

(ख) 1951-1980 के बीच की अवधि में 4.328 मीलियन हेक्टेयर वन भूमि को औपचारिक रूप से गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया गया था ।

(ग) और (घ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में यह व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना वन भूमि को गैर-वानीकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है । जहां तक केन्द्र सरकार को ज्ञात है, राज्य सरकारों ने इस अधिनियम का उल्लंघन करके वन भूमि को अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाने की ऐसी कोई अनुमति नहीं दी है, जो पारिस्थितिकी के लिए संकट पैदा करती हो ।

(ङ) वन भूमि में खनन पट्टे के नवीकरण के प्रत्येक मामले में उसके गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

ऋण-पत्र जारी करने में भारी वृद्धि

273. श्री एस० जयपाल रेड्डी :
डा० वी० वेंकटेश :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण-पत्रों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह ऋण-पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के आधार पर जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या ऋण-पत्र धारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वसंत दत्त) : (क) अप्रैल, 1986 से जनवरी, 1987 की अवधि के दौरान, पूंजी निर्गम नियन्त्रक ने 152 कम्पनियों को 3403 करोड़ रुपए के मूल्य के ऋण-पत्र जारी करने के लिए अनुमोदन प्रदान किए जब कि इसकी अपेक्षा 1985-86 की इसी अवधि में 273 कम्पनियों को 17:3 करोड़ रुपए मूल्य के ऋण-पत्रों के जारी करने के लिए अनुमोदन दिए गए थे।

(ख) इन निर्गमों का अनुमोदन, पूंजी निर्गम नियन्त्रक के द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार किया गया था।

(ग) ऋण पत्र धारकों के हितों की सुरक्षा के लिए, 14 जनवरी, 1987 को जारी किए मार्ग निर्देशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3737/87]

रोबोट प्रौद्योगिकी का उपयोग

274. श्री शांताराम नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रोबोट प्रौद्योगिकी प्रयोग बढ़ाने के लिए कोई अध्ययन/मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या रोबोट उपयोग से देश में बेरोजगारी की स्थिति और खराब हो जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे कार्यों के लिए जो मानव के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं, रोबोटों (मानव-

यन्त्रों) के प्रयोग करने का सुझाव दिया गया है, जैसे कि :

(i) रेडियो धर्मी (ऐक्टिव) पर्यावरणों, रिऐक्टरों तथा इस्पात मिलों में अति उच्च तापमान वाले क्षेत्र;

(ii) रेडियो धर्मी अपशिष्ट पदार्थ तथा रेडियो धर्मी सामग्री;

(iii) रासायनिक दृष्टि से विषालु क्षेत्र;

(iv) वेल्डिंग;

(v) स्प्रे पेंटिंग शाप;

(vi) अन्तर्जलीय तथा समुद्र विज्ञानीय अन्वेषण/प्रयोग; और

(vii) विस्फोट पदार्थों तथा अधिस्फोटकों (डिटोनेटरों) के बारे में प्रयोग के क्षेत्र ।

(ग) जी, नहीं । उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए रोबोटों का प्रयोग गुणवत्ता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से किया जाएगा और इससे रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

वनस्पति पर उत्पाद-शुल्क में कटौती की मांग

275. **श्री उत्तमराव पाटिल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वनस्पति उत्पादक संघ ने वनस्पति पर उत्पाद-शुल्क में कटौती की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) आगामी बजट को मद्देनजर रखते हुए, यह बताना लोकहित में कालोचित नहीं होगा कि अभ्यावेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ।

राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र-I में रिसाव

276. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री बुद्धि चन्द्र जैन :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोटा स्थित राजस्थान परमाणु बिजली संयंत्र-I, के परमाणु बिजली संयंत्र की पुनर्स्थापना के लिए किसी वैकल्पिक उपाय का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उस वैकल्पिक उपाय से इस संयंत्र को पूर्णतः पुनर्स्थापित किया जा सकेगा; और

(घ) इस संयंत्र के पुनर्स्थापन से इससे कितनी मात्रा में बिजली उत्पन्न किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग के विशेषज्ञों के एक वर्ग ने राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट को फिर से चलाने योग्य बनाने के वैकल्पिक तरीकों के बारे में अध्ययन किया है। अल्प अवधि के लिए यह उपयुक्त समझा गया है कि दक्षिणी एण्ड-शील्ड में पड़ी नई दरारों को वैसी ही विधि से बन्द कर दिया जाए जैसी विधि पहले अपनाई गई थी तथा यूनिट को विद्युत स्तर कम रखते हुए चलाया जाए। तथापि, यह कुछ अनिश्चित ही रहेगा कि इस विधि से यूनिट को लम्बे समय तक चालू रखा जा सकेगा या नहीं। यूनिट को फिर से पूर्णतः चालू करने और उसकी पूरी निर्धारित क्षमता पर चालू रखने के लिए एक आशाजनक दीर्घकालीन समाधान यह दिखाई देता है कि दोनों एन्ड-शील्डों को बदल दिया जाए। इस बारे में अध्ययन किया जा रहा है कि इस विकल्प पर आने वाली लागत का लाभ क्या रहेगा।

बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

277. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1986 में, जिसे "उपभोक्ता वर्ष" घोषित किया गया था, सरकार क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) वर्ष 1985 के मध्य से सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के सुझाव पर ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए समय-मानक तैयार करना, समाशोधन गृहों के कम्प्यूटरीकरण के जरिए चैकों का शीघ्र समाशोधन, कुरियर सेवाओं का अधिक से अधिक प्रयोग करके बाहरी चैकों की शीघ्र उगाही, ग्राहकों की शिकायतें जल्दी दूर करने के लिए तन्त्र का निर्माण, लघु जमाकर्ताओं को, 2500 रुपए तक के बाहरी चैकों के सम्बन्ध में उनके खाते में तत्काल रकम जमा करने की सुविधा प्रदान करना, 14/21 दिनों से अधिक बाहरी चैकों की देरी से उगाही के लिए बचत बैंक दर पर ब्याज का भुगतान ग्राहकों की शिकायतों को शीघ्र दूर करने और ग्राहकों तथा बैंक कार्यपालकों के बीच परस्पर सौहार्द बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक परस्पर सम्पर्क बढ़ाने आदि जैसे उपाय शामिल हैं।

उक्त उपायों के कार्यान्वयन और ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभावों पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरन्तर नजर रखी जा रही है। नीचे के स्तर पर इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार के अधिकारी बैंकों की शाखाओं में जाते हैं। राष्ट्रीय अनुप्रयोग आर्थिक अनुसन्धान परिषद् (एन० सी० ए० ई० आर०) द्वारा किए गए नमूना सर्वेक्षणों से इस बात की पुष्टि हो गई है कि ग्राहक सेवा केन्द्रों के कार्यकरण और सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे चलाना

278. श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामलों में निर्णय किया गया है;

(ख) कितनी धनराशि के दण्ड लगाए गए;

(ग) कितने मामलों में मुकदमे चलाए गए और कितने लोगों को दोषी करार किया गया; और

(घ) क्षमा योजना के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा लौटाई गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) प्रवर्तन निदेशालय (फेरा) ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के उल्लंघन के सिलसिले में वर्ष 1986 में 4209 मामलों का न्याय-निर्णयन किया तथा 737.78 लाख रुपए का कुल अर्थदण्ड लगाया। वर्ष 1986 में 649 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्यवाही की गई तथा अभियोजन सम्बन्धी ऐसी 380 शिकायतों में दोषसिद्ध हुआ।

(घ) क्षमा योजना के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक का काम (दिनांक 31-3-87 तक प्रस्तुत) घोषणाओं की संवीक्षा करना तथा प्रत्येक घोषणाकर्ता को ऐसे मामलों में सलाह देना है, जहां उसकी राय हो कि ऐसे लेन-देन में अन्तर्ग्रस्त परिसम्पत्तियों आदि को भारत में वापस लाने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्षमा योजना के अन्तर्गत कितनी रकम को वापस लाया जाएगा, अभी इसकी संगणना करना समय-पूर्व होगा।

सॉफ्टवेयर पैकेजों के आयात का प्रस्ताव

279. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी उद्योगों ने विश्व भर में उपलब्ध सामान्य उपयोग के कई सॉफ्टवेयर पैकेज विकसित किए हैं और विशेष प्रयोजनों के पैकेजों के विकास के लिए काफी धनराशि का निवेश किया है;

(ख) क्या सरकार ने नई सॉफ्टवेयर नीति के अन्तर्गत सॉफ्टवेयर पैकेजों के अन्धाधुन्ध आयात के स्वदेशी उद्योग पर प्रभाव का पता लगाने का कोई प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वदेशी सॉफ्टवेयर उद्योग के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। स्वदेशी उद्योग ने विश्व भर में उपलब्ध आम प्रयोजन के सॉफ्टवेयर पैकेजों को आयात के स्थान पर उद्योग के लिए स्वदेश में ही सॉफ्टवेयर का विकास किया है। किन्तु, विशिष्ट अनुप्रयोग के पैकेजों को विकसित करने के लिए अब तक किया गया पूंजी-निवेश समूचे कम्प्यूटर उद्योग के कुल कारोबार की तुलना में पर्याप्त नहीं है।

(ख) और (ग) चूंकि आयात करने की अनुमति केवल तीन श्रेणी के आयातकर्त्ताओं को दी गई है अतः नई सॉफ्टवेयर नीति से सॉफ्टवेयर पैकेजों का अन्धाधुन्ध आयात नहीं होगा :—

(i) कम्प्यूटर विनिर्माणकर्त्ता जो वास्तविक प्रयोगकर्त्ता हैं।

(ii) वास्तविक गैर-औद्योगिक प्रयोगकर्त्ता।

(iii) स्टाक करने तथा उनका विक्रय करने के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर कम्पनियां जो इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास पंजीकृत हैं।

(घ) निम्नलिखित उपायों के जरिए स्वदेशी सॉफ्टवेयर उद्योग के हितों की रक्षा की जाती है :—

(i) वास्तविक प्रयोगकर्त्ता चाहे वे औद्योगिक प्रयोगकर्त्ता हों अथवा गैर-औद्योगिक अपने वास्तविक प्रयोग के लिए ही आयातित सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं।

(ii) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास जो पंजीकृत सॉफ्टवेयर कम्पनियां हैं, उन पर उसका भी नियन्त्रण है। यदि किसी भी स्थिति में यह पता चलता है कि उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उस सॉफ्टवेयर को पंजीकरण से वंचित कर दिया जाएगा।

(iii) सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए सरकार द्वारा आमन्त्रित की गई निविदाओं के अन्तर्गत अपेक्षित विशिष्टियों के अनुसार स्वदेश में विकसित सॉफ्टवेयर को जहां भी वह उपलब्ध हो, तरजीह दी जाएगी।

(iv) चूंकि भारत में सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए जनशक्ति पर होने वाला व्यय विकसित देशों में विकसित किए गए सॉफ्टवेयर के व्यय का केवल एक अंशमात्र है, अतः आयात किए गए सॉफ्टवेयर की अपेक्षा स्वदेश में ही विकसित किए गए सॉफ्टवेयर की लागत की दृष्टि से निश्चित ही लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, आयातित सॉफ्टवेयर पर तो 60 प्रतिशत सुरक्षात्मक सीमा-शुल्क भी प्रभारित किया जाता है।

(v) सॉफ्टवेयर का स्वदेश में ही विकास करने तथा देश के भीतर ही उनका प्रयोग करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत एक सॉफ्टवेयर विकास एजेंसी (अभिकरण) की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योगमण्डल द्वारा प्रधान मंत्री को ज्ञापन

280. **श्री आनन्द पाठक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उत्तरी बंगाल के विकास के बारे में उत्तरी बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य और उद्योगमण्डल, जलपाईगुड़ी से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त ज्ञापन पर सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तरी बंगाल के विकास के लिए उत्तरी बंगाल राष्ट्रीय वाणिज्य तथा उद्योगमण्डल, जलपाईगुड़ी द्वारा उठाए गए मुद्दे और उनके सम्बन्ध में स्थिति।

तीस्ता बैराज परियोजना :

ज्ञापन में उठाया गया मुद्दा—अति महत्वपूर्ण आर्थिक हित के संरक्षण तथा उत्तरी बंगाल के लाखों लोगों के विकास के लिए इस बहुउद्देश्यीय परियोजना को यथासम्भव शीघ्र पूरा कर लिया जाए।

वास्तविक स्थिति—यह पश्चिमी बंगाल की चल रही एक बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसकी अन्तिम अनुमानित लागत 425.54 करोड़ रु० है। सातवीं योजना में उल्लेखक लागत 249.73 करोड़ रुपए है जिसके मुकाबले पश्चिमी बंगाल की सातवीं योजना में 131.10 करोड़ रुपए का परिव्यय की व्यवस्था की गई है। वर्ष 1985-86 के दौरान इस परियोजना पर 29.23 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वर्ष 1986-87 के लिए 30 करोड़ रुपए का परिव्यय है। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान 15 करोड़ रुपए की अग्रिम योजना सहायता उपलब्ध कराई गई है ताकि राज्य सरकार इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेज गति ला सके।

तीस्ता पुल के स्थान से रेल की पटरी को हटाना :

ज्ञापन में उठाया गया मुद्दा—तीस्ता पुल के स्थान से नए बोंगाई गांव, नई जलपाईगुड़ी, ब्रांड गेज लाईन को जलपाईगुड़ी टाउन स्टेशन से ले जाते हुए बदलने का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को खत्म कर दिया गया है। रेल मन्त्रालय को इस परिवर्तित रेल पटरी का निर्माण करने का निर्देश दिया जाए।

वास्तविक स्थिति—परिचालनात्मक कारण से रेल पटरी का परिवर्तन एक ऐसा मसला है जिस पर रेल मन्त्रालय को विचार करना है। योजना आयोग की अनुमति नहीं मांगी गई है।

रेलवे इन्टेग्रल कोच फैक्टरी :

ज्ञापन में उठाया गया मुद्दा—उत्तरी बंगाल के आर्थिक विकास के लिए रानी नगर, जलपाईगुड़ी में एक इन्टेग्रल कोच फैक्टरी स्थापित की जाए।

वास्तविक स्थिति—जलपाईगुड़ी में इन्टेग्रल कोच फैक्टरी का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र :

ज्ञापन में उठाया गया मुद्दा—कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए जलपाईगुड़ी टाऊन में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जाए।

वास्तविक स्थिति—वर्ष 1987-88 में अलीपुर द्वार, जिला जलपाईगुड़ी में 100 वाट पावर का दूरदर्शन ट्रांसमीटर चालू किए जाने की आशा है। इस ट्रांसमीटर के चालू होने पर, जलपाईगुड़ी जिले में दूरदर्शन सेवाओं को सुदृढ़ किए जाने की आशा है। इसके अतिरिक्त, दूरदर्शन की सातवीं योजना में सिलीगुड़ी में कार्यक्रम सृजन सुविधाएं स्थापित शुरू करने का भी प्रस्ताव है। इसके पूरा होने पर, सिलीगुड़ी में तैयार किए गए कार्यक्रम, कुर्सियांग में मौजूदा हाई पावर दूरदर्शन ट्रांसमीटर से प्रसारित किए जाएंगे।

सातवीं योजना के दौरान कुर्सियांग से कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए माइक्रोवेव लिंक्स स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

उद्योग धन्धे :

ज्ञापन में उठाया गया मुद्दा—उत्तरी बंगाल के प्रत्येक जिले में दो बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग स्थापित किए जाएं। इससे क्षेत्र के सहायक उद्योग-धन्धों का विकास करने में सहायता मिलेगी।

वास्तविक स्थिति—जहां तक बड़े और मझौले उद्योग-धन्धे स्थापित करने का सम्बन्ध है, सार्वजनिक क्षेत्रक की इकाइयों का स्थान निर्धारित करते समय देश के विभिन्न क्षेत्रों का सन्तुलित विकास आश्वस्त करने की आवश्यकता पर काफी ध्यान दिया जाता है। फिर भी, तकनीकी-आर्थिक विचार-विमर्श महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और प्रायः निर्णायक होते हैं। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने तथा औद्योगिक परियोजनाओं के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें, दोनों ही पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए अनेक वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करवाती हैं। चूंकि कूचबिहार, मालदा और पश्चिमी दिनाजपुर को "उद्योग रहित जिला" घोषित किया गया है। उद्यमियों को वहां उद्योग स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाते हैं। सातवीं योजना में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग ही कोई नयी परियोजना हो, मौजूदा इकाइयों की पुनः स्थापना/आधुनिकीकरण/विविधरूपण/तकनीकी उन्नयन पर बल दिया गया है।

वायु दूत सेवा :

ज्ञापन में उठाया गया मुद्दा—जलपाईगुड़ी टाउन को वायुदूत सेवा के जरिए कलकत्ता और नई दिल्ली से जोड़ा जाए।

वास्तविक स्थिति—बागडोगरा, जो जलपाईगुड़ी के बिल्कुल नजदीक है, पहले ही वायु नक्शे पर है, और इण्डियन एयरलाइन्स की सेवाएं उपलब्ध हैं।

माल को अस्वीकार किए जाने, उसको पुनः तैयार कराने आदि के कारण हुई हानि

281. श्रीमती अलवरावेमवरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माल को अस्वीकार किए जाने, उसको पुनः तैयार कराने और अन्य आनुषंगिक खर्चों के कारण देश को लगभग 5400 करोड़ रुपए की हानि हुई है;

(ख) इस प्रकार के नुकसान के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) से (ग) सूचना केन्द्रीय तौर पर उपलब्ध नहीं है और न ही इसे यथोचित समय के भीतर एकत्र करना व्यवहार्य है।

"औद्योगिक प्रदूषण"

282. श्री अख्तर हसन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्यों में सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों द्वारा नदियों का असंसाधित अपशिष्ट के पानी के रूप में उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो नदियों को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए क्या निवारक कदम उठाए जा रहे हैं तथा उद्योगों के अपशिष्ट को बाहर फैंकने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) अलग-अलग राज्यों में स्थित अनेक उद्योग नदियों में अनुपचारित तथा आंशिक रूप से उपचारित बहिस्रावों का निस्सरण करते हैं।

(ख) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) बहिस्रावों को नदी में गिराए जाने से पूर्व उद्योगों को बहिस्रावों के उपचार के लिए अनिवार्य सुविधाएं स्थापित करने के निदेश दिए जाते हैं;

(2) उद्योगों को जहां सम्भव हो, सिंचाई और जल कृषि के लिए बहिस्रावों के पुनःचक्रण और उपयोग हेतु सलाह दी जाती है;

(3) प्रदूषण नियन्त्रण अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है; तथा

(4) बहिस्राव उपचार संयन्त्रों की स्थापना के लिए उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि

283. डा० दत्ता सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1986 को समाप्त हुई बारह महीने की अवधि के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर क्या है;

(ख) 30 नवम्बर, 1985 को समाप्त हुए उसी अवधि के लिए मुद्रास्फीति की दर क्या थी; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1960=100) के आधार पर मुद्रास्फीति की वार्षिक दर नवम्बर, 1986 में 9.8 प्रतिशत थी जबकि इसकी तुलना में नवम्बर, 1985 में यह दर 6.3 प्रतिशत थी। दिसम्बर, 1986 में वार्षिक दर कम होकर 9.2 प्रतिशत रह गई।

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अधिक वृद्धि का कारण, कतिपय मदों जैसे कि दालें (चना और मूंग), फल तथा सब्जियां, चाय, मसाले तथा गरम मसाले, अण्डे, मछली और मांस, व्यक्तिगत देखभाल की कुछ वस्तुओं और आवासन के मूल्यों में तीव्र गति से वृद्धि होना था।

लघु उद्योगों के लिए अलग बैंक

284. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में लघु उद्योगों के लिए अलग बैंक स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये बैंक देश में लघु उद्योगों के विकास को किस हद तक बढ़ावा देने की स्थिति में होंगे;

(घ) क्या सरकार को ऐसे बैंकों की स्थापना के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) दिसम्बर, 1985 के अन्त की स्थिति के अनुसार, लघु उद्योग क्षेत्र को 1642 लाख ऋण खातों के अन्तर्गत बैंकों द्वारा कुल मिलाकर 7829.31 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए थे। इसके अलावा खुसरो समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने लघु उद्योगों के वास्ते भारतीय औद्योगिक विकास बैंक सामान्य निधि से 100 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक नकद अंशदान से लघु उद्योग विकास निधि की स्थापना की है। जहां तक ग्रामीण इलाकों के अति लघु क्षेत्र का सवाल है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए एक उदार पुनर्वित्त योजना तैयार की है।

भारतीय रिजर्व बैंक का यह मत है कि लघु उद्योगों के लिए शीर्षस्थ बैंकों से अपेक्षित अलग भूमिका निभाने में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सक्षम हैं और मात्र लघु उद्योगों के लिए एक अलग शीर्षस्थ संस्था स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सातवीं योजना के दौरान बचत की दर

285. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजनावधि के दौरान देश में बचत की दर योजना आयोग के अनुमान से बहुत कम रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य योजना मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार सकल देशीय बचत की दर, सकल देशीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में 1984-85 में 23.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 24.05 प्रतिशत हो जाने की आशा है। परन्तु केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 1984-85 में बचत दर 22.09 प्रतिशत रही है और केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1985-86 के लिए बचत की दर 22.08 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार वर्ष 1985-86 में बचत की दर प्रत्याशित दर से थोड़ी-सी कम थी, लेकिन एक वर्ष के त्वरित अनुमानों के आधार पर इस समय यह कहना संभव नहीं है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में लक्ष्यित बचत दर प्राप्त नहीं होगी।

[हिन्दी]

"कूड़ा डालने से उत्पन्न गम्भीर समस्यायें"

286. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी क्षेत्रों में घरों से डाला जाने वाला कूड़ा प्रदूषण का मुख्य कारण है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों का 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई धनराशि

287. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) वर्ष 1986 के अन्त तक प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि का इस्तेमाल किया गया है और क्या-क्या कार्य किए गए हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए व्यय का निर्धारण अलग से और विशेष रूप से नहीं किया जाता। फिर भी, इन्हें वार्षिक योजना के अन्तर्गत संगत योजना शीर्षों से लिया जाता है। वर्ष 1986-87 के लिए प्रत्येक राज्य में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए इस प्रकार लिए गए व्यय को दर्शाने वाला विवरण-I सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3738/87]

(ख) राज्यों द्वारा इस्तेमाल की गई रकम सम्बन्धी सूचना वर्ष पूरा होने के बाद ही उपलब्ध होगी। राज्यों में प्रत्येक सूत्र के अन्तर्गत कार्यान्वयन की प्रगति दर्शाने वाला विवरण-II सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3738/87]

[हिन्दी]

सरकार के व्यय सम्बन्धी अध्ययन दल की रिपोर्ट

288. **श्री बलीप सिंह भूरिया :**
श्री कमला प्रसाद सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के व्यय का अध्ययन करने के लिए गठित किये गए अध्ययन दल की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट के अनुसरण में सरकार के व्यय में कमी लाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० पड़वी) : (क) और (ख) सरकार ने ऐसे किसी अध्ययन दल का गठन नहीं किया था। तथापि, उन सभी कार्यकलापों और केन्द्रीय सरकार के संगठनों की समीक्षा करने के लिए जो निरन्तर चालू रहने वाले हैं और जिनकी उपयोगिता नहीं रह गई है उन्हें समाप्त करने के लिए, मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के एक समूह का गठन किया गया था। इस समूह में विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों और संगठनों में कर्मचारियों की संख्या की भी समीक्षा की थी। मंत्रालयों/विभागों द्वारा इस समूह की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

रांची में नया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय

289. **प्रो० चन्द्र भानु देवो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रांची में एक नया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्ता कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस समय रांची में केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का एक क्षेत्रीय कार्यालय है जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के पटना समाहर्तालय के अन्तर्गत है । रांची में कार्यभार इतना अधिक नहीं है कि वहां पर केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क का एक नया समाहर्तालय गठित किए जाने के मामले को न्यायसंगत ठहराया जाए ।

[अनुवाद]

"गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा वन-रोपण"

290. श्री विष्णु मोदी :
डा० वी० वेंकटेश :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा बंजर भूमि पर वनरोपण को प्रोत्साहन देने के किसी प्रस्ताव का अनुमोदन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को गैर-सरकारी क्षेत्र की इकाइयों से बंजर भूमि में वनरोपण कार्य करने के लिए कोई प्रस्ताव मिले हैं तथा गैर-सरकारी इकाइयों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक के लिए निर्धारित बंजर भूमि का क्षेत्रफल क्या है; और

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र की इन इकाइयों को कब तक और किन शर्तों पर ठेके दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार वन भूमि में वनरोपण परियोजनाओं में निजी कम्पनियों के प्रवेश को प्रोत्साहन नहीं दे रही है ।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) प्रत्येक राज्य में परती भूमि पर वनरोपण के लिए प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकार तैयार कर रही हैं ।

विवरण

परती भूमि में वनरोपण के लिए निजी क्षेत्र की इकाइयों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरे

क्रम सं०	कम्पनी/उद्योग का नाम	आच्छादन करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र
1.	पल्लास एसोसिएट्स प्राईवेट लि०, महाराष्ट्र	1.5 से 5 लाख हेक्टेयर
2.	श्री विन्ध्य पेपर मिल्स लि०	232 हेक्टेयर
3.	आयोन एक्सचेंज (इण्डिया) लि०, बम्बई	180 हेक्टेयर
4.	पदमजी पल्प एण्ड पेपर मिल्स लि०, पुणे	500-1000 एकड़
5.	नवेम प्लास्टिक लि०, हरियाणा	5000 हे०
6.	इंडस्ट्रियल केमिकल्स एण्ड मोनोमर्स लि०, तिरूनेलवेली, तमिलनाडु	1000 हे०
7.	टाटा इंडस्ट्रीज लि०	ब्यौरे नहीं दिए गए
8.	न्यू अम्बाडी एस्टेट्स प्राइवेट लि०, तमिलनाडु	5000 हे०
9.	एम० पी० वन विकास हेग लि०, भोपाल	13000 हे०
10.	मेसर्स लॉरिक आयलसीड्स सीडलिंग्स (इण्डिया) प्राइवेट लि०, बम्बई	(क) केप्टिव पौधरोपण के लिए 6000 हे०
		(ख) कृषि वानिकी के लिए 19000 हे०
11.	ग्वालियर रेयन (हरिहर पोलीफाइबर)	(क) कृषि वानिकी परियोजना के लिए 13000 हे०
		(ख) कर्नाटक सरकार के साथ संयुक्त व्यापार के लिए 30000 हे०
12.	दी वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि०, कर्नाटक	20000 हे०

प्रख्यात वैज्ञानिकों का भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सत्र में भाग न लेना

291. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ प्रख्यात वैज्ञानिकों ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के हाल ही में बंगलौर में हुए 74वें सत्र में भाग नहीं लिया; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) देश के अनेक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिकों ने हाल ही में बंगलौर में हुए भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 74वें अधिवेशन में भाग लिया। वैज्ञानिकों को उनकी व्यक्तिगत हैसियत से विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें विज्ञान कांग्रेस के विभिन्न कार्यक्रमों में से किसमें भाग लेना है किसमें नहीं इस बारे में चयन करने की स्वतन्त्रता होती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऋण मेलों के माध्यम से ऋण वितरण

292. श्री एस० एम० गुरुडी :
श्री के० कुंजम्बु :
श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण मेलों के माध्यम से ऋण वितरण का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वर्ष 1987 के लिए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) ऋण शिविरों के माध्यम से ऋण संवितरण का कार्यक्रम राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कमजोर वर्गों को अधिक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

कुछ विधान सभा/लोक सभा चुनाव क्षेत्रों के आगामी चुनावों को देखते हुए, बैंकों से इन क्षेत्रों में चुनाव समाप्त होने तक ऋण शिविर आयोजित न करने के लिए कहा गया है।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा के सम्बन्ध में प्रशिक्षण

293. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा, पर्यावरण और राष्ट्रीय संसाधन विद्यालय के सहयोग से समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो निर्धारित पाठ्यक्रम का ब्यौरा क्या है और प्रशिक्षणार्थियों के चयन की क्या प्रक्रिया अपनाई गई; और

(ग) उन संस्थानों की संख्या कितनी है जिनमें देश में इस समय प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना आयोग ने ऊर्जा, पर्यावरण तथा राष्ट्रीय संसाधन विद्यालय, मदुरै कामराज विश्वविद्यालय, मदुरै के सहयोग से समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम से सम्बन्धित एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया।

(ख) इस पाठ्यक्रम में समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम योजना तैयार करने की कार्यविधि, कार्यविधि सर्वेक्षण, कार्यक्रम तैयार करने तथा उसके कार्यान्वयन में लोगों तथा सरकारी अभिकरणों की भूमिका, ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्रक की कम्प्यूटर माडलिंग, कार्यक्रम का मानिटरिंग तथा नियन्त्रण, मामला अध्ययन तैयार करना तथा दल विचार-विमर्श आदि को सम्मिलित किया गया।

राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समेकित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम से सम्बन्धित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य तथा ब्लॉक स्तरों पर सृजित समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना एकक के स्टाफ में से और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम को बनाने तथा उसके कार्यान्वयन में लगे अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों में से प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन किया गया।

(ग) समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम से सम्बद्ध प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को देश के प्रमुख संस्थानों की सहायता से आयोजित किया जा रहा है। इस समय, पहले से पाठ्यक्रमों को आयोजित करने वाले दो संस्थानों के अतिरिक्त पांच और अन्य संस्थानों में इन पाठ्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋण-पत्र जारी किए जाने सम्बन्धी मार्गनिर्देश

294. श्री बी० वी० रमैया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को सार्वजनिक ऋण पत्र जारी करके धनराशि जुटाने के लिए किन्हीं मार्गनिर्देशों का पालन करना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा सार्वजनिक ऋण पत्र जारी करके जुटाई जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा निर्धारित की हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बांड जारी किए जाने से सम्बन्धित मार्ग-निर्देशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [मंत्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3739/87]

(ग) और (घ) बांडों के निर्गम वार्षिक आयोजना परिव्ययों और चुने हुए सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की धनराशियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विनियमित किए जाते हैं तथा सरकार इन मामलों पर अलग-अलग विचार करके स्वीकृति देती है। इस बात को देखते हुए कुल मिलाकर कोई सीमा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

दिल्ली-हरियाणा सीमा पर सोना पकड़ा जाना

295. **श्री महेन्द्र सिंह :**
श्रीमती एन० पी० शांसीलक्ष्मी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जनवरी, 1987 को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर पाकिस्तान से अमृतसर में निर्मित सोने की तस्करी करने और इसे दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में बेचने का कार्य करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया था; और

(ख) यदि हां, तो पकड़े गए सोने तथा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 27 जनवरी, 1987 को, एक सूचना के अनुसार राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली के अधिकारियों ने दिल्ली-हरियाणा सीमा पर कुंडली के निकट एक ट्रक नं० पी० ए० टी०-1155 को रोका था। ट्रक में 13.9 टन नमक भरा हुआ था। ट्रक की तलाशी लेने पर ट्रक के डैशबोर्ड में खोल के अन्दर छुपाए गए 44 लाख रुपए मूल्य के 10-10 तोले के विदेशी मार्के वाले सोने के 150 बिस्कुट, पकड़े गए थे। ट्रक तथा सोने और नमक की खेप को, जिनका कुल मिलाकर मूल्य 46.75 लाख रुपए है, जब्त कर लिया गया था। इस सम्बन्ध में 27 जनवरी, 1987 को निम्नलिखित चार व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे :—

(i) लखविन्दर सिंह उर्फ लक्खा;

(ii) सिकन्दर सिंह;

(iii) सुरिन्द्र कुमार अरोड़ा; और

(vi) सतपाल उर्फ शाह;

उपरोक्त सभी व्यक्तियों को 11 फरवरी, 1987 को विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत निरुद्ध भी किया गया था।

20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के बारे में अध्ययन

296. **श्री जैनुल बशर :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन किया है; और

(ख) क्या कोई मौके पर अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालय ने उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम का कोई विशिष्ठ विस्तृत अध्ययन नहीं किया है, कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा मासिक और त्रैमासिक आधार पर की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"दिल्ली में प्रदूषण"

298. श्री मोहम्मद महफूज अली खां : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार पर्यावरणीय प्रदूषण के प्रति लापरवाही बरतने के कारण दिल्ली विश्व का तीसरा अस्वस्थकर शहर है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में प्रदूषण पर निगरानी रखने और उसे नियन्त्रित करने के लिए वर्तमान व्यवस्था क्या है तथा क्या सरकार ने उद्देश्यों की प्राप्ति के सम्बन्ध में इसके कार्यचालन की पुनरीक्षा की है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थिति को सुधारने के लिए कोई दीर्घकालिक/अल्पकालिक योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) दिल्ली में प्रदूषण के प्रबोधन और नियन्त्रण की मशीनरी केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और दिल्ली प्रशासन हैं । इस सम्बन्ध में उनके कार्यों की पुनरीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है ।

(घ) और (ङ) दिल्ली में प्रदूषण नियन्त्रण के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) प्रदूषक उद्योगों के सम्बन्ध में बहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं और उद्योगों को समयबद्ध आधार पर मानकों के अनुपालन के निदेश दिए गए हैं ।

(2) वायु प्रदूषण नियन्त्रण क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है ।

(3) वाहनों के बहिस्राव नियन्त्रण के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं ।

(4) ताप विद्युत संयंत्रों को उच्च क्षमता के स्थिरवैद्युत अवक्षेपक (इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स) लगाने के निदेश दिए गए हैं ।

(5) प्रदूषक उद्योगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

(6) मौजूदा सीवेज प्लांटों की मरम्मत और नए संयंत्रों के निर्माण के लिए एक योजना चलाई गई है ।

परमाणु विकिरण से सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के आयात से सम्बन्धी रिपोर्ट

299. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या प्रधान मन्त्री परमाणु विकिरण से सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के आयात से सम्बन्धित समिति की रिपोर्ट के बारे में 19 नवम्बर, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 230 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस विषय के सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विचार करने के लिए नियुक्त की गई सचिवों की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो परमाणु विद्युत संयंत्रों से रिसाव से सुरक्षा के सम्बन्ध में समिति के सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने से पहले परमाणु शक्ति वाले देशों द्वारा अपनाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में भी विस्तृत अध्ययन किया था; और

(घ) क्या ऐसे रिसावों से देशवासियों के मन में उत्पन्न भय को दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सचिवों के एक वर्ग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने न्यूक्लिअर संस्थापनों के सम्बन्ध में संयंत्र-स्थलों से भिन्न स्थानों के बारे में तैयार की गई मौजूदा आपात योजनाओं की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की एमर्जेंसी रेसपोंस कमेटी बनाई। अनेक निर्णय लिए जा चुके हैं जिन्हें कार्यान्वित करने के लिए समिति विचार-विमर्श कर रही है।

(घ) परमाणु बिजली के उत्पादन से जुड़े सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की जानकारी जनता को प्रदर्शनियों, दृश्य तथा श्रव्य कार्यक्रमों, संगोष्ठियों तथा प्रकाशनों के माध्यम से दी जा रही है।

पूंजी निर्गम के बीमांकन के सम्बन्ध में शेयर बाजारों को मार्ग-निर्देश

300. **श्री अन्नत प्रसाद सेठी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने शेयर बाजारों को उनके द्वारा पूंजी निर्गम के बीमांकन के सम्बन्ध में व्यापक मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन नए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) नए मार्गनिर्देशों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) स्टाक एक्सचेंज इस बात के प्रति अपनी तसल्ली करेंगे कि कम्पनी की जिन प्रतिभूतियों

की हामीदारी दी जा रही है उनको औपचारिक रूप से मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उद्धत किया जाएगा ।

(ii) हामीदारी देने की इच्छा रखने वाले स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य इस बात की तसल्ली भी करेंगे कि कम्पनी ने सूचीबद्धता सम्बन्धी विनियमों का विधिवत रूप से पालन किया है ।

(iii) मान्यताप्राप्त स्टाक एक्चेंजों के शासी निकायों को स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों द्वारा प्रतिभूतियों की हामीदारी दिए जाने के सम्बन्ध में अनुमति देने से इन्कार करने अथवा उस सम्बन्ध में एसी शर्तें लगाने का ऐच्छिक अधिकार प्राप्त होगा, जिन्हें वे किसी भी स्थापित मामले की विशेष परिस्थितियों में आवश्यक समझें ।

(iv) सार्वजनिक निर्गमों की हामीदारी का कार्य स्टाक एक्सचेंजों के सदस्यों के बीच यथासम्भव व्यापक आधार पर वितरित कर दिया जाना चाहिए ।

(v) किसी सदस्य को सार्वजनिक निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक की हामीदारी की वचन-बद्धता देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(vi) हामीदारी सम्बन्धी प्रबन्ध पूरे करने के लिए कम्पनियों तथा व्यापारी बैंकों आदि द्वारा किए जाने वाले अग्रिम कार्य को निष्पादित करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों को प्रक्रियाएं निर्धारित करनी चाहिए ताकि इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके ताकि समस्त सम्बद्ध जानकारी प्रोसपैक्टस के उस प्रारूप में प्रस्तुत कर दी गई है जिसे स्टाक एक्सचेंज के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है ।

(vii) सदस्यों द्वारा दी गई हामीदारी की वचनबद्धताओं पर निकट से नजर रखने के लिए स्टाक एक्सचेंजों को अनुवीक्षणतंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए स्टाक एक्चेंजों को इस आशय की सुनिश्चित व्यवस्था भी करनी चाहिए कि एसे सदस्यों को नई/अतिरिक्त हामीदारी देने की अनुमति न दी जाए जिन्होंने हामीदारी की पहली वचनबद्धताओं को पूरा करने में चूक की हो ।

(viii) स्टाक एक्सचेंजों को सदस्यों द्वारा दी जाने वाली हामीदारी की वचनबद्धताओं को अनुमोदित करते समय उनकी अपनी पूंजी को भी हिसाब में लेना चाहिए ताकि सदस्यों की वित्तीय सक्षमता और उनके द्वारा दी गई हामीदारी की वचनबद्धताओं के बीच एक युक्तियुक्त सम्बन्ध बनाया रखा जा सके ।

(ix) कम्पनियों/व्यापारियों बैंकरों तथा अन्य सम्बद्ध अभिकरणों को इस बात की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए कि हामीदारी कमीशन की अदायगी करने के लिए स्टाक एक्सचेंजों को जो मांग ड्राफ्ट/चैक जारी किए जाएं उनमें स्टाक एक्सचेंजों तथा उनके सदस्यों के सही कोड नम्बर दर्ज हों ।

भारतीयों के स्विस बैंक जमाखातों पर स्विटजरलैंड की सरकार के साथ समझौते का प्रस्ताव

301. **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीयों के स्विस बैंकों में जमा खातों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए स्विटजरलैंड की सरकार के समक्ष एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर स्विटजरलैंड सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न ही नहीं उठता ।

"क्रेडिट स्कीम टू कवर 12 स्टेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

302. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 फरवरी, 1987 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "क्रेडिट स्कीम टू कवर 12 स्टेट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को इस ऋण योजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या प्रायोगिक परियोजना के अन्तर्गत आने वाले जिलों में ऋणों की वसूली दर अपेक्षाकृत अधिक रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने मार्च 1984 में देश के 3 जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की थी । इस परियोजना का उद्देश्य कर्मचारियों के, विशेषकर प्रायोगिक जिले की सभी ऋणदाता संस्थाओं के क्षेत्रीय कर्मचारियों के गहन और सार्थक शिक्षण, प्रशिक्षण और निरन्तर मार्ग-निर्देशन के द्वारा ऋण प्रदान करने की वर्तमान प्रणाली में सतत सुधार करना है । मोटे तौर पर परियोजना के उद्देश्य ये हैं :—

1. ऋण प्रदान करने की व्यवस्था को निम्नतम स्तर पर (क्षेत्रीय और पर्यवेक्षी कर्मचारियों की संख्या) मजबूत करना ।
2. ऋण देने वाली सभी संस्थाओं के क्षेत्रीय कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित और अधिक प्रशिक्षण देना ।
3. किसानों और क्षेत्रीय कर्मचारियों के बीच संपर्क को और गहरा करना ।
4. क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए गतिविधियों का क्रमानुसार स्वरूप लागू करना और उनके कार्य निष्पादन के लिए मार्ग-निर्देश जारी करना ।

5. ऋण की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और ऋणों का सही और उचित उपयोग सुनिश्चित करना तथा धनराशियों के पुनः उपयोग को सहज बनाने के लिए ऋणों की वापसी अदायगी सुनिश्चित करना।

6. उन किसानों को उचित राहत प्रदान करना जो अपने बूते के बाहर के कारणों से समय पर रकम नहीं चुका सके ताकि उन्हें अपने उत्पादक धंधों में लगे रहने के योग्य बनाया जा सके।

7. संशोधित और उन्नत मार्ग-निर्देशों, संगठन और क्रमानुसार कार्य प्रणालियों के प्रभावों का परीक्षण करना।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक I परियोजना के अन्तर्गत इन प्रायोगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 250 लाख अमरीकी डालर की व्यवस्था की गयी है। तदनुसार, राष्ट्रीय बैंक द्वारा 17 और जिलों में इस योजना को लागू करने का निश्चय किया गया है और 12 जिलों के कार्यक्रम के पहले चरण का शुभारम्भ जुलाई 1986 में किया गया था। यद्यपि 1984 में जिन 3 जिलों में यह योजना शुरू की गयी थी, वहां पर वसूली के स्तर में सुधार हुआ है, लेकिन जुलाई 1986 में 12 नये जिलों में शुरू की गयी योजना के प्रभाव के बारे में बताना अभी समय-पूर्व होगा।

सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा पूंजी बाजारों से धनराशि जुटाया जाना

303. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जनवरी, 1987 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "फंड्स रेजिंग पॉलिसी में लीड टू डैट ट्रैप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षिक किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पूंजी बाजार से धनराशि जुटाने की नीति देश को ऋण के जाल में फंसा देगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

सिंडिकेट बैंक की कुछ शाखाओं में कथित कदाचार

304. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंडिकेट बैंक की शाखा में कथित कदाचार के दो मामलों के संबंध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चूंकि माननीय सदस्य ने मामले का ब्यौरा जैसे बैंक शाखा का नाम आदि नहीं बताया है, इसलिए अपेक्षित ब्यौरा देना संभव नहीं है।

"महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजनाओं की पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति"

305. श्री मुरलीधर माने : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की तीन परियोजनाएं अर्थात् भोपालीपटनम, इंचमपल्ली और सरदार सरोवर, लम्बे समय से स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ख) लम्बित परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) पर्यावरणीय आंकड़ों के साथ भोपालीपटनम और इंचमपल्ली परियोजना रिपोर्टें अभी विचारार्थ उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अतः देरी का प्रश्न नहीं उठता।

भारत में "क्वासी-क्रिस्टल" का विकास

306. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में "क्वासी-क्रिस्टल" का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिक और अन्य प्रयोजनों के लिए इस क्रिस्टल के उत्पादन की क्षमता का विकास कर लिया गया है;

(ग) क्या "क्वासी-क्रिस्टल" के तत्वों और उपयोग का पता लगा लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) कुछ नये क्वासी-क्रिस्टलों का संश्लेषण किया गया है।

(ख) कतिपय वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए क्वासी-क्रिस्टलों के उत्पादन के लिए कुछ क्षमता उपलब्ध है।

(ग) और (घ) इन क्वासी-क्रिस्टलों के गुणों (तत्वों) पर अन्वेषण किए जा रहे हैं।

कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देश

307. श्री राम स्वरूप राम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न निकायों/समाज के वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए बैंकों को कोई नए मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1983 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें जारी की थीं, जिनमें उन्हें मार्च, 1985 के अन्त तक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले अग्रिमों की राशि का स्तर अपने कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत तक बढ़ाने के वास्ते कहा गया था। बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के भीतर समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए एक उप लक्ष्य दिया गया था और भारतीय रिजर्व बैंक ने उनसे यह कहा था कि मार्च 1985 के अन्त तक समाज के कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों की बकाया रकम उनके कुल ऋणों के कम से कम 10 प्रतिशत तक हो जानी चाहिए। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वास्तविक कार्य-निष्पादन इस प्रकार है :—

	मार्च, 1985	सितम्बर, 1986
(i) कुल अग्रिमों की तुलना में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले अग्रिमों का प्रतिशत	41.3	43.4
(ii) कुल अग्रिमों की तुलना में कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले ऋणों का प्रतिशत	9.4	10.8

विभिन्न राज्यों में रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

308. **श्री नारायण चौबे** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक विशेष राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के लोगों को जो किसी दूसरे राज्य में तीस चालीस वर्षों से स्थायी रूप से रह रहे हैं, उस राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में उनकी जाति या जनजाति के नाम शामिल नहीं होने के कारण उन्हें सरकार से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) वर्तमान आदेशानुसार, किसी राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन का विहित प्राधिकारी, वर्तमान में अपने अधिवास के राज्य से भिन्न राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति से आवश्यक पूछताछ करके उसे अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है। इसके लिए उसे, अपने पिता के अधिवास वाले राज्य के विहित प्राधिकारी द्वारा उसके पिता को, राष्ट्रपति की अधिसूचना की तारीख को जारी वैसा ही

मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा तथापि इससे अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे लोग, मूल के राज्य तथा भारत सरकार से अनुसूचित जातियों/जनजातियों को मिलने वाले लाभ पाने के हकदार हो जाएंगे।

जब भी कभी जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के बारे में कोई विशिष्ट शिकायत मिलती है तो, उपयुक्त कार्रवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन को तुरन्त लिखा जाता है।

पुणे में रेडियो टेलिस्कोप प्रारम्भ करना

309. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे के निकट कोडाड गांव में विश्व का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक प्रारम्भ किए जाने का विचार है; और

(ग) भारतीय टेलीस्कोप द्वारा भारी मात्रा में एकत्रित आंकड़े महत्वपूर्ण और ज्वलन्त खगोलिक समस्याओं को हल करने में किस प्रकार सहायक होंगे ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। यह विशाल मीटर वेव लैन्थ रेडियो टेलिस्कोप मीटर वेव लैन्थों पर काम करने वाला सबसे बड़ा रेडियो टेलिस्कोप होगा।

(ख) इस टेलिस्कोप को सन् 1992 तक चालू करने का विचार है।

(ग) पश्चिमी राष्ट्रों में वर्तमान में लगे हुए ज्यादातर बड़े टेलिस्कोप सेंटीमीटर वेव लैन्थों पर काम करते हैं तथा खगोलिकी सम्बन्धी ऐसी बहुत-सी अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्याओं पर, जिनका सबसे अच्छा अध्ययन मीटर वेव लैन्थों पर किया जा सकता है, मीटर वेव लैन्थों पर मानव-जनित रेडियो व्यवधानों के कारण नहीं हो पाता। प्रस्तावित विशाल मीटर वेव लैन्थ रेडियो टेलिस्कोप से ऐसी ही अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्याओं का अध्ययन किया जाएगा।

"मध्य प्रदेश में पन-बिजली परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति देना"

310. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की बोधघाट पन-बिजली परियोजना और नर्मदा सागर सिंचाई परियोजना के लिए की जाने वाली वनों की कटाई के सम्बन्ध में अपेक्षित आवश्यक जानकारी भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश द्वारा दी गई जानकारी से सन्तुष्ट है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) बोध घाट जल-विद्युत परियोजना के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से सभी आवश्यक सूचना प्राप्त हो गई है। पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय दल ने दिसम्बर, 1986 में परियोजना स्थल का दौरा किया। समिति ने राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के औचित्य का आकलन कर लिया है और समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

नर्मदा सागर परियोजना के स्वीकृति के प्रश्न पर राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर सभी पर्यावरणीय प्रभावों के सन्दर्भ में विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सातवीं योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रावधान

311. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किया गया प्रावधान अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है कि इस क्षेत्र में विकास में रुकावट न आए; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को उच्च प्राथमिकता देने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राथमिकताओं पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

तमिलनाडु को राज्यों में मद्यनिषेध लागू करने के कारण हुई हानि की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता

312. **श्री एन० डेनिस** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार, पूरे तमिलनाडु राज्य में आंशिक मद्यनिषेध लागू करने के कारण

हुई राजस्व हानि की पूर्ति के लिए तमिलनाडु सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने पर विचार कर रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य के उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विशेष ध्यान देने का है जो मद्यनिषेध की वजह से बेरोजगार हो गए हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) जी, नहीं। फिर भी राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर वर्तमान योजना के अन्तर्गत राजस्व हानि के लिए मुआवजा दिया जा सकता है।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

जिला अल्मोड़ा (उत्तर प्रदेश) में बासोट में बैंक की शाखा खोलना

313. श्री हरीश रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी बैंक ने उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में बासोट में अपनी शाखा खोलने का लाइसेंस दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस लाइसेंस का उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के भिकियासेन प्रखण्ड, बासोट में बैंक शाखा खोलने के लिए नैनीताल-अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को लाइसेंस जारी किया गया था। बैंक कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों की वजह से लाइसेंस की वैधता अवधि के अन्दर-अन्दर उक्त केन्द्र में अपनी शाखा नहीं खोल सका। बैंक के अनुरोध पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस की वैधता अवधि 22 जून, 1987 तक बढ़ा दी है।

[अनुवाद]

डा० गोपाल सिंह समिति की सिफारिशें

314. श्री जी० एम० बनातवाला : क्या कल्याण मंत्री अल्पसंख्यक समुदायों के सम्बन्ध में डा० गोपाल सिंह पेनल की सिफारिशों के बारे में 5 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 261 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डा० गोपाल सिंह के अधीन गठित अल्पसंख्यक समुदायों पर उच्च शक्ति पेनल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) पेनल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) उक्त सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सभा पटल पर रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : अल्पसंख्यक समुदायों (क) से (ङ) पर उच्च शक्ति पेनल की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ?

[हिन्दी]

"पर्यावरण हेतु आबंटित धनराशि"

315. **श्री कमोदीलाल जाटव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान पर्यावरण में सुधार के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई है और इससे कितना लाभ प्राप्त हुआ ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पर्यावरणीय सुरक्षा कार्यक्रमों पर योजना व्यय 145.84 करोड़ रुपये का था (पर्यावरण-40.63 करोड़ रुपये और वन एवं वन्यजीव-105.21 करोड़ रुपये) छठी योजना के दौरान उपार्जित मुख्य लाभों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) जल और वायु प्रदूषण में यथेष्ट कमी।

(2) दुर्बल पारि-प्रणालियों का पुनरूद्धार।

(3) अनुसन्धान एवं विकास आधार की उपलब्धता।

(4) और अधिक राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों की स्थापना।

(5) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण।

(6) वन्यजीव संरक्षण।

(7) भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना।

(8) विकास परियोजनाओं का पर्यावरणीय मूल्यांकन।

(9) वनरोपण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण वृद्धि।

(10) कृषि वानिकी स्कीमों के जरिए वनरोपण में जनता को शामिल करना।

(11) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान की स्थापना और वन संसाधनों का पूर्व-निवेश सर्वेक्षण का भारतीय वन सर्वेक्षण में परिवर्तन; और

(12) पर्यावरण की महत्ता पर जन जागरूकता में महत्वपूर्ण वृद्धि।

[अनुवाद]

भारतीय उद्योगों से इंजीनियरी उत्पादों की खरीद

316. श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का सातवीं योजनावधि के दौरान भारतीय इंजीनियरी उद्योग को बहुत बड़ा क्रयादेश देने का विचार है;

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए उत्पादों की जरूरत होगी;

(ग) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कोई नई प्रौद्योगिकी विकसित की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे स्वदेशी उद्योगों को अंतरित कर दी गई हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। सातवीं योजनावधि के दौरान इंजीनियरी उद्योग सहित भारतीय उद्योग को दिए जाने वाले आदेशों और ठेकों की संख्या में पिछली अवधियों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

(ख) भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के कार्यक्रमों के लिए कई श्रेणियों में आने वाले जरूरी उत्पादों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिसम्बर, 1986 के अन्त तक, भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उत्पादों और प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में 102 प्रौद्योगिकियों का लाइसेंस 45 उद्योगों को दिया गया है।

विवरण

—उपग्रह पावर प्रणालियों के लिए सौर सैल और उन्नत रसायनिक बैटरियां;

—प्रकाशिकी समुच्चयन और वैद्युत-प्रकाशिकी प्रणालियां;

—प्रकाशिकी सौर परावर्तक, तापीय नियन्त्रण समाच्छाद और ताप पाइप जैसी अन्तरिक्षयान तापीय नियन्त्रण प्रणालियां और अन्य सक्रिय तथा निष्क्रिय ताप नियन्त्रण अवयव;

—इलेक्ट्रॉनिकी उपस्कर तथा उपकरण;

—ठोस प्रणोदकों के लिए राकेट प्रणोदक—धात्विक ईंधन पावर, अमोनियम परक्लोरेट ईंधन-बन्धक राल तथा क्यूरेटर इत्यादि; द्रव नोदन/निम्नतापी नोदन के लिए नाइट्रोजन टेट्राक्साॅइड, असममितिय डाइमेथिल (यू० डी० एम० एच०) मोनोमेथिल हाइड्रेजीन (एम० एम० एच०), द्रव ऑक्सीजन (एल० ओ० 2), द्रव हाइड्रोजन (एल० एच० 2) इत्यादि;

—विशेष द्रव्य/ऐलॉय—बेरिलियम, मैग्नेशियम, लिथियम, टिटेनियम, इत्यादि सहित ।

(1) बहुलकों, रसायनों, सीलेन्टों, आसंजनों और मिश्रित प्रणालियों की किस्म;

(2) विशेष स्टील में राकेट मोटर हार्डवेयर, एल्यूमिनियम ऐलॉय अन्तराखण्ड संरचनाएं, टंकियां, उपग्रह संरचनाएं;

(3) आई० सी०/एल० एस० आई०/वी० एल० एस० आई०/एम० आई० सी०/संकर सर्किटों को अन्तर्निहित करते हुए एम० सी० बी० सहित मुद्रित परिपथ बोर्ड;

(4) इलेक्ट्रॉनिकी उप-प्रणालियां और प्रणालियां, सूक्ष्म-संसाधित्र आधारित प्रणालियां; और कम्प्यूटर;

(5) भू-एन्टेनाएं, संरचनाएं, नियंत्रण प्रणालियां;

(6) विशेष प्रयोजन वाली परिशुद्ध मशीनें भू तथा फ्लाइट हार्डवेयर के संविरचन के लिए जिगें और टूलिंग;

(7) प्रमोचन तथा प्रमोचन सेवा संरचनाएं, भू-उपस्कर, जांच रिगें और जांच स्टैण्ड;

(8) दूरसंचार, दूरदर्शन, मौसमविज्ञान और सुदूर संवेदन में अन्तरिक्ष उपयोग मार्किटों के लिए भू-प्रणालियां;

(9) विशेष उपभोज्यों (LHe, LN2, आर्गोन, इत्यादि) की सप्लाई;

(10) सामान्य प्रयोजन की संविरचन सहायता;

(11) बड़े पैमाने की जांच प्रणालियों के लिए टर्न-की परियोजनाएं;

(12) सोफ्टवेयर विकास सेवाएं; और

(13) उपकरणों का अनुरक्षण, जांच उत्पादन/संविरचन और अन्य प्रचालनात्मक सुविधाओं तथा सेवाओं का प्रचालन ।

देश में इलैक्ट्रानिक घड़ियों की तस्करी

317. श्री मोहन भाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में क्वार्ट्ज और डिजिटल घड़ियां भारी मात्रा में तस्करी द्वारा लाई जा रहीं हैं और उन्हें बहुत कम मूल्य पर बेचा जा रहा है;

(ख) क्या तस्करी से आई घड़ियों के साथ स्पर्धा करने के लिए देश में ऐसी घड़ियों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये करों में रियायतें देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इन घड़ियों की तस्करी को रोकने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि कलाई की घड़ियां, जिनमें क्वार्ट्ज और डिजिटल घड़ियां शामिल हैं, देश में तस्करी के आकर्षण की वस्तुएं हैं ।

(ख) यांत्रिक/इलैक्ट्रानिकी घड़ी उद्योग को निम्नलिखित रियायतें प्रदान की जाती हैं :—

(i) डिजिटल, डिजि-आना इलैक्ट्रॉनिक कलाई घड़ियों तथा उनके हिस्से पुर्जों पर मूल्यानुसार 50% आयात शुल्क की दर से रियायत प्रदान की जाती है;

(ii) विनिर्दिष्ट हिस्से-पुर्जों से भिन्न यांत्रिक कलाई घड़ियों और क्वार्ट्ज एनालॉग कलाई घड़ियों के संघटकों पर भी मूल्यानुसार 50% आयात शुल्क की दर से रियायत दी जाती है;

(iii) यांत्रिक कलाई घड़ियों और क्वार्ट्ज एनालॉग कलाई घड़ियों के विनिर्दिष्ट बाह्याकृति के (अपीयरेंस) पुर्जों पर मूल्यानुसार 70% आयात शुल्क की दर से रिआयत दी जाती है;

(iv) विनिर्दिष्ट होरॉलॉजिकल कच्ची सामग्री पर मूल्यानुसार 15% आयात शुल्क की दर से रियातत दी जाती है।

(ग) हमारे समुद्र-तटीय/भू-सीमाओं तथा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के अत्याधिक सुगम्य क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए तस्करी-रोधी अभियान को देश भर में सामान्यत: तेज कर दिया गया है। तस्करी तथा किए गए अभिग्रहणों की प्रवृत्तियों की सतत् समीक्षा की जाती है ताकि इस बारे में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट ताल मेल रखकर उचित सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

गुजरात में बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिया गया ऋण

318 **श्री मोहन भाई पटेल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए अन्य राज्यों की तुलना में कम ऋण दिए गए हैं;

(ख) क्या इस असन्तुलन को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान गुजरात में कृषि क्षेत्र के लिए कितनी राशि के ऋण देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए जाने वाले ऋणों की बकाया रकमों के स्तर में क्रमिक वृद्धि हुई है। दिसम्बर 1983, दिसम्बर 1984 और दिसम्बर 1985 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा गुजरात राज्य में कृषि के लिए दिए गए ऋणों की बकाया राशि क्रमश: 339.89 करोड़ रुपए, 406.38 करोड़ रुपए और 471.60 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि गुजरात राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए दिए गए अग्रिमों की बकाया राशियों का स्तर अन्य राज्यों के स्तर की तुलना में अच्छा है।

(ग) गुजरात राज्य के प्रत्येक जिले के लिए अग्रणी बैंकों द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य आयोजनाओं के अनुसार, गुजरात राज्य में वर्ष 1987 के लिए समूचे तौर पर, कृषि के लिए बैंकों द्वारा 427 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण दिए जाएंगे।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के आयात का भारतीय निर्माताओं पर प्रभाव

319. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आयात करने की नीति का भारतीय उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) भारतीय निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) उदार बनाई लाइसेंसिंग नीति तथा वित्तीय प्रोत्साहनों का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना तथा भारतीय विनिर्माणकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। विभिन्न उद्योगों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भारतीय विनिर्माणकर्त्ताओं को भी पूर्णतः सहभागी बनाया गया है जिससे वे अपनी दीर्घकालीन क्षमता स्थापित कर सकें। इलेक्ट्रॉनिकी उपकरणों के आयात को विनियमित किया जाता है ताकि भारतीय विनिर्माणकर्त्ताओं के हितों की रक्षा का इत्मीनान हो सके।

भारत को ब्रिटिश सहायता

320. **श्री अरुण नेहरू** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वित्त वर्ष 1985-86 के दौरान ब्रिटेन से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या यह सहायता विशेष परियोजनाओं के लिए ही दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) वर्ष 1985-86 में यूनाइटेड किंगडम से 1270 लाख पौंड की सहायता प्राप्त हुई जो कि 234 करोड़ रुपये के बराबर है।

(ख) यह सहायता विनिर्दिष्ट परियोजनाओं अथवा प्रयोजनों से आबद्ध है।

(ग) 1985-86 में यूनाइटेड किंगडम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं निम्नलिखित है :—

(1) विद्युत, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस तथा रेलवे जैसे आधारभूत क्षेत्रों की परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के लिए आयात	—388 लाख पौंड
(2) "बाल्फी का आरक्षित विद्युत संयंत्र	—333 लाख पौंड

(3) वेस्टलैण्ड हेलिकाप्टर	—260 लाख पौंड
(4) बाकिकी, गंदी बस्तियों का सुधार, स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जैसे निर्धनता निवारक कार्यक्रमों की "रुपया" लागतों का वित्तपोषण	129 लाख पौंड
(5) तकनीकी सहयोग	160 लाख पौंड
जोड़	1270 लाख पौंड

सागर ग्रामीण बैंक के विरुद्ध शिकायतें

321. कुमारी ममता बनर्जी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना स्थित सागर ग्रामीण बैंक के कार्यकरण के विरुद्ध और विशेषकर समाज के कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता देने के मामले में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अजनेय पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सागर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध की गई शिकायत की क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक बैंक अर्थात् यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा जांच की गई थी। प्रायोजक बैंक से उक्त अध्यक्ष को ग्रामीण बैंक से हटाने और बैंक के नियमों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए दिया गया था।

20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण बैंकों का कार्य-निष्पादन

322. कुमारी ममता बनर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 20-सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजनेय पुजारी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के 95 प्रतिशत से अधिक अग्रिम ऐसे लोगों को मंजूर किए जाते हैं जो सामान्यतया 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने के पात्र होते हैं। जून 1986 के अन्त तक इन बैंकों ने 74.63 लाख हिताधिकारियों को 1540 33 करोड़ रुपए के अग्रिम दिए थे।

कर्नाटक में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विरोध

323. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कैगा में परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव का विरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) आबादी के कुछ भाग ने कैगा में स्थापित की जा रही परमाणु विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त की। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की है कि इस परियोजना से उस क्षेत्र के वनों और पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। सरकार ने स्थानीय लोगों को यह आश्वासन दिया है कि इस विभाग की परम्परा के अनुरूप, काटे गए वृक्षों की कमी को पूरा करने के लिए संयंत्र तथा उसके आस-पास के इलाके में वृक्षारोपण किया जाएगा और वहां सागवान के तथा अन्य प्रकार के वृक्ष लगाए जाएंगे तथा उनकी देखभाल बिजलीघर के प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी। यह भी सुनिश्चित रखा जाएगा कि बिजलीघरों के इर्द-गिर्द की वनस्पति पर न केवल दुष्प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा बल्कि वनस्पति में और भी सुधार किया जाएगा। बिजलीघर के चलाने से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वीडियो कैसेट रिकार्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर के निर्माण के लिए लाइसेंस

324. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन औद्योगिक यूनिटों को वीडियो कैसेट रिकार्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर के निर्माण के लिए लाइसेंस दिए गए हैं;

(ख) क्या उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक यूनिट का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) वर्ष 1980-82 में वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों (वी० सी० आर०/वी० सी० पी०) का विनिर्माण करने के लिए संगठित क्षेत्र में लगभग 10 इकाइयों तथा लघु उद्योग क्षेत्र में 60 इकाइयों को अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें से वीडियो कैसेट रिकार्डरों/वीडियो कैसेट प्लेयरों (वी० सी० आर०/वी० सी० पी०) का विनिर्माण करने के लिए जिन इकाइयों के पास कार्यशील औद्योगिक लाइसेंस हैं, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

1. मेसर्स बी० पी० एल० इण्डिया लि०, बंगलौर।

2. मेसर्स बुश इण्डिया लि०, बम्बई।

3. मेसर्स टेलीविजन एण्ड काम्पोनेंट्स प्रा० लि०, नरोदा ।

4. मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रोनिक्स लि०, नई दिल्ली ।

5. मेसर्स इलेक्ट्रोनिक्स कंसोर्टियम प्रा० लि०, नई दिल्ली ।

6. मेसर्स जुपिटर रेडियोज (रजिस्टर्ड) नई दिल्ली (दो इकाइयां) स्थापना-स्थल : नई दिल्ली तथा लुधियाना ।

संशोधित नीति के अन्तर्गत नए लाइसेंस जारी करने का कार्य सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) निम्नलिखित इकाइयों ने उत्पादन-कार्य शुरू करने की सूचना दी है तथा वर्ष 1985 में उनका वार्षिक उत्पादन प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है :—

1. मेसर्स बी० पी० एल० इण्डिया लि०, बंगलौर	— 300 नग
2. मेसर्स बुश इण्डिया लि०, बम्बई	— 530 नग
3. मेसर्स वेस्टन इलेक्ट्रोनिक्स लि०, नई दिल्ली	— 899 नग
4. मेसर्स इलेक्ट्रोनिक्स कंसोर्टियम प्रा० लि०, नई दिल्ली	— 103 नग
5. मेसर्स वीडियो इलेक्ट्रोनिक्स प्रा०, लि०, नई दिल्ली	— 263 नग
6. मेसर्स जुपिटर रेडियोज (रजिस्टर्ड), नई दिल्ली	— 65 नग

वीडियो कैसेट रिकार्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर की तस्करी

325. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में प्रतिवर्ष वीडियो कैसेट रिकार्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर की भारी संख्या में तस्करी द्वारा लाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितने वीडियो कैसेट रिकार्डर और कितने वीडियो कैसेट प्लेयर का आयात किया गया;

(ग) वीडियो कैसेट रिकार्डर और वीडियो कैसेट प्लेयर की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) शुल्क आदि में रियायतें देकर देश में ही इनके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि वी० सी० आर० और वी० सी० पी० देश में तस्करी के लिए आकर्षण की वस्तुएं हैं । केवल वी० सी० आर० और वी० सी० पी० के अभिग्रहणों से सम्बन्धी आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं। तथापि पिछले दो वर्षों के दौरान वी० सी० आर०/

वी० सी० पी० सहित इलेक्ट्रोनिक्स की जब्त की गई वर्षों का कुल मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	पकड़े गए इलेक्ट्रोनिक के माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1985	14.75
1986	16.98

(ग) हमारे समुद्र तटीय/भू-सीमा क्षेत्रों और अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के बहुत अधिक सुगम्य क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए तस्करी-रोधी अभियान को समग्र देश में सामान्य रूप से तेज कर दिया गया है। तस्करी की और किए गए अभिग्रहणों की प्रवृत्तियों की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि इस बारे में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सम्बन्धित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल रखकर उचित सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(घ) स्थानीय मांग के पूरा करने के लिए वी० सी० आर०/वी० सी० पी० के निर्माण के लिए स्वदेशी क्षमता का अभी विकास किया जाना है। देश में वी० सी० आर०/वी० सी० पी० उद्योग के संरक्षण के लिए, यदि कोई शुल्क की रियायतें देने की आवश्यकता होगी तो उस पर उचित स्तर पर विचार किया जाएगा।

"कालिंदी पन-बिजली परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति"

326. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालिंदी चरण-दो पन-बिजली परियोजना के कार्यनिष्पादन के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा वन भूमि का कुल कितना क्षेत्र मांगा गया है;

(ख) कर्नाटक सरकार द्वारा आवश्यक वन भूमि देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) 5335.36 हेक्टेयर।

(ख) विभाग को कालिन्दी चरण-2 के बारे में कादरा कोडासाली तथा डांडेली परियोजनाओं के बारे में वन भूमि के दिक्परिवर्तन के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। कादरा परियोजना के लिए वन भूमि के दिक्परिवर्तन की अनुमति दे दी गई है। कोडासाली से सम्बन्धित परियोजना पर सरकार विचार कर रही है। डांडेली परियोजना के प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा पूरी जानकारी न देने के कारण विचार नहीं किया जा सका।

(ग) प्रस्ताव का ब्यौरा	प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख	परिवर्तित की जाने वाली वन भूमि
के० एच० ई० पी०-2 कादरा	13-8-1985	3211
के० एच० ई० पी०-2 कोडासाली	5-8-1985	1426
के० एच० ई० पी०-2 डंडेली	4-9-1986*	698.36

*राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना 25-9-1986 को मांगी गई थी।

"मालवान तट पर मैरीन पार्क परियोजना"

327. प्रो० मधु दण्डवते : क्या पर्यावरण और वन मंत्री मालवान में मैरीन पार्क परियोजना के बारे में 12-11-1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1376 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मैरीन परियोजना पर होने वाले व्यय में हिस्सा बंटाने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार को सूचित किया गया है कि वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तहत किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क अथवा अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करना केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए एक पूर्वापेक्षा होगी। किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क अथवा अभयारण्य के रूप से घोषित किए जाने पर वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

सी० ओ० ओ० आई० टी० का तिलहनों पर कर समाप्त करने के बारे में अनुरोध

328. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संगठन सी० ओ० ओ० आई० टी० ने तिलहनों और उनके विभिन्न उत्पादों पर भारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर समाप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार को तेल उद्योग और व्यापार के केन्द्रीय संगठन से एक "वर्किंग पेपर" प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ तिलहन तथा वनस्पति तेल उद्योग के विकास के लिए कतिपय वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

(ख) उक्त पत्र (पेपर) में निम्नलिखित करों से राहत दिए जाने का अनुरोध किया गया है :—

(i) वनस्पति तथा साबुन के निर्माण में गौण तेल (माइनर ऑयल) के इस्तेमाल की मौजूदा छूट योजना में कतिपय आशोधन;

(ii) तिलहनों पर बिक्री कर में कमी; और

(iii) विलायक निष्कर्षण उद्योग के लिए अपेक्षित मशीनरी पर सीमाशुल्क से छूट।

आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए, इन अनुरोधों पर सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताना लोकहित में उचित नहीं होगा।

"नए अभ्यारण्यों की स्थापना"

329. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वनों के तेजी से काटने को रोकने के लिए प्रभावी उपाय अपनाएगी;

(ख) वर्तमान जंगलों और समुद्री तट को अभ्यारण्यों और जल जीवशालाओं में बदलने के लिए कदम उठाए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार का राज्य में 10 अभ्यारण्य स्थापित करने का विचार है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का इन अभ्यारण्यों की स्थापना करने में राज्यों को सहायता देने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अभ्यारण्यों और जलजीवशालाओं की स्थापना, नियन्त्रण और प्रबन्ध का सम्पूर्ण कार्य राज्य सरकारों का है।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अभ्यारण्यों की स्थापना के पश्चात्, इनके बेहतर संरक्षण के लिए आवश्यक कुछ अनावर्ती मदों पर व्यय करने के लिए केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता देती है।

उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में दी गई छूट

330. श्री जगदीश अवस्थी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1986 से जनवरी, 1987 तक उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में दी गई कुल छूट का ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सरकार द्वारा मई, 1986 से जनवरी, 1987 तक अधिसूचनाएं जारी कर जो छूटें दी गई हैं उनसे सरकार को 306 करोड़

रुपये की, जिसमें से 66 करोड़ रुपये के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की तथा 240 करोड़ रुपये सीमा शुल्क की राजस्व हानि होने का अनुमान है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष की नियुक्ति

332. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि केन्द्रीय सरकार में कोई सचिव अथवा राज्य सरकार में उसके बराबर के वेतनमान में कोई अधिकारी केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 में 31 मार्च, 1987 तक संशोधन करने का निदेश भी दिया है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जिस व्यक्ति ने भारत सरकार में सचिव का पद अथवा केन्द्रीय या राज्य सरकार में कोई ऐसा अन्य पद धारित किया हो जिसका वेतनमान भारत सरकार के सचिव के वेतनमान से कम न हो, उसे प्रशासनिक न्यायाधिकरण का अध्यक्ष तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने दो वर्ष की अवधि तक उपाध्यक्ष के पद पर कार्य न किया हो।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इस निर्णय के सम्बन्ध में दिनांक 10-1-87 को उच्चतम न्यायालय में एक पुनर्विलोकन याचिका दायर की गई है इस पुनर्विलोकन याचिका का निपटान किए जाने के बाद सरकार मामले पर और आगे विचार करेगी।

समुद्री लहरों में ऊर्जा का उत्पादन

333. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री लहरों से ऊर्जा उत्पन्न करने सम्बन्धी कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस प्रयोजन के लिए किन स्थानों का चयन किया गया; और

(ग) क्या केरल में भी ऐसा कोई प्रायोगिक केन्द्र स्थापित किया जाएगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) छठी

पंचवर्षीय योजना के दौरान तरंग ऊर्जा अध्ययनों पर 33 लाख रु० की राशि खर्च की गई। इस परियोजना के लिए सातवीं योजना में 3 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास ने महासागर विकास विभाग द्वारा प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत तरंग ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सैद्धान्तिक और प्रयोगशाला अध्ययन किए हैं। इन अध्ययनों के आधार पर अब समुद्री प्रयोग किए जाने प्रस्तावित हैं। इस प्रयोग के लिए विचार किए जा रहे स्थलों में से एक स्थल केरल में है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा पूर्ण मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद स्थल के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा।

क्षमा दान योजना के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा की वसूली

334. **प्रो० मधु दण्डवते :**
श्री विष्णु मोदी :
श्री मोहम्मद महफूज अली खां :
श्री सोमनाथ रथ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन को स्वेच्छा से प्रकट करने वाले व्यक्तियों को क्षमा करने की हाल में की गई घोषणा के परिणामस्वरूप सरकार को अवैध रूप से अर्जित कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई; और

(ख) स्वेच्छा से प्रकट की गई धनराशि सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सम्बन्धित व्यक्तियों से कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा वसूल की गई ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषणाओं की जांच कर लिए जाने और प्रत्येक घोषणाकर्ता को उसके विदेशी हितों की विधिमान्यता अथवा अन्यथा के बारे में सलाह दे दिए जाने के बाद ही इस योजना के अधीन विदेशी मुद्रा के प्रत्यावर्तन का प्रश्न उत्पन्न होगा। चूंकि यह योजना 31 मार्च, 1987 तक वैध है इसलिए प्राप्त हुई राशि का निर्धारण करना और उसके बारे में ब्यौरा देना अभी सम्भव नहीं है।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया में प्रोबेशनरी अधिकारियों की परीक्षा में कथित अनियमितताएं

335. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनियन बैंक आफ इण्डिया के प्राधिकारियों द्वारा प्रोबेशनरी अधिकारियों की परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय ने कथित अनियमितताओं की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

"नर्मदा परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी"

336. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पर्यावरणविदों ने केन्द्रीय सरकार से पर्यावरण के हित में नर्मदा घाटी परियोजना को मंजूरी न देने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में विचार किया है और इस मामले में कोई निर्णय लिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) सभी उपलब्ध आंकड़ों के अतिरिक्त पर्यावरणविदों द्वारा व्यक्त किए गए मतों पर निर्णय लेने के लिए विचार किया गया ।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

337. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न भागों में कुछ कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) क्या इन केन्द्रों की स्थापना के लिए स्थान चुन लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या लखनऊ में एक केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इस समय इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० आई० टी०) की स्थापना के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । ये संस्थान कम्प्यूटरों तथा उनके अनुप्रयोगों के क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनन्य रूप से काम करेंगे ।

(ख) और (ग) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने के लिए चार स्थापना-स्थलों का पता लगाया गया है। ये स्थापना-स्थल इस प्रकार हैं : दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद। इन स्थापना-स्थलों का इस दृष्टि से चयन किया गया है ताकि इन स्थानों पर राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई० सी०) द्वारा पहले से ही स्थापित अभिकलन (कम्प्यूटिंग) सुविधाओं पर आधारित बड़े नेटवर्क का विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए अधिकतम प्रयोग किया जा सके।

(घ) और (ङ) विभिन्न राज्यों की राजधानियों में जिसमें लखनऊ भी शामिल है, कालान्तर में सहायक-केन्द्रों की स्थापना करने का भी प्रस्ताव है।

तस्करी के माल का पकड़ा जाना

338. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :**
श्री जगन्नाथ प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में पकड़े गए तस्करों की संख्या का ब्योरा क्या है और वर्ष 1986 के दौरान उनसे बरामद माल का ब्योरा क्या है;

(ख) तस्करी के माल की कीमत क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कुल कितने व्यक्ति पकड़े गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) पकड़े गए माल का निपटान किस प्रकार किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन वर्ष 1986 के दौरान देश भर में अभिगृहीत निषिद्ध माल का जिस-वार कुल मूल्य निम्नलिखित है :—

मुख्य जिंस	मूल्य (रुपए करोड़ों में)
1	2
सोना	46.71
घड़ियां	10.09
संश्लिष्ट फैब्रिक्स	17.46
चांदी	4.59
हीरे तथा रत्न	1.09

1	2
स्वापक औषध द्रव्य	50.53
मुद्रा (भारतीय तथा विदेशी)	9.52
अन्य	71.55
जोड़ :	211.54

तस्करी की गतिविधियों में लगे हुए व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। माल जब्त करने और वैयक्तिक अर्थदण्ड लगाने के अलावा, अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर न्यायालय में उपयुक्त मामलों में अभियोजन चलाया जाता है और उपयुक्त मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबन्दी का सहारा भी लिया जाता है।

जिन व्यक्तियों को वर्ष 1986 के दौरान ऐसी गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया, जिन पर सीमा-शुल्क अधिनियम के तहत अभियोजन चलाया गया और जिन्हें वि० मु० सं० तथा त० नि० अधिनियम के तहत नजरबन्द किया गया उनकी कुल संख्या इस प्रकार है :—

व्यक्ति		
जिन्हें गिरफ्तार किया गया	जिन पर अभियोजन चलाया गया	वि० मु० सं० तथा त० नि० अधिनियम के तहत नजरबन्द किया गया
2788	2561	812

(घ) सरकार की नीति के अनुसार, जब्त किए गए व्यापारी माल को नीलामी/टेंडर द्वारा बेच दिया जाता है। जब्त किए गए उपभोक्ता माल की बिक्री राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और राज्य सहकारी महासंघ सहित केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अनुमोदित तथा सहकारी समिति अधिनियम के तहत विधिवत रूप से पंजीकृत सहकारी समितियों, सैनिक तथा अर्द्ध-सैनिक कैंटीनों आदि के माध्यम से की जाती है। निषिद्ध सोने और चांदी को टकसाल में जमा करा दिया जाता है और विदेशी मुद्राओं को भारतीय रिजर्व बैंक में खाते जमा करा दिया जाता है। थोड़ी-थोड़ी मात्रा में अभिगृहीत मिले-जुले तथा विविध माल को सीमा-शुल्क की खुदरा दुकानों के माध्यम से बेच दिया जाता है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियां

339. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीने के दौरान देश में कुल कितनी बैंक डकैतियां हुई और उनमें कितना नुकसान हुआ;

(ग) क्या सरकार इन डकैतियों को रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि जबकि 1985 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने बैंक लूटपाट/डकैती के 76 मामलों की सूचना दी थी, लेकिन 1986 के दौरान बैंकों ने ऐसे 106 मामलों की सूचना दी है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि गत तीन महीनों अर्थात् नवम्बर, दिसम्बर, 1986 तथा जनवरी, 1987 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सूचित बैंक लूटपाट/डकैतियों के मामलों की कुल संख्या नीचे दी गई है :—

मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि
14	191.70 लाख रुपये

(आंकड़े अनन्तिम)

(ग) और (घ) बैंक लूटपाट/डकैतियां बहुत हद तक स्थान विशेष में सामान्य सुरक्षा के वातावरण पर निर्भर करती हैं। अलबत्ता, बैंक अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के वास्ते कदम उठा रहे हैं ताकि शरारत करने वालों को बैंक लूटने का कम से कम मौका मिले और उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके। जोखिम को देखते हुए शाखाओं में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, उचित अलार्म प्रणाली लगाने आदि जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, चोरों/डकैतों का मुकाबला करने के लिए बैंक कर्मचारियों, साधारण जनता और पुलिस को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना की भी घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

पियरलेस के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

340. श्री कमला प्रसाद सिंह :
कुमारी ममता बनर्जी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री जगन्नाथ प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल में पियरलेस जनरल फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि० के मामले में उनकी अपील पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में की गई टिप्पणियों की जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विशेष रूप से जमाकर्ताओं तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु कौन-सी कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से उच्चतम न्यायालय के निर्णय निहितार्थ का अध्ययन करने तथा निर्णय और उसमें की गई टिप्पणियों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू करने के वास्ते कह दिया गया है।

आयकर निर्धारिती

341. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 और 1986-87 में आय कर निर्धारितियों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस सम्बन्ध में स्लेब-वार और निपटान-वार आंकड़े और ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सम्भव सीमा तक सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

अनिवासी भारतीयों की जमा राशियों से अर्जित विदेशी मुद्रा

342. **श्री थम्पन थामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा जमा धनराशि से सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : पिछले तीन वर्षों में अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में बैंकों में खोले गए अनिवासी बाह्य खातों और विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में जमा राशियां इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए)

1984	—	866.98
1985	—	1525.01
1986	—	2361.04

राज्यों के लिए नई परियोजनायें

343. **श्री थम्पन थामस :**
श्री शरद दिघे :
श्री एस० जयपाल रेड्डी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री नारायण चौबे :
प्रो० मधु दण्डवते :
श्री शोभनाद्रीश्वर बी० राव :
श्री सी० अंगा रेड्डी :
डा० ए० के० पाटिल :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने हाल ही में केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर तथा महाराष्ट्र के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की थी;

(ख) क्या ये योजनाएं पंचवर्षीय योजना में पहले शामिल की गई योजनाओं के अतिरिक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) प्रधान मन्त्री जी की हाल की घोषणाएं चार राज्यों अर्थात् केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर से सम्बन्धित थी।

(ख) घोषणाओं में वे कार्यक्रम शामिल हैं जो वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों की योजना और योजना-इतर स्कीमों के दायरे में आते हैं।

(ग) परियोजनाओं की सूची बताने वाले विवरण संलग्न हैं।

विवरण

केरल के लिए परियोजनाओं की सूची

1. नौसेना अकादमी, अझीमाला
2. नारियल-जटा आधुनिकीकरण फण्ड
3. रेलवे लाइन
   कोचीन अलेपे लाइन
   अलेपे-कयमकुलम लाइन
   त्रिचुर गुरुवायुर
4. एर्नाकुलम उप मार्ग/कोचीन पत्तन लिंक रोड राष्ट्रीय मार्ग के रूप में
5. थर्मल प्लांट 2×210 मे० वाट (मात्र साध्यता रिपोर्ट)
6. संस्कृत विश्वविद्यालय
7. खेलकूद आधार संरचना
8. ग्रामीण आवास योजना (हुडको)
9. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम
10. नारियल विकास फण्ड
11. मत्स्य उद्योग परियोजना

12. पर्यटन विकास परियोजना

13. पालघाट क्षेत्र की जल एवं ऊर्जा आवश्यकताओं का विशेष अध्ययन

14. शिक्षा क्षेत्र
    6-7 नवोदय विद्यालय
    —3 केन्द्रीय विद्यालय

15. 10,000 रु० से 6,000 रु० प्रति टन कॉफी पर निर्यात-शुल्क में कटौती

16. 13,000 से 20,000 तक स्वरोजगार स्कीम के लिए उठने वाले लक्ष्य

17. 25,000 टन खाद्यान्नों (50 प्रतिशत गेहूं/50 प्रतिशत चावल) की अतिरिक्त अनुदान (ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम)

18. कोवालम संयुक्त क्षेत्रक आई० टी० डी० सी० कन्वेंशन सेन्टर ।

पश्चिम बंगाल के लिए परियोजनाओं की सूची

1. आई० एफ० सी० आई० में जूट आधुनिकीकरण फण्ड (जारी)
2. पुनर्वास, पुनः खोलने और पुनर्निर्माण के लिए जूट विशेष फण्ड (जारी)
3. दूसरा हुगली पुल (जारी)
4. सुपर बाजार टाइप स्टोर (नयी)
5. छोटी आबादी वाली कालोनियों को नियमित करना (जारी)
6. रेलवे यात्री निवास (नयी)
7. चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र और कैंसर अस्पताल का एकीकरण (जारी)
8. कलकत्ता एयर पोर्ट पर नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल (नयी)
9. गंगासागर और आयासुनी में यात्री निवास (नयी)
10. साल्ट लेक स्टेडियम को पूरा करने के लिए अनुदान (जारी)
11. नेताजी सुभाष खेलकूद संस्थान का पूर्वी केन्द्र—सुविधाओं का विस्तार (जारी)
12. मैरीन अकवेरियम एवं अनुसन्धान केन्द्र, दीघा (नयी)
13. सी० ई० एस० सी० के लिए स्वीकृति (जारी)
14. दीघा—तामलक लाइन (नयी)

हरियाणा के लिए परियोजनाओं की सूची
(सिंचाई तथा शिल्पकला क्षेत्र विकास)

1. सतलुज-यमुना सम्पर्क परियोजना

2. जल मार्गों के रेखांकन के सम्बन्ध में नवार्ड की राशि की किस्त का आस्थगन

3. कृषि
   क्षारीय भूमि का सुधार
   पानी छिड़कने वाले सैट स्थापित करना
   अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

4. पम्पसेटों के संचार के लिए विद्युत आबंटन

5. जल आपूर्ति
   त्वरित जल पूर्ति कार्यक्रम
   जल पूर्ति में फ्लोराइड प्रदूषण समाप्त करना

6. शिक्षा
   केन्द्रीय तथा नवोदय विद्यालयों की स्थापना
   प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

7. चिकित्सा कालिज और चिकित्सा शिक्षा
   रोहतक चिकित्सा कालिज के लिए फूलबौडी केट स्कैनर

8. सूखा राहत

9. खेल-कूद
   रोई स्कूल को खेल-कूद सुविधाओं का उन्नयन
   खेल-कूद काम्पलैक्स के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता

10. पर्यटन
    सूरज कुण्ड गाल्फ कोर्स
    दमदमा पर्यटन आश्रय

जम्मू व काश्मीर के लिए परियोजनाओं की सूची

1. केबल कार, गुलमर्ग
2. अन्तर्राष्ट्रीय गोल्फ कोर्स, श्रीनगर
3. पटनी-टॉप का विकास
4. जम्मू-उधमपुर रेलवे लाइन (1987-88)
5. कांडी वाटरशेड परियोजना
6. घाटी विकास
7. राष्ट्रीय राजमार्ग उपमार्ग का विस्तार, श्रीनगर
8. उपमार्ग, स्पोर

9. इन्दिरा गांधी मार्ग

10. उप मार्ग बाटोट

11. एच० एम० टी० विस्तारण

12. पर्यटन सुविधाओं का विकास

13. शेर-ए-काश्मीर कृषि विश्वविद्यालय

14. खाद्यान्नों का आवंटन

15. अंश पूंजी की स्वीकृति (जम्मू और काश्मीर एच० पी० एम० सी०)

16. "अंगोरा" बकरियों का आयात

17. यूरी जल विद्युत परियोजना

18. श्रीनगर में जेरो पुल तथा बुडशाह पुल

19. संचरण व्यवस्था में सुधार

20. इको कृतिक बल की स्थापना

21. खेल सुविधाएं

22. लोमचर्म (फर) की खेती

23. दुल्हास्ती परियोजना

24. 400 किलोवाट संचरण लाइन

25. वितरण नवीकरण नेटवर्क।

ऋण देने वाली गैर सरकारी कम्पनियों की संख्या में वृद्धि

344. **श्री चम्पत चामस** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों और विशेष रूप से केरल में ऋण देने वाली गैर सरकारी कम्पनियों की संख्या में भारी वृद्धि के बारे में उन्हें जानकारी है;

(ख) क्या सरकार ने ऋण देने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों को ऋण देने से रोकने, नियन्त्रित और विनियमित करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदीश मुखारी) : (क) से (ग) सम्भवतः प्रश्न में गैर-सरकारी ऋणदाता कम्पनियों से आशय उन अनियमित निकायों से है जो वित्तीय और निवेश सम्बन्धी कारबार करती हैं। इन निकायों की जमा राशियां स्वीकार करने की गतिविधियों के आकार को सीमित करने के प्रयोजन से बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 अधिनियमित करके भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में एक नया अध्याय 111-ग जोड़ा गया है। इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार, जो 15 फरवरी, 1984 से प्रभावी हो गया है, अनिगमित निकायों

व्यक्तियों आदि को इनमें निर्धारित जमाकर्ताओं की संख्या से अधिक लोगों से जमा राशियां स्वीकार करने की मनाही कर दी गई है। इन उपबन्धों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करने की शक्तियां भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकारों अर्थात् दोनों में समान रूप से निहित हैं। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अध्याय 111-ग के उपबन्धों की जांच करने के वास्ते आवश्यक प्रवर्तन तन्त्र का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों से कहा है। कई राज्य सरकारों को ऐसे तन्त्र का अभी निर्माण करना है और भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ राज्य सरकारों को इस तन्त्र का शीघ्र निर्माण करने के लिए कार्रवाई करने के वास्ते अनुरोध भी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसी बीच उसने अपनी ओर से गुजरात, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ अनिगमित निकायों के खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम अध्याय 111-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

जहां तक इन निकायों द्वारा धन राशियां उधार दिए जाने के कारणों का सम्बन्ध है, चूंकि ऋण देने का विषय राज्य सरकारों के लिए आरक्षित है, इसलिए इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून बनाने का काम राज्य सरकारों का ही है।

दिल्ली और बम्बई में सरकार द्वारा अचल सम्पत्तियों की अग्र खरीद करना

345. श्री शरद दिघे :
श्री डी० एन० रेड्डी :
श्री सी० माधव रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्त अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत 10 लाख रुपये से अधिक प्रकट प्रतिफल की सम्पत्तियों की अग्र खरीद करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए पिछले वर्ष के दौरान बम्बई और दिल्ली में कितनी अचल सम्पत्तियों का अर्जन किया गया; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1986 के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय 20-ग के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की अग्र खरीद करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने बम्बई और दिल्ली में कुल 49 सम्पत्तियों की खरीद के लिए आदेश दिए।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3740/87]

साधारण शेयर कय योजना के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

346. डा० कृपासिंधु भोई :
श्री कृष्ण सिंह :
चौधरी राम प्रकाश :
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों ने 74 प्रतिशत साधारण शेयर पूंजी में निवेश वाली परियोजनाओं की स्थापना के प्रति उदासीनता दिखाई है, और वे निवेश के लिए यह शर्त रख रहे हैं, कि उन्हें साधारण शेयर पूंजी में इससे अधिक हिस्सा दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत साधारण शेयरों में निवेश अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की तुलना में कितना कम अथवा अधिक है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पूंजी निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों की 74 प्रतिशत से ऊंची इक्विटी भागीदारिता प्राप्त करने की कोई सामान्य मांग नहीं है ।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) 74 प्रतिशत इक्विटी निवेश योजना के अन्तर्गत कुल मिलाकर 53.57 करोड़ रुपये की निवेश सम्बन्धी स्वीकृतियां अनिवासी भारतीयों ने प्राप्त कर ली हैं । 40 प्रतिशत वाली योजना के अन्तर्गत 31-12-86 तक कुल मिलाकर 755.17 करोड़ रुपये की स्वीकृतियां दी जायेंगी ।

वर्ष 1986 में बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा जब्त की गई वस्तुएं

347. डा० कृपासिंधु भोई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल में प्रतिबन्धित वस्तुओं का बड़ा भंडार पकड़ा है;

(ख) यदि हां, तो 1986 के दौरान जब्त की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा पिछले वर्ष की तुलना में इसके आंकड़े कितने हैं;

(ग) क्या समूची भारतीय सीमाओं तथा समुद्री किनारों पर भारी चौकसी के बावजूद हाल में तस्करी के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस अवैध व्यापार को रोकने तथा सभी कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1986 और जनवरी, 1987 की अवधि के दौरान सीमा-शुल्क प्राधिकारियों ने बम्बई क्षेत्र में 15.19 करोड़ रुपये के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा था।

(ख) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान बम्बई क्षेत्र में पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष	पकड़े गए माल का मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1985	71.22
1986	80.66 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) सरकार को प्राप्त रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि हमारे देश के समुद्र के कुछ तटीय क्षेत्र और सीमा क्षेत्र तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सुगम्य बने हुए हैं। समुद्र का तटीय क्षेत्र बहुत विस्तृत होने और खाड़ी देशों के साथ इसकी अधिक निकटता होने के कारण सुगम्य है। पड़ोसी देशों के साथ लगी हमारी सीमाएं अपनी लम्बाई, दोनों ओर रहने वाले लोगों की एक जैसी भाषा, निर्विघ्न भू-भाग और विशेषकर नेपाल के साथ खुली सीमा होने के कारण तस्करी के लिए सुगम्य हैं।

सीमा-शुल्क विभाग का निवारक और आसूचना तंत्र समग्र देश में तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों का पता लगाने तथा इसे रोकने के लिए सतर्क रहता है। समुद्रतटीय/सीमा क्षेत्र में तैनात अन्य सम्बन्धित प्रवर्तन एजेन्सियों के साथ भी घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा जाता है।

सामान की एक्स-रे द्वारा जांच प्रणाली

348. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ने सामान की एक्सरे द्वारा जांच प्रणाली विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रणाली के कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और यह प्रणाली उग्रवादियों तथा विमानों के अपहरण रोकने में कहां तक सहायक होगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) एक्स-रे की सहायता से असबाब की जांच करने वाली प्रणाली इस सिद्धान्त पर काम करती है कि किसी भी बैग में रखे सामान का छायाबिम्ब लघु अवधि के एक्स-रे स्पंद की सहायता से एक प्रदीप्त पर्दे पर उत्पन्न किया जाता है। इस प्रणाली की विशेषताओं में से कुछ ये हैं कि इसकी एक्स किरणें 10 मिली मीटर तक मोटे स्टील से गुजर सकती हैं, इससे 0.15 मिली मीटर तक के

व्यास की तारों का पता लगाया जा सकता है, इसमें चित्र ध्वनि रहित रहता है, प्लास्टिक के सामान का पता लगाने के लिए इसकी ग्रे लेवल क्षमता भी है, इसमें अपनाई गई तकनीक से हथियारों/सोने के बिस्कुटों का पता लगाया जा सकता है और इसे काम में लाने वालों पर एक्स-रे का प्रभाव बहुत कम पड़ता है जिससे वे सुरक्षित रहते हैं।

(ग) आशा है कि इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड में स्वदेशी स्तर पर इस प्रणाली का उत्पादन जून, 1987 से होने लगेगा। इस प्रणाली का उपयोग सुरक्षा सम्बन्धी जांच तथा सामग्री की जांच के लिए किया जा सकता है जिससे उग्रवादियों की गतिविधियों की रोकथाम हो सकती है।

कबाड़ (स्क्रैप) के रूप में बेचे गए जहाजों पर शुल्क में राहत

349. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कबाड़ (स्क्रैप) के रूप में बेचे गये जहाजों पर शुल्क में राहत देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक आदेश जारी किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) कबाड़ (स्क्रैप) के रूप में बेचे गए जलयानों के लिए राजकोषीय सहायता दिए जाने के सम्बन्ध में कुछेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आगामी बजट को ध्यान में रखते हुए, इन प्रस्तावों के प्रति सरकार की, इस स्तर पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाना सम्भवनहीं हैं।

"बंजर भूमि में ईंधन लकड़ी और चारे के बागान लगाना"

350. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का बंजर भूमि में ईंधन की लकड़ी और चारे के बागान लगाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) चालू वर्ष में, विशेष रूप में महाराष्ट्र राज्य में, कितनी भूमि में ईंधन की लकड़ी और चारे के बागान लगाए जाएंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार ने प्रति वर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि में जलाने की लकड़ी और चारे की पौधरोपण के लक्ष्य से राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की है।

(ख) चालू वर्ष 1986-87 के दौरान राज्य सरकारों के जरिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के द्वारा संचालित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत सामान्यतः जलाने की लकड़ी और चारे की पौधरोपण किए जाने वाला क्षेत्र अनुमानतः 1.71 मिलियन हेक्टेयर है। 1986-87 के दौरान महाराष्ट्र में कवर किया जाने वाला अनुमानित क्षेत्र लगभग 0.12 मिलियन हेक्टेयर है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के लिए मैसर्स बाटा इण्डिया लि० पर जुर्माना

351. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1986 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड पर किया गया जुर्माना वसूल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के सिलसिले में मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड, तथा उसके दो कार्यकारी अधिकारियों पर कुल 11,23,000 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। कम्पनी तथा उसके दो कार्यकारी अधिकारियों से अर्थदण्ड की उक्त सम्पूर्ण राशि की वसूली कर ली गई है।

"गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन-भूमि का उपयोग करना"

352. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री सुभाष यादव :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाई गई वन भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग करने हेतु प्रत्येक राज्य से कितने अनुरोध पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उक्त अनुरोध पत्रों पर क्या निर्णय लिए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित भूमियों को परिवर्तित करने की अनुमति दी गई थी :—

वर्ष		हेक्टेयर में परिवर्तित वन भूमि
1984	—	7837.59
1985	—	10608.07
1986	—	11963.11

(ख) और (ग) सूचना निम्न प्रकार से है :—

1-1-84 से 31-12-86 तक प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	1386
अनुमोदित	602
अनुमोदित नहीं किए गए	197
वापस किए गए	42
विभाग के पास निर्णय के लिए लम्बित	23
राज्य सरकारों द्वारा जरूरी सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण बन्द किए गए	522

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की जालंधर और अमृतसर स्थित शाखाओं द्वारा दिए गए जाली ऋण

353. श्री धर्मपाल सिंह मलिक :
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री पी० मानिक रेड्डी :
श्री प्रकाश चन्द्र :
श्री सुभाष यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक की जालंधर तथा अमृतसर स्थित शाखाओं में कार्यरत कुछ अधिकारियों ने ट्रकों के नकली चैसिस नम्बरों पर ऋण देकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन ऋणों के परिणामस्वरूप उक्त बैंक को अनुमानतः कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बताया है कि पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1984, 1985 और 1986 में उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर/फर्जी व्यक्तियों के नाम दिए गए ट्रक ऋणों/अग्रिमों के सम्बन्ध में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में पंजाब एण्ड सिंध बैंक की अमृतसर और जालंधर स्थित शाखाओं के अधिकारियों के खिलाफ तीन मामले दर्ज किए। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह भी बताया है कि इन तीनों मामलों में दिए गए अग्रिमों के परिणामस्वरूप बैंक को अनुमानतः 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

(ग) और (घ) ब्यूरो ने बताया है कि जबकि एक मामले में जांच चल रही है, दो अन्य

मामलों में सम्बन्धित बैंक अधिकारियों को बड़ा दण्ड देने के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है और बाहरी व्यक्तियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दर्ज किए गए हैं।

तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की चिकनाहट से प्रदूषण

354. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री एम० रघुमा रेड्डी :
श्री सुभाष यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर और अरब महासागर में जहाजों से निकलने वाली तेल की चिकनाहट देश के तटवर्ती क्षेत्रों में परिस्थितिकीय सन्तुलन के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले प्रदूषण का मुख्य स्रोत है;

(ख) क्या इस प्रकार छोड़े गए तेल के परिणामस्वरूप समुद्री-खाद्य पदार्थों में कमी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी नहीं, श्रीमान। अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण के टैंकर मार्गों के साथ-साथ रिकार्ड की गई तेल की चिकनाहट की सान्द्रता निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है। इसलिए, जहाजों से निकलने वाला तेल प्रदूषण का मुख्य स्रोत नहीं है।

(ख) उपलब्ध वैज्ञानिक सूचना से जहाजों से निकलने वाले तेल और समुद्री-खाद्य पदार्थों में कमी होने के बीच किसी सीधे सम्बन्ध की पुष्टि नहीं होती।

(ग) मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 के अधीन, सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तेल का विसर्जन वर्जित है। उल्लंघन करने पर कठोर दण्ड की व्यवस्था है।

महानगर टेलीफोन निगम और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा जारी ऋण-पत्रों के बारे में जनता की प्रतिक्रिया

355. **श्री बीरेन्द्रसिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन द्वारा जारी ऋण-पत्रों की जनता ने बहुत कम खरीद की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बड़ी संख्या में इसकी खरीद की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी नहीं। स्वीकृतियों और संग्रहीत राशि के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपए)

	स्वीकृतियां	जनता में संग्रहीत राशि	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से संग्रहीत राशि
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	150	124.0	259.00
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड	120 (वित्तीय संस्थाओं के लिए 60 करोड़ रुपए सहित)	193.0	258.00

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने भारी निवेश किया है : इनमें से कुछ इन बांडों को यथासमय जनता को जारी करने का विचार रखते हैं।

(ग) शायद, क्योंकि बांडों में निवेश लाभदायक है।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से रेडियोधर्मी पेन्सिल का गुम हो जाना

356. डा० चिन्ता मोहन :
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :
डा० वी० एल० शैलेश :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र से एक रेडियोधर्मी पेन्सिल दिसम्बर, 1986 से गुम है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) जनता को इस पेन्सिल के प्रभाव से सम्भावित खतरे से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग से कोई सहायता ली जाएगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को सेवा से निकाला जाना

357. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के राज्यवार कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया, सेवा से निकाला गया और दण्ड दिया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बम्बई और दिल्ली में सीमा-शुल्क अधिकारियों के घरों पर छापे

358. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पालम और बम्बई हवाई अड्डों पर नियुक्त सीमा-शुल्क अधिकारियों तथा कर्मचारियों के घरों पर उनकी आय से अधिक अनुपात में परिसम्पत्तियां रखने आदि की जांच करने के लिए कभी छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 1986 के दौरान दिल्ली हवाई अड्डे पर सीमा-शुल्क अधिकारियों के पास सामान जमा कराए जाने के बाद सामान की चोरी होने के अनेक मामले सामने आए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली तथा बम्बई के सीमा-शुल्क विभाग के 10 कर्मचारियों के परिसरों की तलाशियां ली थीं। ये तलाशियां इन कर्मचारियों द्वारा अपनी आय के अनुपात से अधिक परिसम्पत्तियां धारित करने के सिलसिले में ली गई थीं। इन तलाशियों के दौरान जिन चल/अचल परिसम्पत्तियों का पता चला, उनका कुल मूल्य 36 लाख रु० था ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(च) सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा सभी भांडागारों की और इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली के प्रवेश और निकासी के द्वारों की निवारक-जांच की जाती है। भांडागारों में कार्यरत कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी निगरानी रखी जाती है । इसके अतिरिक्त, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकस्मिक जांच भी की जाती है ।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों को सुविधाएं प्रदान करने वाली एजेंसी

359. **श्री पी० एम० सईद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अनिवासी भारतीयों को देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक एजेंसी स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु अनिवासी भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को निवेश में प्रक्रियात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; और

(घ) क्या सरकार सिंगल विंडो योजना से सन्तुष्ट है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक योजनाएं लागू करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) भारतीय निवेश केन्द्र को जो कि वित्त मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत एक स्वायत्त अभिकरण है, अनिवासी भारतीय और विदेशी निवेश के लिए सम्पर्क अभिकरण की संज्ञा दी गई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके छह समुद्रपारीय कार्यालय, न्यूयार्क, लन्दन, फ्रैंकफर्ट, आबूधाबी, टोकियो और सिंगापुर में स्थित हैं। अनिवासी भारतीय निवेश नीति, लाइसेंसिंग नीति और आयात-निर्यात नीति के सम्बन्ध में समस्त जानकारी पैम्फलेटों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि द्वारा सम्भावित अनिवासी (एन० आर० आई०) निवेशकों को दी जाती है। अनिवासी भारतीयों द्वारा भेजे गए औद्योगिक प्रस्तावों, पर औद्योगिक अनुमोदनों और राज्य सरकारों के अनुमोदनों के लिए सचिवालय द्वारा कार्यवाही की जाती है।

(ग) और (घ) अनिवासी भारतीयों के सम्मुख आने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी बाधाओं को दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए गए हैं। प्रदान की जा रही एकस्थलीय सेवा से सरकार सन्तुष्ट है। इसके अलावा, आवश्यकतानुसार सतत आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रोनिक नीति का कार्यान्वयन

360. **श्री पी० एम० सईद** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिकों के क्षेत्र में दिए गए प्रोत्साहनों से अपेक्षित परिणाम मिले हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रॉनिकी नीति के कार्यान्वयन में कतिपय खामियां पाई गई हैं; और

(ग) उन खामियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। मोटे तौर पर प्रोत्साहनों से अपेक्षित परिणाम मिले हैं।

(ख) और (ग) जब कभी आवश्यकता पड़ती है तो नीति में समय-समय पर सुधार एवं संशोधन किया जाता है।

पेंशनभोगियों के सम्बन्ध में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय

361. श्री पी० एम० सईद :
श्री मानिक रेड्डी :
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक सरकारी पेंशनभोगियों से सम्बन्धित चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग दो पर विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों के कब तक लागू हो जाने की सम्भावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) पेंशनभोगियों से सम्बन्धित चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के भाग II पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और इन सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय घोषित किए जाने की सम्भावना है।

सीमा-शुल्क अधिकारियों को पुरस्कार

362. श्री पी० एम० सईद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान विभिन्न स्थानों पर गैर-कानूनी माल पकड़ने पर सीमा-शुल्क और अन्य अधिकारियों को अब तक कितनी धनराशि पुरस्कार के रूप में दी गई है; और

(ख) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें अच्छा कार्य करने के लिए प्रशस्ति प्रमाण-पत्र और पदोन्नतियां दी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1986-87 (15-2-1987 तक) के दौरान विभिन्न स्थानों पर शुल्क-अपवंचन के पता लगाए गए/पकड़े गए मामलों के लिए सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में उत्तरदायी सीमा-शुल्क विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अधिकारियों को मंजूर किए गए पुरस्कारों की कुल राशि लगभग 6.54 करोड़ रु० है।

(ख) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के 158 अधिकारियों को वर्ष 1986-87 के दौरान अच्छा कार्य करने के लिए प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए गए हैं।

विभाग में किसी भी अधिकारी को शुल्क-अपवंचन के मामलों को पकड़ने/पता लगाने के कार्य में निभाई गई उसकी भूमिका मात्र के आधार पर ही पदोन्नत नहीं किया जाता है। तथापि, किसी भी अधिकारी की पदोन्नति उसकी गोपनीय चरित्र पंजिका में दर्शाए गए उसके समग्र कार्य-निष्पादन तथा आचरण के आधार पर की जाती है।

आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय/निवेश

363. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति निवेश दर क्या थी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर कितनी थी;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से कम थी; और

(ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति व्यक्ति आय और निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) आन्ध्र प्रदेश में राज्य की छठी योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति निवेश 578 रु० था। प्रति व्यक्ति आय वर्तमान कीमतों पर 1980-81 में 647 रु० से बढ़कर वर्ष 1984-85 में 705 रु० हो गई।

(ख) उपर्युक्त निवेश छठी योजना की अवधि में अखिल भारतीय औसत से कम था। राज्य की प्रतिव्यक्ति आय, 1981-82 को छोड़कर जब अखिल भारतीय स्तर से मामूली सी अधिक थी, अखिल भारतीय स्तर की अपेक्षा कम थी।

(ग) आन्ध्र प्रदेश की सातवीं योजना का परिव्यय 5,200 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है जो छठी योजना के 3,100 करोड़ रु० के परिव्यय की अपेक्षा 67.7 प्रतिशत अधिक है। राज्य की योजना में गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों, रोजगार सृजन, सिंचाई और अन्य उत्पादनकारी और आय सृजित करने की स्कीमों पर बल दिया गया है।

वायुमण्डलीय स्थिति का अध्ययन

364. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "वायुमण्डलीय स्थिति" का अध्ययन करने के लिए पूर्णत: स्वदेशी रेडार लगाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) क्या इस परियोजना का कार्य शुरू हो गया है और यदि हां, तो इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां।

(ख) एक उच्च शक्ति, संसक्त, स्पन्द डॉप्लर राडार, जो अत्यन्त उच्च आवृत्ति (वी०एच० एफ०) बैण्ड में परिचालित है तथा जिसे मध्यमण्डल, समतापमण्डल और क्षोभमण्डल (एम०एस०टी०) राडार के नाम से जाना जाता है, को तिरूपति के निकट राष्ट्रीय सुविधा के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस राडार को, गुरुत्व तरंगों और प्रक्षोभ की त्रिआयामीय संरचना, क्षोममण्डलीय पवन प्रोफाइल, क्षोममण्ड-समतापमण्डल अन्योन्यक्रिया इत्यादि जैसे विविध वायुमण्डलीय अध्ययनों के लिए 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई की रेंज पर वायुमण्डल के अन्वेषण के लिए एक अनुसन्धान साधन के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है।

यह राष्ट्रीय सुविधा एक बहु-विभागीय/एजेन्सी की वित्तीय सहायता से चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें अन्तरिक्ष विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। इस राडार प्रणाली के डिजाइन, विकास और प्रचालन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की अनुप्रयुक्त माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी अनुसंधान सोसायटी (समीर) को ठेका दिया गया है। यह एक स्वदेशी प्रयास है तथा केवल ऐसे महत्वपूर्ण उपकरणों/उप-प्रणालियों का ही आयात किया जायेगा, जो देश में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत तथा आबंटित धनराशि 730 लाख रुपये है, जिसमें विदेशी मुद्रा की राशि 155 लाख रुपये है।

(घ) जी, हां। इस राष्ट्रीय सुविधा के 1991 के मध्य में चालू होने की सम्भावना है।

देश में मूल्य-स्थिति

365. श्री एच० एम० मन्जे गौडा :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री एस० एम० गुरुडी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1986 के दौरान कुछ वस्तुओं के मूल्यों में मौसमी गिरावट के बावजूद कुल मिलाकर मूल्य-स्थिति चिंताजनक बनी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या नवम्बर के महीने में औसत सरकारी मूल्य सूचकांक, 1985 में इसी महीने की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक थी;

(ग) क्या दिसम्बर, 1986 और जनवरी, 1987 में इसमें और वृद्धि हो गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, और उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) नवम्बर, 1985 की तुलना में नवम्बर, 1986 महीने का औसत थोक मूल्य सूचक अंक 6.3 प्रतिशत अधिक था।

(ग) और (घ) कृषि और विनिर्मित खाद्य मदों जैसे कि खाद्यान्न, फल तथा सब्जियां, मसाले और गरम मसाले, चीनी, खाण्डसारी तथा गुड़ की कीमतों में कमी आने के फलस्वरूप नवम्बर, 1986 और जनवरी, 1987 के बीच (नवीनतम उपलब्ध) सूचक अंक में 0.2 प्रतिशत की कमी हुई।

सरकार की मुद्रास्फीति विरोधी नीति में मांग और पूर्ति के प्रभावी प्रबन्ध पर बराबर जोर दिया जाना जरूरी है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जाना, खाद्य तेलों का विनियमित रूप में निर्गम किया जाना और अर्थव्यवस्था में से नकदी बाहुल्य को सफेटना शामिल है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को यह परामर्श दिया है कि वे मुनाफाखोरी, जमाखोरी और काला बाजारी करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें।

केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूले में संशोधन

366. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री एस० एम० गुरुड्डी :
श्री उत्तम राठौड़ :
श्री राम स्वरूप राम :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के आवंटन सम्बन्धी गाडगिल फार्मूले में संशोधन किया जा रहा है;

(ख) क्या योजना आयोग ने वर्तमान फार्मूले में आवश्यक परिवर्तनों के सुझाव देने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति गठित की है; और

(ग) यदि हां, तो इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयकर विभाग द्वारा दिसम्बर, 1986 में मारे गए छापे

367. श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने 32 मकानों और व्यापार परिसरों पर छापे मारे हैं और 60 लाख रुपये की आय का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) इन छापों के दौरान कुल कितनी धनराशि का सामान और नकदी पकड़ी गई है; और

(घ) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) आयकर विभाग ने दिसम्बर, 1986 में 588 तलाशियां ली थीं, जिनमें प्रथम दृष्टया नकद, आभूषणों और अन्यों सहित 719.15 लाख रु० की परिसम्पत्तियां पकड़ी गयी थीं ।

(घ) इन सभी मामलों में आयकर अधिनियम के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

आरक्षित धन और धन की अधिक उपलब्धता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के विचार

368. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वर्ष 1985-86 की अवधि में अर्थव्यवस्था में आरक्षित धन की मात्रा काफी थी और धन की उपलब्धता की विकास दर भी काफी अधिक थी;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1984, 1985 और 1986 के दौरान आरक्षित धन और धन की उपलब्धता के विकास के बारे में स्थिति क्या थी;

(ग) क्या वर्तमान दर को सन्तोष-प्रद माना गया है और क्या इससे मुद्रास्फीति बढ़ने की सम्भावना नहीं है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या एहतियाती उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी करेंसी और वित्त, 1985-86 रिपोर्ट के खण्ड-1 (पृष्ठ 154) में यह उल्लेख किया है कि :—

> "पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रारक्षित मुद्रा में अधिक मात्रा में वृद्धि होने तथा समस्त नकदी (एम 3) की वृद्धि की दर ऊंची होने के कारण 1985-86 मे ऋण नीति का आधारभूत लक्ष्य नकदी की समस्त वृद्धि को 1984-85 की वृद्धि की दर की अपेक्षा कम दर पर नियंत्रित करना था ।"

(ख) 1983-84, 1984-85, 1985-86 और 1986-87 (2 जनवरी, 1987 तक) के दौरान प्रारक्षित मुद्रा और समस्त नकदी (एम 3) में वृद्धि के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित में प्रतिशत घटबढ़

	प्रारक्षित मुद्रा	एम 3
1983-84	25.5	18.1
1984-85	21.5	18.9
1985-86 (अ)	8.3	15.9
1986-87 (अ) (2 जनवरी, 1987 तक)	8.3	15.7

अ—अनन्तिम

टिप्पणी—सरकारी खातों के बन्द होने के पश्चात 31 मार्च के आंकड़ों के आधार पर घट-बढ़ निकाली जाती है।

(ग) और (घ) प्रारक्षित मुद्रा और एम 3 में वृद्धि की लगातार पुनरीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक होता है सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। चालू वर्ष में किए गए उपायों को 1986-87 की आर्थिक समीक्षा में दिया गया है, जो 24 फरवरी, 1987 को संसद में प्रस्तुत की गई है।

"थार रेगिस्तान"

369. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाल थार रेगिस्तान निरन्तर बढ़ता जा रहा है और इस समय इसका क्षेत्र 50 वर्ष पहले की तुलना में बहुत अधिक बढ़ गया है;

(ख) क्या इसके कहीं-कहीं विद्यमान हरियाली वाले क्षेत्रों में लोगों के आकर बस जाने के कारण ऐसा हुआ है और इससे इस क्षेत्र का नाजुक परिस्थितिक सन्तुलन बिगड़ गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस रेगिस्तान का बढ़ना रोकने और इसे हरे-भरे क्षेत्र में बदलने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर द्वारा किए गए समन्वित अनुसन्धान और उपग्रह बिम्बावली के विश्लेषण के परिणाम इस अभिप्राय का समर्थन नहीं करते हैं कि थार मरुस्थल निरन्तर बढ़ता जा रहा है। तथापि, मरुस्थल क्षेत्र में मानव और पशुओं की संख्या में वृद्धि के कारण अति-दोहन और अवसरवादी भूमि-प्रयोग प्रवृत्तियों की वजह से मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले संसाधन विनाश का संकेत दे रहे हैं।

(ग) कई विभागों द्वारा मरुस्थलीकरण नियन्त्रण उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें से ग्रामीण विकास विभाग की एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी० डी० पी०) सबसे महत्वपूर्ण है।

जल निकासी योजना को स्वीकृति

370. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कोसी और गन्डक कमान क्षेत्रों में जल निकासी योजनाओं के लिए इस वर्ष 10 करोड़ रु० मंजूर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा को भी इसी तरह का अनुदान दिया जाएगा;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, नहीं। राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋण तथा अनुदान के रूप में दी जाती है और यह अलग-अलग स्कीमों से सम्बन्धित नहीं है। योजना आयोग ने कोसी और गन्डक कमान क्षेत्रों में जल निकासी योजनाओं के लिए इस प्रकार का कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

शहरों में निर्धन व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम

371. **श्री मुरली देवरा** :
श्री श्रीहरि राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों में निर्धन व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम सफल रहा है और आशानुरूप चल रहा है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ग) अब तक कितने लोगों को ऋण मंजूर किए गए हैं और उन्हें कुल कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) शहरी गरीबों के स्व-रोजगार का कार्यक्रम 1981 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों में रहने वाले शहरी गरीबों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के वास्ते पहली सितम्बर, 1986 को शुरू किया गया था जिनकी पारिवारिक मासिक आय 600 रुपये से अधिक न हो। कार्यक्रम के प्रति हिताधिकारियों की प्रतिक्रिया काफी अनुकूल रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शहरी गरीबों के स्व-रोजगार

कार्यक्रम के अन्तर्गत 4.83 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 1.30 लाख आवेदन पत्र मंजूर किए गए और 1.10 लाख मामलों में 32.18 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया।

शहरों में निर्धन व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु योजनाएं

372. **श्री मुरली देवरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों में निर्धन व्यक्तियों को राहत पहुंचाने हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार के कार्यक्रम से है, जो 1 सितम्बर, 1986 से शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम 1981 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की आबादी वाले उन शहरों/नगरों में लागू किया गया है, जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नहीं आते। वे व्यक्ति जिनकी मासिक आय 600 रुपए से अधिक नहीं है, इस कार्यक्रम के अधीन अधिक से अधिक 5,000 रुपए की सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ताकि वे इस रकम से लाभप्रद आर्थिक धन्धा शुरू कर सकें। इस कार्यक्रम के अधीन उन्हें 25 प्रतिशत की पूंजीगत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अधीन 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण दिए जाते हैं और ये ऋण तीन महीने की प्रारम्भिक रियायती अवधि के बाद 33 मासिक किस्तों में चुकाये जाने होते हैं। चालू वर्ष के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों में, 1981 की जनगणना के अनुसार, प्रत्येक 300 की आबादी के पीछे एक हिताधिकारी को सहायता प्रदान की जाएगी।

(ख) यह कार्यक्रम चालू वित्तीय वर्ष में ही शुरू किया गया है। ऋणकर्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों के आर्थिक सहायता के भाग की पूर्ति के लिए 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है।

(ग) चूंकि यह कार्यक्रम सितम्बर, 1986 में शुरू किया गया है, इसलिए वर्ष 1986-87 में प्राप्त परिणाम वित्तीय वर्ष के अन्त में ही उपलब्ध हो सकेंगे।

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की उनके मूल संवर्ग में वापसी

373. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के स्तर के कितने अधिकारियों को राज्य सरकार के अन्तर्गत उनके मूल संवर्ग में वापस भेजा गया है तथा उन्होंने केन्द्रीय सरकार में कितनी अवधि तक सेवा की है;

(ख) केन्द्रीय सरकार की सेवा में उनकी तात्पर्य अवधि कितनी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर आए उन अधिकारियों की संख्या कितनी है, जिनकी सेवा की अवधि को इसी अवधि में बढ़ाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ग) केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधीन वर्ष 1985 और 1986 के दौरान केन्द्र में संयुक्त सचिव और इससे ऊपर के पदों पर सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के कुल 111 अधिकारियों को उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया गया था। इनमें से 20 अधिकारियों के कार्यकाल में प्रशासनिक कारणों तथा लोक हित की दृष्टि से वृद्धि की गई थी।

(ख) विभिन्न पदों पर, कार्यकाल की सामान्य अवधि निम्न प्रकार है :—

(1) संयुक्त सचिव स्तर : 5 वर्ष

(2) अपर सचिव स्तर :

(i) राज्य/संवर्ग से सीधे ही अपर सचिव के पद पर नियुक्त हुए अधिकारियों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

(ii) अपर सचिव के पद पर पदोन्नत हुए संयुक्त सचिवों के मामलों में, संयुक्त सचिव-एवं-अपर-सचिव का संयुक्त कार्यकाल 5 वर्षों का होना चाहिए, परन्तु कार्यकाल में इस तरह की वृद्धि दी जाएगी ताकि अधिकारी को अपर सचिव के पद पर कम से कम 3 वर्ष का समय मिले। इसलिए संयुक्त सचिव एवं अपर सचिव के पद पर 5 वर्षों के समाप्त होने पर या अपर सचिव के पद पर 3 वर्षों की सेवा करने के पश्चात्, इनमें से जो भी बाद में हो, कार्यकाल की समाप्ति होगी।

(iii) निर्धारित न्यूनतम अवधि समाप्त करने के पश्चात्, 2 वर्षों की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को मूल संवर्ग में वापस नहीं भेजा जाएगा।

सचिवों के लिए कोई कार्य अवधि नहीं है।

प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट

374. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री डी० एन० रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपए के मूल्य में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो रुपए के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी आने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने रुपए के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में और गिरावट न आने देने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) पिछले एक वर्ष के दौरान, मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय करेंसियों की तुलना में रुपए की विनिमय दरें निम्नलिखित हैं : —

(विदेशी करेंसी की प्रति इकाई=रुपए)

करेंसी	17-2-86 को विनिमय दर	17-2-87 को विनिमय दर
पौंड स्टर्लिंग	17.60	19.90
संयुक्त राज्य अमरीकी डालर	12.41	13.09
ड्यूश मार्क	5.29	7.19
येन	0.0682	0.0853
स्विस फ्रैंक	6.36	8.52
फ्रांसीसी फ्रैंक	1.72	2.16

(ख) और (ग) रुपए की विनिमय दर उन देशों की करेंसियों की डाली (बास्केट) के मूल्य के सन्दर्भ में निर्धारित की जाती है जो मुख्य रूप से भारत के साथ प्रमुख व्यापारिक भागीदार देश हैं। रुपए तथा अन्य करेंसियों के बीच विनिमय दर में उर्ध्वमुखी अथवा नीचे की ओर होने वाले परिवर्तन इन करेंसियों के मूल्य में होने वाली घट-बढ़ पर निर्भर करते हैं। परिवर्तन विनिमय दरों के युग में, रुपए के विनिमय मूल्य में बार-बार ऐसे परिवर्तन होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है।

केन्द्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के वेतनमान और प्रतिनियुक्ति की अवधि

375. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :**
श्री राधाकांत डिगाल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं और केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव और उच्च अधिकारियों के वरिष्ठ पदों के वेतनमान के सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और केन्द्रीय सेवाओं से केन्द्रीय सचिवालय में प्रतिनियुक्ति से सम्बन्धी मामले में सेवावधि अर्हता में

समानता देने और केन्द्रीय सरकार के समस्त पदों पर समान रूप से पदोन्नत होने के समान अवसर देने का निर्णय किया है; और

(ग) समानता लागू करने की इस योजना का भारतीय प्रशासनिक सेवा के मनोबल पर और जिला स्तर पर टीम भावना से कार्य करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी) : (क) सरकार ने केन्द्रीय समूह (क) सेवाओं/पदों और अखिल भारतीय सेवाओं/पदों के सम्बन्ध में चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को, मोटे तौर पर, कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है। इस बारे में अधिसूचना आदि शीघ्र जारी कर दिए जाने की आशा है।

(ख) और (ग) वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति योजना के अन्तर्गत, सरकार के अधीन वरिष्ठ पदों पर नियुक्तियां, सामान्यतः, इन पदों की कार्यपरक आवश्यकताओं तथा योग्यताओं और चुने गए क्षेत्र में अधिकारी के अनुभव को ध्यान में रखकर, संगठित अखिल भारतीय और केन्द्रीय सेवाओं के उपयुक्त अधिकारियों में से की जाती है। सचिव के स्तर को छोड़कर, इस प्रकार की नियुक्तियां बिल्कुल सावधिक आधार पर की जाती हैं और जिन अधिकारियों ने निर्धारित अवधि पूरी कर ली हो, उन्हें मूल संवर्ग में वापिस लौटना पड़ता है चाहे वे किसी भी सेवा के हों।

[हिन्दी]

चांदनी चौक, दिल्ली में प्रतिबन्धित माल का जब्त किया जाना

377. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1987 के पहले सप्ताह में दिल्ली में चांदनी चौक के कूचा महाजनी क्षेत्र में 35 लाख रुपए मूल्य का प्रतिबन्धित माल जब्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो जब्त किए गए माल का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना के आधार पर, राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने दिनांक 5-1-87 को सर्व श्री मुन्ना लाल खण्डेलवाल एवं हरीश वर्मा को रोका तथा उनके कब्जे से विदेशी मूल के सोने के 120 बिस्कुट बरामद किए गए। अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में, कूचा महाजनी, चांदनी चौक स्थित, श्री खण्डेलवाल की दुकान नं० 1162 की तलाशी ली गई थी जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा बरामद की गई। इसी प्रकार, कूचा महाजनी, चांदनी चौक स्थित श्री हरीश वर्मा की दुकान नं० 1168, की तलाशी लेने से 80,000 रु० की भारतीय मुद्रा प्राप्त हुई। 32.9 लाख रु० मूल्य का सोना, 10.8 लाख रुपए की कुल भारतीय मुद्रा तथा 75,000 रु० की एक मारूती कार जब्त की गई थी।

(ग) सर्व श्री हरीश वर्मा तथा मुन्नालाल खण्डेलवाल को उनके सहयोगी सहित गिरफ्तार कर लिया गया था। सहयोगी को जमानत पर रिहा कर दिया गया है जबकि मुख्य अभियुक्त अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

[अनुवाद]

जापान के वित्तीय दल का दौरा

378. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान के एक वित्तीय दल ने जनवरी, 1987 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) दल के दौरे के क्या निष्कर्ष हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) जी हां, जापानी बीमा कम्पनियों और जापानी बैंक के प्रतिनिधियों का एक दल जनवरी, 1987 में भारत आया था। दल की यात्रा का मुख्य उद्देश्य विभिन्न भारतीय संगठनों का येन मूल्यवर्ग में विदेशी मुद्रा उधारों की आवश्यकताओं का निर्धारण करना और इसके साथ ही टोकियो पूंजी बाजार में धन एकत्र करने की उनकी क्षमता पर विचार करना था। दल विभिन्न सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं से मिला और उनके साथ इन विषयों पर विचार-विमर्श किया।

[हिन्दी]

एकाधिकार घरानों द्वारा आयकर का भुगतान

379. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार को एकाधिकार घरानों से गत तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, कितना आयकर प्राप्त हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : 31-12-1984 की स्थिति के अनुसार कुल 157 औद्योगिक घराने थे। इन औद्योगिक घरानों का कर देने के लिए अलग से अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक बड़ा औद्योगिक घराना एक बड़ी संख्या में औद्योगिक कम्पनियों को नियन्त्रित करता है। 31-12-1984 की स्थिति के अनुसार इन कम्पनियों की संख्या लगभग 1613 है। आयकर विभाग के पास ऐसा कोई पृथक रजिस्टर नहीं है जिसमें एकाधिकार और बड़े औद्योगिक घरानों के तथ्य संयुक्त रूप से रखे जाते हों। तथापि यदि माननीय सदस्य इन समूहों से सम्बन्धित किसी विशेष कर निर्धारिती के बारे में सूचना चाहते हों तो वह प्राप्त करके प्रस्तुत की जा सकती है।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स कार्पोरेशन के साधारण शेयरों की खरीद

380. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों तथा वाणिज्यिक बैंकों ने इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन के सार्वजनिक खरीद के लिए जारी किए गए अधिकांश साधारण शेयर खरीद लिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि इन्डो-गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि० द्वारा जारी कुल 80.85 करोड़ रुपए के शेयरों में से कुल 26.12 करोड़ रुपए के शेयर सरकारी वित्तीय संस्थाओं को आबंटित किए गए हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दायर किए गए दावे

381. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1986 तक प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा दिए गए ऋण की वसूली के लिए कुल कितने दावे दायर किए थे और उक्त तारीख तक प्रत्येक बैंक की कुल कितनी राशि इसमें अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋणों की तेजी से वसूली करने के लिए विशेष कानून बनाने और विशेष न्यायालयों का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) दिसम्बर, 1985 के अन्त में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सम्बन्ध में अदालतों में दायर किए गए मामलों और डिक्री शुदा खातों की कुल संख्या तथा उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) अपनी अतिदेय राशियों की वसूली के वास्ते बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों के अतिरिक्त सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की अतिदेय राशियों की तेजी से वसूली करने के वास्ते एक विशेष कानून तैयार करने पर विचार कर रही है।

विवरण

बैंक का नाम	अदालतों में दर्ज मामलों और डिक्री शुदा खातों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
इलाहाबाद बैंक	11869	5861.80
आन्ध्रा बैंक	8208	2547.57

1	2	3
बैंक आफ बड़ोदा	34069	108.16
बैंक आफ महाराष्ट्र	21962	9822.45
बैंक आफ इण्डिया	45308	12936.31
केनरा बैंक	146063	12103.59
सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	43639	26455.00
कार्पोरेशन बैंक	4705	2401.72
देना बैंक	19531	5999.76
इण्डियन बैंक	94178	9946.24
इण्डियन ओवरसीज बैंक	32869	5503.00
न्यू बैंक आफ इण्डिया	2946	3682.74
ओरियण्टल बैंक आफ कामर्स	1457	2160.00
पंजाब एण्ड सिंध बैंक	3295	5923.57
सिंडिकेट बैंक	76535	13450.00
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	47417	11974.13
यूको बैंक	157	8150.00
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	366	4720.73
विजया बैंक	4354	3139.00
	598955	146785 77
भारतीय स्टेट बैंक	362673	69356,00
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	9137	2004.06
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	23533	3216.34
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	2727	1877.72
स्टेट बैंक आफ मैसूर	16466	1840.79
स्टेट बैंक आफ पटियाला	4280	1432.50
स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	6523	2354.38
स्टेट बैंक आफ त्रावणकौर	45769	2637.37
	471108	84719.16
कुल जोड़ :	1070063	231404.93

केरल में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखाएं खोलना

382. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो केरल में कितनी शाखाएं खोलने का विचार है; और

(ग) इस समय केरल में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की कितनी शाखाएं स्थित हैं तथा ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर स्थित हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि अर्नाकुलम में उसका एक शाखा कार्यालय है । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि त्रिवेन्द्रम में उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय है ।

"नागार्जुन सागर परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति देना"

383. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर परियोजना के अन्तर्गत लिफ्ट सिंचाई नहर के निर्माण के लिए कुछ वन क्षेत्र को साफ करने के लिए सरकार की स्वीकृति अपेक्षित है;

(ख) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से नागार्जुन सागर परियोजना की समस्त नहर प्रणाली के सम्बन्ध में समेकित प्रस्ताव तैयार करने में होने वाली कठिनाइयों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेगी क्योंकि केन्द्र की स्वीकृति न मिलने के कारण नागार्जुन सागर परियोजना बाई नहर का निर्माण रुका हुआ है; और

(घ) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने खम्माम और कृष्णा जिलों के वन क्षेत्रों के लिए आठ योजनाएं तैयार की हैं तथा उन्हें केन्द्रीय सरकार को भेज दिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) राज्य सरकार से वांछित सूचना के प्राप्त होते ही निर्णय लिया जाएगा।

(घ) राज्य सरकार से 16 स्कीमें प्राप्त हुई हैं।

"प्रदूषण नियंत्रण के लिए आन्ध्र प्रदेश को केन्द्रीय सहायता"

384. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने कोलेरू झील को और अधिक प्रदूषित होने से रोकने के लिए और तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण पर नियंत्रण रखने हेतु राज्य सरकार द्वारा विकास प्राधिकरण स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां। कोलेरू झील के सम्बन्ध में पारिस्थितिकी अध्ययनों के लिए आन्ध्र प्रदेश शोर एरिया डिब्लपमेंट अथारिटी से दिसम्बर, 1986 में एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जिसमें 70.40 लाख रुपये की सहायता मांगी गई थी। इन अध्ययनों में झील के हाइड्रोलाजीकल, बायोलोजिकल और प्रदूषण पहलुओं सम्बन्धी अनुसंधान कार्यक्रम शामिल हैं।

सरकार द्वारा कम-मूल्य आंकी गई सम्पत्ति की खरीद

385. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** :
श्री शान्ती धारीवाल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर अपवंचन को रोकने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कम मूल्य आंकी गई कुल कितनी सम्पत्ति की खरीद की गई है;

(ख) क्या इस प्रकार की खरीद को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) अन्तरण के कतिपय मामलों में अचल सम्पत्तियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा खरीदने से सम्बन्धित आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय XXग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास चार महानगरीय शहरों में 1-10-1986 से लागू है। 31-12-1986 तक, इन उपबन्धों के अन्तर्गत 71 मामलों में खरीद के आदेश दिए गए हैं। इनमें से अब तक खरीद के 61 आदेशों को इन चार नगरों में स्थित उच्च न्यायालयों के समक्ष रिट याचिकाएं दायर करके चुनौती दी गई है।

समुद्री सम्पत्ति की खोज के लिए अलग स्वायत्त निगम स्थापित करना

386. **श्री मोहन भाई पटेल :**
श्री चिन्तामणि जेना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक अलग स्वायत्त निगम या आयोग स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है;

(ग) समुद्री सम्पत्ति का पता लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) इसमें क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) समुद्री सम्पत्ति के वाणिज्यिक उपयोग के लिए एक अलग स्वायत्त निगम या आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अपतट क्षेत्रों से तेल और गैस सहित हाइड्रोकार्बनों का उपयोग करने में संलग्न है । समुद्री मात्स्यकी का दोहन विभिन्न राज्य मत्स्य निगमों तथा निजी एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है । समीप एवं अपतट क्षेत्रों में प्लेसर भंडारों का उपयोग इण्डियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है । गहरे समुद्र तल क्षेत्र में बहुधात्विक पिंडिकाओं की पहचान कर ली गई है और इन पिंडिकाओं से मैंगनीज, तांबा, निकल तथा कोबाल्ट के निष्कर्षण पर अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रगति पर है ।

[हिन्दी]

आयकर सम्बन्धी छापे

387. **श्री मूल चन्द डागा :**
श्री दिलीप सिंह भूरिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान आयकर और काले धन से सम्बन्धित मारे गये कुल छापों का माहवार ब्योरा क्या है; और उनसे सरकार को प्राप्त कुल निवल राजस्व का ब्योरा क्या है;

(ख) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जो अभी अनिर्णीत पड़े हुए हैं तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है, जो झूठे साबित हुए हैं; और

(ग) छापा मारने वाले व्यक्तियों तथा सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर विभाग ने वर्ष 1986 में निम्नानुसार तलाशियां लीं :—

मास	तलाशियों की संख्या	पकड़ी गई प्रथम दृष्टया लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों का सम्भाव्य मूल्य (लाख रुपयों में)
	1986	1986
जनवरी	688	643.81
फरवरी	513	667.78
मार्च	290	480.42
अप्रैल	391	291.99
मई	304	379.80
जून	208	269.43
जुलाई	450	420.34
अगस्त	583	714.19
सितम्बर	998	2033.33
अक्तूबर	1120	1543.20
नवम्बर	631	933.95
दिसम्बर	588	719.15

(ख) आय कर विभाग द्वारा 1-1-1986 से 31-12-1986 तक की अवधि के दौरान चलाए गए मुकदमों की संख्या 4411 हैं और इनमें से कोई भी मामला न्यायालयों द्वारा खारिज नहीं किया गया है।

(ग) अन्तिम पुरस्कार सभी कर-निर्धारण पूरा हो जाने और अपीलीय कार्यवाहियां निर्णीत हो जाने पर और उन के परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर वसूल करने के बाद निश्चित किए गए राजस्व के लाभ पर आधारित हैं। इस समय कर-निर्धारणों को पूरा करने के लिए सांविधिक समय-सीमा संगत कर-निर्धारण आदेश के अन्त से दो वर्ष की है।

[अनुवाद]

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बंगलौर में हुई बैठक

388. श्री मूल चन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास की स्थिति के बारे में आलोचना और वैज्ञानिक समुदाय के सुझाव प्राप्त करने के लिए सरकार की ओर से क्या व्यवस्था है;

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के पद छोड़ने वाले अध्यक्ष ने 4 जनवरी, 1987 को अपने विदाई भाषण में भारत में विज्ञान की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ आशंकायें व्यक्त की थीं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के सम्बन्ध में वैज्ञानिक समुदाय के सुझावों और आलोचनाओं को सम्बन्धित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों/संगठनों/सरकारी संस्थानों—परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलैक्ट्रानिक्स, महासागर विकास, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि विभागों द्वारा जांच की जाती है ।

(ख) और (ग) 2 जनवरी, 1987 को हुई भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की 52वीं सामान्य वार्षिक बैठक में अकादमी के निवृत्तमान अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा था कि देश में कुल मिलाकर वैज्ञानिक प्रगति बिल्कुल भी उत्साहजनक नहीं है । औसत वैज्ञानिक का मनोबल और कार्य का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है । उन्होंने यह भी कहा है कि विज्ञान में प्रगति के लिए मौजूदा स्थिति को स्वयं वैज्ञानिक ही बदल सकते हैं और उन्हें समय की मांग को देखते हुए इस चुनौती का सामना करना है ।

(घ) अकादमी के अध्यक्ष ने जो आशंकाएं व्यक्त कीं वे मुख्यत: वैज्ञानिक समुदाय के लिए अपील के रूप में थीं । सरकार, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की लगातार समीक्षा कर रही है तथा समय-समय पर वैज्ञानिकों को उनके कार्य के लिए आवश्यक सुविधाएं तथा प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्रवाही कर रही है ।

बैंकों का ऋण-जमा अनुपात

389. श्री यशवंतराव गडाख पाटिल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 1985 की तुलना में 1986 में कम हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात जो दिसम्बर 1985 के अन्त में 63 प्रतिशत था, दिसम्बर 1986 के अन्त में घटकर 60 प्रतिशत रह गया । ऋण-जमा अनुपात में इस गिरावट का मुख्य कारण यह है कि नकदी आरक्षित अनुपात और सांविधिक नकदी अनुपात की अपेक्षाओं के कारण बैंकों की बढ़ी हुई जमाराशियों में से ऋण देने के लिए उनके पास उपलब्ध स्रोतों की प्रतिशतता वर्तमान ऋण-जमा अनुपात से कम है ।

अधिकाधिक महिलाओं को सिविल सेवाओं में लेने का प्रस्ताव

390. **श्रीमती वसुंधराजेश्वरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अधिकाधिक महिलाओं को सिविल सेवाओं में लेने का विचार है;

(ख) क्या कार्मिक विभाग द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाली महिलाओं की सफलता की दर के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो अध्ययन की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और सिविल सेवाओं में आने के लिए अधिकाधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) सरकार सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से अधिक महिलाओं को सेवा में लेने की इच्छुक है।

(ख) जी, हां।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1983, 1984 और 1985 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती की गई महिला अधिकारियों से सम्बन्धित अध्ययन से निम्नलिखित सूचना मिलती है :—

(i) जबकि सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने वाली महिलाओं की संख्या उस परीक्षा में भाग लेने वाले पुरुषों की तुलना में कम थी किन्तु महिला उम्मीदवारों की सफलता का प्रतिशत पुरुषों से अधिक था।

(ii) अधिकांश महिला प्रत्यर्थी स्नातकोत्तर डिग्रीधारी थी तथा उनमें से लगभग तीन चौथाई ने अपनी उच्चतम परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी।

(iii) प्रत्यर्थियों का लगभग 1/5वां भाग एम० फिल या पी०एच०डी० डिग्रीधारी था।

(iv) समाज शास्त्र और मानविकी शास्त्र में अर्हता रखने वाली प्रत्यर्थियों का प्रतिशत लगभग 83 था।

(v) कुछ अभिभावकों ने अपनी पुत्रियों को सिविल सेवा में जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया था।

(vi) लगभग 3/4 प्रत्यर्थियों ने यह कहा कि उन्होंने सिविल सेवा को मुख्यत: पुरुषों के लिए सुरक्षित क्षेत्र के रूप में समझा था और सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने में महिलाओं के संकोच के पीछे यह एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है।

(vii) सफल महिला अधिकारियों में से अधिकांश महानगरों से हैं।

(viii) महिलाओं ने भारतीय पुलिस सेवा में प्रवेश को प्राथमिकता नहीं दी थी। दूसरी सेवाएं जिनके लिए महिलाओं ने प्राथमिकता नहीं दी थी, वे हैं भारतीय विदेश सेवा, भारतीय रेल यातायात सेवा, भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और उत्पाद)।

(ix) लगभग 85% प्रत्यर्थियों ने बताया कि एक कैरियर के रूप में सिविल सेवा अपनाने वाली महिलाओं के मार्ग की बाधाएं : क्षेत्रीय तैनातियां स्थानान्तरण, दौरे होते हैं।

सिविल सेवाओं में उपलब्ध अवसरों और चुनौतियों के बारे में प्रतिभासम्पन्न पुरुषों और महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से जनसंचार-माध्यमों से प्रचार किया गया था। इस प्रचार में यह बात विशेष रूप से कही गई थी सिविल सेवाओं में महिलाएं पुरुषों के समान की दक्षता-पूर्वक काम कर सकती हैं।

कुछ पैसेंजर कारों के लिए उत्पाद-शुल्क में रियायत

391. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1000 सी० सी० से अधिक पैसेन्जर कारों के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में रियायत वापस लेने के बारे में निर्णय बदल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि रियायत का दुरूपयोग न हो?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकार ने 24 दिसम्बर, 1986 से उन राजकोषीय रियायतों को पुनः बहाल कर दिया है जो 1000 सी० सी० से अधिक की इंजन क्षमता वाली ईंधन दक्ष मोटर कारों को पहले उपलब्ध थीं।

ईंधन दक्षता सम्बन्धी परीक्षण प्रक्रिया को अब और कड़ा बना दिया गया है। इन रियायतों का दुरुपयोग न हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए किए गए पूर्वोपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) परीक्षण एजेन्सी द्वारा ईंधन दक्षता परीक्षण यों ही चुने गए पांच वाहनों पर किए जाएंगे और सब से कम परीक्षण आंकड़ों को परीक्षण प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए आधार माना जाएगा;

(ii) प्रमाण-पत्र छः महीनों की अवधि के लिए वैध होगा;

(iii) ईंधन दक्षता परीक्षण केवल रक्षा मंत्रालय के वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान द्वारा ही किया जाएगा।

रियायतों को स्वदेशीकरण के अनुमोदित चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम के सख्ती से अनुपालन के साथ जोड़ा जाता है।

1986-87 में पता लगाया गया काला धन

392. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने काले धन का पता लगाया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वित्तीय वर्ष 1986-87 में (31-1-1987) तक आयकर विभाग ने 5950 तलाशियां लीं, जिनकी रिपोर्टें उपलब्ध हैं। तलाशियों के परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया 80.83 करोड़ रु० की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गईं। सभी सम्बन्धित कर-निर्धारण पूरे और निर्णीत हो जाने के बाद ही अप्रवंचित कर की कुल राशि का पता चल सकेगा।

योजना लक्ष्यों को पूरा करने हेतु व्यवस्था

393. **श्रीमती बसवराजेश्वरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि सातवीं योजना के लक्ष्य स्थिर मूल्यों पर पूरे किए जा सकें, अपनी व्यवस्था में तेजी लाया है;

(ख) चालू योजना के पहले दो वर्षों में उक्त लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं;

(ग) कौन-कौन सी परियोजनाएं सफल रही हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा किसी नई परियोजना पर भी विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) योजना परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की मानिटरिंग राज्य सरकारों, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा तथा योजना आयोग द्वारा भी की जाती है। केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं से सम्बन्धित योजना आयोग समीक्षा बैठकें सम्बन्धित सदस्यों द्वारा की जाती है। सलाहकार तथा सचिव स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श आयोग में वार्षिक योजना विचार-विमर्श के समय किया जाता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और 20 करोड़ तथा उससे अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं का नेटवर्क विश्लेषण किया जाता है। लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आयोग भी चुनी हुई परियोजनाओं को उद्दिष्ट करता है। इसके अलावा योजना आयोग में राज्य योजना प्रभाग को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजनाओं की वित्तीय तथा प्रत्यक्ष प्रगति को मानिटर करने के लिए प्रभाग के अन्दर ही एक मानिटरिंग सेल को सृजन करके सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ख) से (ङ) वार्षिक योजना 1986-87 दस्तावेज में जिसे 7 नवम्बर, 1986 को सभा पटल पर रखा गया था, वह 1985-86 वार्षिक योजना का निष्पादन तथा चालू 1986-87 वार्षिक योजना, जो अभी तक समाप्त नहीं हुई है, के लक्ष्य दिए गए हैं। पहले दो वर्ष के दौरान योजना परिव्यय/व्यय की प्रगति सतत मूल्यों पर मोटे तौर पर सातवीं योजना लक्ष्यों के अनुरूप

है। जहां तक नई परियोजनाओं का सम्बन्ध है, योजना आयोग योजना में राज्यों/केन्द्रीय मंत्रालयों से प्राप्त नए कार्यक्रमों/स्कीमों को, उनकी प्राथमिकता, आवश्यकता तथा महत्व के साथ-साथ साधनों की उपलब्धता और योजना उद्देश्यों तथा प्राथमिकताओं का सामान्य रूप से पालन करके, समाविष्ट करने पर विचार करता है।

क्रियान्वयन के लिए कार्यवाही योजना

394. **श्री अख्तर हसन :** क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी मंत्रालयों को बीस-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक, छमाही और तिमाही कार्यवाही कार्यक्रम तैयार करने और उनका पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई उक्त कार्यवाही के क्या परिणाम निकले ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं। फिर भी, 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्ष्यों का निर्धारण राज्यों, केन्द्रीय मंत्रालयों और योजना आयोग से परामर्श करके वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। इन लक्ष्यों की प्रगति का प्रबोधन मासिक और त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुपये का मूल्य

395. **डा० दत्ता सामन्त :**
श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आधार पर परिकलित उपभोक्ता मूल्य में परिवर्तन के कारण वर्ष 1960 में रुपये के मूल्य की तुलना में अक्तूबर, 1986 में रुपये का क्या मूल्य था; और

(ख) वर्ष 1986 के अन्त में अमरीकी डालर और पौण्ड की तुलना में भारतीय मुद्रा में कितने प्रतिशत गिरावट आई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचक अंक (आधार 1960=100) के रूप में मापी गई रुपये की क्रय शक्ति अक्टूबर, 1986 में 14.60 पैसे थी।

(ख) पहली जनवरी और 31 दिसम्बर, 1986 के बीच अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की विनिमय दर में 7.9 प्रतिशत और पाउण्ड स्टर्लिंग की तुलना में 9.1 प्रतिशत की गिरावट आई है।

आतंकवाद के कारण होने वाली हानि के बीमे की साधारण बीमा योजना

396. **डा० वसा सामन्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय साधारण बीमा निगम ने आतंकवाद की कार्रवाइयों के कारण होने वाली हानि या क्षति के बीमे की एक योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) जहाजों और वायुयानों के लिए तथा समुद्री अथवा हवाई मार्ग से भेजे जाने वाले माल के लिए दिए जाने वाले बीमा कवच का विस्तार करके उसे आतंकवादी कार्रवाई से होने वाली हानि के सम्बन्ध में पहले ही लागू कर दिया गया है। आतंकवादी कार्रवाई के फलस्वरूप होने वाली हानियां अन्य प्रकार के सामान्य बीमा कारबार के अन्तर्गत शामिल नहीं थीं। किन्तु, पहली जनवरी, 1987 से साधारण बीमा उद्योग ने विभिन्न प्रकार के बीमा कारबार में बंद, हड़ताल और द्वेषपूर्ण क्षति सम्बन्धी जोखिमों के लिए बीमा सुविधा के विस्तार के रूप में आतंकवादी कार्रवाइयों के फलस्वरूप होने वाली हानियों के लिए बीमा सुविधा उपलब्ध करा दी है । एकमात्र कब्जे के अधीन आने वाली इमारत के मामले में एक स्थान पर क्षतिपूर्ति की राशि 2.50 करोड़ रुपए तक सीमित है अथवा यदि इमारत बहुत से लोगों के कब्जे में है तो प्रति बीमित को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि की सीमा 10 लाख रुपए है । दावे की राशि तभी देय होगी जब हानि बीमित राशि के 10 प्रतिशत से अधिक हो या 10,000 रुपए से अधिक हो, दोनों में से जो भी कम हो। जोखिम की बीमित राशि पर 0.3 रुपए प्रति हजार (मिलि) के हिसाब से वार्षिक प्रीमियम पड़ता है बशर्ते कि प्रति जोखिम प्रीमियम की अधिकतम राशि 205 करोड़ रुपए से अधिक बीमित राशि के मामले में 6.25 लाख रुपए से अधिक न हो ।

राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति व्यय

397. **डा० वसा सामन्त** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में कुल कितनी राष्ट्रीय आय हुई;

(ख) वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय आय में औसतन प्रति व्यक्ति कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) वर्ष 1985-86 में प्रति व्यक्ति कितना व्यय किया गया ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय आय के नवीनतम अनुमानों तथा सम्बद्ध समाहारों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर वर्ष 1984-85 और 1985-86 में कुल राष्ट्रीय आय 1,74,018 करोड़ रुपए तथा 1,95,707 करोड़ रुपए थी और स्थिर (1970-71) मूल्यों पर क्रमशः 57,243 करोड़ रुपए और 60,143 करोड़ रुपए थी ।

(ख) वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय आय में औसतन प्रति व्यक्ति वृद्धि वर्तमान मूल्यों पर 10.2 प्रतिशत तथा स्थिर (1970-71) मूल्यों पर 3.0 प्रतिशत थी ।

(ग) वर्ष 1985-86 में प्रति व्यक्ति निजी अन्तिम उपभोग व्यय वर्तमान मूल्यों पर 2168 रुपए तथा स्थिर (1970-71) मूल्यों पर 660 रुपए था ।

थोक मूल्य सूचकांक में वृद्धि

398. डा० वत्सा सामन्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1986 में थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 1985 में इसी महीने की तुलना में कितनी औसत वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसमें कितनी वृद्धि हुई थी; और

(ग) फलों और सब्जियों, तिलहन, खाद्य तेलों, दूध और दुग्ध उत्पादों, तम्बाकू उत्पादों और उर्वरकों के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) औसत थोक मूल्य सूचकांक में दिसम्बर, 1985 की तुलना में दिसम्बर, 1986 में 6.1 प्रतिशत और दिसम्बर, 1984 की तुलना में दिसम्बर, 1985 में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ग) दिसम्बर, 1985 और दिसम्बर, 1986 के लिए विशिष्ट मदों के कीमत सूचकांक नीचे दिए गए हैं :—

(1970-71=100)

मदें	सूचकांक	
	1985	1986
फल तथा सब्जियां	353.9	420.4
दूध और दूध उत्पाद	279.5	302.5
तिलहन	288.5	357.6
खाद्य तेल	297.7	393.9
पेय पदार्थ, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद	320.9	346.4
उर्वरक	262.5	288.8
समस्त वस्तुएं	356.4	378.0(अ)

(अ) अनन्तिम ।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित नगरों में तस्करी

399. श्री मदन पांडेय : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-नेपाल सीमा पर स्थित उन कस्बों की संख्या कितनी है, जिनमें तस्करी को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं;

(ख) वर्ष 1986 के दौरान पकड़े गए विभिन्न किस्मों के सामान की मात्रा तथा मूल्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी को रोकने के लिए किए गए प्रबन्धों का ब्यौरा क्या है और यदि कोई प्रबन्ध नहीं किए गए हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ग) भारत-नेपाल सीमा पर तस्करी-रोधी कार्य निवारक समाहर्तालय, जिसका मुख्यालय पटना में है, देखता है और सीमा के आर-पार तस्करी की रोकथाम के लिए इस क्षेत्र में 76 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(ख) भारत-नेपाल सीमा क्षेत्र में वर्ष 1986 के दौरान पकड़े गए निषिद्ध माल का वस्तु-वार कुल मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वस्तु	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
सोना	24.96
घड़ियां	17.98
संश्लिष्ट फैब्रिक्स और यार्न	73.92
खतरनाक औषधियां	332.43
मुद्रा	18.29
अन्य	427.52
जोड़ :	895.10

"गंगा की सफाई"

400. श्री मदन पांडेय :
श्री मुरलीधर माने :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी की सफाई का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) यद्यपि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कोई कमी नहीं रही है, कार्य की गति को तेज करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उत्तर प्रदेश में जल निगम, बिहार में बिहार राज्य जल एवं जल मल बोर्ड तथा पश्चिम बंगाल में कलकत्ता मेट्रोपोलिटन डेवलेपमेंट अथारिटी की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियों में गंगा कार्य योजना के अधीन स्कीमों को चलाने के लिए अलग इकाइयां स्थापित की गई हैं।

(2) कार्य की प्रगति को समन्वित करने के लिए हरिद्वार-ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना तथा कलकत्ता में परियोजना प्रबन्धक नामित किए गए हैं।

(3) 50 लाख रुपए से अधिक लागत वाली स्कीमों के लिए एक विस्तृत समय-अनुसूची तैयार की गई है और गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा अपने परामर्शदाताओं के माध्यम से कार्य पर सीधे निगरानी रखी जा रही है।

(4) वाराणसी में कार्य के गहन प्रबोधन और समन्वय के लिए एक अलग परियोजना सैल स्थापित किया गया है।

(5) कार्य की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए राज्य सरकारों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की तकनीकी जानकारी के लाइसेंसों के प्रीमियम और रायल्टी में कमी होना

401. **डॉ० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की तकनीक जानकारी के लाइसेंसों पर प्रीमियम और रायल्टी में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान सी० एस० आई० आर० की तकनीकी जानकारियों के लाइसेंस द्वारा प्राप्त की गई प्रीमियम और रॉयल्टी निम्नांकित सारिणी में है। तथापि, तकनीकी जानकारियों द्वारा की गई आय सी० एस० आई० आर० अनुसन्धानों के उत्पादन का केवल एक भाग ही दर्शाती है। अनुबन्ध अनुसन्धान के माध्यम के परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह अनुसन्धान और विकास (आर एण्ड

डी) उत्पादन के एक प्रमुख अंग का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसाकि सारिणी में बताई गई अवधि के सामने दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

वर्ष	रॉयल्टी/प्रीमियम द्वारा आय	अनुबन्ध अनुसन्धान द्वारा नकदी प्रवाह
1983-84	125 8 लाख	1708 लाख
1984-85	62.1 लाख	1490 लाख
1985-86	62.6 लाख	2008 लाख

सोने के मूल्य में वृद्धि

402. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**
श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान देश में सोने के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो जुलाई, 1986 में सोने का मूल्य क्या था;

(ग) जनवरी, 1987 में सोने का बाजार मूल्य क्या था;

(घ) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के मूल्य में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो देश और विदेश में सोने के मूल्य का क्या अनुपात है;

(च) भारत में सोने की वार्षिक अनुमानित मांग कितनी है; और

(छ) सोने की मांग को पूरा करने के लिए सोने की सप्लाई नियमित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है।

कम्प्यूटर सापटवेयर निर्यात हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए निर्यात आयात बैंक की योजना

403. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साफ्टवेयरों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा हाल ही में घोषित कम्प्यूटर नीति के अनुरूप साफ्टवेयरों के निर्यात को वित्तीय सहायता देने के लिए भारत के निर्यात-आयात बैंक ने एक नई योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कम्प्यूटर निर्माताओं को क्या रियायतें दी गयी हैं; और

(ग) इस व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात और विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति के अनुरूप भारतीय निर्यात आयात बैंक ने 8 जनवरी, 1987 से कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात की एक योजना की घोषणा की है । इस योजना के अधीन भारतीय निर्यात आयात बैंक सरलीकृत प्रक्रियाओं के अधीन कम्प्यूटर साफ्टवेयर के पात्र निर्यातकों को हार्डवेयर का आयात करने और विदेशी मुद्रा तथा रुपया सहायता का तुरन्त अनुमोदन करता है । इस योजना के अधीन कम्प्यूटर हार्डवेयर के आयात पर, मूल्यानुसार सीमाशुल्क पर, 50 प्रतिशत की छूट मिल सकती है । कम्प्यूटर साफ्टवेयर के निर्यातक इस सम्बन्ध में सरकार की नीति में दी गई कुछ अन्य सुविधाओं के भी पात्र होंगे । ये सुविधाएं हैं :—(क) अतिरिक्त आयात के लिए निर्यात की अनिवार्य से अधिक साफ्टवेयर के किए गए निर्यात की आमदनी का 30 प्रतिशत जारी करना और 3 वर्ष के लिए इस अधिकार को संचित करने की सुविधा प्रदान करना, (ख) मूल आयातित कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रणालियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 20 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा जारी करना, (ग) विदेशों में बिक्री के खर्च को पूरा करने के वास्ते गत वर्ष में कमाई गई विदेशी मुद्रा की निवल राशि के 30 प्रतिशत तक विदेशी मुद्रा देना, (घ) साफ्टवेयर के निर्यात पर वर्तमान दरों के अनुसार, नकद प्रतिपूर्ति समर्थन की पात्रता प्रदान करना, (ङ) निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, करों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना, (च) टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शन तथा उपग्रह व्यवस्था से जोड़ने की सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करना । लेकिन इस योजना के अन्तर्गत केवल वही निर्यातक लाभ उठा सकेंगे जो भारतीय निर्यात आयात बैंक द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा के 350 प्रतिशत तक का निर्यात करने का जिम्मा लेंगे ।

इसके अलावा, भारतीय निर्यात आयात बैंक अपनी निर्यात विपणन निधि से विदेशों में बिक्री के लिए पात्र खर्चों की लागत के 50 प्रतिशत को पूरा करने के वास्ते साफ्टवेयर निर्यातकों को अनुदान के रूप में विदेशी मुद्रा की सहायता भी प्रदान करेगा ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की पुनरीक्षा करना

404. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् की प्रयोगशालाओं, अनुसन्धान और वैज्ञानिक संस्थानों के कार्य के पुनरीक्षण करने के लिए नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के संस्थानों/प्रयोगशालाओं को विभिन्न मन्त्रालयों और विभागों को अन्तरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास प्रभावित नहीं होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। सी० एस० आई० आर० की समीक्षा समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) से (घ) प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

कर्नाटक में टकसाल सहित सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस के लिए प्रस्ताव

405. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल चयन समिति ने कर्नाटक में टकसाल सहित सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रैस की स्थापना करने के लिए कर्नाटक का दौरा किया है;

(ख) क्या इसके लिए किसी स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने इस परियोजना की सभी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सहमति दे दी है; और

(घ) कर्नाटक में टकसाल सहित सिक्योरिटी प्रैस की कब तक स्थापना किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। करेंसी/बैंक नोटों के उत्पादन के लिए एक नई बैंक नोट प्रैस के स्थान निर्धारण के लिए समिति ने कर्नाटक का दौरा किया। नई बैंक नोट प्रैस की स्थापना के लिए मैसूर को अस्थायी रूप से चुना गया है। कर्नाटक में एक नई टकसाल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) आवश्यक निवेश सम्बन्धी निर्णय, इस समय प्राधिकृत की जा रहीं निवेशपूर्व गतिविधियों पर आधारित व्यौरेवार व्यवहार्यता रिपोर्ट उपलब्ध होने के पश्चात् लिया जाएगा।

उड़ीसा में छोटे रुग्ण उद्योग

406. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त-पोषित अनेक छोटे उद्योग रुग्ण हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1985 के अन्त तक, उड़ीसा राज्य में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्त पोषित 43,351 लघु एककों में से 3,364 एकक रुग्ण थे। बैंक से रुग्ण ऋण खातों की समीक्षा करने और उनमें से सम्भावित अर्थक्षम पाए गए एककों के सम्बन्ध में सभी सम्बद्ध पक्षों के परामर्श से मिले-जुले आवश्यक पुनरुद्धार सहायता कार्यक्रम तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक से प्राप्त जून 1986 की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में रुग्ण एककों की समीक्षा करने पर अब तक 36 एकक सम्भावित अर्थक्षम पाए गए।

विमान यात्रियों से सोना बरामद किया जाना

407. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और पत्तन-वार विमान यात्रियों से पकड़े गए तस्करी के सोने के बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को समुद्र के माध्यम से तस्करी होने के बारे में भी सूचना मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 के दौरान निम्नलिखित हवाई अड्डों से यात्रियों/असबाब/कार्गो से जब्त किए गए सोने का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

हवाई अड्डे का नाम	जब्त किए गए सोने का मूल्य (करोड़ रुपयों में)		
	1984	1985	1986
1	2	3	4
अमृतसर	शून्य	0.01	शून्य
बम्बई	3.43	13.37	12.57
कलकत्ता	0.36	0.76	0.87
दिल्ली	1.30	4.18	4.03

1	2	3	4
हैदराबाद	शून्य	शून्य	0.45
मद्रास	0.90	3.48	3.50
पटना	शून्य	8.01	शून्य
त्रिची	0.01	0.02	0.11
त्रिवेन्द्रम	0.72	2.71	2.60

(ख) और (ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों तथा किए गए अभिग्रहणों से पता चलता है कि हमारे देश की तटीय सीमा का कुछेक क्षेत्र तस्करी की गतिविधियों के लिए सुगम्य क्षेत्र बने हुए हैं। वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 के दौरान, हवाई अड्डों से जब्त किए गए निषिद्ध माल से भिन्न जब्त किए गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष		जब्त किए गए माल का मूल्य
1984	—	94.37
1985	—	171.09
1986	—	187.41

[हिन्दी]

रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का आयात

408. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 और 1986 के दौरान कितनी रंगीन टेलीविजन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि में रंगीन पिक्चर ट्यूबों का स्वदेश में भी निर्माण किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रोनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के आधार पर रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का आयात किया जाता है। वर्ष 1985 तथा 1986 के दौरान ऐसी जिन ट्यूबों का आयात किया गया उनकी संख्या अनुमानतः क्रमशः लगभग 6.6 लाख तथा 8.00 लाख है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जनजातीय उप-योजना पर व्यय

409. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय-योजना के दौरान जनजातीय उप-योजना पर कितना व्यय किए जाने की सम्भावना है; और

(ख) राज्य-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 7वीं योजना के दौरान आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का अन्तरिम आवंटन 756 करोड़ रुपए है और राज्य योजना से अनुमानित धन-राशि 6199.63 करोड़ रु० है। इनका राज्यवार विभाजन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रु० करोड़ों में)

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य योजना से धनराशि	आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	216.56	36.54
2.	असम	228.94	31.92
3.	बिहार	1239.68	95.89
4.	गुजरात	540.01	56.51
5.	हिमाचल प्रदेश	120.39	10.14
6.	कर्नाटक	78.69	5.03
7.	केरल	43.12	3.13
8.	मध्य प्रदेश	1298.70	199.07
9.	महाराष्ट्र	525.04	45.17
10.	मणिपुर	169.26	12.51

1 2	3	4
11. उड़ीसा	1048.94	93.13
12. राजस्थान	200.43	47.25
13. सिक्किम	29.38	1.77
14. तमिलनाडु	50.35	6.76
15. त्रिपुरा	152.70	10.81
16. उत्तर प्रदेश	10.00	00.90
17. पश्चिम बंगाल	211.63	28.33
18. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	34.00	00.79
19. गोवा, दमन एवं दियू	1.81	00.35
	6199.63	684.00*
		70.00
		756.00

*इस आबंटन का राज्यवार विभाजन स्वीकृत योजनाओं के आधार पर किया जाता है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना

410. श्री एस० एम० गुरड्डी :
श्री जी० एस० बसवराजू :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनिवासी भारतीयों को उद्योगों में और अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निवेश के श्रेणीबद्ध पैटर्न पर आधारित प्रोत्साहनों की नई योजना शुरू करने का है;

(ख) क्या सरकार अनिवासी भारतीयों को आवास निर्माण तथा बागान क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति देने की सम्भावना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन-सी योजनाएं शुरू की जा रही हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए निवेश सम्बन्धी सुविधाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यक समझा जाता है उपयुक्त संशोधन किए जाते हैं ।

चीनी और कपड़ा एककों को ऋण

411. **श्री एस० एम० गुरड़ी :**
श्री जी० एस० बसवराजू :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी और कपड़ा एकक सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से लिए सावधि ऋणों की अदायगी न करने में सबसे आगे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऋणों की वसूली करने और उस प्रकार होने वाली चूक की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि सरकारी वित्तीय संस्थाओं की विभिन्न उद्योगों में जो पूंजी लगी है, उनमें रकमें न चुकाने वालों में चीनी और कपड़ा एकक प्रमुख हैं । कपड़ा मिलों के मामले में इसके मुख्य कारण हैं : संयन्त्रों और मशीनरी के पुराना होने की वजह से काम का असन्तोषजनक होना, बिजली के करघा के साथ उनकी प्रतिस्पर्धा है, निवेश्य वस्तुओं की कीमतें, श्रमिक अशांति, अकुशल प्रबन्धन आदि । चीनी एककों के सम्बन्ध में चूक के मुख्य कारण गन्ने की अपर्याप्त आपूर्ति, मशीनरी का पुराना होना और प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याएं बताए जाते हैं । वित्तीय संस्थाओं ने अपनी अतिदेय राशियों की वसूली के वास्ते अपने अनुवर्ती प्रयासों को तेज कर दिया है । ये संस्थाएं इन रुग्ण एककों में से सम्भावित अर्थक्षम एककों का पुनरुद्धार करने के मिले-जुले कार्यक्रम भी तैयार करती हैं। वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कपड़ा एककों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते अगस्त 1986 में एक वस्त्र आधुनिकीकरण निधि की स्थापना की गई थी । जहां तक चीनी क्षेत्र का सम्बन्ध है, चीनी विकास निधि की सहायता से गन्ना विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप और तदनुसार मिलों को गन्ने की आपूर्ति में सुधार होने की आशा है ।

काले धन का उपयोग करने हेतु राष्ट्रीय जमा योजना

412. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का काले धन का उपयोग करने हेतु सरकारी उपक्रमों द्वारा कर-मुक्त बाण्ड जारी करने के लिए नई योजना प्रयोग में लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत लाए गए जनजाति परिवार

413. डा० वी० वेंकटेश : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत अब तक कितने जनजाति परिवारों को लाया गया है और उनमें से कितने परिवार गरीबी की रेखा से नीचे थे;

(ख) उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए कोई योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1986 के अन्त तक राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार 4 जिलों में 68,826 आदिवासी परिवार थे, जहां आदिवासी उपयोजनाएं कार्य कर रही हैं और इस समय से 44,812 परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं।

(ख) से (घ) आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत जो राज्य योजना का एक भाग है, परिवारोन्मुखी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और आदिवासी क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास दोनों के लिए व्यवस्था की गई है। 7वीं योजना के प्रारम्भ से आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त आदिवासी परिवारों की संख्या नीचे दी गई है :—

1985-86	—	12,514
1986-87	—	9,000 (अनुमानित)
1987-88	—	8,154 (प्रस्तावित)

पिछड़े क्षेत्रों के लिए धनराशि

414. डा० वी० वेंकटेश : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान देश पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या पिछड़े क्षेत्रों पर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) केन्द्रीय सरकार, राज्यों में पहाड़ी

क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों जैसे पिछड़े क्षेत्रों और जनजातीय बाहुल्य वाले क्षेत्र के भी विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देती है। राज्यों में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की गति तेज करने के लिए निवेश राज सहायता और रियायती वित्त के रूप में विशेष प्रोत्साहन उपलब्ध कराने की भी एक स्कीम है। इन स्कीमों के अलावा सातवीं योजना में देश के पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए 585.69 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंकों में कम्प्यूटर लगाने सम्बन्धी रंगाराजन समिति की सिफारिशें

415. **श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डा० सी० रंगाराजन की अध्यक्षता में गठित समिति जिसने बैंकों के यांत्रिकरण/कम्प्यूटरीकरण के प्रश्न की जांच की थी कि किन-किन सिफारिशों को अब तक कार्यान्वित किया गया है; और

(ख) क्या चुने गए 100 केन्द्रों की 8500 बैंक शाखाओं के 1987 के अन्त तक मशीनीकरण कर दिए जाने की सम्भावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) रंगराजन समिति ने वाणिज्यिक बैंकों में 3 स्तरों पर मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण की सिफारिश की थी, अर्थात शाखा स्तर पर इलेक्ट्रोनिक लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाना, आंचलिक/क्षेत्रीय कार्यालयों में मिनी कम्प्यूटर लगाना और प्रधान कार्यालय में मेन फ्रेम प्रणाली स्थापित करना। इस समिति ने 1985 से शुरू करके दो चरणों में मशीनीकरण/कम्प्यूटरीकरण की एक पंचवर्षीय योजना की सिफारिश की थी। रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी 1987 तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 1211 शाखाओं में 3265 उच्चतर लेजर पोस्टिंग मशीनें पहले ही लगा दी जा चुकी हैं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के क्षेत्रीय/अंचल कार्यालयों में जनवरी 1987 के अन्त तक 94 मिनी कम्प्यूटर लगाये जा चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के प्रधान कार्यालयों में मेन फ्रेम कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित करने के सम्बन्ध में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

(ख) चूंकि रंगराजन समिति ने जिस कार्यक्रम की सिफारिश की है उसमें 1989 तक 8500 बैंक कार्यालयों में मशीनें लगाये जाने की परिकल्पना की गयी है, इसलिए 1987 में इस लक्ष्य को पूरा करने का सवाल पैदा ही नहीं होता।

सिविल सेवाओं में महिला अधिकारी

416. **श्रीमती अयन्ती पटनायक :**
श्री टी० बाल गौड़ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवाओं में पुरुष अधिकारियों की तुलना में महिला अधिकारियों की प्रतिशतता कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सिविल सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती का वर्तमान रुख क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां ।

(ख) सिविल सेवाओं की परीक्षाओं में बैठने के लिए महिलाएं, पुरुषों के साथ प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में आगे नहीं आती हैं ।

(ग) पिछले 6 वर्षों के दौरान, सिविल सेवाओं में, महिला अधिकारियों की भर्ती के रुख में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ है, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए कुल उम्मीदवारों में से इनकी संख्या लगभग 11 प्रतिशत रही है ।

बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा नई शाखाओं का खोला जाना

417. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ महाराष्ट्र का वर्ष 1987-88 में अपनी शाखाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों का पता लगाया गया है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1987-88 में उड़ीसा में बैंक आफ महाराष्ट्र की कुछ शाखाएं खोलने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो ये शाखाएं किन-किन स्थानों पर खोली जाएंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि 1985-90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के लिए पता लगाये गये केन्द्रों की राज्य सरकारों से प्राप्त सूचियों के आधार पर नीति की इस अवधि के दौरान बैंक आफ महाराष्ट्र की शाखाएं खोलने के लिए 93 ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र आवंटित किए गए हैं जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	आवंटित केन्द्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	1
कर्नाटक	1
मध्य प्रदेश	11
महाराष्ट्र	80

आशा है कि बैंक आफ महाराष्ट्र शाखा लाइसेंसिंग नीति की शेष अवधि के दौरान इन लाइसेंसों को बराबर बांट कर शाखाएं खोलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे चलकर यह भी बताया है कि बैंक आफ महाराष्ट्र ने 30 महानगरीय/पत्तनगरीय केन्द्रों और 14 शहरी केन्द्रों में शाखाएं खोलने के प्रस्ताव भेजे हैं। इन आवेदनों पर नीति के मानकों के अनुसार विचार किया जाएगा। अत: इस समय उन केन्द्रो के नाम बताना सम्भव नहीं है जहां पर 1987-88 के दौरान बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा शाखायें खोली जाएंगी। वाणिज्यिक बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के पता लगाये गए केन्द्रों का आवंटन जिला/क्षेत्र विशेष में उनके वर्तमान प्रतिनिधित्व और उनकी शाखाओं की संख्या के आधार पर किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा में बैंक आफ महाराष्ट्र को कोई केन्द्र आवंटित नहीं किया है।

केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यकरण का पुनरीक्षण

418. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यकरण का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो यह पुनरीक्षण किस अवधि के लिए किया गया है;

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार का कुछ नई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ङ) योजना आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद् की सिफारिशों के अनुसरण में, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की समीक्षा करने के लिए अगस्त, 1984 में एक समिति गठित की थी। इस समिति में, जिसका नाम राममूर्ति समिति था, अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1985 में प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट पर नवम्बर, 1985 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया गया और राममूर्ति समिति की रिपोर्ट में चर्चित विभिन्न मामलों पर विचार करने और राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार के लिए उन पर शिफारिशें करने के वास्ते राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति गठित करने का निर्णय किया गया।

तदनुसार, श्री पी० वी० नरसिंह राव, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में अप्रैल, 1986 में राष्ट्रीय विकास परिषद् की एक समिति गठित की गई जिसमें तीन केन्द्रीय मंत्री और ग्यारह मुख्यमंत्री सदस्य के रूप में शामिल थे, डा० राजा जे० चैलेय्या, सदस्य, योजना आयोग इसके सदस्य-सचिव थे। समिति की 3 नवम्बर, 1986 को बैठक हुई और इसमें इसके समक्ष प्रस्तुत मामलों पर विचार-विमर्श किया। यह अनुभव किया गया कि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के अधिकारियों का एक दल इन मामलों पर विचार करे और राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति को अपनी रिपोर्ट और विचार के लिए प्रस्तुत करे।

इसलिए, योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1986 में अधिकारियों का एक दल गठित किया गया जिसमें राज्यों के बारह मुख्य सचिव और केन्द्रीय मंत्रालयों के सात सचिव सदस्य के रूप में शामिल थे और सलाहकार (योजना समन्वय) योजना आयोग इस दल के संयोजक थे। इस दल के विचारार्थ विषय राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति द्वारा अपनी उक्त बैठक में सुझाए गए मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की व्यापक रूप से जांच करना और विशेष रूप से निम्नलिखित के बारे में जांच करना थे—

(1) ऐसी सभी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की सूची बनाना जो 1-4-1985 को कार्यान्वयन अधीन थी और इस बारे में विचार करना कि इनमें से कौन सी स्कीमों को जारी रखना आवश्यक है अथवा छोड़ देना अथवा राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए अन्तरित किया जाना है, और जो स्कीमें अन्तरित की जानी है उनके अन्तरण की औपचारिकताओं पर, जिसमें इनसे सम्बन्धित धनराशियां अलग-अलग राज्य को अन्तरित की जायें, अन्तरण से सम्बन्धित फार्मूले सहित विचार किया जाए।

(2) केन्द्र और राज्यों के बीच उन औपचारिकताओं का सुझाव देना जो उस समय लागू हों जब किसी केन्द्रीय मंत्रालय अथवा राज्य सरकार द्वारा नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को स्वीकार करने का प्रश्न विवादास्पद हो।

(3) अन्तरित स्कीमों की आवधिक समीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं के बारे में सुझाव देना ताकि केन्द्र और राज्यों द्वारा स्कीम से सम्बद्ध राष्ट्रीय योजना उद्देश्यों की उपलब्धि पर सुचारू रूप से निगाह रखी जा सके।

अभी तक (28 जनवरी और 18 फरवरी, 1987 को) अधिकारियों की दो बैठकें हुई हैं और अगली बैठक अप्रैल, 1987 के पहले सप्ताह में होने की आशा है। अन्तिम रूप देने के बाद यह ग्रुप राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति को अपनी रिपोर्ट मामले पर और विचार के लिए तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् को सिफारिशों के लिए प्रस्तुत करेगा।

जहां तक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की शुरूआत का सम्बन्ध है योजना आयोग के पास इस प्रकार की किन्हीं नई स्कीमों के ब्यौरे नहीं हैं जिन पर कुछ मंत्रालयों द्वारा विचार किया जा रहा है।

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकास के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की परियोजना

419. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन जिलों के राज्य-वार नाम क्या हैं, जहां पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के विकास के लिए एक 3-वर्षीय योजना आरम्भ की थी;

(ख) इस परियोजना को आरम्भ करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था; और

(ग) चुने गए इन क्षेत्रों में अब तक क्या कार्य किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 20 प्रायोगिक जिलों में चुनिन्दा प्राथमिक कृषि सोसाइटियों और सभी बड़ी बहुउद्देश्यीय सोसाइटियों के प्रयासों को तेज करने के लिए एक कार्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय लिया है। अब तक 15 जिलों का पता लगा लिया गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं :—

राज्य	जिलों का नाम
1. आन्ध्र प्रदेश	1. मेडक
2. बिहार	2. नालंदा और 3. रांची
3. हिमाचल प्रदेश	4. मंडी
4. मध्य प्रदेश	5. दुर्ग, 6. होशंगाबाद
5. महाराष्ट्र	7. बुलढाना, 8. औरंगाबाद,
6. उड़ीसा	9. कालाहांडी
7. राजस्थान	10. अजमेर
8. तमिलनाडु	11. चिंगलपुट
9. उत्तर प्रदेश	12. सुलतानपुर
10. पश्चिम बंगाल	13. पुरूलिया
11. कर्नाटक	14. हसन
12. गुजरात	15. साबरकांठा

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक कृषि सोसाइटियों और बड़ी बहुउद्देश्यीय सोसाइटियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को तेज करना है ताकि प्रायोगिक जिलों में ऋण संवितरण प्रणाली में सुधार के एक अभिन्न अंग के तौर पर किसानों और अन्य कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत सोसाइटियों का विकास करने सम्बन्धी उपायों का उद्देश्य कर्मचारियों की संख्या, वित्तीय संसाधनों, प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और गहन प्रशिक्षण के रूप में उनकी परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करना है।

आन्ध्र प्रदेश के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की नई शाखाएं

420. श्री बी० तुलसीराम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों की कोई शाखाएं नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में कितने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) उनके अनुरोध पर किस सीमा तक विचार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा उन क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं कब तक खोलने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि सितम्बर, 1986 के अन्त में आन्ध्र प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण और अर्ध शहरी शाखाओं की संख्या 3311 थी। उस तारीख को राज्य के जनजातीय बाहुल्य 6 जिलों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 614 शाखाएं थीं।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने बैंक शाखाएं खोलने के लिए 607 केन्द्रों की एक सूची भेजी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल, 1985 से मार्च, 1990 तक की अवधि की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के परिप्रेक्ष्य में इस सूची की जांच की है और ऐसे 323 पात्र केन्द्र आवंटित किए हैं जो इस नीति के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। आवंटित किए गए इन 323 केन्द्रों में से 66 केन्द्र आन्ध्र प्रदेश के उपर्युक्त जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) बैंकों से यह कहा गया है कि वे वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति की शेष अवधि के दौरान शाखाएं खोलने का काम बराबर-बराबर बांटकर पूरा करें।

आन्ध्र प्रदेश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और समेकित जनजाति विकास क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋण के लक्ष्यों की प्राप्ति

421. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वर्ष 1985-86 और 1986-87 (दिसम्बर, 1986 तक) के वर्षों के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और समेकित जनजाति विकास क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों को दिए गए ऋणों के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है;

(ख) क्या कुछ जिलों में लक्ष्य प्राप्त करने में कमी रह गयी थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कमियों को किस प्रकार दूर किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा समन्वित जनजातीय विकास अभिकरण के अधीन वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। विवरण में दिए गए ब्यौरे से यह पता चलता है कि 1985-86 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नल्लौर, कुरनूल, विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम और कुडप्पा के पांच जिलों में और समन्वित जनजातीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत पश्चिम गोदावरी जिले में उपलब्धि निर्धारित लक्ष्य से कम रही। राज्य स्तरीय बैंकर समिति के प्रायोजक बैंक को इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत त्रुटियों के प्रश्न पर समिति की बैठकों में विचार करने के लिए कह दिया

गया है ताकि बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और समन्वित जनजातीय विकास अभिकरण के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित कर सकें। प्रायोजक बैंक से सम्बद्ध अग्रणी बैंकों के साथ इन कमियों के मामलों को उठाने के लिए भी कहा गया है ताकि इस मामले पर जिला परामर्शदात्री समिति की बैठकों में विचार किया जा सके जिससे निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

विवरण-I

आंध्र प्रदेश में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले का नाम	1985-86		1986-87	
		लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	महबूबनगर	6617	8924	9830	8342
2.	निजामाबाद	3560	4490	4835	4501
3.	अनन्तपुर	7004	8683	9740	4987
4.	पूर्व गोदावरी	8833	11026	15278	14853
5.	प्रकाशम	7049	10071	9680	8196
6.	मेडक	4401	5347	6565	5038
7.	नालगोंडा	7378	17395	8150	3028
8.	चित्तूर	8137	8194	14348	10174
9.	नेल्लोर	6563	5655	7687	6430
10.	कुरनूल	5951	4506	7620	5413
11.	पश्चिम गोदावरी	7137	12234	12940	12822
12.	रंगा रेड्डी	4605	5830	6760	8134
13.	विशाखापत्तनम	9104	7474	12120	13966
14.	अदिलाबाद	5170	5958	7865	4204
15.	श्रीकाकुलम	7571	7445	9430	11743

1 2	3	4	5	6
16. करीमनगर	6178	7891	9100	4972
17. कृष्णा	6575	13242	9725	8504
18. वारंगल	6324	7768	7090	7439
19. खम्माम	5228	6567	9800	7390
20. विजियानगरम्	5396	6407	7640	5981
21. गुंटूर	8892	11200	16462	9674
22. कुड्डपा	6357	5425	8212	7221
जोड़ :	144,000	180,690	210,377	173.012

विवरण-II

आंध्र प्रदेश में वर्ष 1985-86 और 1986-87 के दौरान समन्वित जनजातीय विकास अभिकरण के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित बैंकों के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों और उनकी उपलब्धियों का जिलावार ब्यौरा

जिले का नाम	1985-86		1986-87	
	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या	लक्ष्य संख्या	उपलब्धि संख्या
1. विजियानगरम	515	955	777	913
2. खम्माम	2861	4717	4414	5141
3. अदिलाबाद	3342	4808	5040	2354
4. श्रीकाकुलम	666	813	1007	978
5. पश्चिम गोदावरी	591	522	896	558
6. वारंगल	848	1204	1277	4657
7. विशाखापत्तनम	2752	3137	3878	3334
8. पूर्व गोदावरी	1369	3106	2140	2071
जोड़ :	12764	19262	19429	20006

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण बैंकों की वित्तीय स्थिति

422. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण बैंक राज्य में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, समेकित जनजातीय विकास एजेन्सी और अन्य आर्थिक विकासात्मक कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभभोगियों को धन जुटाने में समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीब लोगों और जरूरतमन्द लोगों की सहायता हेतु राज्य में ऐसे बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सूचित किया है कि नागार्जुन ग्रामीण बैंक को छोड़कर जिसकी भारी अतिदेय राशियों के कारण अपेक्षाकृत वित्तीय स्थिति बड़ी तंग है, आन्ध्र प्रदेश में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के हिताधिकारियों को वित्तीय सहायता देने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं कर रहे हैं।

वर्ष 1985 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान आन्ध्र प्रदेश में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋणों के भुगतान की प्रगति नीचे की सारणी में दिखाई गई है :—

विवरण

विशेष कार्यक्रम	(राशि लाख रुपयों में)
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	749.12
विभेदी ब्याज दर योजना	15.60
अन्य योजनाएं	2405.61
कुल :	3170.33

आन्ध्र प्रदेश को अनुदान और ऋण

423. **श्री बी० तुलसीराम** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य को वर्षवार कितनी धनराशि के अनुदान दिए गए;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्य को ऋण के रूप में कितनी धनराशि दी गयी; और

(ग) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितनी धनराशि के अनुदान और ऋण दिए जाने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० वी० गढ़वी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1987-88 में राज्य आयोजना के लिए 340.45 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का अनुमान लगाया गया है (238.32 करोड़ रुपए ऋण के रूप में और 102.13 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में)। 1988-89 और 1989-90 के लिए केन्द्रीय सहायता के कोई सुनिश्चित अनुमान नहीं लगाए गए हैं। फिर भी, इन दो वर्षों के दौरान सहायता की मात्रा का निर्धारण सातवीं योजना के समग्र परिव्ययों के अनुकूल किया जाएगा।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ऋण	अनुदान	जोड़
1983-84	150.37	64.45	214.82
1984-85	169.67	72.71	242.38
1985-86	231.16	99.07	330.23

इलेक्ट्रानिकी सामान के देशी नमूनों का विकास करना

424. श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रानिकी के सामान के देशी नमूनों के विकास के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ख) नमूनों के विकास और उनमें सुधार के लिए इलेक्ट्रानिकी सामग्री निर्माताओं को वर्ष 1986 के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में स्वदेशी डिजाइनों का विकास करने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :—

(i) दूरसंचार के लिए अंकीय स्विचन एक्सचेंज उपस्करों को स्वदेश में ही विकसित करने के लिए अगस्त, 1984 में टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) की स्थापना।

(ii) नियमित योजनागत-परियोजनाओं के रूप में इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी

केन्द्रों (सी० ई० डी० टी०) की स्थापना करना। ये इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र शैक्षणिक संस्थान हैं, जो इंजीनियरों तथा तकनीशियनों को इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा उत्पादन तकनीकों में, जिनमें उपस्करों की मरम्मत-सेवा तथा अनुरक्षण सेवा से सम्बन्धित पहलू शामिल है, प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। बंगलौर स्थित इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र 1974 से कार्य कर रहा है। श्रीनगर स्थित इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र में कार्य काफी उन्नत चरण में है। औरंगाबाद तथा इम्फाल स्थित इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र में कार्य प्रगति पर है।

(iii) विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के संगठनों, आदि में डिजाइन परियोजनाओं का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

इन प्रयासों का उद्देश्य उद्योगों की डिजाइन-क्षमता में सुधार लाना है।

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान (दिसम्बर, 1986 तक) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) पर 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। कैलेण्डर वर्ष 1986 के दौरान इलेक्ट्रानिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्रों (सी० ई० डी० टी०) पर 203 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। उपर्युक्त (iii) के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी विभाग ने विभिन्न प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों के जरिए 1.75 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है तथा कैलेण्डर वर्ष 1986 में राष्ट्रीय रेडार परिषद् के जरिए विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों को 1.90 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है।

स्टाक एक्सचेंजों में आंतरिक व्यापार

425. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टाक एक्सचेंज प्रेसिडेंट स्थायी समिति ने "भीतरी" (इनसाइडर) शब्द की उचित परिभाषा करने की मांग की है;

(ख) क्या ऐसी परिभाषा के अभाव में अनेक भीतरी लोग स्टाक एक्सचेंजों में व्यापार कर रहे हैं तथा अनुचित लाभ प्राप्त कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) कुछ समय पहले शेयर बाजारों के अध्यक्षों की स्थायी समिति ने "भीतरी" (इनसाइडर) व्यापार से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार किया था।

(ख) और (ग) समय-समय पर शेयर बाजारों में "भीतरी" व्यापार की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त होती रही हैं। भारतीय पूंजी बाजार के लिए नियंत्राधीन विनियामक निकाय के कृत्यों में अन्य बातों के साथ-साथ "भीतरी" व्यापार पर नियन्त्रण रखना भी उनका एक कृत्य होने की सम्भावना है।

[हिन्दी

सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमानों में असंगति

426. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित किए जाने के पश्चात् भी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्यरत सहायकों और आशुलिपिकों के वेतनमानों में अन्य कार्यालय में समान पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमानों की तुलना में असंगतियां हैं;

(ख) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढ़वी) : (क) से (घ) इस प्रकार की कोई भी विसंगतियां सम्बन्धित संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा वित्त मन्त्रालय के ध्यान में नहीं लाई गई हैं।

लेकिन, यह उल्लेखनीय है कि ऐसे मामलों की प्रशासनिक मन्त्रालय/विभाग अथवा संवर्ग नियन्त्रण प्राधिकारी द्वारा गुणावगुण के आधार पर जांच की जाती है जिसमें सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है और यदि आवश्यक होता है तो वित्त मन्त्रालय के साथ परामर्श किया जाता है।

[अनुवाद]

रिलायेन्स उद्योग से ऋण वापस लेना

427. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय संस्थानों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुपालन में रिलायेन्स उद्योग से सम्बद्ध कम्पनियों से ऋण वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) इन वित्तीय संस्थानों द्वारा पूरी धनराशि वापस लेने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके निदेशों के अनुसार बैंकों ने 33.27 करोड़ रुपए तक के अग्रिम की राशि वापस मांगी है। दिनांक 21 फरवरी, 1987 को अग्रिमों की बकाया राशि 18.42 करोड़ रुपए थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने और आगे सूचित किया है कि जहां न्यू बैंक आफ इण्डिया ने उसके द्वारा मंजूर किए गए ऋण की पूरी रकम वसूल कर ली है, वहां बाकी बैंकों से बिना किसी देरी के अग्रिम वसूल करने के लिए कहा गया है।

पेंशन के बारे में वेतन आयोग की सिफारिशें

428. **श्री एच० एम० पटेल :**
डा० जी० विजय रामाराव :
श्री मानिक रेड्डी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का एक वर्ग वेतन आयोग की सिफारिशों से सन्तुष्ट नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के असन्तोष के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा, विशेषकर विभिन्न श्रेणियों के पेंशनभोगियों के साथ हुए कार्यरत भेद-भाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) से (ग) पेंशन से सम्बन्धित चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है और रिपोर्ट पर कार्रवाई करते समय पेंशनभोगियों के विभिन्न वर्गों द्वारा व्यक्त किए गए विभिन्न सुझावों को ध्यान में रखा जा रहा है।

निवेश कम्पनियों की परिभाषा के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग-निर्देश

429. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने निवेश कम्पनियों की परिभाषा और उनके कार्यकरण के सम्बन्ध में मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी चूककर्त्ता कम्पनी के विरुद्ध वर्ष 1986 के दौरान कोई कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 20 जून, 1977 के गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां (रिजर्व बैंक) निर्देश 1977 के अनुसार "निवेश कम्पनी" का अर्थ है वह कम्पनी जो कि एक वित्तीय संस्थान है और जिसका मुख्य कारोबार प्रतिभूतियों का अभिग्रहण करना है। इन निर्देशों का तात्पर्य इन कम्पनियों द्वारा जमा स्वीकार करने को विनियमित करना है परन्तु ये निर्देश ऐसी कम्पनियों को धन लगाने की अनुमति नहीं देते।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियों द्वारा उत्पाद शुल्क की चोरी

430. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कुछ बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियां उत्पाद शुल्क की भारी धनराशि की चोरी करने में सफल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनसे उत्पाद-शुल्क वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारत में कोई बहुराष्ट्रीय सिगरेट कम्पनियां नहीं हैं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

विस्कोस स्टेपल रेशे पर सीमा-शुल्क में वृद्धि

431. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विस्कोस स्टेपल रेशे पर सीमा-शुल्क में वृद्धि के कारण बड़ी संख्या में लघु उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो लघु उद्योगों को सस्ती दरों पर विस्कोस स्टेपल रेशा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकार ने हाल ही में विस्कोस स्टेपल फाइबर पर सीमा-शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1986 में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सम्मेलन

432. **श्री राम भगत पासवान** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विभाग द्वारा कितने सम्मेलन आयोजित किए गए तथा ये सम्मेलन किन-किन स्थानों पर आयोजित किए गए; और

(ख) उनमें हुए विचार-विमर्श का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग में विविध स्तरों पर सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है । सम्भवतः, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ताओं के क्षेत्रीय सम्मेलनों की ओर संकेत किया गया है । वर्ष 1986 के दौरान, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, बंगलौर, कोडाइकनाल, कलकत्ता, पटना, भुवनेश्वर और शिलांग में 24 सम्मेलनों का

आयोजन किया गया था । इन सम्मेलनों के दौरान, प्रत्येक समाहर्तालय के लिए निर्धारित लक्ष्यों के सन्दर्भ में राजस्व की वसूली में हुई प्रगति और लक्ष्यों की पूर्ति के उपायों की पुनरीक्षा की जाती है। इसी प्रकार, विभिन्न विचाराधीन पड़े मामलों की स्थिति की पुनरीक्षा की गई थी और बकाया पड़े मामलों को कम करने के उपायों के बारे में विचार-विमर्श किया गया था । जिन अन्य मदों पर विचार-विमर्श किया गया उनमें जनता की शिकायतों को दूर करना, शुल्क-निर्धारण सम्बन्धी विवादों का निपटान करना और कार्यालय-आवासस्थान का निर्माण तथा कर्मचारी कल्याण जैसे सामान्य प्रशासन के मामले शामिल हैं ।

औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन

434. **श्री एच० वी० पाटिल :**
श्री अख्तर हसन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ सरकार ने हाल ही में रुग्ण कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों और कृत्यों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध), अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार दिनांक 12 जनवरी, 1987 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना कर दी गई है । आरम्भ में इस बोर्ड के एक अध्यक्ष और छः सदस्यों की नियुक्ति की गई है । बोर्ड अभी पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है ।

"गंगा की सफाई"

435. **श्री नारायण चौबे** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा की सफाई के लिए वर्ष 1985 और 1986 के लिए क्या लक्ष्य रखे गए थे;

(ख) इस अवधि के दौरान इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(ग) अब तक इसमें कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में 27 श्रेणी-1 नगरों में (प्रत्येक में 1 लाख से अधिक की जनसंख्या) जैसा कि अपेक्षित है, अवरोधक, अपशिष्ट जल का परिवर्तन और उपचार के लिए वृहत स्कीमों को पूरा करना है । 1985 के दौरान, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों के लिए आरम्भ की जाने वाली विभिन्न स्कीमों की शिनाख्त करने और प्रारम्भिक रिपोर्टें तैयार करने का लक्ष्य था । 1986-87 के अन्त तक राज्य सरकारों को सभी स्कीमों के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करनी हैं । 27 शहरों में से 20 में 1986-87 के अन्त तक काम आरम्भ किया जाना था ।

(ख) 1985-86 के दौरान 6.06 करोड़ रुपए और 1986-87 के दौरान 31 जनवरी, 1987 तक स्कीमों के निष्पादन के लिए निष्पादन एजेंसियों को 23.30 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध कराई गई थी ।

(ग) 31 जनवरी, 1987 तक, राज्य सरकारों ने गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत आरम्भ किए जाने के लिए 259 स्कीमों की शिनाख्त की है। इसमें से 193.83 करोड़ रुपए की लागत से 177 स्कीमों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अब तक 94.41 करोड़ रुपए की लागत से 133 स्कीमें मंजूर की गई हैं। 21 नगरों में 100 स्कीमों के निष्पादन का कार्य आरम्भ हो चुका है। हरिद्वार-ऋषिकेश, वाराणसी के पास रामनगर और पटना में 2.57 करोड़ रुपए की लागत से 5 स्कीमें पूर्ण की गई हैं ।

रंगीन टी० वी० ट्यूबें तैयार करने और आपटिकल फाइबर परियोजनाओं के लिए लाइसेंस

436. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल ने रंगीन टी० वी० ट्यूब तैयार करने और आपटिकल फाइबर परियोजनाओं हेतु लाइसेंस देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दे दी गई है; और

(ग) क्या इन परियोजनाओं के लिए किसी तकनीकी सहयोग की स्वीकृति दी गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० (एम० पी० एस० ई० डी० सी०) ने रंगीन दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों के विनिर्माण का लाइसेंस प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के पास आवेदन-पत्र नहीं भेजा है। किन्तु, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० ने प्रकाशीय तन्तु (आप्टिकल फाइबर) परियोजना का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र भेजा है ।

(ख) मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० को पहले से ही आप्टो इलेक्ट्रोनिक संचार प्रणाली तथा सम्बद्ध सहायक उपकरणों तथा संघटक-पुर्जों, जिसमें प्रकाशीय तन्तु (आप्टिकल फाइबर) तथा तन्तु प्रकाशिकी केबल्स शामिल हैं, के लिए विनिर्माण की सुविधाओं को स्थापित करने के लिए आशय-पत्र जारी किए गए हैं ।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लि० द्वारा सरकार के पास विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में भेजे गए आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की विदेशी मुद्रा आय में गिरावट

437. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने चिन्ता व्यक्त की है कि 541 बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की विदेशी मुद्रा आय में तेजी से गिरावट आई है जबकि उनका विदेशी मुद्रा व्यय तेजी से बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है; और

(ग) ऐसे बड़े उद्योग गृहों के नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1986-87 के दौरान 31 जनवरी, 1987 तक 10 लाख रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा प्रदान की गई तथा जिन्हें इस अवधि में इतनी ही धनराशि की विदेशी मुद्रा के खुले परमिट जारी किए गए ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) "बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों का वित्तपोषण 1985-86" विषयक भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन से, जिसमें 541 बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियां आती हैं, पता चला है कि विदेशी मुद्रा आय की वृद्धि दर में तेजी से गिरावट आई है जो 1984-85 में 26.4 प्रतिशत से गिरकर 1985-86 में 6.9 प्रतिशत रह गई है लेकिन विदेशी मुद्रा आय के स्तर में कोई गिरावट नहीं आई है। विदेशी मुद्रा आय जो 1984-85 में 1,655 करोड़ रुपए थी, 1985-86 में बढ़कर 1,779 करोड़ रुपए हो गई है। जहां तक विदेशी मुद्रा व्यय का सम्बन्ध है वह 1984-85 में 1,801 करोड़ से बढ़कर 1985-86 में 2,438 करोड़ रुपए हो गया है जिससे 1985-86 के दौरान 35.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

(ख) सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के कई उपाय किए हैं जिनका बड़ी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों के निर्यातों पर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। प्रयास यह सुनिश्चित करने का है कि वृद्धि के क्षेत्रों में क्षमताएं सर्जित की जा सके, प्रौद्योगिकियों के उन्नयन के लिए पूंजीगत वस्तुएं और उपस्कर उपलब्ध हों, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर कच्चा माल उपलब्ध हो, और ऐसी सामग्री और संघटकों की सुविधाजनक प्राप्ति हो सके जिनका आयात किया जाना है तथा निर्यातों को भी लाभदायक बनाया जा सके। सरकार ने निर्यात की सम्भावना वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया है और प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष कार्यवाही करने की योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं। हाल ही में इस आशय का निर्णय लिया गया है कि उन औद्योगिक कम्पनियों को जो कुल बिक्री का कम से कम 25 प्रतिशत भाग निर्यात करेंगी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उनके ऋणों पर ब्याज में 20 प्रतिशत की छूट देगा।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[हिन्दी]

वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने के मापदण्ड

438. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देते समय योजना आयोग किन-किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखता है;

(ख) राज्य की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देने से पहले योजना आयोग सरकारों के साथ किन-किन मुद्दों पर विचार करता है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने यह दलील दी है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों को हरित क्षेत्रों में बदलने के लिए इन्दिरा गांधी परियोजना के लिए योजना आवंटन के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी दी जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) राज्यों की वार्षिक योजनाओं के आकार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं जिसमें कुछ तो राज्य के अपने संसाधन और कुछ उन्हें मिलने वाली केन्द्रीय सहायता शामिल होती है। केन्द्रीय सहायता के आवंटन के प्रयोजन के लिए राज्यों को दो श्रेणियों अर्थात् विशेष श्रेणी राज्य और विशेष श्रेणी इतर राज्यों में बांटा गया है। विशेष श्रेणी के राज्यों को कुल अधिकल्प राशि में से केन्द्रीय सहायता दी जाती है और शेष रकम को तब परिशोधित गाडगिल फार्मूले के अनुसार विशेष इतर राज्यों में आवंटित किया जाता है। राज्य, अपने वित्तीय संसाधनों की स्थिति आवश्यकताओं और योजना प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक क्षेत्रक/उप क्षेत्रक के अन्तर्गत कार्यक्रमों/स्कीमों के बारे में योजना आयोग को प्रस्ताव भेजते हैं। इन प्रस्तावों के आधार पर वार्षिक योजनाओं को अन्तिम रूप देने में योजना प्राथमिकताओं और जारी स्कीमों/परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है।

वित्तीय संसाधनों का मूल्यांकन योजना आयोग, राज्य प्रतिनिधियों और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों और सम्बन्धित केन्द्रीय सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। योजना आयोग में सम्बन्धित कार्यकारी दलों द्वारा विभिन्न क्षेत्रकों के कार्यक्रमों को विषय-वस्तु के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है, इन कार्यकारी दलों में राज्यों, योजना आयोग और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए के विशेष दीर्घावधि ऋण का अनुरोध किया था। विशिष्ट परियोजनाओं के लिए विशेष दीर्घावधि ऋण उपलब्ध कराने के वास्ते योजना आयोग की कोई व्यवस्था नहीं है।

पर्वतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम को लाइसेंस

439. श्री हरीश रावत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्थापित किए गए पर्वतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आरम्भ करने के लिए कुछ आशय पत्र जारी किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त निगम द्वारा इन आशय पत्रों का उपयोग कर लिया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिकी निगम को कुछ आशय-पत्र जारी किए गए थे जिनको

उत्तर प्रदेश पर्वतीय इलेक्ट्रॉनिकी निगम लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रवर्तकों की उपलब्धता तथा सहयोगकर्त्ताओं पर निर्भर करेगा।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व:रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देना

440. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की उत्तर प्रदेश में कार्यरत विभिन्न शाखाओं के लिए शिक्षित बेरोजगारों को स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत ऋण देने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे; और

(ख) क्या इस बैंक द्वारा इस राज्य में इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार ऋण वितरित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार देने की योजना के अन्तर्गत ऋण देने के वास्ते गत तीन वर्षों में यूको बैंक को जो लक्ष्य दिए गए थे, उनका वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए)

वर्ष	मामलों की संख्या			राशि	
	लक्ष्य	स्वीकृत	संवितरित राशि	स्वीकृत	संवितरित राशि
1983-84	686	410	349	58.75	46.51
1984-85	702	469	401	87.97	58 38
1985-86	575	379	310	75.44	46.23

यूको बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि उसकी शाखाओं द्वारा प्राप्त कई प्रस्ताव अर्थक्षम नहीं थे, इसलिए निर्धारित लक्ष्य और मंजूर किए गए मामलों में कमी रही है। इसके अलावा आवेदकों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूरी न करना, आवेदकों का कुछ अन्य रोजगार में लग जाना, आवेदकों द्वारा आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करने के बैंक के मानदण्डों का पालन न किया जाना जैसे कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से मंजूर किए गए कुछ मामलों में वितरण लम्बित रहा।

"उत्तर प्रदेश में पुलों का निर्माण"

441. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वन अधिनियम के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष के

दौरान पुलों के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति दी गई है और कितने पुलों के निर्माण के लिए यह अनुमति दी गई है;

(ख) क्या पुलों के निर्माण के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त कोई प्रस्ताव रद्द किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पांच पुलों के निर्माण के लिए वन भूमि के दिक्-परिवर्तन को मंजूरी दी जा चुकी है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

"उत्तर प्रदेश में वाहनों के चलने योग्य सड़क का निर्माण"

442. **श्री हरीश रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले में वन अधिनियम के अन्तर्गत हरदा-भीकिया सेण के बीच वाहन योग्य सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) हरदा-भीकिया सेण मोटर रोड़ के निर्माण के लिए अल्मोड़ा जिले में 0.6048 हेक्टेयर भूमि के दिक्परिवर्तन के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई थी और इस सम्बन्ध में मंजूरी 1-10-86 को राज्य सरकार को भेज दी गई थी ।

[अनुवाद]

विदेशी ऋणों की अदायगी की लागत

443. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों से लिए गए सरकारी ऋणों तथा वाणिज्यिक ऋणों की अदायगी की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लागत के नवीनतम अनुमानित आंकड़े क्या हैं;

(ख) इस कारण चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशों को कुल कितनी अनुमानित विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होगा;

(ग) चालू वर्ष के दौरान व्यापार से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने का अनुमान है;

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकारी और गैर-सरकारी खाते में अतिरिक्त ऋणों के रूप में अनुमानित कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी; और

(ङ) क्या ऋण अदायगी की लागत का अनुपात अत्यधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है और यदि हां, तो उक्त अनुपात को उपयुक्त सीमा में रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) 1986-87 के दौरान सरकारी ऋणों और वाणिज्यिक ऋणों के सम्बन्ध में विदेशी ऋण परिशोधन का अनुमानित खर्च (अर्थात् ब्याज की अदायगी) क्रमशः 670 करोड़ रुपए और 680 करोड़ रुपए होगा ।

(ग) वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा 1986-87 के सम्बन्ध में 12203 करोड़ रुपए का निर्यात लक्ष्य रखा गया है ।

(घ) चालू वर्ष के दौरान सरकारी खाते और गैर-सरकारी खाते के कुल ऋण भुगतान के सम्बन्ध में क्रमशः 2945 करोड़ रुपए और 145 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है ।

(ङ) देश का ऋण परिशोधन अनुपात और कुल मिलाकर विदेशी ऋण भार की स्थिति प्रबन्धयोग्य सीमाओं के अन्दर है । देश की विदेशी ऋणग्रस्तता का स्तर और ऋण परिशोधन के सम्भावित भार पर बराबर निगरानी रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण परिशोधन दायित्व विवेकशील सीमाओं के अन्दर बने रहें ।

[हिन्दी]

विदेशी मुद्रा का फालतू व्यय

444. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा के फालतू व्यय होने के कोई मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के फालतू व्यय को रोकने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (घ) विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति आयात-निर्यात नीति के उद्देश्यों तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 को ध्यान में रखकर, इसके लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार दी जाती है । निर्धारित दिशा-निर्देशों के विपरीत विदेशी मुद्रा जारी किए जाने का कोई विशिष्ट मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है ।

[अनुवाद]

जीरो बजट प्रणाली

445. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को वर्ष 1987-88 से जीरो बजट प्रणाली अपनाने के निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने जीरो बजट प्रणाली स्वीकार कर ली है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार भी जीरो बजट प्रणाली का पालन कर रही है; और

(घ) जीरो बजट प्रणाली के लाभ और हानियां क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) केन्द्रीय मन्त्रालयों/विभागों को यह सलाह दी गई थी कि वे 1987-88 के बजट से अपने व्यय अनुमान तैयार करते समय शून्य-आधारित बजट प्रणाली को अपनाएं।

इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की प्रति सभी राज्य सरकारों को भी भेजी गई थी, लेकिन जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, यह फैसला उन्हें करना है कि क्या उनके विभागों में इस तकनीकी को अपनाया जाए या नहीं।

(घ) शून्य आधारित बजट प्रणाली सरकारी व्यय को नियन्त्रण करने का एक उपाय है। इससे साधनों की तंगी के सन्दर्भ में सरकारी खर्चों की प्राथमिकताएं सुस्पष्ट हो जाती हैं। इससे अनावश्यक मदों पर होने वाले व्यय को कम करने और खत्म करने में सहायता मिलेगी और इस प्रकार उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए पर्याप्त धनराशि नियत की जा सकेगी।

दोषपूर्ण सिक्कों एवं करेंसी नोटों का प्रचलन

446. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरकारी टकसालों से बाहर आने वाले दोषपूर्ण सिक्कों एवं करेंसी नोटों का प्रचलन में लाने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) सिक्कों और करेंसी नोटों के विनिर्माण की प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों और प्रतिनिरीक्षणों के बावजूद भी कभी-कभी दोषपूर्ण सिक्के/करेंसी नोट परिचालन के अन्दर आ ही जाते हैं। परीक्षण और निरीक्षण का कार्य बार-बार और हाथ से किया जाता है और कुछ दोषपूर्ण सिक्के/नोट नजर से बच जाते हैं। तथापि, इस प्रकार के दोषपूर्ण सिक्कों/नोटों की प्रतिशतता कुल परिचालित सिक्कों की तुलना में प्रायः नगण्य हैं। फिर भी, स्थिति में सुधार लाने के लिए टकसाल में गुणवत्ता नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की गई है। टकसालों को और अधिक

आधुनिक मशीनों से सुसज्जित किया जा रहा है जिससे दोषपूर्ण सिक्कों की संख्या में कमी आएगी। बैंक नोट प्रेस, देवास में पहले से ही गुणवत्ता नियन्त्रण कक्ष है जिससे कि गुणवत्ता पर कड़ाई से नियन्त्रण रखा जा सके। सिक्यूरिटी प्रेसों में आधुनिक मशीनों की स्थापना की जा रही है और वह स्वचालित रूप से प्रोसैसिंग कार्य करेंगी और इस प्रकार दोष कम रह पाएंगे।

"वन-रोपण कार्यक्रम में उद्योगों का सहयोग लेना"

447. **डा० बी० एल० शैलेश :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन-रोपण कार्य में उद्योगों का सहयोग लेने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है और इस पर कितनी धनराशि व्यय होगी;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के, कौन-कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जिगाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्र सरकार वन भूमि पर वन-रोपण परियोजनाओं में उद्योगों के प्रवेश को बढ़ावा नहीं दे रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) उत्तर प्रदेश सरकार के पास वन-रोपण के कार्य में उद्योगों को शामिल करने के लिए कोई खास योजना नहीं है।

हिमाचल प्रदेश के लिए जीवन बीमा निगम का अलग प्रभाग खोलना

448. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के लिए जीवन बीमा निगम के एक अलग प्रभाग की निरन्तर और प्रबल मांग को देखते हुए, इसकी मंजूरी के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रभाग कब खोले जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में सावधानीपूर्वक विचार करने पर तथा सभी आवश्यक मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए जीवन बीमा निगम को फिलहाल हिमाचल प्रदेश में कोई प्रभागीय कार्यालय खोलने की व्यवहार्यता प्रतीत नहीं होती।

पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पड़ी बैंक डकैतियां

449. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा राज्यों में वर्ष 1986 और जनवरी, 1987 के दौरान बैंकों में अनेक डाकों/डकैतियों के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार लूटी गयी धनराशि सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या (1) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने, (2) अपराधियों को दण्ड देने, (3) बैंक कर्मचारियों/स्थानीय पुलिस की सांठ-गांठ होने के बारे में जांच करने तथा (4) ऐसी कोशिशों का विरोध करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1986 और जनवरी, 1987 के दौरान पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और हरियाणा के राज्यों में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई बैंक लूटपाट/डकैतियों की वारदातों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) बैंक लूटपाट/डकैतियां काफी हद तक स्थान विशेष में आम सुरक्षा के वातावरण पर निर्भर करती हैं। अलबत्ता, बैंक अपनी सुरक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए उपाय कर रहे हैं ताकि शरारत करने वालों को बैंक लूटने का कम से कम मौका मिले और उन्हें ऐसा करने से रोका जा सके। चूंकि यह एक निरन्तर प्रक्रिया है। अतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अमल में लाए जा रहे सुरक्षा उपायों की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और जब कभी उनमें आगे और सुधार करने की आवश्यकता महसूस होती है, बैंकों को अपेक्षित मार्गनिर्देश/हिदायतें दे दी जाती हैं। जोखिम को देखते हुए शाखाओं में सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने, उचित अलार्म प्रणाली लगाने आदि जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा, चोरों/डकैतों का मुकाबला करने के लिए बैंक कर्मचारियों, आम जनता और पुलिस को प्रेरित करने के उद्देश्य से एक पुरस्कार योजना की भी घोषणा की गई है। चूंकि सम्बन्धित अपराधियों की गिरफ्तारी अत्यन्त महत्वपूर्ण निवारक उपाय है, इसलिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए सभी प्रयास करने का अनुरोध किया गया है। पुलिस से जांच के दौरान मामले के सभी पहलुओं को देखने की अपेक्षा की जाती है जिसमें बैंक कर्मचारियों अथवा पुलिस कार्मिकों की मिलीभगत की सम्भावना भी शामिल है।

विवरण

बैंक का नाम	वारदात की तारीख	अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख रुपए में)
1	2	3
	पंजाब	
1. पंजाब नेशनल बैंक शाहपुर जजन जिला गुरदासपुर	30-1-86	0.36
2. न्यू बैंक आफ इण्डिया तरनतारण	8-1-86	4.00
3. केनरा बैंक, बुटामण्डी, जालंधर	8-2-86	0.98
4. स्टेट बैंक आफ पटियाला सुच्चा कलां, भटिंडा	1-2-86	0.37
5. यूनियन बैंक आफ इण्डिया चौगेट्टी शाखा, जालंधर	14-3-86	0.88
6. पंजाब नेशनल बैंक कंधला, जतन	24-3-86	0.16
7. पंजाब एण्ड सिंध बैंक बरपाल	28-2-86	0.47
8. पंजाब एण्ड सिंध बैंक भोगपुर	26-4-86	2.29
9. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स लसोई, मालेरकोटला	6-5-86	4.50
10. पंजाब एण्ड सिंध बैंक खालसा कालेज, अमृतसर	8-5-86	2.20
11. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स शहजादा, गुरदासपुर	28-5-86	0.27
12. सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया पासासूर शाखा, तरनतारण	3-3-86	0.09

1	2	3
13. पंजाब नेशनल बैंक भरथ, गुरदासपुर	30-5-86	0.53
14. केनरा बैंक, अपरा, जालंधर	19-6-86	0.93
15. बैंक आफ इण्डिया, जालंधर सिटी	17-6-86	6.31
16. पंजाब नेशनल बैंक, सहनसारा कलां	10-6-86	0.96
17. केनरा बैंक, मांजगढ़	20-6-86	0.09
18. पंजाब एण्ड सिंध बैंक, मोगा एक्सटेंशन काऊंटर	10-6-86	1.07
19. इण्डियन ओवरसीज बैंक, ग्रीन एवेन्यू, अमृतसर	8-7-86	0.05
20. पंजाब एण्ड सिंध बैंक नत्थुवाला वेस्ट, फरीदकोट	26-2-86	0.61
21. यूनियन बैंक आफ इण्डिया अफ्फरवाल, जालंधर	21-3-86	0.17
22. केनरा बैंक, चूरवाली, जालंधर	26-6-86	0.35
23. स्टेट बैंक आफ पटियाला खनौरी, संगरूर	4-6-86	0.74
24. स्टेट बैंक आफ पटियाला स्वद्धी, लुधयाना	6-6-86	0.34
25. पंजाब एण्ड सिंध बैंक खेड़ी नौध सिंह, लुधियाना	21-7-86	0.96
26. यूनियन बैंक आफ इण्डिया गवाड़ी, लुधियाना	21-7-86	0.05
27. भारतीय स्टेट बैंक, चन्नू, फरीदकोट	25-1-86	शून्य

1	2	3
28. स्टेट बैंक आफ पटियाला कल्याण सुखा, भटिंडा	14-7-86	0.10
29. स्टेट बैंक आफ पटियाला मण्डी, गोविंदगढ़	14-7-86	0.12
30. पंजाब एण्ड सिंध बैंक रसूलपुर, सैदां, पटियाला	13-8-86	0.33
31. पंजाब एण्ड सिंध बैंक रसूलपुर, सैदां, इण्डस्ट्रीयल एरिया पटियाला	11-9-86	0.93
32. स्टेट बैंक आफ पटियाला शक्ति विहार, एक्सटेंशन काऊंटर, पटियाला	5-9-86	शून्य
33. न्यू बैंक आफ इण्डिया नवां शहरदोआबा	26-8-86	शून्य
34. पंजाब एण्ड सिंध बैंक एम० जी० एन० कालेज आफ एज्यूकेशन, जालंधर	23-10-86	शून्य
35. भारतीय स्टेट बैंक तलवाड़ा टाऊनशिप, होशयारपुर	30-10-86	17.99
36. पंजाब एण्ड सिंध बैंक भगतांवालां गेट, अमृतसर	25-10-86	0.76
37. पंजाब नेशनल बैंक चौक भारतनगर, लुधियाना	28-10-86	0.13
38. यूको बैंक, सिंह भगवन्तपुरा, रोपड़	29-11-86	0.50
39. स्टेट बैंक आफ पटियाला गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब, पटियाला	20-11-86	2.94
40. स्टेट बैंक आफ पटियाला बड़ापिंड, जालंधर	24-10-86	0.19
41. स्टेट बैंक आफ पटियाला बिर्क अल्ला, भटिंडा	19-12-86	0.13

1	2	3
42. स्टेट बैंक आफ पटियाला मोहाली, रोपड़	17-12-86	शून्य
43. न्यू बैंक आफ इण्डिया मुबारकपुर	6-10-86	0.04
44. बैंक आफ इण्डिया जालंधर औद्योगिक क्षेत्र	20-1-87	4.02
45. पंजाब एण्ड सिंध बैंक सोहल थाथि, अमृतसर	23-1-87	0.38
हिमाचल प्रदेश		
डकैती की किसी भी वारदात की सूचना नहीं दी गई ।		
जम्मू व कश्मीर		
1. बैंक आफ बड़ौदा गांधीनगर, जम्मू	28-4-86	शून्य
हरियाणा		
1. न्यू बैंक आफ इण्डिया पुराना फरीदाबाद	8-8-86	7.96
2. सिंडिकेट बैंक दयालपुर	7-10-86	0.10

आंकड़े अनन्तिम ।

लीड बैंक योजना सम्बन्धी कार्य दल की रिपोर्ट

450. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री जिले के लिए लीड बैंक की अवधारणा के बारे में 28 नवम्बर, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड बैंक योजना के कार्यकरण के अध्ययन के लिए मार्च, 1985 में गठित कार्य दल की रिपोर्ट इस बीच सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और इसमें क्या सिफारिशें की गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) कार्यकारी दल द्वारा जल्दी ही अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा ।

प्रौद्योगिकी मिशनों के काम का मूल्यांकन

451. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :**
श्रीमती वसवराजेश्वरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गठित प्रौद्योगिकी मिशनों द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने निम्नलिखित क्षेत्रों में जनवरी, 1986 में पांच प्रौद्योगिकी मिशनों की स्वीकृति दी थी :—

मिशन	केन्द्रीय अभिकरण
1. रोग-प्रवण लोगों, विशेषकर बच्चों, को टीके लगाना और रोग से उनका प्रतिरक्षण	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
2. खाद्य तेलहन-सघन खेती और तेल उत्पादन	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
3. बेहतर संचार	दूर-संचार विभाग
4. प्रत्येक गांव में पेय जल और जल प्रबन्ध	ग्रामीण विकास विभाग
5. निरक्षरता उन्मूलन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय

केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग के अलावा, प्रत्येक मिशन के साथ सहयोग के लिए जिन अनेक विभागों/संगठनों/अभिकरणों को जोड़ा जाना है उनका भी अभिनिर्धारण किया गया ।

केन्द्रीय अभिकरणों ने मिशनों के प्रलेखों को अन्तिम रूप दे दिया है, परन्तु "निरक्षरता उन्मूलन" पर मिशन का प्रलेख अभी तैयार किया जा रहा है।

सरकार प्रत्येक प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत कार्य में हुई प्रगति का लगातार मूल्यांकन और मानीटरन कर रही है।

ईंधन की कम खपत न करने वाली कारों पर करों में रियायत

452. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1000 सी० सी० से अधिक शक्ति की कारों पर, जो ईंधन की कम खपत के निर्धारित स्तर की नहीं हैं, आटोमोबाइल करों में रियायतें बहाल कर दी गई हैं; और

(ख) क्या करों में रियायत अब कम ईंधन की खपत और स्वदेशी पुर्जों के प्रयोग के आधार पर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 24 दिसम्बर, 1986 से सरकार ने उन राजकोषीय रियायतों को पुनः बहाल कर दिया है जो 1000 सी० सी० से अधिक क्षमता के इंजन वाली ईंधन दक्ष मोटर कारों पर पहले उपलब्ध थीं।

ईंधन दक्ष जांच सम्बन्धी प्रक्रिया को अब और अधिक कड़ा बना दिया गया है तथा इन रियायतों को स्वदेशीकरण के लिए निर्माण के स्वीकृत चरणबद्ध कार्यक्रम के कड़ाई से अनुपालन किए जाने के साथ भी जोड़ा गया है।

पिछले दशक के दौरान इमारती लकड़ी का उत्पादन

453. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दशक के दौरान इमारती लकड़ी का कितना उत्पादन (वर्ष और मूल्यवार) हुआ;

(ख) पिछले दशक के दौरान, उपलब्ध इमारती लकड़ी का विभिन्न सरकारी/गैर-सरकारी क्षेत्रों को (मंत्रालय-वार) किस प्रकार वितरण (मूल्य और मात्रावार) किया गया; और

(ग) पिछले दशक के दौरान रेल मंत्रालय को कितनी इमारती लकड़ी (वर्ष और मूल्यवार) सप्लाई की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पिछले दशक के दौरान उन वित्तीय वर्षों से सम्बन्धित औद्योगिक लकड़ी का रिकार्ड किया गया उत्पादन,

जिनके बारे में भारत सरकार के पास जानकारी उपलब्ध है, नीचे दिया गया है :—

वर्ष		लकड़ी का उत्पादन 000मी०^3. में
1970-71	—	9121
1974-75	—	9798
1975-76	—	9911
1976-77	—	11108
1977-78	—	11155
1978-79	—	12000
1979-80	—	13506

कीमत के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) विभिन्न सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों (मंत्रालय-वार) को इमारती लकड़ी के वितरण के सम्बन्ध में आंकड़े भारत सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों और निगमों द्वारा रेलवे को इमारती लकड़ी की आपूर्ति की जाती है। पिछले 5 वर्षों के दौरान रेलवे स्लीपरों के रूप में रेलवे को सप्लाई की गई इमारती लकड़ी का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष		स्लीपरों की संख्या (हजारों में)
1981-82	—	3252
1982-83	—	2868
1983-84	—	2942
1984-85	—	3690
1985-86	—	2495

10 वर्षों की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा प्राप्त की गई फुटकर लकड़ी की कीमत

नीचे दी गई है :—

वर्ष		भारतीय रेलवे द्वारा प्राप्त की गई फुटकर लकड़ी की कीमत (करोड़ रु० में)
1975-76	—	9.3
1976-77	—	9.6
1977-78	—	8.46
1978-79	—	9.71
1979-80	—	10.34
1980-81	—	10.85
1981-82	—	17.06
1982-83	—	29.44
1983-84	—	15.99
1984-85	—	17.39

औद्योगिक विकास दर

454. श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में औद्योगिक प्रगति के विकास का आकलन करते समय इलैक्ट्रानिक और कुछ अन्य उद्योगों को शामिल नहीं किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उनको शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब इनमें सुधार कर दिया गया है और विकास दर का आकलन करने के लिए किन उद्योगों के बारे में विचार किया जा रहा है और किन उद्योगों को शामिल नहीं किया जा रहा है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) संशोधित सूची के अनुसार वर्ष 1986 के लिए औद्योगिक विकास की दर क्या है और निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में यह कितनी है; और

(ङ) वर्ष 1987 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध राय) : (क) जी हां, जहां तक आधार वर्ष 1970 के औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की पहली शृंखला का संबंध है।

(ख) उद्योग का विवरण न होना, पर्याप्त संख्या में आधार वार्षिक उत्पादन आंकड़ों की अनुपलब्धता।

(ग) जी हां श्रीमान, आधार वर्ष 1980-81 सहित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की संशोधित शृंखला के मदों की सूची सभा पटल पर रखे गये विवरण में दर्शाई गई है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 3741/87] चयन का सामान्य मापदण्ड यह है कि मद का सकल वार्षिक उत्पादन या तो कम से कम 5 करोड़ रुपए का हो अथवा सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 1.25 करोड़ रुपये की वृद्धि करता हो बशर्ते कि मासिक उत्पादन आंकड़े उपलब्ध हों।

(घ) और (ङ) आधार वर्ष 1980-81 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की संशोधित शृंखला के अनुसार वर्ष 1984-85 की तुलना में वर्ष 1985-86 के दौरान औद्योगिक विकास की दर 8.7 प्रतिशत है। 1985 की उसी अवधि की तुलना में जनवरी 1986 से अक्तूबर, 1986 तक की अवधि की दर 7.1 प्रतिशत है। सातवीं योजना अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत की वार्षिक औसतन विकास दर परिकल्पित की गई है।

[हिन्दी]

सीमाशुल्क से आयातित सामान को निकालने की प्रक्रिया को सरल बनाना

455. **श्री राजकुमार राय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमाशुल्क प्राधिकारियों से आयातित सामान को प्राप्त करने की वर्तमान प्रक्रिया बहुत जटिल है; और

(ख) यदि हां, तो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दिल्ली में आयात कार्गो की निकासी प्रगति मैदान स्थित अन्तरदेशीय आधान डिपो और अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित हवाई कार्गो टर्मिनल के जरिए की जाती है। मई 1986 से अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित नए कार्गो टर्मिनल की स्थापना से और कार्गो के अभिरक्षक के रूप में भारतीय अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की नियुक्ति से, कुछ प्रारम्भिक समस्या हो गई जिनके कारण आयातकर्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ा था। इन कठिनाइयों को अब दूर कर दिया गया है। पर्यवेक्षी अधिकारी निकासी सम्बन्धी कार्यविधियों की यह सुनिश्चित करने के लिए सतत् जांच करते हैं कि निकासी निर्विघ्न रूप से और शीघ्र की जा सके।

[अनुवाद]

सी० टी० बॉडी स्कैनरों के शुल्क-मुक्त आयात के कारण राजस्व की हानि

456. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

"सी० टी० होल बाडी स्कैनरों" और "अल्ट्रासाउण्ड उपकरणों" के शुल्क-मुक्त आयात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई है;

(ख) इन उपकरणों के आयात से राष्ट्रीय राजकोष को प्रतिवर्ष लगभग कितनी धनराशि का नुकसान होता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इन उपकरणों के आयात सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चालू वित्त वर्ष में, "सी० टी० होल बाडी स्कैनरों और अल्ट्रासाउण्ड" उपकरणों के निःशुल्क आयातों का मूल्य लगभग 7 करोड़ रुपए है। इनमें 7.5 करोड़ रुपए का शुल्क अन्तर्ग्रस्त है।

(ग) "सी० टी० स्कैनरों" का आयात सीमित आधार पर है। "अल्ट्रासाउण्ड" उपकरण निर्बाध सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आते हैं। "अल्ट्रासाउण्ड" उपकरणों का जब देश में पर्याप्त उत्पादन होने लगेगा तब इनके निःशुल्क आयात किए जाने के प्रश्न की समीक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

सरकार द्वारा खरीदी गई निजी स्थावर सम्पत्ति की नीलामी

457. **श्री शांति धारीवाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वित्त अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत खरीदी गयी अचल सम्पत्तियों की नीलामी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों को पुनः नीलाम करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) उपबन्धों का उद्देश्य सरकार के लिए अचल सम्पत्तियों को खरीदना नहीं है बल्कि सम्पदा के वास्तविक सौदों में कम मूल्य लगा कर उसके माध्यम से करों का अपवंचन करने पर रोक लगाना है। इस कारण से और सरकार द्वारा खर्च की गयी राशियों को पुनः चालित करने के विचार से, सम्पत्तियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा बेचने का प्रस्ताव है।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मुझे आपसे एक बात कहनी है। रेल बजट प्रस्तुत हो इससे पूर्व मुझे आपके माध्यम से सरकार से एक निवेदन करना है। अरुणाचल प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा देने की घोषणा के बाद चीनी कूटनीतिज्ञों ने घोषित किया है कि यह तथाकथित चीनी क्षेत्र में हस्तक्षेप है·····

अध्यक्ष महोदय : आप इसे दे सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : और उन्होंने कहा है कि चीन पर मैकमाहोन लाइन को थोपना एक भारतीय प्रयास है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर गौर करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : यह एक बहुत ही गम्भीर वक्तव्य है, और मैं इस पर भारत सरकार से वक्तव्य देने की मांग करता हूं ताकि·····हो सके।

अध्यक्ष महोदय : हम सहमत हैं, आने वाले समय में, मैं इन बातों पर विचार करूंगा।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इससे पहले कि मन्त्री जी रेल बजट प्रस्तुत करें, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा·····

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही चर्चा कर ली है और इस विषय पर सहमति व्यक्त की है। हम इसे बाद में लेंगे।

श्री नारायण चौबे : इस माह की 23 तारीख को, इस बजट का कुछ अंश कलकत्ता के पत्रों में छप चुका है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसे ही चलता रहता है यह।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : यह क्या हो रहा है, महोदय ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमेशा ही ऐसे होता है। अटकल-पच्चू लगाते रहते हैं, इसका क्या इलाज है ?

श्री नारायण चौबे : ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल खबर आ जाता है? क्या बात है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब तक आपने बजट देखा न हो तब तक आप ऐसा कैसे कह सकते है?

[हिन्दी]

आप क्लैअरवायन्ट तो हैं नहीं, पहले बजट देखा नहीं है, पहले ही कह रहे हैं। क्या बात है? क्या निकलेगा ?

श्री नारायण चौबे : देख लीजिए, साहब।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री माधवराव सिंधिया।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है। कुछ नहीं। कोई बात नहीं है। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इसकी बात कर सकते हैं।

अब श्री माधवराव सिंधिया रेल बजट प्रस्तुत करेंगे।

———

12.02 म०प०

रेल बजट, 1987-88

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नाथूराम सिलिया) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, मैं भारतीय रेलों के 1986-87 के संशोधित अनुमान और 1987-88 के बजट अनुमान प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हूं।

प्रस्तावना

2. सदन को यह सूचित करते हुए मुझे हर्ष है कि 1985-86 में और चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में भारतीय रेलों के कार्य-निष्पादन में निरन्तर सुधार हुआ है। 1985 में उत्पन्न जोश-व-खरोश पूरे देश के रेल कर्मचारियों को निरन्तर प्रेरणा दे रहा है। जिस तरह से नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए और नए-नए लक्ष्यों को पार करते हुए उन्होंने अपने कार्य की चुनौतियों का मुकाबला किया है, उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। मानव-श्रम और मशीन, दोनों की उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। वास्तव में, परिवहन कुशलता में इतना अधिक सुधार हुआ है कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि भारतीय रेलें माल ढुलाई की क्षमता के उपयोग में विश्व की अग्रणी रेलों में से एक हैं और उन्होंने विश्व की लगभग सभी रेलों को, यहां तक कि विकसित देशों की रेलों को भी, पीछे छोड़ दिया है। प्रति मालडिब्बा प्रतिदिन शुद्ध टन किलोमीटर (ब० ला०) जो रेल माल परिचालन के लिए सर्वाधिक व्यापक कुशलता संकेतक है, 1984-85 के 1150 से बढ़कर 1985-86 में 1296 हो गया, जो अकेले एक वर्ष में 12.7% वृद्धि दर्शाता है। यही कारण है कि शुद्ध मालडिब्बा बेड़े में कोई वृद्धि न होने के बावजूद, हमने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 21.6 मिलियन टन माल की अधिक ढुलाई की जो लक्ष्य से 9.4 मिलियन टन अधिक है और 206 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर परिवहन उत्पादन दर्ज किया। इस प्रकार पहली बार 200 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर के युगान्तरकारी आंकड़े को पार कर लिया। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 1985-86 का प्रत्येक महीना भारतीय रेलों के इतिहास में माल लदान के सम्बन्ध में उस माह विशेष का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान था। यह सन्तोष की बात है कि सदन के सभी वर्गों के माननीय सदस्यों से मिल रहे ज्ञान, समर्थन और प्रोत्साहन तथा समूचे देश के रेल उपयोगकर्ताओं के सहयोग के कारण चालू वर्ष 1986-87 के प्रथम नौ महीनों में 1985-86 के उन महीनों विशेष के प्रत्येक माह में स्थापित किए गए कीर्तिमान एक बार फिर टूट गए हैं।

वित्तीय परिणाम 1985-86

3. जहां तक 1985-86 में हमारे वित्तीय निष्पादन का सम्बन्ध है, हम कदाचित् विश्व की उन कुछ इनी-गिनी रेलों में से एक हैं जो अधिशेष अर्जित करने में सफल हुई हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि हमने अन्य बातों के अलावा यात्री यातायात में और कुछ अनिवार्य वस्तुओं के संचलन में 1100 करोड़ रुपए से अधिक की रियायत दी थी। कड़े वित्तीय प्रबन्ध और वृहत्तर राजस्व प्रयास के द्वारा भारतीय रेलों ने 1983-84 और 1984-85 के क्रमशः 45 करोड़ रुपए और 196 करोड़ रुपए के घाटे के विपरीत लगभग 179 करोड़ रुपए का अधिशेष कमा कर विगत दो वर्षों के रुख को पलट दिया है। यह अधिशेष मार्च, 1985 में बजट प्रस्तुत करने के समय परिकल्पित अधिशेष से 105 करोड़ रुपए अधिक था। यह अधिशेष सामान्य राजस्व को 507 करोड़ रुपये के पूर्ण लाभांश का भुगतान करने के बाद और मूल्यह्रास आरक्षित निधि में भारी मात्रा में बढ़ाए गए

920 करोड़ रुपए के महत्वपूर्ण अंशदान, जो ब्याजदेय पूंजी का लगभग 10 प्रतिशत है, के बाद प्राप्त हुआ है।

माल यातायात का निष्पादन 1986-87

4. माल परिचालन के क्षेत्र में, रेलें मालडिब्बा बेड़े में केवल मामूली वृद्धि के बावजूद दिसम्बर, 1986 के अन्त तक 220 मिलियन टन माल का लदान करने में सफल रही हैं, जो गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि से लगभग 13 मिलियन टन अधिक है। मुझे पूरी आशा है कि वर्ष की समाप्ति पर हम पहली बार निर्धारित लक्ष्य से 6 मिलियन टन अधिक 300 मिलियन टन के शिखर को छू लेंगे। यहां यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि इस उच्चतर टन भार की ढुलाई अधिक गमन-दूरी पर की गई है जिसके परिणामस्वरूप शुद्ध टन किलोमीटर के हिसाब से, जो परिवहन प्रयास का वास्तविक सूचकांक है, समग्र परिवहन में दिसम्बर, 1986 के अन्त तक गत वर्ष कीतदनुरूपी अवधि की तुलना में लगभग 10 बिलियन की वृद्धि दर्ज की गयी है, जो 6.7 प्रतिशत वृद्धि को द्योतक है। सामान्य कुशलता संकेतक, अर्थात् प्रति मालडिब्बा प्रतिदिन शुद्ध टन किलोमीटर (बड़ी लाइन) चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में पिछले वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के 1255 से बढ़कर 1321 हो गया, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। श्रीमन्, ये आंकड़े रेल प्रणाली की उत्पादकता में स्पष्ट और सतत् सुधार प्रदर्शित करते हैं।

वित्तीय निष्पादन 1986-87

5. चालू वित्त वर्ष 1986-87 में साधारण संचालन व्यय अब 5392 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो बजट अनुमान से 692 करोड रुपए अधिक है। इस वृद्धि का मुख्य कारण है—वेतन बिल में 563 करोड़ रुपए की बजटोत्तर वृद्धि, जिसमें 462 करोड़ रुपए अकेले वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित हैं। शेष अतिरिक्त महंगाई भत्ते और उत्पादकता सम्बद्ध बोनस से सम्बन्धित हैं। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में 1250 करोड़ रुपए और पेंशन निधि में 350 करोड़ रुपए के विनियोग को हिसाब में लेते हुए कुल संचालन व्यय का संशोधित अनुमान 6992 करोड़ रुपए है। मैं सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहूंगा कि मूल्यह्रास आरक्षित निधि के लिए 1250 करोड़ रुपए का आबंटन, 1985-86 में आबंटित 920 करोड़ रुपए की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है। मूल्यह्रास आरक्षित निधि में यह अंशदान 10 वर्ष पूर्व ब्याजदेय पूंजी के लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर पिछले वर्ष 10 प्रतिशत और चालू वर्ष में 12 प्रतिशत हो गया है। इन आंकड़ों से सदन सहज ही अनुमान लगा सकेगा कि गत वर्षों में यह अनिवार्य अंशदान नितान्त अपर्याप्त था और यह बदलाव कार्य अत्यधिक जमा हो जाने तथा आधुनिकीकरण की धीमी गति का प्रमुख कारण रहा है। अब हम काफी हद तक कालातीत बदलावों के लिए आवश्यकता पर आधारित मांग को पूरा करने में सफल हो जाएंगे। संरक्षा पहलुओं और परिचालनिक आवश्यकताओं की दृष्टि से यह परिवर्धित आबंटन निस्सन्देह रेलों की कार्यकुशलता के लिए न केवल अभी बल्कि आगामी वर्षों में भी अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध होगा।

सकल प्राप्तियां 1986-87

5.1 जहां तक सकल यातायात प्राप्तियों का सम्बन्ध है, अब इनका अनुमान बजट अनुमान के 6819 करोड़ रुपए और गत वर्ष के वास्तविक 6428 करोड़ रुपए की तुलना में 7503 करोड़ रुपए है जो क्रमशः 684 करोड़ रुपए और 1075 करोड़ रुपए अधिक है।

5.2 सदन को स्मरण होगा कि कर्मचारी लागत में हुई बजटोत्तर वृद्धियों के कारण, जो

मुख्यत: वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हुई थीं, मुझे नवम्बर, 1986 में अनुदान की पूरक मांगों के लिए सदन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय मैंने 95 करोड़ रुपए के घाटे की प्रत्याशा की थी। बहरहाल, मैंने सदन को आश्वासन दिया था (जिसे मैं उद्धृत कर रहा हूं) "हमारा सतत प्रयास होगा कि इस अन्तर को चालू वर्ष की अवधि में और अधिक गहन यातायात उपायों के जरिए यथासम्भव अधिकतम मात्रा में पूरा किया जाए।" इस चुनौती को हमारे विशाल देश के कोने-कोने में स्थित प्रत्येक रेलवे दल ने स्वीकार किया था। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राजस्व को अधिकाधिक बढ़ाने के इस प्रयास के कारण हम न केवल 95 करोड़ के प्रक्षेपित घाटे को पूर्णत: पूरा करने की आशा करते हैं, बल्कि सामान्य राजस्व को 570 करोड़ रुपए के पूर्ण लाभांश का भुगतान करने के बाद 11 करोड़ रुपए के मामूली अधिशेष की भी आशा करते हैं।

शुद्ध वित्तीय परिणाम 1986-87

6. भारतीय रेलों के दो उद्देश्य हैं, एक तो देश की जनता के लिए उचित मूल्य पर परिवहन के साधन की व्यवस्था करना और दूसरा भाल परिवहन की मांगों को पूरा करना ताकि देश की आर्थिक अधिरचना सुदृढ़ हो। क्षमता और ससाधनों की प्रत्यक्ष कमी के बावजूद हमारा प्रयास है कि इन दोनों के बीच एक विवेचित सन्तुलन बनाए रखा जाए। जहां तक यात्री सेवाओं का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र में भी हम माल संचलन की भांति ही प्रयास कर रहे हैं। कोचिंग बेड़े में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि के बिना भी हम रेक सम्पर्कों को युक्तियुक्त बनाने, पड़ाव अवधि को न्यूनतम करने, वाहन निष्क्रियता में कमी करने, आवधिक ओवरहालिंग उत्पादकता में वृद्धि करने और संगणकीकृत कोचिंग कैबिनेट स्थापित करने जैसे विभिन्न उपायों के द्वारा उनके उपयोग में अत्यधिक वृद्धि करके अतिरिक्त गाड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफल हुए हैं।

यात्री सेवाएं

6.1 1985-86 के दौरान रेलों ने 8 अतिरिक्त यात्री गाड़ियां चलायीं, 42 गाड़ियों के चालन क्षेत्र का विस्तार किया, 3 जोड़ी गाड़ियों के फेरों में वृद्धि की और 358 गाड़ियों की रफ्तार तेज की। उपनगरीय खण्डों पर 65 नई गाड़ियां चलाई गयी और 15 की चालन दूरी बढ़ाई गई। चालू वर्ष 1986-87 में भी हम 9 जोड़ी नई मेल/एक्सप्रेस सेवाएं और 40 नई उपनगरीय गाड़ियां चलाने, 10 गाड़ियों के फेरों में वृद्धि करने, 10 जोड़ी अन्य गाड़ियों की चालन दूरी बढ़ाने, 27 जोड़ी गाड़ियों में डिब्बों की संख्या बढ़ाने और 409 गाड़ियो की रफ्तार तेज करने में सफल रहे हैं।

6.2 माननीय सदस्यों को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि बेहतर और अतिरिक्त गाड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने के इस प्रयास को आगामी वर्ष 1987-88 में आगे और अधिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। मैंने 1-4-1987 से लागू होने वाली समय-सारणी में कई और यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करने का विनिश्चय किया है।

1987-88 में अतिरिक्त यात्री गाड़ी सुविधाएं

6.2.1 कई नई गाड़ियां चलाई जाएंगी। ये गाड़ियां हैं :—

बम्बई वी० टी० और कोचीन के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी
(सप्ताह में दो दिन)

इटारसी और जबलपुर के रास्ते पटना और मद्रास के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी
(सप्ताह में एक दिन)

हैदराबाद और कोचीन के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी
(सप्ताह में एक दिन)

हैदराबाद और अहमदाबाद के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी
(सप्ताह में एक दिन)

अहमदाबाद और कोचीन के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी
(सप्ताह में एक दिन)

लखनऊ और बम्बई के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी
(सप्ताह में तीन दिन)

गुवाहाटी और कोचीन के बीच एक सुपरफास्ट गाड़ी
(सप्ताह में एक दिन)

समदड़ी और रानीवाड़ा के बीच एक गाड़ी (मीटर लाइन)।

6.2.2 कई गाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाएंगे। ये गाड़ियां हैं :—

59/60 हैदराबाद—मद्रास चारमीनार एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन के बजाय 4 दिन चलाया जाएगा।

वाराणसी और दुर्ग के बीच चलने वाली 159/160 सारनाथ एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन के बजाय 3 दिन चलाया जाएगा।

127/128 कर्नाटक एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन के बजाय 4 दिन चलाया जाएगा। बढ़े हुए दिनों में यह गाड़ी विजयवाड़ा के रास्ते 927/928 के रूप में चलेगी।

121/122 तमिलनाडु एक्सप्रेस को सप्ताह में 4 दिन के बजाय 5 दिन चलाया जाएगा।

6.2.3 कई मौजूदा गाड़ियों के चालन क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। ये हैं :—

265/266 जोधपुर-भिलडी एक्सप्रेस (मी० ला०) को अहमदाबाद तक बढ़ाया जाएगा।

109/110 चित्रकूट एक्सप्रेस को, जो लखनऊ और मानिकपुर के बीच चलती है, जबलपुर तक बढ़ा दिया जाएगा।

107/108 बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस को ग्वालियर तक बढ़ा दिया जाएगा।

105/106 हावड़ा—समस्तीपुर एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को, मुजफ्फरपुर तक बढ़ा दिया जाएगा।

6.2.4 लम्बी दूरी की कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियों की रफ्तार बढ़ायी जाएगी। उनमें ये गाड़ियां शामिल हैं :—

925/926 बिलासपुर—भोपाल महानदी एक्सप्रेस

915/916 पुरी—नयी दिल्ली एक्सप्रेस

509 गुवाहाटी—नयी दिल्ली अवध असम एक्सप्रेस

यात्री सुख-सुविधाएं

7. अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था करने के अलावा, हम ऐसे क्षेत्रों की ओर बराबर ध्यान दे रहे हैं जहां यात्री सुख-सुविधाओं में सुधार किया जा सकता है।

संगणकीकृत आरक्षण

7.1 जैसाकि मैंने सदन में पहले उल्लेख किया था, समूचे दिल्ली क्षेत्र अर्थात् दिल्ली, नयी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन तथा शहर में दूरस्थ चार टर्मिनलों में यात्री आरक्षण लक्ष्य के अनुसार मार्च, 1987 तक संगणक द्वारा किया जाने लगेगा। बम्बई और कलकत्ता में भी इसी प्रकार की प्रणालियों की व्यवस्था करने की योजना बनायी गयी है, जहां पहला चरण दिसम्बर, 1987 तक पूरा हो जाएगा। 1987-88 में पांच और परियोजनाओं पर, यथा-मद्रास बेंगलूरु, सिकन्दराबाद, भोपाल और लखनऊ में कार्य शुरू हो जाएगा।

आदर्श स्टेशन

7.2 हमने सभी भारतीय रेलों पर 67 स्टेशनों को आदर्श स्टेशनों के रूप में विकसित करने के लिए चुना है। ये स्टेशन सौन्दर्यपरक अभिकल्प और यात्री सुख-सुविधाओं के मामले में पथ-प्रदर्शन करेंगे।

दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में गद्दियां

7.3 दूसरे दर्जे में यात्रा को और अधिक आरामदेह बनाने के उद्देश्य से दूसरे दर्जे के सभी पुराने शयनयानों में भी गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। हमें आशा है, यह कार्य अगले तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा।

खान-पान

7.4 अल्यूमिनियम के पैकेटों में, जो खाने के बाद फेंके जा सकते हैं, गर्म और स्वच्छ भोजन देने की प्रतिक्रिया उत्साहवर्द्धक रही है और इस सेवा का विस्तार दिसम्बर, 1986 तक 53 गाड़ियों में कर दिया गया है जबकि जून, 1985 में यह व्यवस्था केवल 2 गाड़ियों में ही शुरू की गयी थी। इन गाड़ियों में भोजन की बिक्री में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सप्लाई किए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए कई आधार रसोईघरों को विन्यास और उपस्कर दोनों ही दृष्टियों से पूर्णतः आधुनिक बनाया जा रहा है।

समय-पालन

8. समय-पालन की ओर मेरा विशेष ध्यान है। मंडल और क्षेत्रीय मुख्यालयों में रखी जा रही नियमित निगरानी के अलावा, रेलवे बोर्ड में एक विशेष कक्ष द्वारा चौबीसों घण्टे 200 महत्वपूर्ण गाड़ियों पर निगरानी रखी जाती है। कभी-कभी रेल पथ और उपस्कर की खराबियों, दुर्घटनाओं, स्थानीय आन्दोलनों और बदमाशों के कुकृत्यों के कारण, जो खतरे की जंजीर खींच देते हैं और हौज पाइप अलग

कर देते हैं, गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं। इस प्रकार की खराबियों की संख्या घटाने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी, यात्री जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है। चूंकि सम्बद्ध क्षेत्रों में व्याप्त कानून और व्यवस्था की स्थिति का गाड़ियों के समय पालन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए राज्य सरकारों के साथ भी निकट समन्वय बनाए रखा जाता है।

9. रेलें जनता की शिकायतों को दूर करने के काम को उच्च प्राथमिकता देती हैं, और वे सभी स्तरों पर अपने तन्त्र में चुस्ती लायी हैं। हमारा प्रयास लाखों रेल उपयोगकर्त्ताओं को उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाना ही नहीं है, बल्कि उनकी शिकायतों और सुझावों की ओर सहानुभूतिपूर्वक तथा तत्परता से ध्यान देना भी है। ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा में सुधार के एक अंग के रूप में हानि और क्षति के दावों में कमी लाने के अभियान का बहुत अच्छा परिणाम निकला है। 1985-86 में नए दावों की संख्या में 7 प्रतिशत की कमी आयी है। चालू वित्त वर्ष के प्रथम नौ महीनों के दौरान, यातायात में वृद्धि के बावजूद, नये दावों की संख्या में 5.5 प्रतिशत की और कमी आयी है।

जनता की शिकायतें दूर करना

10. रेल संचालन का एक क्षेत्र ऐसा भी है, जहां हम कोई समझौता करने को तैयार नहीं हैं, वह है संरक्षा। वर्ष 1985-86 में भारतीय रेलों पर पिछले वर्षों की तुलना में सबसे कम दुर्घटनाएं हुईं। इनकी संख्या पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत कम थी। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इनमें चालू वर्ष के दौरान अप्रैल से दिसम्बर, 1986 तक की अवधि में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 12.7% की और कमी आयी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कमी प्रतिदिन चलने वाली 11,000 से अधिक गाड़ियों द्वारा अपेक्षाकृत अधिक किलोमीटर दूरी तय करने के बावजूद हासिल की गयी हैं। यह प्रति मिलियन गाड़ी किलोमीटर दुर्घटनाओं के आंकड़ों से, जो संरक्षा निष्पादन का सही सूचकांक है, स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। यह सूचकांक चालू वर्ष के प्रथम नौ महीनों में गिरकर लगभग 1.15 रह गया जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 15.4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। संसाधनों की तंगी के बावजूद अधिकाधिक समपार फाटकों पर अन्तर्पाशन और नये उपस्करों की व्यवस्था की जा रही है तथा 2597 महत्वपूर्ण स्टेशनों में से 2092 स्टेशनों पर रेलपथ के परिपथन की व्यवस्था की गयी है। पश्चिम रेलवे के बम्बई उपनगरीय खण्ड पर सहायक चेतावनी प्रणाली की व्यवस्था का काम 1987-88 में पूरा हो जाने की आशा है। इसी तरह का काम मध्य रेलवे पर भी चल रहा है। अगले वित्त वर्ष में बम्बई और दिल्ली, तथा दिल्ली और मुगलसराय के बीच राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों के मार्गों पर भी इस प्रकार की प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है।

संरक्षा

10.1 चूंकि हम संरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए मैं दुर्घटना क्षतिपूर्ति, संरक्षा और यात्री सुविधा निधि में आबंटन को दुगुना अर्थात् 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर लगभग 60 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव कर रहा हूं।

11. श्रीमन्, अब मैं माननीय सदस्यों को भारतीय रेलों पर उन भावी योजनाओं के बारे में हमारे विचारों और धारणाओं से अवगत करना चाहूंगा, जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारी रेल प्रणाली एक ही प्रबन्ध के अधीन

भावी योजनाएं

विश्व की न केवल दूसरी सबसे बड़ी प्रणाली बनी रहे, अपितु वह अति आधुनिक भी बने।

पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण

11.1 पहले चरण में, यह नितान्त आवश्यक है कि हमारे संसाधनों का एक बड़ा भाग रेलपथ, नवीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बकाया काम को पूरा करने तथा कतिपय उपेक्षित क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए खर्च किया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण का विस्तृत कार्यक्रम अपनाया जाए। यह काम हमने हाथ में ले लिया है। उदाहरण के लिए, 1986-87 में रेलपथ के नवीकरण और विद्युतीकरण के लक्ष्यों में 1984-85 की तुलना में क्रमशः 38 प्रतिशत और 67 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है और 1985-86 तथा 1986-87 में इन दो शीर्षों के अन्तर्गत योजना परिव्यय की 31 प्रतिशत राशि खर्च की गयी है। इसी प्रकार, सातवीं योजना के प्रथम दो वर्षों के योजना परिव्यय का 32 प्रतिशत चल-स्टाक पर खर्च किया गया है। दो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, यथा-सिगनल व दूर-संचार तथा कारखानों के लिए आवंटन बढ़ा दिए जाने के परिणामस्वरूप योजना परिव्यय का लगभग 74 प्रतिशत पुनर्स्थापन और आधुनिकीकरण पर खर्च किया गया है।

प्रौद्योगिकी का उन्नयन

11.2 श्रीमान्, जैसा कि मैंने पहले कहा है, भारतीय रेलों ने पिछले दो वर्षों में मौजूदा अवसंरचना के उपयोग में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। लेकिन साथ ही, हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप इस तरह का है कि रेल परिवहन के लिए मांग हमेशा बढ़ती रहती है। इन दो बुनियादी तथ्यों के कारण यह नितान्त जरूरी है कि भारतीय रेलें प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए तत्काल व्यापक उपाय शुरू करें। अतः भविष्य के लिए हमारी योजनाओं में न केवल उत्पादकता अथवा उपयोग में और अधिक सुधार करना शामिल है, अपितु रेलवे अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी को पर्याप्त उन्नत बनाना भी शामिल है। अत्यधिक घनत्व वाले मार्गों पर अधिक तनन शक्ति वाली भारी पटरियों का उपयोग करके, झलाईदार लम्बी तथा अविच्छिन्न व मजबूत सिरों वाली पटरियों और पूर्व-प्रबलित कंक्रीट स्लीपरों का इस्तेमाल करके तथा रेलपथ बिछाने और उनका अनुरक्षण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करके रेलपथ अवसंरचना के अभिकल्प, विश्वसनीयता और रफ्तार क्षमता में सुधार के उपाय शुरू किये गये हैं। सिगनल व्यवस्था से सम्बन्धित योजनाओं में इलेक्ट्रानिक आधारित उपस्कर, सालिड स्टेट अन्तर्पाशन प्रौद्योगिकी तथा गाड़ी वर्णन प्रणाली शामिल हैं, जो पायलट परियोजना के रूप में दिल्ली क्षेत्र में शुरू किये जायेंगे। आप्टिकल फाइबर संचार प्रणाली लागू करने के लिए एक अन्य पायलट परियोजना पश्चिम रेलवे के चर्चगेट-विरार उपनगरीय खण्ड पर शुरू की गयी है। ऐसी ही परियोजना आगामी वित्त वर्ष में मध्य रेलवे के बम्बई वी टी-कल्याण खण्ड पर भी शुरू करने का प्रस्ताव है। रेल इंजनों के क्षेत्र में, मौजूदा 3900 अश्व शक्ति वाले बिजली रेल इंजनों को 6000 अश्व शक्ति वाले ऊर्जा-किफायती रेल इंजनों की तरह तथा मौजूदा 2600 अश्व शक्ति वाले डीजल रेल इंजनों को 4000 अश्व शक्ति वाले ईंधन-किफायती डीजल रेल इंजनों की तरह अद्यतन बनाने के लिए उपाय किए गये हैं। इसी प्रकार, हमारी योजना है कि कपूरथला के नये रेल सवारी डिब्बा कारखाने तथा पेरम्बूर सवारी डिब्बा कारखाने में नवीनतम प्रौद्योगिकीय विशेषताओं से युक्त तेज रफ्तार वाले हल्के सवारी डिब्बों का निर्माण किया जाये। हमारी भावी योजना का अन्य महत्वपूर्ण अंग गाल डिब्बों के लिए एक

बेहतर बोगी का विकास करना है, जिसे बिना किसी बाधा के छोर से छोर तक आसानी से चलाया जा सकेगा और पटरी तथा पहियों पर कम से कम दबाव पड़ेगा। भारतीय रेलों पर रेल इंजन तथा चल स्टाक के विकास की प्रक्रिया में विश्व भर के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपलब्ध सर्वोत्तम विशिष्टताओं तथा भारतीय रेलों के अपने अनुसंधान और विकास केन्द्रों, यथा-अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन, लखनऊ, उत्पादन कारखानों और रेल कारखानों में विगत में किए गए तथा अब किए जा रहे कार्यों को ध्यान में रखने के प्रयास किए जाएंगे।

माल यातायात का संगणकीकरण

11.3 नयी प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, एक प्रमुख परियोजना जो रेलों ने प्रारम्भ की है, वह है संगणकीकृत माल यातायात परिचालन सूचना प्रणाली। इसकी संकल्पना परिष्कृत उच्च गति डिजिटल संचार सम्पर्कों के माध्यम से अनेक क्षेत्रीय कम्प्यूटरों के साथ एकीकृत करके एक केन्द्रीय कम्प्यूटर मिश्र के रूप में की गयी है। रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (सी आर आई एस) को, जो रेल मंत्रालय द्वारा प्रायोजित एक पंजीकृत सोसाइटी है, इस परियोजना का कार्यान्वयन चरणों में करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

1986-87 और 1987-88 के लिए वार्षिक योजना आकंटन

12. चालू वर्ष के लिए रेलवे योजना में बजट के समय 2650 करोड़ रुपये का निवेश करने का विचार किया गया था। अब इस परिव्यय में नव गठित भारतीय रेल वित्त निगम की इक्विटी पूंजी में अंशदान के भाग को पूरा करने के लिए बजटीय सहायता में 25 करोड़ रुपये की वृद्धि करके उसे 2675 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष में, यह निगम 250 करोड़ रुपये के बांड जारी करने का विचार कर रहा है जिससे 2675 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना के एक भाग का वित्त पोषण हो सकेगा।

12.1 वित्त वर्ष 1987-88 के लिए, रेलवे योजना 2980 करोड़ रुपये की है। इस परिव्यय में से, 300 करोड़ रुपये भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा बाजार से ऋण लेकर जुटाने का प्रस्ताव है।

12.2 सातवीं पंचवर्षीय योजना में रेलवे निवेश की वित्त व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण विशेषता, रेलों द्वारा स्वयं पर्याप्त रूप से उच्चतर आंतरिक संसाधनों का सृजन करना है। यह अंशदान जो पांचवीं योजना में 25% था और जो छठी योजना में बढ़ाकर 42% कर दिया गया था, अब बढ़कर वर्ष 1985-86 में 50% से भी अधिक हो गया है। यदि हम भारतीय रेलों की ओर से भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा बाजार से ऋण लेकर जुटायी गयी धनराशि से किए जाने वाले निवेशों को हिसाब में लें, तो योजना में रेलों के अपने अंशदान से निवेश 1986-87 में और फिर 1987-88 में बढ़कर 58% से भी अधिक हो जायेगा।

नयी लाइनें

13. नयी लाइनों के लिए देश के सभी भागों से बहुत भारी मांग हो रही है। इस समय कुल मिलाकर 2940 किलोमीटर मार्ग लम्बाई की 35 नयी लाइन परियोजनाएं चल रही हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभी लगभग 1700 करोड़ रुपये की धनराशि अपेक्षित है। सदन मेरी इस बात से सहमत होगा कि सीमित मात्रा में धनराशि की उपलब्धता को देखते हुए इन परियोजनाओं को पूरा करने

में कुछ वर्ष लगेंगे। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि इन वित्तीय सीमाओं के बावजूद, चालू वित्त वर्ष के दौरान, मिलविट्टान से तूत्तिकोरिन हार्बर तक (11 कि०मी०) बड़ी लाइन जून, 1986 में पूरी कर दी गयी थी। हम आशा करते हैं कि तलगड़िया-तुपकाडीह (33 कि०मी०) और मोतुमारी-जग्यापेट्टा टाउन (26 कि०मी०) लाइनें भी शीघ्र पूरी हो जायेंगी। मिरयालगुडा से नडिकुडे (39 कि०मी०), भटिंडा बाई पास (8 कि०मी०) और जग्यापेट्टा टाउन से जग्यापेट्टा (6 कि०मी०), नयी लाइन परियोजनाओं को अगले वित्त वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिन नयी योजनाओं पर अब काम शुरु किया जा रहा है, उनमें तामलुक-दीघा (87 कि०मी०) और सतना-रीवा (50 कि०मी०) लाइनें हैं। इसके अलावा, लक्ष्मीकान्तपुर-नामखाना लाइन को अगले वित्त वर्ष में शुरु करने के लिए अन्तिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण किया जा रहा है। त्रिचूर से गुरुवायूर तक (24 कि०मी०) नयी लाइन के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है।

आमान परिवर्तन

14. आमान परिवर्तन की 11 परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी कुल लम्बाई 2013 कि० मी० है। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित शेष धनराशि लगभग 700 करोड़ रुपये है। वित्तीय तंगी के कारण इन निर्माण कार्यों की प्रगति धीमी होना स्वाभाविक है। तथापि, आगामी वित्त वर्ष में, दो महत्वपूर्ण आमान परिवर्तन परियोजाएं शुरू की जाने की सम्भावना है। ये हैं—सूरतगढ़-बीकानेर (178 कि०मी०) और मुरादाबाद-काशीपुर (51 कि० मी०)। काशीपुर-रामनगर खण्ड पर आगे काम तब ही शुरू हो सकेगा।

सर्वेक्षण

15. वर्ष 1986-87 के दौरान, नयी लाइनों के लिए निम्नलिखित चार सर्वेक्षणों का अनुमोदन किया गया है :—

(i) बहादुरगढ़—झज्जर।

(ii) जींद —रोहतक/हांसी/हिसार।

(iii) ऊधमपुर—काजीकुंड।

(iv) गोइंदवाल—ब्यास (पुनर्मूल्यांकन सर्वेक्षण)।

मेंगलोर और रोहा के बीच पश्चिमी तट लाइन पर सर्वेक्षण कार्य मार्च, 1988 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

ऊपरी/निचले सड़क पुल

16. धन की समग्र तंगी होते हुए, रेलें अधिकाधिक ऊपरी और निचले सड़क पुलों को स्वीकृति दे रही हैं। 1986-87 में 23 नए पुलों की स्वीकृति दी गई थी और अगले वित्त वर्ष में भी लगभग इतनी ही संख्या में पुल बनाने का प्रस्ताव है। इन निर्माण कार्यों के परिव्यय को चालू वर्ष के लगभग 12 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वित्त वर्ष में लगभग 17 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर सड़क पुल

17. सदन को यह सूचना देते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष है कि तेजपुर में ब्रह्मपुत्र नदी पर 73 करोड़ रुपए की लागत वाला तीन किलोमीटर लम्बा सड़क पुल, जो पूर्वोत्तर परिषद् द्वारा हमें सौंपी गई एक गौरवपूर्ण बृहद् परियोजना है, अगले महीने अर्थात् लक्ष्य से काफी पहले पूरा हो जाने की सम्भावना है।

रेल-पथ नवीकरण

18. वर्ष 1985-86 में रेलपथ नवीकरण के कार्य की रफ्तार काफी बढ़ाई गई और 3578 कि० मी० रेलपथ का बदलाव किया गया। चालू वर्ष और अगले वर्ष के लिए क्रमशः 3800 कि० मी० और 4200 कि० मी० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रेल विद्युतीकरण

19. जहां तक विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, सातवीं योजना में हमने लगभग 830 करोड़ रुपए के परिव्यय से अन्य 3400 कि० मी० रेलपथ के विद्युतीकरण का कार्यक्रम बनाया है। प्राथमिकता, दिल्ली-बम्बई (पश्चिम और मध्य दोनों रेल मार्ग), दिल्ली-मद्रास नागपुर के रास्ते, बम्बई हावड़ा के बीच प्रमुख ट्रंक मार्गों को और कुछ अन्य खण्डों को जहां कोयला और लौह अयस्क के यातायात की अधिक ढुलाई होती है, दी जा रही है। 1985-86 के दौरान 461 मार्ग कि० मी० को ऊर्जित किया गया। चालू वर्ष में हम अन्य 560 मार्ग कि० मी० को ऊर्जित करने की प्रत्याशा करते हैं और 1987-88 के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 670 मार्ग कि० मी० कर दिया गया है। माननीय सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि पश्चिम रेलवे पर दिल्ली से बम्बई तक के समूचे ट्रंक मार्ग का विद्युतीकरण 1987-88 में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

महानगर परियोजनाएं

20. उपनगरीय परिवहन के क्षेत्र में, मेरा यह सुनिश्चित मत है कि महानगर रेल परियोजनाओं की निवेश आवश्यकताओं का परिमाण इतना अधिक है कि कोई एक एजेंसी उसके लिए सार्थक ढंग से व्यवस्था नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त, महानगरों में अधिकांश उपनगरीय सेवाओं को भारी सहायता दी जाती है। इससे रेलों को भारी घाटा उठाना पड़ता है। 1986-87 में यह घाटा लगभग 97 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। उपनगरीय सुविधाओं में और अधिक वृद्धि करने से परिचालन घाटा बढ़ना अवश्यम्भावी है। इन सब बातों को देखते हुए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि विश्व भर में शहरी यातायात की नियादी जिम्मेदारी नगर प्राधिकरणों की है, यह आवश्यक है कि राज्य सरकारें तथा नगर प्रशासन प्रारम्भिक पूंजी और आवर्ती खर्च दोनों में भागीदारी के आधार पर आगे आएं।

20.1 सदन को ज्ञात है कि मेट्रो रेलवे, कलकत्ता का लगभग 10 किलोमीटर हिस्सा वाणिज्यिक परिचालनों के लिए खोल दिया गया है और परिचालन कार्य सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है। शेष खण्डों पर कार्य चल रहा है और दिसम्बर, 1986 तक समग्र प्रगति 62 प्रतिशत थी। कलकत्ता सर्कुलर रेलवे पर प्रिंसेप घाट से उल्टाडांगा रोड खण्ड पहले ही पूरा किया जा चुका है और चालू कर दिया गया है तथा उल्टाडांगा रोड से दम दम तक कार्य प्रगति पर है।

20.2 बम्बई में, हमने मानखुर्द से बेलापुर तक (18 कि० मी० रेल लाइन के विस्तार के लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार इस परियोजना की 67% लागत वहन करने के लिए सहमत हो गई है तथा शेष 33% लागत की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जाएगी। इस परियोजना का अति महत्वपूर्ण कार्य थाणे क्रीक पर 2 कि० मी० लम्बे पुल का निर्माण करना है, जिसके लिए ठेका दिया जा चुका है।

20.3 मद्रास में, इस समय मद्रास बीच—लूज, द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना पर काम

चल रहा है। मानखुर्द-बेलापुर लाइन के मामले की तरह इस परियोजना की लागत में हिस्सेदारी के प्रश्न पर हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं।

21. रेलवे उत्पादन कारखानों का कार्य निष्पादन भी बहुत सन्तोषजनक रहा है। उनके इस निष्पादन के आधार पर मैं अगले वर्ष के लिए उनके उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुआ हूं, सिवाय डीजल इंजन कारखाना, वाराणसी के जो अपनी वर्तमान पूर्ण क्षमता के स्तर पर उत्पादन बनाए रखना जारी रखेगा। चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने की क्षमता और उसके परिणामस्वरूप उसका लक्ष्य इस वर्ष के 106 रेल इंजन से बढ़ाकर अगले वर्ष के लिए 121 रेल इंजन कर दिया गया है, बिजली रेल इंजनों का उत्पादन 70 से बढ़कर 81 रेल इंजन होगा। सवारी डिब्बा कारखाना, पेरम्बूर के लिए, जिसका प्रतिवर्ष 1000 सवारी डिब्बों की क्षमता हेतु 37 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण और विस्तार किया जा रहा है, उत्पादन लक्ष्य चालू वर्ष के 850 सवारी डिब्बों के निर्माण की तुलना में अगले वर्ष के लिए 900 सवारी डिब्बे निर्धारित किया गया है। पहिया और धुरा संयन्त्र, बंगलूरु में पहिया सेटों का उत्पादन चालू वर्ष के 20,000 पहिया सेटों के लक्ष्य से अधिक होने की सम्भावना है और अगले वर्ष यह उत्पादन स्तर 23,000 तक पहुंच जाने की आशा है। कपूरथेला में रेल सवारी डिब्बा कारखाने का निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुसार चल रहा है।

उत्पादन कारखाने

22. भारतीय रेलों पर अनुसंधान और विकास की ओर मैं विशेष ध्यान दे रहा हूं। अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन (अ० अ० मा० सं०) की अनुसंधान गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, मैंने अनुसंधान को प्रभार्य निवेश के लिए रेलवे योजना में एक अलग योजना शीर्ष पहले ही जोड़ दिया है। मेरा प्रस्ताव इस शीर्ष के अन्तर्गत निवेश को 1986-87 के 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 10 करोड़ रुपए कर देने का है। यह आबंटन रेलवे राजस्व से इस संगठन के लिए निर्धारित 19 करोड़ रुपए की राशि के अलावा होगा। मैंने उत्पादन कारखानों को भी अनुदेश दिए हैं कि वे स्वतन्त्र रूप से अपने अनुसंधान और विकास कक्ष स्थापित करें, ताकि अ० अ० मा० सं० को अनुसंधान और विकास के कम महत्व के क्षेत्रों से मुक्त रखा जा सके और वे अपना पूरा ध्यान अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की ओर लगा सकें।

अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन

23. माननीय सदस्यों को मैं पहले ही सूचित कर चुका हूं कि रेलें सार्वजनिक ऋण द्वारा चालू वर्ष में 250 करोड़ रुपए जुटाने के लिए प्रयत्नशील हैं। रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन 200 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी तथा 50 करोड़ रुपए की प्रारम्भिक प्रदत्त पूंजी से भारतीय रेल वित्त निगम नामक कम्पनी की स्थापना की गई है। इस निगम का पहला बन्ध पत्र जनता द्वारा अभिदान के लिए इसी वित्त वर्ष में जारी किए जाने का प्रस्ताव है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

23.1 यह नया निगम भारतीय रेलों की सार्वजनिक क्षेत्र में तीसरी कम्पनी है, पहली दो हैं—रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकानामिक सर्विसेज (राइट्स) और इण्डियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इरकान) दोनों ही कम्पनियों का कुशलता और लाभप्रदता के क्षेत्र में बेहतरीन रिकार्ड रहा है। राइट्स ने, जो एक परामर्शदात्री संगठन है, 1985-86 में कर-पूर्व 5.9 करोड़ रुपए का लाभ

अर्जित किया। यह संगठन अल्जीरिया, इराक, जोर्डन, जिम्बाब्वे, आम्बिया, श्रीलंका, घाना, मोजाम्बीक, इथियोपिया और बांग्ला देश में अन्तर्राष्ट्रीय ठेकों को पूरा कर रहा है। इस संगठन ने 1985-86 में 6.5 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

23.2 सार्वजनिक क्षेत्र में भारतीय रेलों के निर्माण स्कन्ध, इरकान ने 1985-86 में कर-पूर्व 21.87 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है। यह कम्पनी भारत में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर होने वाली कम्पनियों में से एक है। इस कम्पनी ने भी इराक, अल्जीरिया, सऊदी अरब, जोर्डन, नेपाल तथा बांग्लादेश में कई गौरवशाली ठेके प्राप्त किए हैं तथा सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इरकान ने 1985-86 में 23.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

24. 1986-87 के दौरान रेलों पर औद्योगिक सम्बन्ध मधुर और सौहार्दपूर्ण रहे। स्थायी वार्ता तन्त्र और संयुक्त परामर्श तन्त्र के अन्तर्गत संगठित श्रम के साथ नियमित बैठकें हुईं तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित सभी समस्याओं को इन मचों के माध्यम से मिल—बैठकर मित्रभाव से सुलझाया गया। समवेत उद्यम समूहों की भी विभिन्न स्तरों पर आवधिक बैठकें हुईं, जिसके माध्यम से विचारों तथा सुझावों के आदान-प्रदान के लिए मंच उपलब्ध हुआ है।

औद्योगिक सम्बन्ध

25. मेरा यह हमेशा ही प्रयत्न रहा है कि हमारे इतने बड़े रेल परिवार के लिए काम की उपयुक्त परिस्थितियां तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें ताकि रेल कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा रहे। अपने कर्मचारियों का ध्यान रेल प्रशासन तो रखता ही है, मेरा भी यह प्रयास रहता है कि सीमित संसाधनों के भीतर यथासम्भव सीमा तक उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए।

कर्मचारी मामले

25.1 चालू वर्ष के दौरान 7000 कर्मचारी क्वार्टर बनकर तैयार हो जाने की आशा है तथा लगभग इतने ही क्वार्टर अगले वित्त वर्ष में बनने की सम्भावना है।

कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

25.2 इसी प्रकार, आगामी तीन वर्षों में लागू करने के लिए एक व्यापक और सुनियोजित चिकित्सा योजना तैयार की गयी है जिसके अनुसार चिकित्सा सुविधाओं का चरणबद्ध आधार पर विस्तार किया जाएगा। हमारे पास पहले ही 107 अस्पताल और 635 स्वास्थ्य यूनिटें मौजूद हैं जिनमें 12245 बिस्तर हैं। चालू वर्ष के दौरान पटियाला में एक नये अस्पताल की अजमेर में एक अस्थिशल्य चिकित्सा केन्द्र की स्थापना की गयी है।

चिकित्सा सेवा

25.3 सदन को ज्ञात है कि भारतीय रेलों पर एक कर्मचारी हित निधि है जिसके मुख्य उद्देश्य रेल कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को शिक्षा व आमोद-प्रमोद के क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करना, संकटग्रस्त लोगों को राहत दिलाना, बीमारी के दौरान वित्तीय सहायता देना और खेलकूद तथा स्काउटिंग गतिविधियों का विकास करना है। राष्ट्रीय प्रयास के प्रति रेल कर्मचारियों की समर्पण और लगन की भावना को देखते हुए मैंने इस निधि में किए जाने वाले अंशदान में 37% की वृद्धि करने का विनिश्चय किया है।

कर्मचारी हित निधि

25.4 श्रीमन्, मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि हमारे वर्तमान कार्य बल को पूरे तौर पर उत्प्रेरित रखने के लिए न केवल यह जरूरी है कि उन्हें और उनके परिवार को उनकी सेवा के दौरान ही पर्याप्त कल्याण तथा सुख-सुविधाएं उपलब्ध करायी जायें, बल्कि यह भी जरूरी है कि उन्हें इस योग्य भी बनाया जाए कि वे दीर्घकालिक एवं समर्पित सेवा कर चुकने पर संगठन छोड़ देने के बाद भी काफी हद तक निश्चिन्त होकर जीवन-यापन कर सकें। इस दिशा में हमारे द्वारा किया गया एक मुख्य प्रयास कार्मिक विभाग के सहयोग से पूरे देश भर में भारतीय रेलों के क्षेत्रीय तथा मण्डल मुख्यालयों पर पेंशन अदालतें आयोजित करने की एक प्रणाली शुरू करना है। इससे रेलवे के वरिष्ठ नागरिकों को व्यक्तिगत सम्पर्क के जरिए अपनी समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है तथा इसे पूरे देश में बहुत जोरदार समर्थन मिला है।

पेंशन अदालतें

26. कामकाज के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए यह जरूरी है कि हम खेलकूद, सांस्कृतिक एवं इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों की ओर भी यथोचित ध्यान दें। हमें गर्व है कि 1986 में सिओल में आयोजित दसवें एशियाई खेलों में देश द्वारा जीते गए कुल 5 स्वर्ण पदकों में से 4 स्वर्ण पदक रेलवे के एथलीटों द्वारा जीते गए थे। रेलवे की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने एथलेटिक्स में राष्ट्रीय खिताब भी जीते। महिला टीमों ने बास्केट बाल, क्रिकेट, हाकी, कबड्डी और क्रॉस कन्ट्री में राष्ट्रीय खिताब जीते जबकि पुरुष टीमों ने तैराकी, वाटर पोलो और भारतीय स्टाइल की कुश्तियों में खिताब जीतने में सफलता प्राप्त की। रेलवे के तीन खिलाड़ियों ने 'अर्जुन पुरस्कार' प्राप्त किए। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि भारतीय रेलों को 1987 में जो 'रेलों के अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद संघ' का हीरक जयन्ती वर्ष है, विश्व रेलवे खेलकूदों की मेजबानी करने का गौरव प्रदान किया गया है।

खेलकूद

27. प्रधानमन्त्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, भारतीय रेलों ने वृक्षारोपण के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। 1985 में 145 लाख और 1986 में इससे भी अधिक 165 लाख वृक्ष लगाए गए थे। आदर्श सघन बागान फार्म विकसित करने के लिए, जो प्रत्येक 30 से 50 एकड़ में होगा, पायलट परियोजनाओं पर भी काम शुरू किया गया है जिनसे दीर्घकालिक आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। स्टेशन क्षेत्रों में शृंगारिक वृक्ष, सदाबहार झाड़ियां और फूल वाले पौधे लगाकर तथा उन्हें संरक्षण देकर प्रतिवर्ष 1000 स्टेशनों को सुन्दर बनाने के लिए भी एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।

वृक्षारोपण

28. अब मैं 1987-88 के बजट अनुमान प्रस्तुत करूंगा।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे (भिंदनापुर) : आइए, आइए, असली बात पर आइए।

अध्यक्ष महोदय : ये सब क्या नकली बातें थीं।

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : माधवराव जी एक खूबसूरत मन्त्री एक खूबसूरत बजट पेश कर रहे हैं। आपकी इजाजत से मैं ये दो पंक्तियां पेश कर दूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मैंने स्पैशल इजाजत दे दी है ।

श्री बालकवि बैरागी : अब तक तो यार का तेवर है प्यार का ।
आगे भी भरोसा है परवरदिगार का ।।

[अनुवाद]

बजट अनुमान 1987-88

श्री माधवराव सिंधिया : रेलों को आगामी वित्त वर्ष में कुल 223 बिलियन शुद्ध टन किलोमीटर माल यातायात की ढुलाई का लक्ष्य दिया गया है, जिसका मतलब होगा 313 मिलियन टन प्रारम्भिक टन भार का यातायात जिसमें से 287 मिलियन टन राजस्व उपार्जक यातायात होगा।

28.1 यात्री, सामान एवं पार्सल के रूप में कोचिंग यातायात सहित अन्य यातायात में चालू वर्ष के स्तर से लगभग 3% की वृद्धि होने की सम्भावना है ।

28.2 इन अनुमानों तथा किराये और भाड़े की वर्तमान दरों के आधार पर यातायात से सकल प्राप्ति 8179 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है ।

28.3 वर्ष 1987-88 में साधारण संचालन व्यय 5750 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से 358 करोड़ रुपये अधिक है । साधारण संचालन व्यय के अन्तर्गत की गयी निधि की अतिरिक्त व्यवस्था में कर्मचारियों की वेतन वृद्धियां, महंगाई भत्ते के भुगतान तथा रेलों के कार्यकलापों में वृद्धि के फलस्वरूप अधिक ईंधन और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित रकम शामिल है ।

28.4 मूल्यह्रास आरक्षित निधि में अंशदान 1986-87 के 1250 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1987-88 में 1350 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है । इस बढ़े हुए अंशदान से रेलवे योजना के लिए रेलों के आंतरिक संसाधनों में और वृद्धि होगी ।

28.5 पेंशन निधि में अंशदान भी वर्तमान वर्ष के 350 करोड़ रुपये के स्तर से बढ़ाकर 1987-88 के लिए 450 करोड़ रुपये किया जा रहा है । पेंशन सम्बन्धी लाभों को हाल ही में उदारीकृत किए जाने तथा पेंशन पाने वालों की संख्या में वृद्धि होने से इस निधि से निकासी की बढ़ी हुई मात्रा को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक हो गया है ।

28.6 रेल अभिसमय समिति, 1985 ने विचार-विमर्श शुरू कर दिया है और रेलें रेलवे वित्त तथा सामान्य वित्त के बीच वित्तीय सम्बन्धों के बारे में विभिन्न ज्ञापन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में हैं । इस बीच, लाभांश के लिए उसी दर पर व्यवस्था की गयी है जो वित्त वर्ष 1986-87 के लिए अपनायी गयी थी । रेल अभिसमय समिति की सिफारिशें प्राप्त होने तथा उन पर विचार कर लिए जाने के बाद इस सम्बन्ध में प्रस्ताव संसद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जायेंगे । संसद के अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन उसी तारीख से किए जाएंगे जिस तारीख से वे प्रभावी बनाए जाएंगे ।

28.7 साधारण संचालन व्यय और रेल निधियों में अंशदान में वृद्धि के कारण कुल संचालन व्यय बढ़कर 7550 करोड़ रुपये हो जाने की सम्भावना है जिससे शुद्ध यातायात प्राप्तियां 629

करोड़ रुपये रह जायेंगी। विविध प्राप्तियों से मिलने वाली 92 करोड़ रुपये की राशि को जोड़ने के बाद शुद्ध राजस्व बढ़कर 721 करोड़ रुपये हो जाएगा। 652 करोड़ रुपए की लाभांश दायिता को फिर एक बार समग्र रूप से पूरा करने के बाद वर्ष के अन्त में 69 करोड़ रुपए का अधिशेष रहेगा।

29. अब मैं किराए और भाड़े की दरों के प्रश्न पर आता हूं। जैसाकि मैंने पहले उल्लेख किया है, रेलें यात्री सेवाओं पर भारी आवर्ती हानि उठा रही हैं। इसके बावजूद, पिछले बजट में साधारण दूसरे दर्जे के यात्रियों और सीजन टिकट धारियों के, जिनकी संख्या कुल यात्रियों की 90% होती है, यात्री किरायों में कोई वृद्धि नहीं की गयी थी और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के दूसरे दर्जे के किरायों में मामूली-सी वृद्धि की गयी थी। वास्तव में, यदि यात्री किरायों को लागत पर आधारित किया जाए तो किरायों में पर्याप्त वृद्धि करनी आवश्यक होगी, विशेषकर साधारण दूसरे दर्जे तथा सीजन टिकट किरायों के मामले में। बहरहाल, निम्न तथा मध्यम आय वर्ग के यात्रियों के, जो रेल यात्रियों की अधिकांश संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, हितों को ध्यान में रखते हुए किसी भी दर्जे के यात्री किरायों में वृद्धि करने का मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है। माल भाड़े या पार्सल दरों में वृद्धि करने का भी मेरा कोई प्रस्ताव नहीं है।

29.1 वास्तव में, सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि समाज के कुछ जरूरतमन्द तथा पात्र वर्गों के लोगों को राहत पहुंचाने की दृष्टि से मैंने कुछ और भी निर्णय लिए हैं।

युवाओं के लिए

1986-87 में युवा समूहों के लिए दूसरे दर्जे में दी गयी 25% की रियायत एक वर्ष और अर्थात् 1987-88 के लिए भी जारी रखी जाएगी।

विकलांगों के लिए

गूंगों और बहरों को पहले और दूसरे दर्जे में दी जाने वाली 50% की रियायत उन्हें सीजन टिकट के किरायो में भी दी जाएगी जैसी कि नेत्रहीन, विकलांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को दी जाती है।

सूखा-एवं बाढ़-पीड़ितों के लिए

चारे की ढुलाई के लिए माल भाड़े में दी जाने वाली रियायत 8% से बढ़ाकर 25% कर दी जाएगी।

ग्रामीणों के लिए

आगामी वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 50 नये हाल्ट स्टेशन खोले जाएंगे ताकि ग्रामीण लोग रेल सुविधाओं का और अधिक लाभ उठा सकें।

किसानों के लिए

केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कम से कम 1,000 किलोमीटर तक की भ्रमण दूरी के किसान भ्रमणों के लिए विशेष गाड़ियों के किरायों में 33% की रियायत दी जाएगी।

और अन्त में देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले बहादुरों के लिए

युद्ध में शहीद होने वाले सभी सैनिकों की विधवाओं को कृतज्ञता स्वरूप दूसरे दर्जे के किरायों में 75% की रियायत दी जाएगी ।

30. श्रीमन्, किसी भी राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मानक की दृष्टि से भारतीय रेलें एक बृहद् एवं अद्वितीय संगठन हैं । भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया से भी इनका महत्वपूर्ण सम्बन्ध है और ये लोगों को, कार्यक्रमों को और धारणाओं को काफी हद तक प्रभावित करती हैं । हमारे प्रधानमन्त्री ने कई अवसरों पर हमें यह दिमाग में रखने को कहा है कि हमारे परिचालनों के बृहद् आकार तथा रेलों के कार्य एवं प्रबन्ध की प्रकृति को देखते हुए उनकी सफलता अथवा असफलता का देश पर समग्र रूप से दूरगामी प्रभाव पड़ता है । हम अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति पूरी तरह सचेत हैं ।

निष्कर्ष

30 1 इस अवसर पर मैं जोर देकर यह कहना चाहूंगा कि भारतीय रेलों की उपलब्धियां प्रत्येक रेल कर्मचारी द्वारा किए गए समर्पित प्रयास तथा हमारे प्रधानमन्त्री द्वारा किए गए उत्साह-वर्धन तथा दी गयी प्रेरणा और उस वातावरण के फलस्वरूप ही सम्भव हो सकी है जो उन्होंने इस बृहद् उपक्रम और इसके प्रबन्ध को काम करने के लिए मुहैय्या किया है । उनके नेतृत्व में एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लिया गया है जो मजबूत हो, अखण्ड हो और आत्मनिर्भर हो, एक ऐसा भारत जिसका औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसन्धान और प्रौद्योगिकीय उद्भावनाओं में कोई सानी न हो और जो पुरातन और नवीन के बीच एक आदर्श सम्मिलन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करे । प्रत्येक उपक्रम का, चाहे वह सरकारी हो या निजी, सिहरन पैदा कर देने वाली इस चुनौती का, जिसके साथ 70 करोड़ लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है, सामना करने और अपने अहम् तथा पहचान के सभी मनोभावों को भुलाने के लिए आह्वान किया गया है । हम ईंट दर ईंट, कतार दर कतार इस नये भारत के निर्माण में जुटे हुए हैं । हम रेल सेवक इस महान कार्य में भाग लेने में गौरव अनुभव करते हैं और हम इन आदर्शों को पूरा करने के लिए अपने आपको पुनः समर्पित करते हैं ।

31. श्रीमन्, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अब सदन में 1987-88 का रेल बजट प्रस्तुत करता हूं ।

12.50 म०प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-3687/87]

भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम को वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण, आदि

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम, कानपुर के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-3688/87]

(3) (एक) विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) विकलांग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-3889/87]

(5) (एक) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3690/87]

(7) (एक) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान, देहरादून के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3691/87]

(9) (एक) राष्ट्रीय अस्थि-विकलांग संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अस्थि-विकलांग संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3692/87]

(11) (एक) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(दो) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3693/87]

(13) (एक) राष्ट्रीय अस्थि-विकलांग संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय अस्थि-विकलांग संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3694/87]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डाक घर बचत खाता (संशोधन) नियम, 1987 जो 2 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 8(अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3695/87]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 6(अ), जो 1 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय धान चोकर स्थायी कारक पर मूल सीमा शुल्क की दर को 30 प्रतिशत से कम करके शून्य प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 7(अ), जो 1 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 13 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या 314/86 सं० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि कतिपय मशीनरी की उन मदों पर देय 25 प्रतिशत सीमा शुल्क की उपसंगी दर जारी रखी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 9(अ), जो 2 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो स्ट्रा बोर्ड को, जिसका नेपाल में विनिर्माण किया जाता है तथा जिसमें नेपाली सामग्री या नेपाली और भारतीय सामग्री 80 प्रतिशत से कम नहीं है, तब जब उसका नेपाल से भारत में आयात किया जाए, मूल्यानुसार 10 प्रतिशत जमा 300 रुपए प्रति मीटरी टन से अधिक अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 16(अ), जो 6 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 11-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत एरण्ड बीजों के आयात को निकाला जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का० आ० 17(अ), जो 13 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो स्वीडन के क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को स्वीडन के क्रोनर में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) सा० का० नि० 20(अ), जो 7 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 342-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना में से "अथवा स्पेन" शब्दों का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा० का० नि० 29(अ), जो 13 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो ओलियो पाइन रेजिन को, जब उसका गोंद रेजिन तथा तारपीन के विनिर्माण के लिए आयात किया जाए, मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा० का० नि० 30(अ), जो 14 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा सीमा शुल्क अधिनियम टैरिफ अधिनियम, 1975 का भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि और भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के साथ उन क्षेत्रों तक विस्तार किया जा सके जिन्हें राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत नामित क्षेत्रों के रूप में घोषित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 37(अ), जो 15 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 16 फरवरी, 1985 की अधिसूचना संख्या 30/85-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि उक्त अधिसूचना के अर्थविस्तार के भीतर 750 डेनियर से अधिक के पोलिएस्टर मोनो फिलामैंट यार्न को शामिल किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 40(अ), जो 9 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 18 नवम्बर, 1986 की अधिसूचना संख्या 464-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि मेटाफेनाक्सी बेंजलडिहाइड पर अतिरिक्त शुल्क से छूट को समाप्त किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का० आ० 42(अ), जो 27 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो बेल्जियम के फ्रैंक, डुत्से मार्क, डच गिल्डर, और स्विटजरलैंड के फ्रैंक को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे मे है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) का० आ० 43(अ), जो 28 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आस्ट्रिया के शिलिंग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे मे है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 48(अ), जो 20 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि भारत नेपाल व्यापार संधि, 1978 के सन्दर्भ में भारत में मदों की ऐसी सूची में नेपाली मूल के एक और उत्पाद को जोड़ा जा सके जो अधिमानी प्रविष्टि के लिए पात्र है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) का० आ० 51(अ), जो 3 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो फ्रांस के फ्रैंक को भारतीय मुद्रा मे अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) का० आ० 53(अ), जो 4 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो डेनमार्क के क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) का० आ० 57(अ), जो 5 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नार्वे के क्रोनर को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० का० नि० 63(अ), जो 27 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को उपर्युक्त मुद्रा में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वापसी (संशोधन) नियम, 1987, जो 2 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 73(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति ।

(उन्नीस) सा० का० नि० 74(अ), जो 2 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 सितम्बर, 1981 की अधिसूचना संख्या 208/81 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि 50 आर० आई० ए० एंजाइम सम्बद्ध प्रतिरक्षाअवशोषक आमापन किट को उन जीवनदायी उपकरणों की जिनका बिना शुल्क के आयात् किया जाता है, सूची में शामिल किया जा सके।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3696/87]

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, केरल, बिहार, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और तमिलनाडु के राज्यपालों के साथ किए गए समझौतों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3697/87]

(4) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 'मात्स्यकी' के विषय पर (छठा विश्व खाद्य दिवस मनाने के अवसर पर) एक सौ रुपये (जिनमें 50 प्रतिशत चांदी, 40 प्रतिशत तांबा, 5 प्रतिशत निक्कल और 5 प्रतिशत जस्ता हो), 20 रुपये और 50 पैसे (जिनमें 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निक्कल हो) के सिक्का निर्माण (मानक भार और स्मारक सिक्कों का उपचार) नियम, 1987, जो 12 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 11(अ), में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3698/87]

इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) इंडियन रेयर अर्थ्स, लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक वक्तव्य।

(दो) इंडियन रेयर अर्थ्स, लिमिटेड के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3699/87]

(ख) (एक) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के वर्ष 1985-86 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3700/87]

(2) उपर्युक्त (1) के मद (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी में संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-3699/87]

(3) (एक) क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय संगणक केन्द्र, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3701/87]

(5) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3702/87]

(7) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3703/87]

(9) (एक) टाटा मैमोरियल सेन्टर, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टाटा मैमोरियल सेन्टर, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3704/87]

(11) (एक) टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामैन्टल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) टाटा इंस्टीच्यूट आफ फंडामैन्टल रिसर्च, बम्बई के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3705/87]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्री और खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं श्री पी० चिदम्बरम की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1986, जो 13 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 1068 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन), नवां संशोधन

विनियम, 1986, जो 13 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1069 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1986, जो 27 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1103 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दसवां संशोधन विनियम, 1986, जो 27 दिसम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1277(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1986, जो 3 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 5 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1986, जो 3 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 6 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) ग्यारहवां संशोधन विनियम, 1986, जो 10 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 21 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) ग्यारहवां संशोधन नियम, 1986, जो 10 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 22 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1986, जो 10 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 23 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नवां संशोधन नियम, 1986 जो 10 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 24 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) बारहवां संशोधन विनियम, 1986, जो 17 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 33 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1987, जो 24 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्रों में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 52 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1987, जो 17 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 34 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) अखिल भारतीय सेवा (गोपनीय नामावली) संशोधन नियम, 1987, जो 31 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 71 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1987, जो 14 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 89 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1987, जो 14 फरवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 90 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3706/87]

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3707/87]

संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत अधिसूचना और प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : मैं श्री बीरेन सिंह ऐंगती की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 320(5) के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 20 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1071 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-3708/87]

(2) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 1986, जो 5 दिसम्बर, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1253(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1987, जो 6 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 17(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) संशोधन नियम, 1987, जो 15 जनवरी, 1987 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 33(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-3709/87]

12.54 म० प०

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठनों सम्बन्धी कुदाल जांच आयोग का समापन करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : 28 अगस्त, 1981 को इस सदन द्वारा एक संकल्प पारित किये जाने के बाद दिनांक 17 फरवरी, 1982 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 83 (ई०) के तहत एक जांच आयोग स्थापित किया गया जिसमें श्री न्यायमूर्ति श्री पी० डी० कुदाल थे। अधिसूचना की प्रतियां 3 मार्च, 1982 को सभा पटल पर रखी गई थी। जांच आयोग के लिए 31 जुलाई, 1982 तक अपनी जांच पूरी करना और केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था। आयोग का कार्यकाल पांच बार बढ़ाया गया। आयोग का कार्यकाल अन्तिम बार 31 जनवरी, 1987 तक बढ़ाया गया इसके बाद समय नहीं बढ़ाया गया और आयोग 1-2-1987 को समाप्त हो गया।

आयोग की पहली, दूसरी तथा तीसरी रिपोर्ट, उन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन सहित क्रमशः 4 दिसम्बर, 1985 और 7 मई, 1986 को लोक सभा के पटल पर रख दी गई है। चौथी, पांचवीं और छठी अन्तरिम रिपोर्टों पर विचार किया जा रहा है। सातवीं और अन्तिम रिपोर्ट आयोग द्वारा 29 जनवरी, 1987 को प्रस्तुत की गई थी।

12.55 म०प०

कार्य मंत्रणा समिति

तेतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री और कृषि नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 24 फरवरी, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तेतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 24 फरवरी, 1987 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तेतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.56 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) लोगों के कल्याण हेतु अपेक्षित धन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान के सम्बन्ध में सामान्य मार्ग-निर्देशक सिद्धान्त निर्धारित करने के लिए एक संसदीय आयोग स्थापित करने की आवश्यकता

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह (औरंगाबाद) : केन्द्रीय सरकार द्वारा चतुर्थ वेतन आयोग की रिपोर्ट को कार्यान्वित किए जाने के बाद, पूर्वानुमान के अनुसार राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा उन्हें केन्द्रीय स्तर के ग्रेड दिए जाने की मांग की गई है और राज्यों में आन्दोलन भी हुए हैं। इससे जनता को बहुत परेशानी हुई है और विभिन्न राज्य सरकारों को इन मांगों के एक अंश को पूरा

करने के लिए कई सौ करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ेगा। इन सभी बातों से यह गम्भीर मसला खड़ा हो गया है कि कर्मचारियों पर खर्च किए जाने वाले राजस्व की प्रतिशतता क्या होनी चाहिए और जनकल्याण और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कितनी धनराशि खर्च की जानी चाहिए क्योंकि एक क्षेत्र के संसाधनों में वृद्धि करने से दूसरे क्षेत्र के संसाधनों में कमी होती है। इसलिए इस मसले पर निर्णय देने के लिए और सामान्य मार्गनिर्देश जारी करने के लिए एक संसदीय आयोग बनाने की मांग की गई है, क्योंकि यदि राज्य सरकार के कर्मचारी उचित परिलब्धियों के अधिकारी हैं तो राज्य सरकार भी मुख्यतः लोगों के कल्याण के लिए राजस्व अर्जित करती है।

[हिन्दी]

(दो) दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में रह रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की आर्थिक दशा सुधारने हेतु आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : अध्यक्ष महोदय, मेरे करोल बाग संसदीय क्षेत्र की अनुसूचित एवं जनजातियों की महिलाओं की आर्थिक समस्यायें दिन-प्रति-दिन जटिल होती जा रही हैं। न उनके पास रहने को मकान है, न तन ढकने के लिए कपड़ा है और बड़ी मुश्किलों से उनको दो जून खाना नसीब होता है। इन विधवा एवं असहाय महिलाओं के लिए यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी कुछ हो रहा है तथापि शहरी क्षेत्रों में भी कुछ स्कीमें बनाकर तुरन्त कुछ किया जाना आवश्यक है। इस विषय में मेरे निम्न सुझाव हैं:—

1. इन महिलाओं के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए।
2. जो महिलाएं सक्षम हैं उन्हें रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए।
3. इन महिलाओं के लिए रहने के लिए छोटे-छोटे मकान सरकार अपने खर्चे से स्वयं बनाए।
4. प्रौढ़ शिक्षा का प्रबन्ध कर इन महिलाओं को शिक्षित बनाया जाये।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

(तीन) मधुबनी चित्रकारी की वैशाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी में चित्रित करने और उसका नाम बदलकर वैदेही-वैशाली एक्सप्रेस रखने की आवश्यकता

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : लगभग 13 वर्ष पहले तत्कालीन रेल मंत्री स्व० श्री एल० एन० मिश्रा द्वारा नई दिल्ली और समस्तीपुर के बीच जयन्ती जनता एक्सप्रेस आरम्भ की गई थी। उपर्युक्त गाड़ी के सभी डिब्बों में मधुबनी चित्रकारी चित्रित की हुई थी। मधुबनी चित्रकारी को चित्रित करने का एक उद्देश्य यात्रियों को मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर से अवगत कराना था। हाल ही में उक्त रेलगाड़ी को वैशाली एक्सप्रेस में बदल दिया गया है जोकि नई दिल्ली और बरौनी के बीच चलती है और मिथिला क्षेत्र के एक बड़े भाग से होकर गुजरती है। यह एक निराशाजनक बात है कि उक्त रेलगाड़ी के डिब्बों से मधुबनी चित्रकारी को हटा दिया गया है।

दुर्भाग्य से यह कार्य उस समय हुआ है जब हमारे कठिन प्रयासों के कारण सरकार ने मधुबनी चित्रकारी को पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका, फ्रांस और कनाडा को निर्यात पुनः आरम्भ कर दिया है। इन चित्रों को पिछले वर्ष फ्रांस और अमेरिका में आयोजित भारत मेले में प्रदर्शित किया गया था और इनकी बहुत प्रशंसा की गई थी। इस रेलगाड़ी द्वारा पर्याप्त संख्या में विदेशी लोग इस क्षेत्र में यात्रा करते हैं। इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि उन मधुबती चित्रकारी को जो पहले इस रेलगाड़ी के डिब्बों में चित्रित थी पुनः वहां चित्रित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिस क्षेत्र से होकर यह रेलगाड़ी गुजरती है उस मिथिला क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस रेलगाड़ी का नाम बदल कर वैदेही-वैशाली एक्सप्रैस कर देना चाहिए। वैदेही मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का दूसरा नाम था।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.04 म० प० पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठा सीन हुए।)

नियम 377 के अधीन मामले

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा होगी। श्रीमती किशोरी सिंह।

(चार) उन क्षेत्रों में जहां नलकूपों से पेयजल प्राप्त किया जाता है, संखिया विषाक्तता से बचने के लिए उपचारी उपाय करने हेतु तत्काल सर्वेक्षण कराने की आवश्यकता

श्रीमती किशोरी सिंह (वैशाली) : नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहती हूं :

17 फरवरी, 1987 के 'स्टेट्समैन' समाचार-पत्र में यह खबर छपी है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण लोगों में संखिया विषाक्तीकरण मामले बढ़ते जा रहे हैं। इससे गम्भीर चिन्ता पैदा हो गई है। इसका कारण यह बताया गया है कि विभिन्न फाउन्ड्रियां द्वारा, जोकि ज्यादातर लघु क्षेत्र में हैं, बनाए गए नलकूपों के लिए स्ट्रेनर उनमें विष का अंश होता है। अगर कलकत्ता के आल इंडिया इन्स्टिटयूट आफ हाईजीन एण्ड पब्लिक हैल्थ के एक विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सही है, तो इस तरह के विषाक्तीकरण की सम्भावनाएं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के उन अन्य भागों में

भी अवश्य होगी जहां नलकूपों से पीने का पानी लिया जाता है। अतः नलकूपों के धातु से बने स्ट्रेनरों में जहर के अंश को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। फाउन्ड्रियों को निदेश दिए जाने चाहिए कि स्ट्रेनर के धातु में इस विष के अंश को कम करें और सार्वजनिक स्वास्थ्य के हित में सही मानक की धातु का प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त ऐसे क्षेत्रों का तत्काल सर्वेक्षण किया जाना चाहिए जहां पीने का पानी नलकूपों से लिया जाता है, ताकि संखिया विषाक्तीकरण की रोकथाम के उपाय तत्काल किए जा सकें।

[हिन्दी]

(पांच) देश में पूजा स्थलों से आतंकवादी तत्वों को हटाने के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के काफी हिस्सों में उग्रवाद से लोग परेशान हो रहे हैं और भारत सरकार द्वारा उग्रवाद को खत्म करने हेतु काफी उचित कार्यवाही की गई है। राज्य सरकार को भी उग्रवाद से निपटने के लिए पूरी शक्ति से कार्यवाही करने को कहा गया है।

मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि मन्दिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों की पवित्रता को कायम रखने हेतु सरकार कानून द्वारा देशद्रोही लोगों को पकड़ने के लिए और इन स्थानों में पुलिस के दाखिल होने पर बंदिश नहीं होनी चाहिए ताकि लोग जो दर्शन हेतु जाते हैं या प्रार्थना करते हैं, वह अपने धर्म के अनुसार बगैर डर व खौफ के आ जा सकें।

मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल राज्य जो सीमा से लगा हुआ है पंजाब का पड़ौसी राज्य है। उसमें पुलिस की अधिक भर्ती की जावे ताकि प्रदेश में हमेशा की तरह अमन शान्ति कायम रहे।

[अनुवाद]

(छह) देश में कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों की शिकायतों की जांच करने की आवश्यकता

डा० सुधीर राय (बर्दवान) : श्रीमन्, आज, (25-2-1987) को देश भर के कालेजों और विश्वविद्यालयों के अध्यापक काम रोको आन्दोलन पर हैं क्योंकि गत 14 वर्षों से उनके वेतनमानों में संशोधन नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि उनके वेतनमानों में तत्काल संशोधन किया जाए। अध्यापकों ने भी मेहरोत्रा समिति की सिफारिशों के विरुद्ध आवाज उठाई है, क्योंकि ये सिफारिशें उनके हित में नहीं हैं।

इन सिफारिशों में ये शामिल हैं—पदोन्नति को समाप्त करना, उत्तरदायी मूल्यांकन प्रणाली, आचार-संहिता, सेवा-निवृत्त और पुनः रोजगार देने की आयु-सीमा में कमी, कालेज और विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा, केवल कुछ ही चुनिन्दा कालेजों में रीडरों और प्रोफेसरों के पदों का रखा जाना, परिवीक्षा अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करना, केवल इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में भाग लेकर उसके बाद ही पदोन्नति, आदि।

अध्यापकों का तर्क है कि रिपोर्ट तैयार करते समय न तो मेहरोत्रा समिति ने न ही सरकार ने किसी भी अध्यापक संगठन से विचार-विमर्श किया। अध्यापक चाहते हैं कि सरकार वेतनमानों में तत्काल संशोधन करे और इस मामले की जांच करे तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(सात) तमिलनाडु में चेंगलपट्टु और विल्लुपुरम के बीच दोहरी रेल-लाइन बनाने का कार्य शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता

डा० एस० जगतरक्षकन (चेंगलपट्टु) : तमिलनाडु के रोजाना सफर करने वाले रेल यात्रियों की यह शिकायत रही है कि चेंगलपट्टु और विल्लुपुरम से रोजाना काम के लिए मद्रास आने के लिए रेल सुविधाओं की कमी है। अतः ये यात्री अधिक रेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने और विल्लुपुरम से मद्रास तक अधिक रेलगाड़ियां चलाने की मांग कर रहे हैं। अभी केवल तम्बारम तक और कुछ दूर तक चेंगलपट्टु के लिए ही दोहरी लाइन है। अतः बिना और देरी किए चेंगलपट्टु और विल्लुपुरम के बीच दोहरी रेल लाइन के निर्माण का कार्य आरम्भ किया जाना चाहिए। छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्य हेतु पहले ही पर्याप्त धनराशि मुहैया की गई है। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इसे उच्च प्राथमिकता दे और इस कार्य को शीघ्र पूरा कराएं। प्रथम चरण में चेंगलपट्टु तक रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य अवश्य पूरा किया जाना चाहिए।

(आठ) नई चीनी नीति को युक्तिसंगत बनाने और सिंचाई समता के आधार पर सहकारी क्षेत्र में नए चीनी कारखाने स्थापित करने के प्रस्तावों को अनुमोदित करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : भारत सरकार द्वारा घोषित नई चीनी नीति अपने ही उद्देश्यों विरोधाभास रखती है। यह प्रत्येक दृष्टिकोण से पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए हानिकारक है। पिछड़े क्षेत्र इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि सार्वजनिक और निजी उद्यमियों के लिए वहां कच्चे माल और परिवहन सुविधाओं आदि के लिए आधारभूत ढांचा नहीं होता। अतः पिछड़े क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए सहकारी प्रयास ही एकमात्र आशा है। किन्तु सहकारी उद्यम में भाग लेने के लिए लोगों के समक्ष एक और बाधा है। पिछड़े क्षेत्र में लोग गरीब हैं। यदि उन्हें आवश्यक शेयर पूंजी लगाने के लिए तैयार भी किया जाता है तो उनके पास इसके लिए ज्यादा समय तक इन्तजार करना सम्भव नहीं है। ये एक उचित समय में ही इसका लाभ चाहते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, नई चीनी नीति में जो गन्ने की फसल की उपलब्धता की शर्त रखी गई है, उससे शायद ही हमारे विदर्भ पिछड़े क्षेत्र में कोई नई चीनी मिल लगाई जा सके।

नई चीनी मिल की स्वीकृति से पूर्व गन्ने के फसल को अनिवार्य उपलब्धता की शर्त लगाना गलत है। गन्ने के पैदावार तभी होगी जब वहां गन्ना पेरने के कशर होंगे ताकि किसानों को लाभदायक मूल्य मिल सकें।

अतः, यह अत्यावश्यक है कि नई चीनी नीति को यथार्थ रूप में युक्तिसंगत बनाया जाए तथा पहले की तरह से सिंचाई सम्भावनाओं के आधार पर ही सहकारी क्षेत्र में नई चीनी मिलों को लगाने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी जाए। विदर्भ जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास का एकमात्र रास्ता यही है।

(नौ) विजयवाड़ा में एक दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : विजयवाड़ा टी० वी० टिले स्टेशन कोंडापल्ली पहाड़ी पर स्थित है, जिससे इसके कवरेज में काफी वृद्धि हुई है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, पश्चिम गोदावरी, खम्माम, नालगोंडा का पत्तन और पूर्वी गोदावरी जिलों को लाभ होगा। लेकिन विजयवाड़ा नगर के कुछ भागों में इन्द्रकुलाद्री पर्वत के कारण टेलीविजन कार्यक्रमों में काफी व्यवधान होता है। मेरा सुझाव है कि इसे दूर करने के लिए तत्काल ट्रांसपावर लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पहले मुझे बताया गया था कि सरकार का प्रस्ताव है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विजयवाड़ा में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित किया जाएगा। अब दूरदर्शन पर तेलुगू भाषा में प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों से लोगों में काफी उत्साह पैदा हो गया है और इस क्षेत्र में टी० वी० सेटों की संख्या में काफी वृद्धि हो रही है। मेरा सुझाव है कि विजयवाड़ा में टी० वी० स्टूडियो स्थापित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएं, ताकि किसानों को खेती की नई विधियों की ताजा जानकारी दी जा सके तथा शुष्क खेती की नई तकनीकी बातें बताई जा सकें विशेष रूप से तिलहनों, दालों आदि के बारे में तथा इस स्टेशन से बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी और कमजोर वर्गों के आर्थिक-सामाजिक उत्थान सम्बन्धी सरकार के कार्यक्रम भी प्रसारित किए जा सकें।

2.15 म०प०

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सम्बन्धी मद-12 पर विचार करेंगे। श्री जगन्नाथ कौशल प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री जगन्नाथ कौशल (चण्डीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 1987 को एक-साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।'"

श्रीमन्, जैसा कि हम सब जानते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की पिछले वर्ष की उपलब्धियों का समावेश होता है और उसमें आगामी वर्ष में सरकार द्वारा किए जाने वाले वायदों का भी जिक्र होता है। श्रीमन्, लेकिन इस वर्ष के अभिभाषण में कुछ विशिष्ट बातें हैं, जैसे इसमें कहा गया है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् और देश के विभाजन के बाद जो हत्याओं का दौर चला, जिसमें अन्ततः राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई और फिर संविधान सभा को यह संकल्प पारित करना पड़ा कि इस देश से साम्प्रदायिकता को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। तब सभी ने यह सोचा था कि समय के साथ-साथ और आर्थिक-सामाजिक विकास के साथ-साथ इस

बुराई का अन्त हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ समय से देश में दो प्रकार की ताकतों ने—अलगाववादी शक्तियों ने और साम्प्रदायिक शक्तियों ने सिर उठाया है। इसीलिए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पैरा 2 से पैरा 5 तक, में हमारे सामने आ रही समस्याओं का सही जिक्र किया है। राष्ट्रपति ने कहा है कि 1986 का वर्ष आन्तरिक और बाहरी चुनौतियों का वर्ष रहा है। सरकार ने इन समस्याओं का साहस, दूरदर्शिता तथा दृढ़ निश्चय के साथ सामना किया है। इसका हवाला देते समय, पंजाब का जिक्र करना आवश्यक था। इसीलिए राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के पैरा 3 में कहा है कि पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे फिलहाल तो ऐसा लगता है कि आगे अच्छा समय आयेगा। इसके लिए मुख्य मंत्री, श्री सुरजीत सिंह बरनाला को श्रेय दिया गया है। शायद पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी मुख्य मंत्री के नाम का उल्लेख किया गया है। इसके कारण स्पष्ट है। वह ऐसे मुख्य मंत्री हैं जिन्होंने साहस दिखाकर उन ताकतों का साथ दिया है जो देश की एकता और अखण्डता की समर्थक हैं। उन्होंने धार्मिक कट्टरता का मुकाबला बहादुरी से किया है। उन्होंने पहली दफा यह दिखा दिया है कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। अन्यथा मुख्य ग्रंथियों का यह प्रयास था कि सही प्रकार से लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को सत्ता से हटा दिया जाए। क्या हम सभी नहीं जानते हैं कि जब पंजाब में चुनावों की घोषणा की गई, तो प्रधान मंत्री द्वारा उठाया गया यह एक साहसपूर्ण कदम था। बहुत से व्यक्ति प्रधान मंत्री से इस बात पर सहमत नहीं थे कि यह चुनाव कराने के लिए उपयुक्त समय है, उनका विचार था कि पंजाब में चुनाव शांतिपूर्ण नहीं हो सकते। किन्तु प्रधान मंत्री ने कहा, "हमें इस चुनौती का सामना करना है और सामना लोकतांत्रिक ढंग से करना है। लोगों को अपनी किस्मत का फैसला करने दो। उन्हें अपनी मर्जी की सरकार चुनने दो। हम यह देखेंगे कि क्या पंजाब के लोग मुट्ठी भर आतंकवादियों की गतिविधियों के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं।"

महोदय, पंजाब के लोगों ने अनुकरणीय साहस दर्शाया। आतंकवादी भाग खड़े हुए। उन्होंने चुनावों में भाग नहीं लिया। वे जानते थे कि पंजाब में लोग उन्हें मत नहीं देंगे। अतः वे इससे बाहर ही रहे। एक निर्वाचित सरकार बनाई गई तथा श्री सुरजीत सिंह बरनाला को मुख्यमंत्री चुना गया। उसके बाद जो हुआ वह हम सभी जानते हैं।

मैं पुनः दोहरा रहा हूं, लेकिन इसका एक कारण है क्योंकि स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने सन्त लौंगोवाल के नेतृत्व में साहसपूर्वक एक समझौता किया। उस समझौते से बाद में पंजाब में स्थिति बदलने का प्रयास किया गया। किन्तु आतंकवादी तत्वों ने सन्त लौंगोवाल की हत्या कर दी। उन्होंने पूरी कोशिश की कि सन्त लौंगोवाल द्वारा मनोनीत किया गया तथा उनके आदर्शों पर चलने वाला कोई व्यक्ति सत्ता में न आए। उन्होंने इसके लिए सभी हथकंडे अपनाए किन्तु अन्त में उन्होंने जो हथकंडे अपनाए उन्हें इस भाषण मेरे विचार में दो अत्यधिक अर्थपूर्ण पंक्तियों में कहा गया है जो कि, उनमें जो कहा गया है उससे कहीं अधिक अभिव्यक्त करती हैं "गुरू नानक देव ने जिस महान धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म के पवित्र उसूलों और परम्पराओं का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यकर्ताओं और पवित्र धार्मिक स्थानों को आतंक फैलाने और सरकारी तंत्र को तहस-नहस करने का साधन बनाया है।"

महोदय, अभिभाषण में कहा गया है कि "पंजाब का आज यही अहम मसला है।" देश ने फैसला कर लिया है और एकमत से श्री सुरजीत सिंह बरनाला का साथ दिया है। देश ने उन्हें बता दिया है कि अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों, जो कि देश की एकता और अखण्डता को अपने

स्वार्थपूर्ण हितों के लिए तथा कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर नष्ट करने पर तुली हैं, के विरुद्ध संघर्ष में हम आपके साथ हैं।

राष्ट्रपति ने यहां तक कहा है कि हमारे आधार को, संविधान तथा राष्ट्र की मूल मान्यताओं को चुनौती दी गई है क्योंकि भारत की एक मुख्य बात इसका धर्मनिरपेक्ष होना है।

राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए महात्मा गांधी ने जीवन बलिदान किया, इन्दिरा जी ने जीवन बलिदान किया किन्तु अभी तक ये ताकतें समाप्त नहीं हुईं। दूसरी ओर वे फिर से सिर उठा रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि "साफ दिखाई दे रही सामाजिक आर्थिक तरक्की के बावजूद ये दूषित शक्तियां एक गहरे रोग की तरह जड़ पकड़े हुए हैं। हालात का तकाजा है कि स्थिति का फिर से जायजा लिया जाए और सरकार इस उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर वार्ता करना चाहती है।" अनेकता में एकता हमारी मूल्यवान विरासत है जिसकी रक्षा सभी प्रकार की फूट डालने वाली ताकतों का मुकाबला करके ही की जा सकती है। कुछ समाचार-पत्रों में निम्नलिखित शीर्षक से समाचार छपे थे। 'राष्ट्रपति ने वार्ता का सुझाव दिया', राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय वार्ता का सुझाव दिया। किन्तु कुछ समाचार-पत्रों ने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी उठाया—किस विषय पर राष्ट्रीय वार्ता? विषय का उल्लेख अभिभाषण में ही स्पष्ट तौर पर किया गया है। क्या देश धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करता है? स्पष्ट है कि उत्तर सकारात्मक है। किन्तु विरोधी ताकतों को किस प्रकार समाप्त किया जाये? इस बारे में एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है कि अब समय आ गया है जब साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली राजनीति को इस देश से समाप्त कर दिया जाये। यदि इस प्रकार का कोई कानून बनाने में कोई संवैधानिक अड़चन हो तो उसे राष्ट्रीय चर्चा, जनमत तथा देश के एकमत से दूर किया जा सकता है जिसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है, कि सभी राजनीतिक दल साम्प्रदायिकता फैलाने वाले तत्वों को समाप्त करने पर सहमत होंगे। संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अन्यथा इस देश की बुनियाद सदा कमजोर रहेगी। इसलिए मैं संवैधानिक कानून का एक छात्र होने के नाते यह महसूस करता हूं कि यदि किसी साम्प्रदायिक दल की परिभाषा करते समय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के कारण मूलभूत अधिकारों के कारण कोई कठिनाई आती है तो मैं आदरपूर्वक यह सुझाव दूंगा कि हमें संविधान में ऐसे उपबन्ध करने चाहिए क्योंकि साम्प्रदायिक राजनीति धर्मनिरपेक्षता के बिल्कुल विपरीत है।

इस सम्बन्ध में मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक अन्य अत्यन्त महत्वपूर्ण बात हुई। धर्माध्यक्षों ने श्री सुरजीत सिंह बरनाला को तनखैया घोषित कर दिया और बाद में उनको निष्कासित कर दिया। तब लौंगोवाल गांव में एक सभा हुई। उस सभा में एक संकल्प पारित किया गया था जोकि एक बहुत लम्बा-चौड़ा दस्तावेज है और इसे मैं सभा पटल पर रखना चाहूंगा। मैं उस दस्तावेज में से कुछ पंक्तियां ही पढ़ता हूं:

> "कुछ अलगाववादी ताकतें कानूनी तथा संवैधानिक ढंग से निर्वाचित अकाली सरकार को प्रारम्भ से ही गिराने का प्रयत्न करती रही हैं। कुछ व्यक्तियों ने विधान सभा के चुनाव का बहिष्कार तक किया। इन सभी व्यक्तियों के मिले-जुले प्रयत्न सरकार का तख्ता पलटने में नाकामयाब रहे। अब ये ताकतें पंथक एकता की आड़ में जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब के साथ मिलीभगत करके पंजाब सरकार गिराने का प्रयत्न कर रही हैं।"

अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अकाल तख्त के प्रति सर्वोच्च आदर की भावना रखता है। हम भी इस उच्च स्थान के प्रति आदर का भाव रखते हैं क्योंकि धर्म के अनुसार अकाल तख्त ईश्वर का स्थान है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : ईश्वर भी संसद में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

श्री जगन्नाथ कौशल : ईश्वर भी नहीं कर सकता क्योंकि ईश्वर ने देश के कल्याण तथा प्रगति के लिए ऐसा आदेश दिया है। केवल धर्म-निरपेक्ष सरकार ही सफल सरकार हो सकती है। ऐसा ईश्वर का आदेश है। आप सभी ने संविधान बनाते समय ईश्वर की इच्छानुसार संविधान की प्रस्तावना तथा प्रभावी भाग में कहा है कि :

> "हम भारत के लोग एतद् द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी तथा लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित करने का संकल्प करते हैं।"

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : कुछ लोग शैतान का कहा मानते हैं। उनके बारे में आप क्या कर सकते हैं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं केवल इतना ही कहूंगा कि भगवान उनकी मदद करे। मैं इस बारे में बहुत कुछ कह चुका हूं।

क्या मैं इस सम्बन्ध में कह सकता हूं कि हम सन्तुष्ट हैं कि घटनाएं सही मोड़ ले रही हैं ? किन्तु यह कह देना कि समस्या सुलझा ली गई है, इस मामले को हल्के तौर पर लेना हो जाएगा क्योंकि समस्या की जटिलता सर्वविदित है। हम समाचार-पत्रों में इसके बारे में पढ़ते रहे हैं। किन्तु क्या मैं एक बात आपकी जानकारी में ला सकता हूं कि बरनाला जी के शासन में 900 से भी अधिक व्यक्ति मारे गए जिनमें से 60 व्यक्ति पुलिस अधिकारी अथवा उनके पुत्र-पुत्रियां थे। यह सबसे अधिक भयावह स्थिति है। वे पुलिस अधिकारी जो कानून के अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है क्योंकि वे आतंकवाद समाप्त करना चाहते हैं। किन्तु आतंकवादी न केवल उन्हें मारते हैं अपितु उनके बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया है।

महोदय, एक अन्य परेशानी की बात यह है कि तीन मजिस्ट्रेटों तथा एक न्यायधीश की हत्या कर दी गई है। हम सभी जानते हैं कि एक मजिस्ट्रेट की उस समय हत्या की गई जब वह अपने कोर्ट में बैठे थे। 30 आतंकवादी जेल से फरार हो गए हैं। प्रतिदिन हत्यायें की जाती हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों के साथ मिलकर एक योजना बनाई है। पिछली बार भी जब मैं इस विषय पर बोल रहा था तो विरोधी दल के सदस्यों द्वारा यह प्रश्न उठाया गया था कि मैं इस समस्या के हल के लिए क्या सुझाव दे सकता हूं। मैंने कहा था कि सुझाव यह है कि सभी राजनीतिक दलों को न केवल पंजाब के मुख्य शहरों बल्कि ब्लॉक स्तर पर जाकर गांव तथा गली के स्तर पर जाकर एक मंच से.....

सभी दलों को एक साथ जाना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम सब में कोई मतभेद नहीं है। पहली रैली 1 मार्च को चण्डीगढ़ में होने वाली है। हम चण्डीगढ़ से कुछ कर रहे हैं। दूसरी बैठक अमृतसर या पटियाला में होगी। इस सम्बन्ध में निरन्तर प्रयास करना पड़ेगा,

न केवल रैली आयोजित करके बल्कि एक मंच से राष्ट्रीय नेताओं द्वारा लोगों को सम्बोधित करके भी ऐसा करना होगा । सारी समस्या सुलझ जाएगी । ऐसा निरन्तर करना होगा जब तक कि सारी जनता एक ही तरीके से सोचने लगे और आतंकवादियों को कोई शरण न दे । मैंने पिछली बार भी कहा था कि आतंकवादी हवा में गायब नहीं हो जाते । अपराध करने के बाद वे पैदल या स्कूटर आदि पर जाते हैं । कहां ? पड़ोस में ही किसी घर में । जब तक पड़ोसी इन आतंकवादियों को आश्रय देने से इन्कार न कर दें, हम उन्हें समाप्त नहीं कर सकेंगे । इसलिए मेरे कहने का अर्थ यह है कि अब वातावरण बदल चुका है । मैं मुख्यमंत्री श्री बरनाला से कहना चाहता हूं कि अब तक वे जान चुके हैं कि कौन क्या है । इसलिए पुलिस को बिना किसी राजनैतिक अथवा बाह्य दबाव के अपना काम करने देना चाहिए । ऐसे तत्वों द्वारा जो अपराधियों की सहायता करना चाहते हैं तथा विशेषकर जत्थेदारों द्वारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए । एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है । असामाजिक तत्व भी इसमें मिल गए हैं । उन्हें आतंकवादी कहलाने पर गर्व महसूस होता है । उनमें कई तस्कर और असामाजिक तत्व हैं । जब वे कोई निजी बदला भी लेते हैं तो समाचार-पत्रों में बताया जाता है कि आतंकवादियों द्वारा इतने लोगों की हत्या कर दी गई । यह सही है कि आतंकवादी हैं । इस सम्बन्ध में गृह मंत्री सही आंकड़े देंगे । पिछले कई माह के दौरान श्रेणी I तथा II के अनेक दुर्दान्त आतंकवादी भी मारे गए हैं । ऐसे लोग भी मारे गए हैं जिन पर ईनाम घोषित किया गया था । इसलिए अब वातावरण बदल चुका है । हमें इस वातावरण का लाभ उठाना चाहिए । अतः राष्ट्रपति के अभिभाषण की यह एक अलग विशेषता है । उन्होंने उस खतरे को, जिसका सामना हम कर रहे हैं, ध्यान में लाने के लिए चार पैरा में अपनी बात कही है ।

अगली बात जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मिजोरम में एक समझौता किया गया था । उसका भी परिणाम सामने आया है । वहां शांतिपूर्ण चुनाव हुए हैं । लोगों को अपने भाग्य का फैसला अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करने की अनुमति दी गई है । प्रधान मंत्री का विश्वास है कि सभी विवादास्पद मामलों को लोकतांत्रिक ढंग से निपटाया जाना चाहिए । उन्होंने पंजाब समझौते, असम समझौते तथा मिजोरम समझौते के माध्यम से यह दर्शा दिया है कि लोगों की इच्छा सर्वोपरि है । लोगों को अपने भाग्य का फैसला निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से करना चाहिए । हमें प्रधान मंत्री को बधाई देनी चाहिए । यह एक अलग बात है कि कौन-सा दल सत्ता में आया है । हमारा यह विश्वास है, श्रीमती गांधी को यह विश्वास था और श्री राजीव गांधी को यह विश्वास है कि देश किसी भी दल से बड़ा है । देश का तथा देश के लोगों का हित सर्वोपरि है । किसी भी दल को यदि यह विश्वास है कि वे राष्ट्र की अच्छी प्रकार सेवा कर सकते हैं तो उन्हें चुने जाने का पूरा अधिकार है । मैं लोगों को आश्वासन देता हूं कि यदि आज पंजाब या मिजोरम में कांग्रेस हार गई है तो कल यह लोगों की सेवा करके सत्ता में आ सकती है । यदि वे सही सिद्धान्तों के माध्यम से लोगों की सेवा करें और धर्म के आधार पर भेद-भाव न करें, सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों की सेवा करें तो अवश्य ही कांग्रेस पुनः सत्ता में आ सकती है । इसके लिए प्रधान मंत्री हमारी हार्दिक बधाई के पात्र हैं ।

हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की सीमा पर बहुत तनाव था और उसे समझौतों द्वारा खत्म किया गया है । बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी । सेनाएं आमने-सामने खड़ी थीं और कभी भी आग भड़क सकती थी पर एक बार फिर समझौतों के माध्यम से, व्यवहारकुशलता से और परस्पर विचार-विमर्श करके हल निकाल लिया गया । यह सब राष्ट्रपति के अभिभाषण, में उल्लिखित विशेषताओं के बारे में है ।

अब देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। हम सबको यह जानकर बहुत खुशी है और प्रेस ने भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है। लगभग सारी प्रेस ने यही कहा है। कारण स्पष्ट है। मैं दिए गए सभी विभिन्न आंकड़ों को नहीं पढ़ सकता पर कुछ आंकड़े बहुत सन्तोषजनक हैं जैसे कि वृद्धि दर औद्योगिक उत्पादन आदि। मुद्रा-स्फीति उचित सीमा के अन्दर हुई है। विभिन्न कार्यक्रमों में गरीबी दूर करो पर जोर दिया गया है। अभिभाषण में इस बात का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है कि योजना के शुरू के दो वर्षों में 40% संसाधन व्यय किए गए और इसी तरह उन्हें व्यय किया भी जाना था। यह भी एक बार फिर प्रसन्नता की बात है।

स्थापित किए गए प्रौद्योगिक मिशनों की संख्या को भी आपने देखा होगा। वास्तव में प्रधान मंत्री चाहते हैं कि तेजी से प्रगति हो और हमारे वर्तमान संसाधनों को जुटाया जाए। क्या आज के रेलवे बजट से इस बात का पता नहीं चलता कि गतिशील और बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था के क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या हमें पूरी तरह यह नहीं दिखाया गया? हमें हर बार अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि अगर हम लोगों को प्रेरित कर सकें, अगर हमारे पास बेहतर प्रबन्ध व्यवस्था हो तो हम मौजूदा संसाधनों से अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दो सालों में हुई प्रगति से देश में आशावाद उत्पन्न हुआ है और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यह आशावाद जारी रहेगा और लोग देश के कल्याण के लिए अंशदान करते रहेंगे। अधिकांश समय सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी ने यह दिखा दिया है कि उसमें लोगों की सेवा करने का सामर्थ्य है, वह अल्प संख्यकों, पददलितों और महात्मा गांधी, जवाहर लाल, श्रीमती इन्दिरा गांधी और अब प्रगतिशील, युवा और कल्पनाशील प्रधान मंत्री के आदर्शों का आदर करने वाले लोगों की संरक्षक है।

प्रधान मंत्री चाहते हैं कि हम आधुनिक प्रौद्योगिकी और आधुनिक तरीकों को इस्तेमाल करके एक पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र के रूप में 21वीं सदी में प्रवेश करें.....(व्यवधान) प्रो० मधु दण्डवते क्या कह सकते हैं मैं वह सुनना चाहता हूं। मैंने सोचा कि मैं केवल उन मामलों पर बोल रहा हूं जिनके बारे में कोई विवाद नहीं है। जिन विषयों पर मैंने विचार-विमर्श किया तथा जिन आधारभूत सिद्धान्तों के बारे में मैं बात कर रहा हूं उनमें कुछ विवादास्पद बात नहीं है।

विरोधी दल जब सत्ता में आए तो उनका क्या उद्देश्य क्या था? उनका लक्ष्य जनता की सेवा करना था। लेकिन दुर्भाग्य से वे वैसा नहीं कर सके क्योंकि वे अपना विलय एक दल में नहीं कर सके। अन्यथा यह एक सफल अनुभव होता। हमें दो दलों, दो मजबूत दलों की जरूरत है और इन दो दलों को लोगों की सेवा के लिए एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करनी चाहिए।

इसलिए, मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि जो कल्याण उपाय हम कर रहे हैं उनके प्रति अधिक उत्साह दिखाया जाना चाहिए और पददलितों को अधिकतम लाभ दिया जाना चाहिए। इस संदर्भ में अगर हम अल्पसंख्यकों आदि से सम्बन्ध रखने वाले 20 सूत्री कार्यक्रम या 15 सूत्री कार्यक्रमों की जांच करें तो देखेंगे कि उनमें से अधिकांश 'सर्वहारा वर्ग' वर्ग के लिए है। जब भी हम उनका विकास करेंगे और उनकी हालत सुधार देंगे, देश का स्तर ऊपर उठेगा। हम सभी यह बात जानते हैं।

नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है उससे फायदे मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा क्योंकि यह दीर्घकालीन निवेश है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। कि यह आलोचना की जाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र को वह स्थान नहीं दिया जा रहा जिसका वह पात्र है। मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में से केवल दो तीन पंक्तियां पढ़ूंगा ? मैं उद्धृत कर रहा हूं :—

"सार्वजनिक क्षेत्र हमारे आर्थिक विकास में प्रमुख भूमिका रखता है। 1985-86 के अन्त तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कुल 50,341 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है। 1984-85 की तुलना में 14,947 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों के वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार हो रहा है। इनकी स्वायत्तता को मजबूत करने और परिणामों के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए उपाय किए गए हैं।"

एक बार अगर हम सार्वजनिक क्षेत्र को जवाबदेह बना दें तो उसे बेहतर परिणाम देने पड़ेंगे। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है इसलिए सेवाओं को सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने से बेहतर परिणाम जरूर निकलेंगे। तो लोगों के हितों को देख कर तथा हर एक को सेवा के लिए प्रेरित करके बेहतर परिणाम निकलेंगे और इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है कि हमारे प्रधान मंत्री के वर्तमान नेतृत्व तथा उनकी गतिशीलता से देश के युवा लोगों में उत्साह उत्पन्न हुआ है और देश प्रगति के पथ पर है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री भागवत का आजाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी द्वारा भारतीय संसद के सदस्यों को दिए गए अभिभाषण के लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव हमारे सम्माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ कौशल जी ने सदन के समक्ष रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं। ऐसा करते हुए मैं गौरव का अनुभव करता हूं क्योंकि मैं इसे मात्र औपचारिकता एवं शिष्टता का द्योतक नहीं मानता। जब से लोक सभा, हिन्दुस्तान के गणतन्त्र का निर्माण हुआ है, तब से 1952 से हर बजट के पूर्व राष्ट्रपति जी ऐसे भाषण सदन के समक्ष रखते रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का गौरव है कि भारतीय गणतन्त्र की प्रथम लोक सभा में, 1956 में 15 फरवरी को राष्ट्रपति जी के भाषण पर मुझे ऐसे प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश करने का पहला अवसर मिला था। मुझे इस बात का भी गौरव है कि दूसरी बार 1962 में तृतीय लोक सभा में ऐसे प्रस्ताव के समर्थन का अवसर मुझे मिला था और अब यह तीसरा अवसर है जब मुझे यह गौरव प्राप्त हुआ है। मैं गौरव इसलिए मानता हूं कि राष्ट्रपति जी का संदेश देश के लिए भविष्य के कार्यों का निर्देश है और बीते कार्यों का सिंहावलोकन है। उन दोनों अवसरों पर जब मुझे यह सौभाग्य मिला था कि उस समय हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक थे सरल, सहज, संवेदनशील डा० राजेन्द्र प्रसाद। और प्रधान मंत्री थे, भारत के मनीषी, उदारचेता, भारतीय समाजवाद और गणतन्त्र के सृजनशील शिल्पी स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू। मुझे गौरव है कि मैंने हिन्दुस्तान की विधान सभा, संसद के आचार-विचारों, उनकी संस्थाओं के, समाजवाद के और इस देश के धर्मनिरपेक्षता के सबक को उन्हीं महामना जवाहरलाल नेहरू के चरणों में सीखा। इसलिए मैं आज उन तमाम भावनाओं को समेटकर, सम्मान और श्रद्धा की अंजलि भर कर, मैं भारतीय गणतन्त्र के सिरमौर, प्रमुख राष्ट्रपति के भाषण पर अपना धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।

मैं आशा करता था कि ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर, इस संसद् के राजेश पायलट की पीढ़ी के नौजवान दोस्त इस बात को समझ कर आज सदन में उपस्थित रहते। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे औपचारिक-मात्र नहीं मानें। वैसा औपचारिकमात्र जो हमें इस प्रस्ताव पर आये संशोधनों से मालूम पड़ता है। लगता है कि राष्ट्रपति का भाषण हिन्दुस्तान के तमाम विषयों का विश्वकोष होना चाहिए। संशोधनों के अम्बार जो आए हैं वह इस बात का द्योतक मालूम पड़ता है कि यह मामूली सी कोई डिबेट है, जिस डिबेट पर कटमोशन और ऐसे संशोधन आने ही चाहिएं। मैं यह नहीं मानता।

मैं यह मानता हूं कि आज अगर इसमें कमियां हैं तो उन कमियों को उजागर किया जाए। लेकिन राष्ट्रपति के भाषण को पिछले वर्षों का सिंहावलोकन और आगे आने वाले समय में सरकार के कार्यकलापों का उसे एक संकेत माना जाए। इसे माना जाए राजीव गांधी की सरकार की प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता का नमूना। इसलिए आवश्यक है कि हम इस डिबेट को इतना अधिक महत्व दें।

राष्ट्रपति को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में यह कहा है कि "बहुत-सी समस्याओं के बावजूद लोगों में एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाने की अपनी क्षमता में पूर्ण विश्वास है। यह विश्वास उनकी शानदार उपलब्धियों का नतीजा है।"

मैं उन्हें धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने बार-बार सदन के सदस्यों और देश की जनता को इस बात की याद दिलाई है कि "हमारा धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र साम्प्रदायिक और अलगाववादी ताकतों का साहस के साथ मुकाबला कर रहा है। लोकतन्त्र, धर्म-निरपेक्षता और समाजवाद हमारे गणतन्त्र के आधार हैं।" इस आधार का उल्लेख करने के लिए मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूं।

मैं उन्हें धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने राजीव गांधी की सरकार की प्रतिज्ञा और प्रतिबद्धता को इन शब्दों में दोहराया है ताकि हम पार्टी में और आप पार्टी के बाहर आने वाले दिनों में इस सरकार से यह पूछ पाएं कि आपने जो प्रतिज्ञा की थी, उन प्रतिज्ञाओं में आप कितना सफल हुए, कितना नहीं हुए। अगर नहीं तो क्यों नहीं हुए? इसे राष्ट्रपति ने कहा, "हमारे कार्य मुख्य रूप से मूलभूत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। गरीबी के खिलाफ कार्यक्रम को पूरी शक्ति से लागू किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के मूल क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा और उनमें विस्तार किया जाएगा ताकि विकास कार्य में हम आत्म-निर्भर हों।"

यह महत्वपूर्ण है कि इस देश की जनता को इस सरकार ने आश्वासन दिया है, इस एड्रेस के जरिए, कि हम उन क्षेत्रों पर जोर देंगे जहां गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम जोर से चलाए जा रहे हैं। क्या यह साधारण-सी बात है? क्या यह संदेश औपचारिक मात्र है? क्या यह संदेश भविष्य का संदेश नहीं है कि इस देश की अर्थव्यवस्था को त्वरित गति से 21वीं शताब्दी में ले जाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उन तमाम उन्नत टेक्नोलोजी को, हम उन तमाम संसाधनों को मुहैया करें जो देश के अन्दर या बाहर से अगर हम लाना चाहें तो उन्हें लाया जाए?

अन्त में अपने भाषण में राष्ट्रपति ने देश का आह्वान किया है कि "हमें अभी बहुत कुछ करना है।" यह सेन्टेंस, या वाक्य बड़ा सीधा-सा है, लेकिन इसके अन्दर के अर्थ बहुत अधिक हैं। उन्होंने कहा है कि "जनता के सहयोग और असीम उत्साह की मदद से मेरी सरकार देश को अपने चुने हुए रास्ते पर आगे ले जाएगी।"

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इस संदेश को देखकर हम इस अभिभाषण को अपने गणतन्त्र के इस नए वर्ष की शुरुआत में सातवीं योजना के द्वितीय वर्ष में बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। हम मानते हैं, हमारी 1986 की उपलब्धियां इस बात की प्रतीक हैं, कि राष्ट्रपति ने जिन बातों का उल्लेख किया है, उनको पूर्ण करने की सम्भावनाएं हैं, हम उन्हें पूर्ण कर सकते हैं। 1986 में सरकार ने बहुत अधिक परिवर्तन किए हैं, बहुत से पहलुओं पर और उससे हमें लाभ मिला है, इसका द्योतक है इस अभिभाषण का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया सिंहावलोकन। सदन के प्रायः सभी सदस्य, डाउटिंग थामसेस को छोड़कर ऐसे आशयपूर्ण और इस संदेश से सहमत होंगे, लेकिन संशोधनों का अम्बार बताता है कि···।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : केरल से हमारे सदस्य थामस हैं।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : मैं तो उस थामस की बात कर रहा हूं जो रेलवे बजट इतना सुन्दर होने के बाद भी कहते हैं कि बजट ठीक नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए संशोधनों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि देश में कुछ नहीं हुआ है, कुछ हो ही नहीं रहा है, यह देश बहुत तेजी से पीछे भागा जा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये संशोधन उन सदस्यों की कुंठा, उनकी निराशा और उनके मानसिक चिंतन के मापदण्ड हैं, सरकार की और देश की प्रगति का नहीं।

इसलिए मैं यह कहूंगा कि आज इस बात की आवश्यकता है कि हम इस भाषण में दिए गए संदेश को देखें। उदाहरणार्थ हम लें विदेश नीति को। विदेश नीति में इस सरकार ने स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के समय से ही विश्व में शांति-व्यवस्था कायम करने के लिए संदेश दिया है। शांति व्यवस्था देश में या परदेश में, दोनों अविभाजित हैं और इसलिए निरस्त्रीकरण के लिए, इस देश में शांति के लिए, विकास के लिए सभी देशों का आह्वान किया है। भारत का उद्देश्य मानवता के लिए "वसुधैव कुटुंबकम" के आदर्श को लेकर चलने का है। इसलिए विश्व के शांति के मसीहा श्री जवाहरलाल नेहरू के शताब्दी वर्ष में आइए हम सब इस बात की प्रतिज्ञा करें कि देश में प्रगति और विकास के लिए हम सर्वत्र शांति स्थापित करने की चेष्टा करेंगे। यह शताब्दी वर्ष शांति के प्रतीक, शांति के मसीहा "जवाहरलाल शताब्दी वर्ष" हमें इस बात का संदेश देता है। आज संसार आणविक हथियारों के ज्वालामुखी पर बैठा है। संसार के सुपर राष्ट्र के 50 हजार आणविक हथियार, वे आणविक हथियार जिनको लेकर संसार के एक सुपर राष्ट्र के 5 लाख लोग संसार के 5 सौ स्पेस पर पुश बटन पर हाथ रखकर बैठे हैं। किसी दिन निर्णय या अनिर्णय की स्थिति में पुश बटन दब गया और न्यूक्लियर वार शुरू हुई तो दो मिनट के अन्दर एक तिहाई विश्व की जनता, 3.1 बिलियन लोग मर जाएंगे और दुनिया के 3.1 बिलियन लोग लुंज-पुंज हो जाएंगे। सारा वातावरण भाप बनकर ऊपर उठेगा, बड़े-बड़े महलों के कंगूरे गिरने लगेंगे, उनके लोहे के बीम और तमाम चीजों से संसार की आधी आबादी समाप्त हो जाएगी।

इसलिए आज जरूरत प्रगति और विकास के साथ-साथ इस बात पर जोर देने की है कि यह मानवता जिन्दा रहे। हम अपने पूर्वजों की सभ्यता जो आर्यावर्त्त में मोहनजोदड़ों में बनाई गई,

उस सभ्यता को जीवित रखने की आवश्यकता है। भारत ने जो संसार को सन्देश दिया है, वह सन्देश बार-बार दोहराया जा रहा है और हमें गौरव है कि इस सन्देश को देने में हमारे वर्तमान प्रधान मन्त्री ने अपने नाना पंडित जवाहर लाल नेहरू के उन कदमों पर चलकर हमें गौरव प्रदान किया है। पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों की पहल ने सरकार के निरस्त्रीकरण आन्दोलन को समर्थन दिया है। रेजविक सम्मेलन असफल हुआ, लेकिन फिर भी रूस और अमेरिका से यह आग्रह कि इस संसार को आणविक हथियारों से मुक्त रखा जाए, यह पहल कर प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी ने संसार को नयी आशा दी है। हरारे गुट-निर्पेक्ष में, जब वह सम्मेलन कई बार टूटने पर हो गया था, राजीव गांधी ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से उसे बचाया है। वहां पर हरारे नाम सम्मेलन में हर बैंच पर इन्दिरा गांधी की आवाज सुनाई पड़ती थी। हर एक ने इन्दिरा गांधी को औपचारिक रूप से नहीं, कण्ठ से नहीं, हृदय से उसे याद किया और हमारे प्रधान मन्त्री ने उस सम्मेलन को बचाया। अफ्रीका फण्ड की सक्रिय भूमिका, सार्क सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा, दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद नीति के खिलाफ विश्व जनमत, उसे मुक्ति दिलाने के लिए इनका प्रयास, फिलीस्तीनी जनता के अक्षेद्य मानवीय अधिकारों की हिमायत और ईरान-ईराक युद्ध की जल्दी समाप्ति, मध्य अमेरिका के संकट में कांटाडोरा का प्रयास, अफगानिस्तान स्वतन्त्रता और एक निर्गुट राष्ट्र है, इसके अन्दर कोई हस्तक्षेप न करे, इस बात पर जोर, ये सारे काम प्रधान मन्त्री के श्री राजीव गांधी के ग्यारह माइल पोस्ट हैं। यह उनके दो वर्ष के कार्यकाल का संकेत है कि आगे आने वाले वर्षों में भारत राष्ट्र और उसका नेतृत्व, उसके नेता न केवल अपने देश में, अपनी प्रगति और स्वार्थ के लिए बल्कि सारे संसार की मानवता के लिए प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे। इसलिए, इस सन्देश में राष्ट्रपति ने इस महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है। इस देश की सफल विदेश नीति अभी रूस से कामरेड गोर्बाचोव के यहां आने पर आभासित हुई है। कामरेड गोर्बाचोव ने न केवल हमारी दिल्ली घोषणा की, न केवल आर्थिक योजना की, मैं बात नहीं करता। मैं तो इस पर बात करता हूं कि कामरेड गोर्बाचोव ने, उस डायलेटिकल मैटेरीयलिज्म के प्रतिनिधि ने पहली बार मानवता के मूल्य को, उस मूल्य पर उन्होंने जोर दिया और यह कहा कि यहां पर यह आवश्यक है कि प्रगति और विकास के साथ-साथ मनुष्यता को बचाने के लिए हम प्रयास करें और इसीलिए उन्होंने एकतरफा टेस्ट नहीं करने का निर्णय किया। अफसोस यह है कि उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। हम तो दोनों से यह आग्रह करते हैं, सोवियत यूनियन से भी और अमेरिका से भी कि वे अपने टेस्ट बन्द करें। उनके एस० डी० आई० प्रोग्राम, उनके तरह-तरह के टैंक, ये सारे बन्द हो जाएं। अमेरिका न भूले कि उसका पैटन टैंक कम्बोडिया के मैदान में हार खा चुका है। यह भी न भूले कि उसके सैबर जैट को हिन्दुस्तान के नेट ने मार गिराया है। इसलिए कि लड़ता हथियार नहीं, लड़ता है हथियार के पीछे मानवता की वह संकल्प शक्ति जो शक्ति उसे आजाद रहने को और प्रगति करने को प्रेरित करती है। अस्तु निवेदन है कि हम इस अभिभाषण के इस अंग को देखें। हमें दुख है कि हमारा पड़ौसी पाकिस्तान बराबर इस बात की कोशिश में रहता है कि भारत को नीचा दिखाया जाए। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि हिन्दुस्तान के तीन प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हिन्दुस्तान पर तीन हमले हुए, 1962 में, 1967 में और 1971 में। हम चौथा हमला नहीं चाहते। हमने पाकिस्तान से मन से उसकी इज्जत, मुल्क का प्यार, उसकी रोटी नहीं छीनी है। हम चाहते हैं कि हम आपस में मिलकर रहें। लेकिन जब इतनी बड़ी फौज सीमा पर आई तो हमें प्रसन्नता है कि राजीव गांधी ने सिर्फ फौज ही नहीं भेजी, फौज भेजना आवश्यक था अपनी सीमा के सुधार के लिए लेकिन साथ-साथ उन्होंने तुरन्त बातचीत की पहल की और वह पहल जो आवश्यक थी इस बात के लिए कि

हम अगर शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, इसका यह अर्थ नहीं कि हम युद्ध चाहते हैं बल्कि इसलिए कि हम आपके साथ शान्ति वार्ता चाहते हैं। सिद्धान्त इसके पीछे स्पष्ट है और वह सिद्धान्त है :

"मुक्तेतु सकलं शास्त्रं पृष्ठे चःशरंधनु,
इदं ब्राह्मम्, इदं ब्राह्मं,
शापादपि, शरादपि"

हम कूटनीति के जरिये, हम शस्त्रों-शास्त्रों के जरिये से, दोनों से मुकाबला कर सकते हैं। हमें प्रसन्नता है कि इसके कारण से पाकिस्तान को कुछ सूझबूझ आई। लेकिन पाकिस्तान आज भी अपने एटम बम के पुर्जे-पुर्जे बना रहा है। इसलिए आवश्यकता यह है कि पाकिस्तान शान्ति का रास्ता अपनाये। हमें दुःख है कि पाकिस्तान अपनी सीमा पर आतंकवादियों के कैम्प लगाता है, सीमा से तस्करों को इधर भेजता है और पंजाब में पंजाब की भोली-भाली जनता को भड़काने का प्रयास करता है, लेकिन यह सब नहीं हो पाएगा। यह सत्य है कि आज सिख पन्थ इतिहास के अभूतपूर्व मोड़ पर खड़ा है। लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि अब वहां की जनता ने यह समझ लिया है, और उसके नेता बरनाला ने, कि आवश्यकता इस बात की है कि सभी ताकतें मिलकर, एकजुट होकर आतंकवादियों का मुकाबला करें।

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब अकार्ड क्या था जिसकी बार-बार दुहाई दी जाती है, कोई जमीन के बारे में कहते हैं, कोई पानी के बारे में और कोई चण्डीगढ़ के बारे में कहते हैं। लेकिन पंजाब अकार्ड की मुख्य बात अगर पढ़ी जाए, जो अन्तिम बात है वह यह है और यह सभी चीजें तभी सम्भव हैं जब तक पंजाब में फासिस्ट आतंकवादी ताकतों का मुकाबला वहां के जन-आन्दोलन को जगाकर नहीं किया जाए। समझौते में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। यह नहीं हो पाया। कांग्रेस ने समझौते में जिस बात के लिए जोर दिया वह यह थी कि हम पंजाब में फासिस्ट ताकतों का, आतंकवादियों का मुकाबला करें, किस तरह से ? जन-आन्दोलन को जगाकर ! हमने नहीं किया है। प्रधानमन्त्री ने स्वयं कहा है इसका समाधान फौजी शासन नहीं है। फौजी शासन तो वह चाहते हैं जो यह चाहते हैं कि पंजाब में गवर्नर रूल हो और तब अकाल तख्त को दिल्ली प्रशासन से भिड़ा दिया जाये और फिर कनाडा और अमरीका के तस्कर, दौलतमन्द कुछ सिख जो खालिस्तान के झूठे सपनों में वहां के नौजवानों को भुला रहे हैं वह मौज कर सकें या वह चाहते हैं कि अगर राष्ट्रपति शासन नहीं हो तो उनका कोई पिट्ठू मुख्य मुख्यमन्त्री हो ताकि उसके अन्तर्गत वह अपनी तस्करी चला सकें, अपना आतंकवाद चला सकें, यह दोनों बातें सम्भव नहीं हैं। हिन्दुस्तान की जनता ने समझ लिया है जिस समय अकाल तख्त को हम श्रद्धा से नमन करते हैं उसी प्रकार हम नमन करते हैं अपने मन्दिर को, उसी प्रकार हम सजदा करते हैं मस्जिद को, लेकिन एक समाजवादी, धर्म निरपेक्ष भारतीय होने के नाते हम कभी मन्दिर, मस्जिद, गिरजा या अकाल तख्त को गणतन्त्र के बराबर नहीं मान सकते, सम्भव नहीं है यह, यह नहीं हो सकता। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि पंजाब में जब अकाल तख्त ने वहां की चुनी हुई सरकार को चुनौती दी, उसे हटने को कहा, हमें प्रसन्नता है कि लौंगोवाल कन्वेंशन में सिखों के बहुमत ने इस बात का निर्णय दिया कि हम अपने धार्मिक स्थानों की, धर्म की पूजा करते हैं, लेकिन हम अपने लिए चुनी हुई सरकार को इसके बराबर नहीं समझते, इसे तोड़ने नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि बरनाला जो दुर्योधन, शकुनि,

दुःशासन के मोह में पड़कर भटके थे आज फिर निश्चय पर आ गये हैं जो कोटेशन हमारे जगन्नाथ कौशल ने दिया। हमारा विश्वास है कि वह धर्म को, राजनीति को अलग रखेंगे। बरनाला से निवेदन है कि सारे विरोधी दल एकमत से, सारा देश एकमत से उनके साथ है, वह नेतृत्व लें। अपने पड़ोसी प्रदेश, अपने प्रदेश और भारत की समस्याओं का सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ें सफलता उनके कदम चूमने को व्याकुल है। इन शब्दों के साथ हम उम्मीद करते हैं कि अब फिर बरनाला महाभारत के भीष्म, द्रोणाचार्य की तरह दिग्भ्रमित नहीं होंगे, धर्म को राजनीति को अलग रखेंगे। मेरा पंजाब के बारे में इतना ही कहना है, यही बात कही है राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इसी स्वर में मैं एक बात और जोड़ दूं जो हमारे जगन्नाथ कौशल जी ने कही। एकार्ड पंजाब का हो या आसाम का, आसाम का हो या मिजोरम का, उन तमाम एकार्डों की एक ही भावना थी कि इन प्रान्तों में चाहे किसी भी कारण से जन-आक्रोष व्याप्त है, इन्सर्जेंसी है, जहां मिजोरम और आसाम में अब तक फौज मुकाबला कर रही थी, वहां शान्ति से, बैलट के सहारे, बुलेट को छोड़कर निर्णय हो। प्रसन्नता की बात है कि वैसा निर्णय मिजोरम में हुआ, वैसा ही निर्णय आसाम में भी हुआ और अब हम वैसे ही अन्तिम फल की प्रतीक्षा पंजाब में कर रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ शब्द से नहीं, बल्कि हृदय और मन से शान्ति में विश्वास करती है और उस शांति को लाने के लिए वह कोई भी कीमत दे सकती है। उसने कीमत अदा की है और आगे भी देगी क्योंकि हमारी पार्टी में शान्ति का महत्व अन्य किन्हीं अर्थों से अधिक बड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें विश्वास है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिन बातों का उल्लेख किया है, उस पर हम गौर करेंगे। उन्होंने उल्लेख किया है फिरकापरस्ती और धार्मिक कट्टरता का। हमारा दुर्भाग्य है क्योंकि हमने सोचा था कि देश की आर्थिक प्रगति होगी, विकास के रथ पर हम सभी चढ़कर चलेंगे, उसमें हिन्दू, मुसलमान, इसाई, सिक्ख आदि का भेदभाव नहीं होगा। सभी एक साथ मिलकर रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। परन्तु मुझे अपने मित्रों से कहना है कि आज मन्दिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा मत खड़ा करो, तुम्हारा भगवान या तुम्हारा अल्लाह किसी मन्दिर-मस्जिद का मोहताज नहीं है, वह कहीं पनाह नहीं लेता। उसे मन्दिर नहीं चाहिए, उसे मस्जिद नहीं चाहिए। तुम अपने ठकुल्लापन के लिए, तुम अपनी पण्डताई के लिए, मन्दिर और मस्जिदों के झगड़े मत खड़े करो। चाहे बाबरी मस्जिद का सवाल हो या वेंकटेश्वर मन्दिर का, कोई इस तरह का झगड़ा मत खड़ा करो। विकास के चरण इतने आगे बढ़ने के बावजूद यह सम्भव नहीं होगा। इसीलिए राष्ट्रपति जी ने कहा है कि "साम्प्रदायिक और कट्टरपन्थी ताकतों ने बाहरी ताकतों की मदद और शह पाकर राष्ट्रवाद, धर्म-निरपेक्षवाद और लोकतन्त्र तथा समाजवादी मूल्यों को ललकारा है। आइये, हम उनका मुकाबला करें।" इसी कट्टरपन्थी और इसी साम्प्रदायवाद के लिए संसार की महान नेता, हिन्दुस्तान के जन-जन की आशाओं की प्रतीक श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपना बलिदान दिया था। इसलिए हमारे नौजवानों, सदन में उपस्थित बन्धुओं, इन्दिरा गांधी की वह आवाज सुनो, जिसने अपने प्राण देकर देश की अखण्डता की रक्षा की। आज उस देश की अखण्डता फिर खतरे में है। हमें फिर अपनी नेता की आवाज सुननी है :—

जवानी जिसके कारण जली,
सहा जिसके हितवय में क्लेश,
पिघलने दो कण-कण कर हमें,
सुख से जिये हमारा देश।

और तू भी सपनों को बन्धु,
स्वेद की बून्दों बीच उतार,
इन्हीं बूंदों में मन से उतर,
कल्पना पायेगी आकार ।

आइये इन स्वेद बिन्दुओं के सहारे हम इस सम्प्रदायवाद और कट्टरपन को हटाकर देश में प्रगति और विकास के चरण को आगे बढ़ायें ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तभी सम्भव है जब देश में आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो, हमारी प्रगति और विकास के रथ चलते रहें, हमारे उद्योग के चक्के बन्द न होने पाएं और इसीलिए आज इस उद्देश्य की पूर्ति में सातवीं योजना का दूसरा वर्ष हमें ललकार रहा है । इस वर्ष हमारी राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है । नेहरू जी का युग 17 वर्षों का था और उसमें पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं चलीं । इन्दिरा गांधी का युग 16 वर्षों का था और उसमें चौथी, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाएं चलीं । नेहरू जी के 17 वर्ष के युग में 3.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि राष्ट्रीय आय में हुई । इन्दिरा गांधी के 16 वर्षों के युग में, चौथी, पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान 4.4 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई । परन्तु पिछले दो वर्षों में, राजीव गांधी के युग में यह वृद्धि 5 प्रतिशत की दर से हुई और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में इससे भी अधिक वृद्धि होगी ।

आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए । उदाहरण के लिए खाद्यान्न को ही ले लीजिए । जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय भूखा-नंगा हिन्दुस्तान, जिसके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, अमेरिका ने पी० एल०-480 के अन्तर्गत यहां गेहूं भेजा मगर साथ में कहा कि ओ, कर्ज लेकर खाने वाले हिन्दुस्तानियों, मेरा पी० एल०-480 का गेहूं भरपेट खाओ ।

ओ कर्ज खोरो सीना तानकर नहीं, सिर झुकाकर चलो और जब वियतनाम और कम्बोडिया पर हम बम बरसाएं, तो उफ तक न करो और पाकिस्तान को एफ-16 दें, तो जरा भी मत बोलो, लेकिन आज उसी भारत देश ने खाद्यान्न में तीन गुनी वृद्धि की है, 500 लाख टन के स्थान पर 1500 लाख टन अन्न उत्पादन कर सके हैं । आज हम इस मामले में आत्मनिर्भर है । उद्योग में काफी प्रगति हुई है । किसी भी रूप में, कहीं भी देखिए सब जगह प्रगति हुई है । बिजली में जवाहर लाल नेहरू के युग में छः गुनी वृद्धि हुई थी, इन्दिरा गांधी के युग में पांच गुनी वृद्धि हुई है और आज 9.5 प्रतिशत है । अगर यही रफ्तार रही तो कई गुनी अधिक वृद्धि होगी । कोयला को लें, जवाहरलाल जी के युग में 111 गुना बढ़ा था, इन्दिरा गांधी के युग में 117 गुना बढ़ा और आज वह 6 प्रतिशत है । अगर यही रफ्तार रही, तो वह इससे भी अधिक हो जाएगा ।

अगर हम बाजार के इस्पात को लें, तो इन्दिरा गांधी के युग में दो गुना बढ़ा था, जवाहर लाल नेहरू के वक्त में 4 गुना और आज 7.7 प्रतिशत है, अगर यही रफ्तार प्रतिवर्ष रही तो कई गुनी बढ़ जाएगी । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आपने क्यों नहीं कहा ?

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्ट्सगंज) : आप घबरा क्यों रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : अफसोस यह है कि इन सदस्यों को अगर सच्ची बात कहें, आंकड़े दें, तो इन्हें घबराहट होने लगती है, तब ये संशोधन का सहारा लेते हैं।

तो मैं यह कह रहा था हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए खाद को लीजिए। उपाध्यक्ष महोदय शुरू-शुरू में इस देश में कुल 78 हजार टन खाद का उपयोग हुआ करता था, जवाहरलाल के समय में 8 लाख और इन्दिरा गांधी के अन्तिम चरण में 8 लाख से 78 लाख टन खाद का उपयोग हुआ था और आज वही 78 लाख की सीमा को आगे बढ़ाकर 16.5 प्रतिशत खाद का उपयोग कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े बोलते हैं खेत-खलिहानों में, दुकान-मकानों में बोलते हैं। प्रगति देश की हुई है। 8 प्रतिशत की जो प्रगति है, यह बहुत सुन्दर और शानदार है।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : खाना नहीं मिलता है।

श्री भागवत झा आजाद : आप खाने की बात कह रहे हैं, इतना सुन्दर बुशर्ट पहने हैं, मोटी आवाज है, सुन्दर चश्मा लगाए हैं,.....

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसा मत बोलो, नहीं तो वह कपड़े निकाल देगा।

श्री भागवत झा आजाद : हां, यह बात ठीक है, मधु दण्डवते जी ने ठीक कहा, मैंने गलती की, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। कपड़े मत निकालना।

अब चूंकि कपड़े की बात आई है। मैं कपड़े के बारे में कहना चाहता हूं कि 1952 में इस देश में सिर्फ औसत 5 गज कपड़ा था। शहर में, गांव में, देहात में, कहीं भी देखिए आधे से अधिक लोग खाली बदन थे, आज इस देश में औसत कपड़ा 19 गज है। इस देश में 1952 में सैकड़ा में दो पढ़े वाले थे, 98 आदमी टीप लगाने वाले थे। उस हिसाब से आज सैकड़ा में 40 पढ़ने वाले हैं। आदमी की औसत जिन्दगी 25 साल थी उसी हिन्दुस्तान में आज आदमी की औसत जिन्दगी 69 साल है। इसी प्रकार से मैं और भी कह सकता हूं। मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिस उद्योग व्यवस्था का जिक्र किया है, जो सन्देश दिया है, वह उद्योग-व्यवस्था हिन्दुस्तान को प्रगति और विकास के रास्ते पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र आगे बढ़ रहे हैं। कभी-कभी आवाज सुनाई पड़ती है कि इसका डाइवेस्टाइजेशन कर दिया जाए, इन्हें व्यक्तिगत हाथों में सौंप दिया जाए। किन के हाथ में, डालमियां के हाथ में, जिन्होंने सारे पैसे को निकालकर मिल को सिक करके सरकार को सौंप दिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हमारी इकनोमी की यह कमांडिंग हाइट है। इस बात पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ऐसा हो भी नहीं रहा है। प्रसन्नता की बात यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश 50,341 करोड़ था वह 1986 में, 1985 की तुलना में 14 हजार करोड़ रुपए अधिक है।

प्रो० मधु दण्डवते : बिड़ला का जिक्र नहीं किया ?

[अनुवाद]

वह बिरला का उल्लेख नहीं कर सकते क्योंकि वह दूसरे सदन के सदस्य हैं।

श्री भागवत झा आजाद : यह महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उद्योगों का उल्लेख कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : मैं यह कह रहा था कि मैंने बिड़ला का रिफ्रेंस दिया था तो यह वाक-आउट कर गये थे और मेरे खिलाफ अखबार में लिख दिया "कामरेड मिस्टर आजाद" वह मोशन मैंने दिया हुआ है लेकिन अब तक उस प्रिवलेज का फैसला नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थक हैं। यह जब चाहते हैं तब सार्वजनिक क्षेत्र में उन विद्वान पुरुषों को भेज देते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप उन विद्वान आई० ए० एस० और आई० पी० एस० को वहां मत भेजो क्योंकि इनका इससे कोई कमिटमेंट नहीं है। यहां गड़बड़ किया तो वहां चले गये और वहां सम्राट बन गये। अगर वहां गड़बड़ किया तो प्रमोशन लेकर सेक्रिटेरिअट में आ गये। आज हमारे साठे साहब कहते हैं कि बहुत बड़ी हाईकास्ट इकानमी पब्लिक सेक्टर की है। कभी-कभी जब आप भाषण देते हैं तो मुझे वह भाषण अच्छा नहीं लगता है। लेकिन खैर कोई हर्ज नहीं। हम यह जानते हैं कि आप लेबर लीडर हैं। हम और आप एक ही भावना के समर्थक हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर के प्वाइंट पर आप और हम कभी काम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। यह सही है कि हम लो-कास्ट इकानमी चाहते हैं ताकि हमारे देश को और विदेश के बाजार को काम्पीटेटिव दाम पर सामान मिले।

अस्तु, इन शब्दों के साथ मैं एक और महत्वपूर्ण प्वाइंट पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो कि आर्थिक व्यवस्था का है। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए-जो बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है, उसको मैं पिछले दो सालों के उदाहरण देकर स्पष्ट करना चाहूंगा। मैं इसके लिए सिर्फ तीन उदाहरण ही देना चाहता हूं कि हम किस प्रकार गरीबों के लिए कार्य कर रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) पर 1984-85 में सिर्फ 207 करोड़ रुपये खर्च हुए और 1985-86 में 205 करोड़ और 1986-87 में इससे बढ़कर 543 करोड़ रुपये खर्च हुए। अगर दूसरे कार्यक्रम लें जैसे कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, उस पर 1984-85 में 230 करोड़ रुपये रखे गए थे और अब 1986-87 में 495 करोड़ रुपए रखे गए। इसी प्रकार से अगर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को लें तो 1986-87 में 731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। हमने सिर्फ पीने के पानी पर 794 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हम यह कहना चाहते हैं कि हमारी योजना में पहले की तुलना में (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : खर्चा तो किया लेकिन पानी नहीं निकला।

श्री भागवत झा आजाद : यह बात सही है कि जहां पानी निकालने का प्रयत्न किया वह सब

जगह मिला लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं मिला। वहां की सरकार ने ऐसा खोदा कि पानी ही नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : प्राबलम वाले विलेज कौन से हैं यह तो बतायें।

[अनुवाद]

आप केवल आंकड़े क्यों दे रहे हैं। शुरू में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है ?

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : मैं अमल दत्ता जी से कहना चाहूंगा कि सारे देश में उनके अनुसार कार्य नहीं चल रहा है, सिर्फ तीन प्रान्तों में यानि कि पश्चिम बंगाल, आन्ध्र और कर्नाटक में ही कार्य चल रहा है क्योंकि वहां देवता बसते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप स्वयं याद रखिए कि रहिमन पानी रखिए (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : आप केवल आंकड़े दे रहे हैं। परिणाम क्या रहे ?

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : मुझे आपका कान चाहिए, मुंह नहीं चाहिए। इन आंकड़ों को सुन कर इन्हें प्रगति और विकास के चिन्हों से दर्द होता है कि इस हिन्दुस्तान में इतना कुछ हुआ लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना क्यों नहीं हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीबी विरोधी कार्यक्रम में 60 प्रतिशत, कृषि ग्रामीण विकास पर 50 प्रतिशत और शिक्षा पर 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : प० बंगाल के अपने झगड़े में कर्नाटक को क्यों लाते हैं वहां अच्छी तरह चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री भागवत झा आजाद : अच्छा किया आपने कह दिया। आप वहां की तरफ से क्लेम प० बंगाल में नहीं करते हैं। इस कारण मैं उसको वापिस ले लेता हूं। लेकिन आप वैसा मत बोलिए जैसे अमल दत्त जी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि इन आर्थिक प्रगतियों में, आप मेरी बात सुनिए··· (व्यवधान)··· लेकिन इन सब आर्थिक प्रगतियों के बावजूद राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में एक बात पर चिन्ता व्यक्त की है जो आपने भी कहा—वह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। हमने होलसेल के दिए हैं 6.7 लेकिन ऐसा लगता है कि कन्ज्यूमर इन्डैक्स 7.8 है। इसलिए हमें मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना होगा। फिर मैं आपको फिगर बताऊं, मुद्रास्फीति नेहरू युग में 2.6 थी, इन्दिरा युग में 8 प्रतिशत थी और आज 7.8 प्रतिशत है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सारे थोक के हैं। लेकिन मान लीजिए कि

यह है तो हम चाहते हैं कि स्वयं सरकार ने जिस खतरे की ओर दृष्टि दिलायी है उस पर वह विचार करे।

अब मेरे इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव हैं जो स्वयं राष्ट्रपति ने कहा है—लम्बी अवधि की वित्तीय नीति को आगे बढ़ाया जाए, कर ढांचे में सुधार हो, संसाधन जुटाने पर जोर दिया जाय, बचत और निवेश बढ़ाने के प्रयास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाय, कर लेने के लिए बेहतर प्रशासन हो और सबसे अधिक मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे आंकड़े प्रगति और विकास के जो मैंने दिए इन सबको ठीक करने के लिए संवेदनशील प्रशासन चाहिए जो प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का अन्तिम और महत्वपूर्ण सूत्र है और जिसका उल्लेख राष्ट्रपति ने भी किया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं गृह मंत्री से कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए बी० डी० ओ०, सी० ओ० और दरोगा राज में परिवर्तन करें। बी० डी० ओ०—ब्लाक डेवलपमेंट आफिसर, सी० ओ०—सर्किल आफिसर, तहसीलदार साहब और दरोगा साहब—इस राज में परिवर्तन करें। प्रधान मंत्री के अच्छे कार्यक्रम दिल्ली से चलकर ब्लाक स्तर पर रुक न जायं जिसके लिए स्वयं प्रधान मंत्री ने अपने बीस सूत्री कार्यक्रम मे उल्लेख किया है इस पर सारा ध्यान दिया जाय। हम चाहते हैं कि हम कठिन परिश्रम करें। हम यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अपने इस अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने जिस सुन्दर भविष्य की कल्पना की है उसे हम तभी ला सकेंगे जब हम सभी मिलकर इस कार्य को करेंगे।

जब तक न मिटेगी भूख और नग्नता ढक पाएगी
जब तक न देश की कोटि-कोटि जनता रोटी पाएगी
जब तक न देश के नौनिहाल समुचित शिक्षा पाएगे
जब तक न ग्राम के चौपालों पर कृषक बन्धु गाएगे

तब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चलती रहेगी, चलती रहेगी—तब तक जब तक कि इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो जायेगी।

लेकिन यह सम्भव तब हो सकता है जब संसदीय प्रणाली मे विरोधी दल और सरकार एक दूसरे के पूरक हों। यह नहीं कि कोई माननीय सदस्य प्रधान मंत्रित्व के आफिस को मजाक बनाना चाहें, उसे कैंजुअल कहें·····(व्यवधान)·····तब फिर आप क्यों बैठे हैं यहां पर? छोड़ दे इस स्थान को। बार-बार एक ही बात बोलते जा रहे हैं। सघीय प्रणाली को जानते नहीं और रनिंग कमेंट्री दिए जा रहे हैं। मुझे बोलने का अधिकार है और सभी को बोलने का अधिकार है।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि इस विकास की गति को रखने के लिए, कमजोरियों पर प्रगति करने के लिए सभी सरकारी दल के लोग और विरोधी दल के लोग मिल कर कार्य करें। एक आदमी के बस की बात नहीं है।

मैं चाहता हूं निजामे कुहन बदल डालूं
मगर फक्त मेरे बस की बात नहीं।
उठो जागो ऐ हिन्द के आम इंसानों
यह सब की बात है,
दो चार दस की बात नहीं॥

इन शब्दों के साथ में यह कहूंगा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जिन मुद्दों पर जोर दिया है, आज आवश्यकता है कि हम सब मिलकर उस तरफ के या इस तरफ के, इस देश के लोकतंत्र को, प्रगति और विकास की ताकतों को, धर्म-निरपेक्षवाद को, सबको मजबूत करने के लिए उन तमाम सम्प्रदायवादी और कट्टरपंथी लोगों से लड़ें जो आज देश की एकता और अखण्डता को तोड़ना चाहते हैं। देश ने बहुत से झंझावात देखे हैं। इन झंझावातों पर चढ़कर हम आगे बढ़ेंगे और कल का होने वाला हिन्दुस्तान हमारा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का सहर्ष समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते (रत्नागिरी) : प्रधान मंत्री की नीतियों को अस्थायी एवं तदर्थ बताने का आशय प्रधान मंत्री के पद को अपमानित करना बिलकुल नहीं है। मैं अपने मित्र को यही बात बताना चाहता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, मैं इस स्पष्टीकरण से अत्यन्त प्रसन्न हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :—

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 1987 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।'"

धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन में उपस्थित जिन माननीय सदस्यों के संशोधन परिचालित कर दिए गए हैं, अगर वे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करना चाहें तो उनकी क्रम संख्या का उल्लेख करते हुए 15 मिनट में स्लिप भेज दें। इन्हीं संशोधनों को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

शीघ्र ही एक सूची नोटिस बोर्ड पर लगायी जाएगी जिसमें उन संशोधनों की क्रम संख्या दी होगी जिन्हें प्रस्तुत किया माना गया है। किसी सदस्य को अगर सूची में कोई विसंगति नजर आए तो कृपया उसे अविलम्ब सभा-पटल के अधिकारी के ध्यान में लाया जाए।

श्री बेअंत सिंह गिल (लुधियाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के खोखलेपन को प्रदर्शित करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं जोकि केन्द्रीय सरकार की ओर से अपनी भूल-चूक, अपने दोष और विफलताओं को वाक्याडम्बरों और भारी भरकम शब्दों के आवरण में छिपाने का एक प्रयास है। मैं समझता हूं कि विगत समय की तरह इस बार भी यह अभिभाषण केवल नाममात्र के लिए मिठास भरा है, जिसका प्रयोग वे भारत के लोगों को निष्क्रिय, शान्त निद्राशील बनाने के लिए और उनको अपने अधिकारों और विशेषाधिकारों के प्रति अर्द्ध-जागरूक रखने के लिए करते हैं।

3.27 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

मेरी राय में यह अभिभाषण भुलाए गए वायदों की एक कहानी है। वर्ष-प्रतिवर्ष यह सरकार, यह शासक-वर्ग लोगों को यह आश्वासन देता रहा है कि उनकी स्थिति में सुधार किया जाएगा, उनको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान की जाएगी। यह फिर एक भुलाए गए वायदों और अपमानित वचनबद्धता की कहानी बन चुकी है।

सभापति महोदय, 40 वर्षों तक, जो कि एक छोटी अवधि नहीं है, इस देश ने उनको लगातार शासन करने का अवसर प्रदान किया, परन्तु इस अवधि के बाद भी हम देख रहे हैं कि लोग नंगे पांव, नंगे-बदन, और भूखे प्यासे हैं। मुझे यह कहना चाहिए कि आज भी उनकी स्थिति वैसी ही है और उनकी संख्या में कई गुना वृद्धि हो रही है। सभापति महोदय, ये वे लोग हैं जो महानगरों की गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो राजधानी के गन्दे नालों और कूड़े-कचरे के ढेर के पास रह रहे हैं। ये वे लोग हैं जो रेलवे लाइनों के साथ-साथ घासफूस की झोंपड़ियो मे और टूटी-फूटी झुग्गियों में रहते हैं जहां बदबूदार गन्दी और कीचड़ होती है। ये लोग दूरदराज के गांवो मे और अभिक और हरिजन कालोनियों में और राजधानी में राज बंगलों और राजमहलों के बिलकुल समीप बगल चुम्बी भवनों के नीचे पटरियों पर रहते हैं। ग्रीष्मकाल की झुलसाने वाली गरमी मे ये लोग बीमारी, मौत और संहार के साये में चले जाते हैं। बिना किसी सुनवाई के इन लोगों की मृत्यु हो जाती है। जब अमीर लोग अपने आलीशान घरों में वर्षा का आनन्द लेते हैं गरीब लोग मूसलाधार वर्षा में सिकुड़कर आसमान के नीचे अथवा घासफूस की बनी टपकती हुई छत के नीचे सिकुड़ कर बैठे रहते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास कड़ाके की सर्दी में भी अपने शरीर की ऊर्जा के अल्प भण्डारण के अतिरिक्त जलाने के लिए और कुछ नहीं होता। वे धरती माता से रगड़-रगड़ कर अपनी हड्डियां जलाते हैं। अब भी ऐसे लोग भारत में रह रहे हैं और इनकी संख्या बहुत कम नही है। हम विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रगति और उपलब्धियों पर कैसे गर्व कर सकते हैं? इस अभिभाषण मे बहुत सारे क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है—परमाणु क्षेत्र, परमाणु अनुसधान, अन्तरिक्ष, प्रौद्योगिकी, जैव-रसायन, इन्जीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल अथवा इलैक्ट्रोनिक्स, इन बहुत सारे क्षेत्रो मे हमने प्रगति की है। परन्तु हम इन उपलब्धियों पर कैसे गर्व कर सकते हैं अब 40 वर्षों के बाद भी ग्रामीण क्षेत्रो मे गांवों में लाखों लोगों के लिए स्वच्छ पेय-जल और शौचन की भी व्यवस्था नही है। हम इन विकास कार्यों पर गर्व अनुभव नहीं कर सकते। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्हें स्वच्छ पेय जल नही मिलता और इसके अतिरिक्त हम अपनी महिलाओं के लिए एक महीने में एक बार नहाने के लिए भी पानी की व्यवस्था नहीं कर सकते जैसा कि प्रकृति का आदेश है। ऐसे क्षेत्र भी हैं मेरे मित्र ने मुझे कल ही बताया जब मैं मध्य प्रदेश में उनके चुनाव क्षेत्र से गुजर रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि वहां भी ऐसे क्षेत्र थे। 40 वर्षों के समय के बाद भी हम उन क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था नहीं कर सके हैं चाहे वे उत्तर में हो अथवा कहीं अन्यत्र। यह स्थिति है। हम इस पर कैसे गर्व कर सकते है? एक ओर कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य मंत्रालय परिगणना करने और आंकड़े एकत्रित करने में व्यस्त हैं ताकि वे अर्ध-शिक्षित लोगों को यह दिखा सके कि खाद्य उत्पादन, औषधी निर्माण और बहुत से क्षेत्रों में उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई है। वे लोगों को दिखाने के लिए ऐसे आंकड़े बना रहे हैं। दूसरी ओर वास्तविक स्थिति यह है कि आज भी अपोषित अल्प-विकसित, अल्पपोषित, बहुत कमजोर और सूखे के रोगी बच्चे हैं जिनकी संख्या लाखो मे है। वे दूर दराज के अलस-थलस गांवों की गलियों में घूम रहे हैं। गांवों की ही बात क्यों की जाए? बड़े घरानों के पड़ोस में, आपके बंगलों के और राज बंगलों के नौकरों के कमरों में ऐसे लोग हैं। सरकार क्या कहती है?

सरकार कहती है कि हमने हरित क्रान्ति द्वारा अनाज का इतना अधिक उत्पादन किया है कि उनके भण्डारों में 300 लाख टन फालतू अनाज पड़ा हुआ है। सरकार का यह दावा है। दूसरी ओर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि 30 करोड़ से कुछ कम लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं हर रोज भूखे सोते हैं। यह स्थिति है। हम इन प्रगति कार्यों पर कैसे गर्व कर सकते हैं ?

यदि हम उनकी क्रय-शक्ति में सुधार नहीं कर सकते तो हम कैसे अपने बढ़े हुए उत्पादन पर गर्व कर सकते हैं ? तांगेवालों, रिक्शावालों और दलित लोगों की क्रय शक्ति प्रतिदिन कम होती जा रही है जबकि उपभोक्ता वस्तुओं के दाम क्षण प्रति क्षण बढ़ रहे हैं। ये इन लोगों की पहुंच से बाहर हैं और यह इस प्रकार की स्थिति है जैसे हर जगह पानी ही पानी है परन्तु पीने के लिए एक बूंद भी नहीं। उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता परन्तु फिर भी यह दावा किया जाता है कि हमारे पास इतना अधिक अनाज है। क्या यह समाजवाद है? क्या यह पण्डित जवाहर लाल नेहरू का लोकतान्त्रिक समाजवाद है ? क्या यह वही समाजवाद है जो हमारे संविधान का आधार है ? क्या यह वह लोकतन्त्र है जो 40 वर्षों के बाद इस देश में लाया गया है ? क्या यह श्रीमती इन्दिरा गांधी का गरीबी हटाओ अभियान है जिसे इस देश में लाया गया है ? हमें प्रतिदिन हर समय इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता है।

सभापति महोदय, संसद और राज्यों की विधान सभाएं, सारे साल कानून बनाने में व्यस्त रहती हैं। एक के बाद एक कानून बनते जा रहे हैं। मुझे यह बताया गया है कि हम इसी सत्र में एक और भ्रष्टाचार निवारण विधेयक ला रहे हैं।

हमने पहले बहुत से अधिनियम पारित किए हैं। हमने लालकिले की प्राचीर से बहुत-सी घोषणाएं की हैं कि अवैध घूस लेना और देना दोनों अपराध हैं। हम इन सभी वर्षों में बड़े जोर-शोर से इन बातों को कहते रहे हैं। परन्तु 40 वर्षों के बाद क्या किया गया है ? हमारी स्थिति क्या है ? देश में रेलवे प्लेटफार्मों पर और बसों में लोग यह आम बात करते हैं कि यद्यपि सरकार ने सरकार के काम-काज को इमानदारीपूर्वक और उचित ढंग से चलाने के लिए कानून बनाए हैं परन्तु फिर भी पत्र अथवा फाइल एक मेज से दूसरी मेज पर तब तक नहीं जाते जब तक उसे चांदी के सिक्कों के पहियों का समर्थन नहीं मिलता। 40 वर्षों के बाद भी यह स्थिति है।

इससे आगे, वे खुले आम क्या कहते हैं ? वे कहते हैं कि राजपत्रिक अधिकारियों को घूस के रूप में पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए जब उन्हें सेवा चयन समितियों और बोर्डों के सदस्यों में चयन के लिए धन की अदायगी करनी पड़ती है। अराजपत्रित अधिकारियों को घूस के रूप में पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए जब उन्हें अपने रोजगार प्राप्त करने के लिए नौकरशाहों अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों अथवा कई राज्यों में मंत्रियों को धन की अदायगी करनी पड़ती है। उन्हें पैसा क्यों नहीं लेना चाहिए ? इससे आगे वे कहते हैं कि निर्वाचित सदस्यों अथवा मंत्रियों को भी धन क्यों नहीं लेना चाहिए जबकि उन्हें चुनाव के समय लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। यह प्रतिदिन की बात है जो देश में हर जगह की जा रही है। 40 वर्षों के बाद भी भ्रष्टाचार की यह स्थिति है।

यद्यपि हम इन सभी उपलब्धियों का दावा करते हैं परन्तु भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय जब हमारे एक राष्ट्रीय नेता और उनके साथियों की आलोचना की जा रही थी तो उन्होंने उठकर कहा कि आप क्यों चिल्ला रहे हैं देश का पैसा देश में ही तो रहता है।

[हिन्दी]

देश का पैसा देश में रहेगा। क्यों घबरा रहे हो, क्यों शोर मचा रहे हो?

[अनुवाद]

एक अन्य राष्ट्रीय नेता ने खड़े होकर कहा कि आप क्यों चिल्ला रहे हैं, भ्रष्टाचार एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति है। यह आश्चर्यजनक बात है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए इतने कष्ट और दुख सहने के 40 वर्ष बाद भी हमारी यह उपलब्धि रही है।

हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी में लोगों का कुछ विश्वास और आशा थी। परन्तु मैं नहीं जानता कि इसका क्या कारण है परन्तु यह प्रतीत होता है कि उन्होंने भी वातावरण और दबाव की स्थिति से समझौता कर लिया है। कल ही एक भद्र पुरुष हमारे प्रधान मंत्री से मिलने गए और उन्हें बताया कि राष्ट्रीय समाचारपत्रों में यह समाचार है कि पंजाब सरकार वहां अब तक की सभी सरकारों में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार है। उन्हें यह बताया गया कि आपके आजकल के नायक .....**.....सहित सभी मंत्री स्थानान्तरण, लाइसेंसों, परमिटों की अवधि बढ़ाने और अन्य सभी कार्यों को करने के लिए पैसा एकत्रित कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? प्रधानमंत्री महोदय के चेहरे पर केवल एक साधारण मुस्कान थी मानो वे उस भद्र पुरुष को यहबताना चाहते हों कि आजकल राष्ट्र को इन भ्रष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता है। उनकी मुस्कराहट से ही यह पता लगता है तथा यह वह स्थिति है जहां हम चार दशकों के बाद पहुंचे हैं।

सभापति महोदय : आपने एक नाम का जिक्र किया है। उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री सेवा सिंह गिल : यह विचार व्यक्त किया गया था।

सभापति महोदय : परन्तु नामों का उल्लेख करना सदन के नियमों के विरुद्ध है।

श्री सेवा सिंह गिल : ठीक है, जैसा आप चाहते हैं। अब, इस समय के बाद इस देश में साम्प्रदायिक दंगों की क्या स्थिति है। प्रति वर्ष हम सैकड़ों बल्कि हजारों निर्दोष लोगों को साम्प्रदायिकता की बलिवेदी पर चढ़ाते हैं और लूट-मार में करोड़ों रुपए मूल्य की सम्पत्ति का नुकसान उठाते हैं। आज भी यही स्थिति है। चाहे यह अहमदाबाद हो, मुरादाबाद हो या बरेली हो, दिल्ली भी आजकल साम्प्रदायिक दंगों के मानचित्र में आ गया है क्योंकि इसने इसमें एक नई कड़ी जोड़ी है। आपने देखा है कि नई दिल्ली में नवम्बर 1984 में क्या हुआ और वह भी गृह मंत्रालय के मुख्यालय के ही काफी निकट। यहां एक रक्तरंजित नाटक खेला गया था।

महोदय आपने मिश्रा आयोग की रिपोर्ट को पढ़ा होगा। 3000 से ज्यादा लोग साम्प्रदायिक

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उन्माद के शिकार हुए। लोगों को यातना दी गई। इन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों में यन्त्रणा दी गई। जैसे कि प्रो० दण्डवते ने पिछले रोज कहा है—अहमदाबाद में शहर का पहले ही दो भागों में विभाजन कर दिया गया है। वहां एक हिन्दू अहमदाबाद है तथा दूसरा मुस्लिम अहमदाबाद है। शहरों में इस समय के बाद यह स्थिति है।

पुराने समय में जब ब्रिटिश राज था तब हम कहा करते थे कि यह ब्रिटिश लोगों की फूट डालो और शासन करो वाली नीति है, अतः ये साम्प्रदायिक दंगे होते रहे हैं और फिर इसी कारण देश का विभाजन हुआ। जब ब्रिटिश लोग चले गए उसके बाद की क्या स्थिति है। हमने क्या किया है? इसका क्या कारण है? इसके कई छोटे-छोटे कारण हैं, जिनका उन्होंने कभी भी ध्यान रखने की कोशिश नहीं की है और मुझे खेद है कि इस अभिभाषण मे जिस पर कि इस सदन में चर्चा की जा रही है, भारत से साम्प्रदायिक दंगों को दूर करने के लिए एक भी शब्द नहीं कहा गया है और न ही एक भी शब्द गरीब लोगों के लिए कहा गया है। यह अच्छा होता यदि सरकार ने राष्ट्रपति को युगोस्लाविया जाने की बजाए निर्धन लोगों की इन झुग्गी झोंपड़ियों और बस्तियो का दौरा करने की सलाह दी होती। यदि वे इन स्थानों का दौरा करते तो उन्हें भारत की वास्तविक छवि का पता चलता और उनके अभिभाषण में इस बात का कुछ उल्लेख होता कि हमारा इन निर्धन लोगों के प्रति कुछ कर्तव्य है परन्तु उन्हें इस सरकार द्वारा ऐसी सलाह नहीं दी गई और इसीलिए राष्ट्रपति ने, कीमतों में वृद्धि या भ्रष्टाचार या इसी प्रकार की अन्य बातों का अभिभाषण में कुछ भी जिक्र नहीं किया।

नवम्बर, 1984 में दिल्ली में क्या हुआ? मैं केवल इतना कहूंगा कि यह सब इतने शर्मनाक तरीके से हुआ कि यदि उन दिनों हमारे कुछ पंजाबी हिन्दू भाई अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने सिख भाइयों को बचाने नहीं आते, और न्यायमूर्ति सीकरी, न्यायमूर्ति ताारकुंडे और श्री जेठमलानी तथा ऐसे अन्य साहसी लोगों का दल इस विशाल अपराध पूर्ण षड्यन्त्र का पर्दाफाश करने आगे नहीं आता तो हमारा नाम सभ्यता के इतिहास में बर्बर लोगों में होता।

महोदय, 20वीं शताब्दि की समाप्ति पर भी यह स्थिति है। यह वह स्थिति है जिससे हम 21वीं शताब्दि में प्रवेश कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है लेकिन वितरण के बारे में क्या है। इन वर्षों में गरीबी दस गुना बढ़ गई है। गरीबी उसी गति से या बल्कि अधिक तीव्रता से बढ़ रही है। यह कोई मजाक नहीं है। हमें अब यहां बैठकर इस पर सोचना चाहिए। जब तक इस देश में सम्पत्ति का उचित रूप से वितरण नहीं होगा तब तक उत्पादन और इन सब बातों को करना बेकार है। यह कोई सुधार नहीं है और हमें इस पर गर्व नहीं करना चाहिए।

इसके पश्चात् एक बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलन्त बात जिसकी आजकल चर्चा की जाती है, देश की एकता और अखण्डता की है। इस देश की अखण्डता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक जगह मिल कर बैठें और इस पर विचार करें। परन्तु मुझे डर है कि यह विषय अगले दो वर्षों तक भी ज्वलन्त बना रहेगा। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पुनः आने वाले आम चुनावों में भारत के लोगों के समक्ष यही बात रखेगी कि भारत की एकता और अखण्डता खतरे में है और केवल एक ही दल है जो हमें इससे बचा सकता है—तथा वह कांग्रेस है। अतः कृपया कांग्रेस को अपना मत दें। अतः यह स्थिति बरकरार रखी जाएगी और ज्वलन्त बनी रहेगी।

यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमें बैठकर अपनी आवश्यकताओं पर बात-चीत करनी चाहिए ताकि देश की अखण्डता नष्ट न हो। हम विघटन के विरुद्ध हैं। हम निस्सन्देह एक देश हैं तथा हम इसे एक बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। परन्तु इसके प्रति सरकार के भी कुछ कर्तव्य हैं। उन्हें उन कारणों को याद करना चाहिए जिनसे समस्त भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। यह स्थिति देश के एक ही हिस्से में उत्पन्न नहीं हुई है। देश के विभिन्न वर्गों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थितियों में असमानता है। जब तक यह असमानता नहीं हटाई जाती है तब तक इस देश में एकता की भावना नहीं आ सकती है। परन्तु हम इस प्रश्न पर गौर करने के लिए तैयार नहीं हैं।

इसके पश्चात् केन्द्र और राज्य के सम्बन्ध की बात आती है। केन्द्र ने किसी भी तरह इसी बात पर जोर दिया है कि केन्द्र को अधिक शक्तियां प्रदान करने से देश और अधिक शक्तिशाली बनेगा। यही कारण है कि उन्होंने उस संघीय ढांचे को नष्ट कर दिया है जिसकी संविधान के निर्माताओं ने परिकल्पना की थी। उन्होंने केन्द्र के लिए अधिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए संविधान में एक के बाद एक संशोधन लाकर संघीय ढांचे को नष्ट कर दिया है। वे एकात्मक व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप राज्यों का केन्द्र के साथ मुटाव है। दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में मन-मुटाव है। यही कारण है कि लोग एकात्मकता महसूस नहीं करते हैं। राज्यों को अधिक शक्तियां दिए जाने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि राज्य अधिक शक्तिशाली होंगे तो केन्द्र भी अधिक शक्तिशाली होगा। इतिहास में इसका उदाहरण है। हमारे सामने सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमरीका जैसे इस तरह के देश हैं। उन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर रखा है और इस तरह अधिक शक्तिशाली बन गए हैं। अतः केन्द्र का शक्ति सम्पन्न होने का यह गलत विचार, पुनः एक अभिशाप है।

इन सब 40 वर्षों में लोगों को किस तरह की शिक्षा दी गई है? प्रत्येक क्षेत्र में 'नया' शब्द जोड़ दिया जाता है जैसे नई शिक्षा नीति, नई आर्थिक नीति, नई कृषि नीति। यह शब्द सभी नीतियों के आगे लगा दिया जाता है। वे इन सब 40 वर्षों में क्या करते रहे हैं? यदि इस शिक्षा व्यवस्था से, जो वे इस देश के बच्चों को दे रहे हैं, लोग आजादी के इतने लम्बे समय तक भी एकात्मकता महसूस नहीं कर पाए हैं तो फिर किसे दोष दिया जाए? यह केन्द्रीय सरकार के सिवाय अन्य कोई नहीं बता सकता है। जो कुछ हम आज सामना कर रहे हैं इसके लिए वे दोषी हैं। देश पीड़ित है। लोग पीड़ित हैं। परन्तु वे लोगों को अनावश्यक रूप से दोष देते हैं। इसके लिए नेता को दोषी ठहराना चाहिए क्योंकि वह जिम्मेदार हैं।

[हिन्दी]

"तू इधर-उधर की बात न कर, ये बता कि
काफिले क्यों लुटे।
तेरी रहबरी का सवाल है, मुझे
रहाजन से गरज नहीं॥"

[अनुवाद]

लोगों को लूटने वाले, शोषण करने वाले व्यक्ति देश में हैं। लेकिन फिर ये नेता लोग जिस

लिए हैं, यदि वे देश को विकास की राह पर तथा 21वीं शताब्दी में नहीं ले जा सकते हैं? क्या वे यह विकास केवल नारों और गप-शप लगा कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा है ऐसे कई मुद्दे हैं जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से गायब हैं और जिन्हें देश के ध्यान में नहीं लाया गया है। जान बूझकर तथ्यों को देश और इसके लोगों से छुपाया गया है। अभिभाषण में कुछ आंकड़े, प्रतिशतें, कतिपय उक्तियां दी गई हैं, जिनसे लोगों का पेट नहीं भरेगा।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उन कारणों और आधारों पर पूरी तरह विरोध करता हूं। जिनका मैंने उल्लेख किया है।

श्री मुकुल वासनिक (बुलढाना) : महोदय, मैं श्री जगन्नाथ कौशल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सरकार द्वारा पिछले दो सालों में प्राप्त की गई उपलब्धियों को याद करना एक बहुत प्रसन्नता का विषय है। पिछले दो वर्षों में देश में जिस तरह की स्थिति थी उसमें जो कुछ हमने प्राप्त किया है वह अपूर्व है और इसकी सभी को सराहना करनी चाहिए। परन्तु जब आज मैं विपक्ष के अपने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुन रहा था तो मैंने महसूस किया कि एक बिलकुल अलग प्रकार की छवि को दिखाया गया है और ऐसा क्यों किया जा रहा है, मैं समझने में असमर्थ हूं। जो बातें विपक्ष ने कही हैं उनसे लगता है कि कुछ भी उन्नति नहीं की गई और यह विकास भी केवल अमीर लोगों के लिए था तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण में जिस विकास की बात की गई है वह देश के सबसे कम आय के व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन इतिहास सिद्ध करता है कि कांग्रेस पार्टी ने बार-बार सबसे कम आय के व्यक्ति को ध्यान में रखकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों महिला और बच्चों तथा देश के युवाओं को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई हैं और क्रियान्वित की हैं।

एक माननीय सदस्य : वह सिर्फ ध्यान में है, उन पर कार्य नहीं किया गया है···(व्यवधान)

श्री मुकुल वासनिक : यह ठीक नहीं है नीतियों को बनाते वक्त और क्रियान्वित करते वक्त कांग्रेस पार्टी द्वारा सबसे निर्धन व्यक्ति का हमेशा ध्यान रखा गया है और इसीलिए आज हम यहां तक पहुंचे हैं। यह सच है कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों की नब्ज पहचानी है और उसे ध्यान में रखते हुए इसने देश के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये नीतियां बनाई और क्रियान्वित की हैं।

•

कार्य हमारे सामने है तथा यह भारत को बनाने का है और यह कोई आसान कार्य नहीं है विशेषकर जब हम देखते हैं कि देश में कई विघटनकारी ताकतें देश का विघटन करने में लगी हैं। हमारे युवा और गतिशील प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में हम उन शक्तियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं जो हमें मजबूत, समृद्ध और धर्मनिरपेक्ष भारत के रूप में नहीं देखना चाहती हैं। आज हम उन शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं जो देश का विभाजन करना चाहती हैं। यह आतंकवाद के विरुद्ध लोगों की लड़ाई है, विघटनकारी ताकतों के विरुद्ध लोगों की लड़ाई है तथा देश की एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए लोगों की लड़ाई है।

जो स्थिति हाल ही में हमारी सीमा पर उत्पन्न हुई है, वह ऐसी स्थिति है जिसके बारे में हमारे प्रधान मन्त्री ने चिन्ता जाहिर की गई है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा भी इस सम्बन्ध में आशंका व्यक्त की गई थी। परन्तु जब कभी यह कहा जाता है कि पाकिस्तान से खतरा है और

पाकिस्तान पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों को सहायता दे रहा है तो विपक्ष कहती है कि यह केवल मत इकट्ठे करने और विभिन्न चुनावों में चुने जाने के लिए कहा जाता है। परन्तु जो स्थिति भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर कुछ सप्ताह पहले उत्पन्न हुई थी उससे फिर से यह सिद्ध हो गया है कि जो कुछ भी कहा जाता रहा है वह केवल जनता का मत हासिल करने के लिए नहीं कहा जाता रहा है बल्कि वह सरकार द्वारा व्यक्त की गई एक उचित चिन्ता थी।

प्रधान मन्त्री हमारे देश की संस्कृति और परम्परा को समृद्ध करने के इच्छुक हैं और इन प्रयत्नों को जोकि प्रधान मन्त्री द्वारा शुरू किए गए हैं, कोई नहीं रोक सकता है।

महोदय, एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात ने फिर से अपना भौंड़ा रूप दिखाना शुरू कर दिया है। हम यह बात फिर से देख रहे हैं, कि जिसे कुछ हद तक कम किया गया था वह पुनः भारतीय समाज को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। साम्प्रदायिकता कुछ सीमा तक कम हुई थी। लेकिन पिछले कई वर्षों के दौरान, हमने देखा है कि साम्प्रदायिकता फिर सिर उठाने की कोशिश कर रही है। हमें इसे समाप्त करने का प्रत्येक संभव प्रयास करना चाहिए और हमें देखना है कि राजनीति धर्म से अलग हो, अन्यथा आज पंजाब में जो कुछ हो रहा है वह देश के दूसरे भागों में होगा। अगर आज यह डर व्यक्त किया है तो यह वास्तव में अस्वाभाविक नहीं है।

आज पंजाब में जो स्थिति हो रही है और दूसरे स्थानों में मानसून से पहले और बाद की अवधि में जो खराब वर्षा हुई है और जो मौसम खराब रहा है, उसके बावजूद भी हम अधिक कृषि उपज ले पाए हैं और खाद्यान्न के सम्बन्ध में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष हम दस लाख टन अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने के योग्य हो गए हैं। इससे पता चलता है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने में हमारी नीति काफी अच्छी है।

सरकार जनता को दिया गया वचन पूरा कर रही है। सरकार ने देश में युवा बच्चों को नई शिक्षा नीति देने का वायदा किया था उन्होंने उस वायदे को पूरा किया और आगामी कुछ महीनों में यह नीति लागू की जाएगी।

सरकार ने यह भी वायदा किया था कि वह कृषि नीति को बदलने की कोशिश करेगी और यह किया जा रहा है। चीनी नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है और देश में अन्न उत्पादन को बढ़ाने के दूसरे कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। हरित क्रान्ति भारत के पूर्वी क्षेत्र को स्थानान्तरित हो रही है और इसके अच्छे परिणाम हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार में खाद्यान्नों के उत्पादन की पहले ही वृद्धि हो गई है।

समाचारपत्रों में यह तर्क दिया जा रहा है कि सरकार ने जिन समझौतों पर दस्तखत किए हैं वे उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किए जा रहे। मिजोरम लगातार 20 वर्षों से उसी स्थिति का सामना कर रहा था और निरन्तर विद्रोही की समस्या पर वहां नियन्त्रण नहीं हो पा रहा था जैसा कि होना चाहिए था लेकिन हमारे प्रिय प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में हमने देखा कि मिजोरम में हम सफलतापूर्वक शान्ति लाने में सक्षम हो गए हैं। भारत सरकार और श्री लालडेंगा के बीच हुए समझौते का नतीजा है कि मिजोरम में नई सरकार बनाई गई है। कांग्रेस हार गई है लेकिन कांग्रेस की आंखें आत्मविश्वास के लक्ष्य पर थी "आत्मनिर्भर धर्म निरपेक्ष भारत" कांग्रेस का लक्ष्य रहा है

हमने कभी उससे कम प्राप्त नहीं किया। कांग्रेस को अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है।

4.00 म० प०

यह कहा जा रहा है कि सरकार के कार्यक्रम और नीतियां अमीरों के लिए हैं, गरीब जनता के लिए नहीं। तब, सरकार आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आई० ई० पी० और आई० आर० डी० पी० के लिए धनराशि का आबंटन क्यों बढ़ाया गया है। सरकार ने ऐसा क्यों किया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभ के लिए सरकार ने आबंटन को क्यों बढ़ाया? इससे पता चलता है कि सरकार कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को न्याय देने और उनका विकास करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।

औद्योगिक क्षेत्र में भी, हमने देखा है कि औद्योगिक हड़तालों में कमी हुई है यह सरकार की नीति है कि हम अनेक श्रम दिनों को बचाने के योग्य हो गए हैं जो पिछले वर्षों में समाप्त हो गए थे।

कुछ लोगों द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने आयात नीति को उदार बनाकर बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों को इस देश में घुसने का भारी अवसर दिया है। लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। इस नीति से आयात में केवल 1.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि दूसरी तरफ निर्यात में 7.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सरकार का विभिन्न प्रौद्योगिकी मिशनों की शुरुआत करना स्वागत योग्य कदम है। इससे लोगों की कुछ बुनियादी समस्याओं को सुलझाने में सहायता मिलेगी।

मैं आशा करता हूं कि सरकार ने पिछले वर्ष जो कुछ भी प्रयास शुरू किए थे वे जारी रहेंगे और लोगों द्वारा सरकार को मजबूत बनाने में सहयोग दिया जाएगा ताकि राष्ट्र के सामने रखे गए लक्ष्यों को वह पा सकें।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, मैं श्री भागवत झा आजाद द्वारा समर्पित और श्री जगन्नाथ कौशल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

गत दिन राष्ट्रपति द्वारा संसद को दिया गया अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों की उचित पुनरीक्षा देता है। विरोधी दल के माननीय सदस्य ने मुख्य आलोचना यह की थी कि अभी तक कई समस्याएं सुलझाई नहीं गई हैं। उन्होंने मुख्यतः पीने के पानी की समस्या तथा कई अन्य समस्याओं जिसमें भ्रष्टाचार भी शामिल है का उल्लेख किया है और कहा है कि देश में कोई समस्या नहीं सुलझाई गई है। इसलिए उनका कहना है कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण सरकार की उपलब्धियों का सच्चाई व वास्तविक लेखाजोखा नहीं है। मैं उन्हें बता दूं कि अपनी उपलब्धियों पर सत्तारूढ़ दल सन्तोष कर नहीं बैठा है। जबकि यहां कितनी ही उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है, जिस पर हमें बहुत गर्व है। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें अन्तिम से ऊपर एक अनुच्छेद, पृष्ठ 16, में राष्ट्रपति ने स्वयं कहा है कि "अभी हमें बहुत कुछ करना है" अभी हमने सब कुछ प्राप्त नहीं किया है। हमें अभी बहुत कुछ करना है। अतः मुख्य कसौटी यह है कि क्या हमने ठीक दिशा में कदम बढ़ाए हैं और भारत सरकार की वर्तमान नीतियां उचित हैं। इस दृष्टिकोण से, सरकार द्वारा बनाई नीतियों पर हमें गर्व है।

पीने के पानी के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि देश के प्रत्येक गांव में पीने का पानी उपलब्ध कराने के कई घटक हैं। राज्य सरकार को भी इस समस्या को सुलझाने में अपना योगदान देना होगा। भौगोलिक परिस्थितियां भी कुछ सीमा तक इस समस्या को सुलझाएंगी। ऐसी कई समस्याएं हैं जो केवल केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में नहीं है। वे इतनी विस्तृत हैं कि वह निश्चित रूप से इससे सम्बन्धित उपलब्धियों को प्राप्त करने में समय लगेगा।

इस विषय में भी उन्होंने कहा है कि अगले चुनावों में वोट प्राप्त करने के लिए देश की एकता और अखण्डता केवल एक नारा है। उन्होंने सोचा है कि इस नारे से इस समस्या को ज्वलन्त रखकर; कांग्रेस फिर अगले चुनावों में इसी नारे का प्रयोग करेगी, इस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इन नारों के पीछे नहीं है; कांग्रेस पार्टी अपने हित से अधिक राष्ट्र हित को उच्च प्राथमिकता देती है। यह सरकार द्वारा बहुत से हस्ताक्षरित समझौता जिसकी शुरूआत पंजाब समझौते से फिर असम समझौता और उसके बाद मिजोरम समझौते से हुई है, से सिद्ध होता है कि सत्तारूढ़ दल ने हमेशा राष्ट्र हितों को दल के हितों से ऊपर रखा है। अन्यथा वे इन समझौतों को नहीं होने देते, इस बात को पूरी तरह जानते हुए कि यह इन्हें चुनावों में हरा देगी लेकिन उन्होंने चुनावों में हारने के जोखिम को भी उठाया। राष्ट्र, कांग्रेस पार्टी से बड़ा है। अतः इस मुद्दे की दृष्टि से कोई कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकता है कि चुनावों के उद्देश्य के लिए एकता व अखण्डता की समस्या का इस्तेमाल करेंगे।

उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार को कुछ और शक्तियां दी जानी चाहिए। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का मामला पहले ही सरकारिया आयोग के समक्ष विचाराधीन है। यह आयोग जो सिफारिश करेगा वह चर्चा का विषय बन जायेगा। एक राष्ट्रीय वाद-विवाद होगा। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। राष्ट्रीय विषयों की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करनी होगी और तब कुछ परिणाम सामने आयेंगे। लेकिन यह निश्चित है कि भारत का संविधान बनाते समय उसकी मजबूती का आधार केन्द्र रखा गया है क्योंकि यह विविधताओं वाला एक विस्तृत देश है। इस उद्देश्य के लिए एक मजबूत केन्द्र की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से भी मुद्दा विचारणीय है।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में कई उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। पिछले वर्ष इस देश की सबसे बड़ी समस्या, राजनीति की समस्या पंजाब राज्य में थी। कल पंजाब विषय पर पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। अतः मुझे उस समस्या के विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पंजाब स्थिति पर विचार करते हुए मैं अवश्य कहूंगा कि अब स्थिति बदल गयी है। अब तक पजाब सरकार के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त न होने का खतरा था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अकाल तख्त के इस निर्णय के विरुद्ध कि वह राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे अपना कड़ा रुख दिखाया है। धीरे-2 पंजाब का सारा सिक्ख जनसमुदाय अपना रवैया बदल रहा है और वह मुख्यमंत्री को समर्थन दे रहा है।

यह एक अच्छा शकुन है हम बाहर रहकर पंजाब को नहीं बचा सकते। स्वयं सिक्ख समुदाय को पंजाब को बचाना होगा। जब हम देखते हैं कि वह राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे अकाल तख्त के विरुद्ध खड़े हो रहे हैं तब यह आशा बंधती है कि एक बड़ा परिवर्तन आयेगा और वर्तमान मुख्यमत्री अवश्य ही इसमें सफल होंगे। अब समय आ गया है जब हमें धर्म को राजनीति से अलग रखने के लिए जितनी जल्दी सम्भव हो सके विधान बनाना चाहिए। लेकिन मैं सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि उसमें

कई संवैधानिक कठिनाइयां हैं। 1949 में महाराष्ट्र ने स्वयं बहिस्करण का निवारण अधिनियम बम्बई में पारित किया था। ऐसा संविधान आरम्भ होने से पहले था और वह अधिनियम कुछ समय रहा लेकिन 1962 में उच्चतम न्यायालय में उसे चुनौती दी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने इसे 1962 में खारिज कर दिया था और यह फैसला 1962 में आल इण्डिया रिपोर्टर, उच्चतम न्यायालय, में पृष्ठ 853 पर प्रकाशित हुआ। उस अधिनियम को इस आधार पर खारिज किया गया कि वह संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन करता है और यह कहा गया कि धार्मिक अध्यक्षों के काम में बाहरी हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए, वे अपनी धार्मिक संस्थाओं के एकमात्र प्रभारी हैं। इसलिए किसी व्यक्ति का बहिष्कार करने की उनकी शक्ति है। यह उच्चतम न्यायालय का फैसला था। अतः हमें ऐसा रास्ता ढूंढ़ना होगा और इस तरह का विधान बनाना होगा कि वह किसी धर्म के विरुद्ध न हो। अगर आवश्यक हो, तो हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं जिससे कि इस संसद को इस विषय पर विधान बनाने की शक्ति हो। जैसा मैं कह रहा था कि अभी कई लक्ष्य प्राप्त करने हैं; हम नहीं कहते कि हमने अब सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। जहां तक सत्तारूढ़ दल का सम्बन्ध है वह सन्तोष कर नहीं बैठी है। आर्थिक दृष्टि से भी निस्संदेह स्थिति अच्छी है। यह इस दिशा में जा रही है जिससे अन्ततः गरीबी दूर होगी। हाल में जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था। यह कहने में अन्तर है कि हम गरीब हैं और हमारी नीति गरीबी विरोधी नीति है। हमारी गरीबी विरोधी नीति है, यह कहने का अर्थ यह नहीं है कि कुछ अनुदान या भत्ता यहां वहां दिया जाएगा बल्कि धीरे-धीरे गरीबी पर प्रहार किया जाएगा और उन सबको जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं उस नीति के फलस्वरूप उन सबको ऊपर उठाया जाएगा लेकिन इस मौके पर मैं कह सकता हूं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ़ रहा है और उस दृष्टि से सरकार का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक विशेषतया खाने के तेलों के मूल्य का—आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जो कल दिया गया था—37 प्रतिशत ऊपर है। उसमें बताया गया है कि हम खाद्य तेलों के आयात में कमी करना और तिलहनों के सम्बन्ध में किसानों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। इस नीति के साथ, खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ रहे हैं और वह आगे और भी बढ़ सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है, विशेषतौर पर शहरी उपभोक्ताओं पर; और उपभोक्ताओं के उपभोग की यह प्रमुख वस्तु है। इसलिए, मुझे आशा है कि जहां तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का सम्बन्ध है, सरकार इसका पूरा ध्यान रखेगी।

आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप तथा शून्य पर आधारित बजट के परिणामस्वरूप, जिसे केवल केन्द्र सरकार ने ही स्वीकार नहीं किया है अपितु महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने भी इसे स्वीकार किया है, बेरोजगारी है। शून्य पर आधारित बजट की शुरूआत करने से बेरोजगारी बढ़ेगी और यह पहले ही बढ़ रही है। इसलिए, जब हम आधुनिकीकरण की शुरूआत करते हैं और जब हम शून्य पर आधारित इस बजट को भी शुरूआत करते हैं तो उसी समय हमें यह भी देखना चाहिए कि बेरोजगारी नहीं बढ़े। यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो लोगों में अधिक असन्तोष व्याप्त होगा और इसलिए अन्य क्षेत्रों में चाहे हम कुछ प्राप्त भी कर लें तो भी लोगों को सन्तुष्ट करना मुश्किल होगा।

बहुत समय से एक समान नागरिक संहिता का आश्वासन दिया जा रहा है और जहां तक राष्ट्रपति के अभिभाषण का सम्बन्ध है, इसमें इसका कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि, जहां तक एक समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने का सम्बन्ध है, वह इस पर शीघ्र विचार करे।

इसी प्रकार, जहां तक इस लोक सभा का सम्बन्ध है, राष्ट्रपति के प्रथम भाषण में चुनाव सुधारों का आश्वासन दिया गया था। परन्तु यद्यपि हमने दल-बदल विरोधी कानून बना दिया है तथा एक या दो अन्य चुनाव सुधार लागू किये हैं, जहां तक चुनाव सुधारों का सम्बन्ध है यह उचित समय है कि हम अपने अन्दर झांकें।

इन सुझावों के साथ मैं एक बार फिर राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम (सलेम) : सभापति महोदय, मैं अपने माननीय वरिष्ठ सहयोगी श्री कौशल द्वारा प्रस्तुत एवं श्री भागवत झा आजाद द्वारा समर्पित राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मुझे कहना चाहिए कि वर्ष 1986 चुनौतियों भरा वर्ष रहा है। हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हमें साम्प्रदायिकता तथा अलगाववादी ताकतों का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त हमें निराशाजनक तस्वीर पेश करने वाले विपक्ष की ओर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है जिन्होंने वास्तव में प्रचार माध्यमों के जरिये इस सम्बन्ध में काफी योगदान किया है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि पिछले वर्ष के दौरान निराशाजनक तस्वीर पेश करने वालों ने अथक कार्य किया है तथा परिवर्तन की प्रत्येक ठोस नीति की निन्दा करने की कोशिश की है। यहां तक कि उन लोगों ने भी, जो क्रान्तिकारी ताकतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, परिवर्तन के प्रत्येक कदम की भर्त्सना की है। उनसे यह आशा की गई थी कि वे इन कदमों का स्वागत करेंगे। जब कोई पीने के पानी का मिशन चलाने की बात करता है तो अवमानना की जाती है। वे आगे आकर यह कहने के इच्छुक नहीं हैं कि "हम इस मिशन का स्वागत करते हैं; हमारी यह कामना है कि यह मिशन तीव्र गति से कार्य करे।" यदि यही रवैया था तो कोई भी समझ सकता है। परन्तु सभापति महोदय, दुर्भाग्यवश उन्होंने उसी बात का सहारा लिया जो मेरे सहयोगी श्री अमल दत्त जी कहते रहे हैं, 'गाली के बदले गाली।'

सभापति महोदय, निराशाजनक तस्वीर पेश करने वालों के प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं यह कहूंगा कि वे लोग आज के तथाकथित क्रांतिकारियों और जन-संचार माध्यमों पर नियन्त्रण रखने वाले निहित स्वार्थों के बीच गठजोड़ बनाए हुए हैं यह बिलकुल स्पष्ट है। इस विषय पर कुछ प्रकाश डाले बिना मैं यह कहूंगा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह बात स्पष्ट रूप से बताई गई है कि कोई भी समझौता दलगत कारणों से नहीं किया गया है, किसी राजनैतिक पार्टी के लाभ के लिए नहीं किया गया है बल्कि सभी समझौते राष्ट्रीय हित के लिए किए गए हैं, और विक्षुब्ध क्षेत्रों और राज्यों में शांतिकायम करने और लोकतन्त्र को फिर से बहाल करने के लिए किए गए हैं। निस्सन्देह प्रत्येक समझौते द्वारा विक्षुब्ध क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से फिर से आरम्भ की गई है। निःसन्देह सत्तारूढ़ दल चुनाव हार सकता है। परन्तु समझौते चुनाव जीतने की नीयत से नहीं किए गए हैं। समझौते उन विक्षुब्ध राज्यों में शान्ति कायम करने की नीयत से किए गए हैं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : यदि आप बैठे-बैठे ही बोलेंगे तो कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : जो मुद्दा उभरता है वह यह है कि हर बार जब इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए तो उन्हीं ताकतों ने, जो आज इन समझौतों की आलोचना करती हैं, इन समझौतों की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा था कि ये परिवर्तन के साधन हैं; देश भर में नई हवा का झोंका आया है। परन्तु बाद में उन्हीं ताकतों ने एकत्र होकर कहा कि ये समझौते मात्र कागज के टुकड़े हैं। सच यह है कि ये समझौते नेक इरादों के दस्तावेज हैं, ऐसे दस्तावेज जिन्होंने भारतीय प्रणाली में पुनः विश्वास पैदा कर दिया है और एक परिवर्तन लाए हैं। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, माननीय प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गांधी ने हम सबको सावधान किया था कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि समस्या का समाधान हो गया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इन समझौतों को लागू करना एक बहुत नाजुक काम है। सन्तुष्ट होकर बैठने का समय नहीं है। निस्सन्देह, पंजाब में अच्छे परिणाम निकले हैं। आतंकवादियों को धक्का लगा है जिसका बहुत पहले से इन्तजार था। साम्प्रदायिक क्षेत्रवाद तथा साम्प्रदायिक धर्म के तत्वों को अभी कुचलना बाकी है। तथा इस लक्ष्य को केवल संगठित राजनैतिक आन्दोलन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सरकार ने ठीक रूप से यह बात मानी है। और सभा के एक सदस्य के रूप में मैं यह जानकर बहुत खुश हूं कि पंजाब के बारे में संयुक्त कार्य योजना में सभी विपक्षी दल भी शामिल हुए हैं जो आतंकवाद की इस राक्षसी प्रवृत्ति से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है। इन ताकतों को अन्तर्राष्ट्रीय षडयन्त्रकारियों से मिलने वाली सहायता से यह प्रतीत होता है कि इस समस्या के समाधान के लिए चुपचाप बैठकर केवल शब्दों पर ही विचार नहीं किया जा सकता। अब समय है कि आतंकवाद के विषय पर, साम्प्रदायिकता के विषय पर हम एक दूसरे का उपहास उड़ाना छोड़ दें; एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ दें तथा संगठित होकर इन ताकतों का मुकाबला करने का निश्चय करें। ये ताकतें किसी भी राष्ट्रीय राजनैतिक दल को, किसी भी रूप में, फायदा नहीं पहुंचा सकती। बेशक यह कार्य कुछ कठिन है। और मैं, व्यक्तिगत रूप में तथा एक श्रमिक संघ के कार्यकर्त्ता के रूप में, सभी राजनैतिक दलों के सामने यह पेशकश करता हूं कि मैं किसी भी जगह कहीं भी आतंकवाद के खिलाफ ताकतों को सक्रिय बनाने के लिए इस कार्य योजना में शामिल होने के लिए तैयार हूं। तथा मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम भविष्य में, संयुक्त कार्यवाही को अपनी स्वीकृति देने के बाद, विपक्षी दलों को सरकार की अनावश्यक आलोचना नहीं करनी चाहिए जब वह आतंकवादियों अथवा साम्प्रदायिक ताकतों पर नियन्त्रण करने की कोशिश करती है। उचित समय पर आलोचना करना हितकर है परन्तु गलत समय पर आलोचना करने से उन ताकतों को बल मिलेगा जिन्हें हम सब इकट्ठे होकर कुचलना चाहते हैं।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में, पिछले वर्ष यह ज्ञात हो गया है कि हमारी सरकार की नीतियां सही हैं। फिर भी, मैं एक बार फिर निराशाजनक तस्वीर पेश करने वालों का उल्लेख करने के लिए बाध्य हूं। उन्हें सन्तुष्ट नहीं किया जा सकता है। इस बारे में कोई सन्देह नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं तो वे कहेंगे कि विश्व का अन्त हो जाएगा, उसी प्रकार भारत का अन्त हो जाएगा···(व्यवधान) वे विदेशी बाजों से निरन्तर भिन्न-भिन्न प्रकार की धुने निकाल रहे हैं···(व्यवधान) मैं दत्ता जी का यह कहने के लिए आभारी हूं कि, "स्पष्ट रूप से हम विदेशी बाजे से धुने निकालते हैं।"

श्री अमल दत्त : हमने 40 वर्षों में भी कोई उन्नति नहीं की है।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : जब शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी तो इन ताकतों ने कहा था कि यह नीति धनी वर्ग के लोगों के लिए है। वे इस बात का ध्यान देने में असफल रहे कि ये कार्यक्रम गरीब लोगों के लिए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों तथा सघन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। स्पष्ट रूप से ये ताकतें चाहती हैं कि गरीब लोग वास्तव में शिक्षित न हों, उनको अपने आपको ठीक ढंग से शिक्षित बनाने का अवसर न मिले ताकि वे जब चाहें तब उनका शोषण करते रहें। बंगाल, जिसे सांस्कृतिक रूप से एक बहुत विकसित राज्य कहा जाता है—मैं आधा बंगाल से सम्बन्धित हूं अत: मुझे उससे लगाव है—दुर्भाग्यवश, उस राज्य में भी जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर एक बहुत क्रांतिकारी संगठन का शासन है, अब जिसे वामपन्थी मोर्चा कहा जाता है, हम पाते हैं कि वहां शिक्षा का स्तर बहुत कम है। आश्चर्य होता है कि क्या क्रांति, उनके अनुसार, शिक्षा की कमी से आएगी···(व्यवधान)

सभापति महोदय : विषय से हट कर बात मत कीजिए। मेहरबानी करके आगे बोलिए।

श्री अमल दत्त : ·····**·····

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए तब आप अपनी बात कहिएगा। इसे कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री अमल दत्त : मैं ये सब बातें नहीं सुन सकता। यह बहुत गलत है।

सभापति महोदय : चाहे गलत है या सही है, उन्हें आगे बोलने दीजिए।

श्री अमल दत्त : स्पष्ट है कि वामपंथी मोर्चा केवल दो राज्यों में है—पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा।

सभापति महोदय : यह ठीक है। आप भी कांग्रेस सरकार पर छींटा कशी करते हैं। क्या आप कांग्रेस सरकार का उल्लेख नहीं कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : कांग्रेस सरकार केन्द्र में सत्तारूढ़ है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : कुमारमंगलम जी, मेहरबानी करके आगे कहिए।

श्री अमल दत्त : महोदय, मेहरबानी करके निष्पक्ष रहिए।

सभापति महोदय : मैं बिल्कुल निष्पक्ष हूं। मैं सभी के लिए निष्पक्ष हूं। जब वे बोलते हैं तो भावुक मत बनिए।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अमल दत्त : *मैं यहां फिर किसलिए बैठा हूं? मुझे फिर सभा से बाहर चले जाना चाहिए।*

सभापति महोदय : *उनका निशाना किसी पर भी नहीं है। वे नीति विषयक मामलों पर* बोल रहे हैं।

श्री अमल दत्त : जब आप कहते हैं कि मैं जो कुछ बोलूंगा उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा, यह बात न्यायपूर्ण नहीं है।

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। नियम इस बात की अनुमति नहीं देते कि जब सदस्य बैठे-बैठे बोलते हैं तो इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाए। जब नियम इस बात की अनुमति नहीं देते तो मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं? कुमारमंगलम जी, मेहरबानी करके आगे कहिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, मैं आगे कैसे बोल सकता हूं? वे मुझे आगे बोलने नहीं देंगे। वे भी वही तरीके अपना रहे हैं···(**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मेरी समझ में यह बात नहीं आती की 'पश्चिम बंगाल' शब्द से ही तुम्हें चिढ़ क्यों होती है।

श्री अमल दत्त : ठेस पहुंचने का प्रश्न ही नहीं है। प्रत्येक वाक्य में वे हमारी निन्दा कर रहे हैं और यदि मुझे उनकी बात सुनने तथा चुप रहने के लिए कहा जाता है, तो मैं यह कैसेकर सकता हूं?

सभापति महोदय : जब एक सदस्य बोल रहा हो तो मेहरबानी करके व्यवधान मत डालिए।

श्री एच० के० एल० भगत : मेरे विचार में उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो नियमों के विरुद्ध हो।

श्री अमल दत्त : उन्हें इस बात का निर्णय नहीं करना चाहिए कि चाहे उद्देश्य कुछ भी हो, सरकार की तथाकथित उपलब्धियां कुछ भी हों, यह प्रधान मन्त्री जी के कारण हैं···(**व्यवधान**)

श्री एच० के० एल० भगत : मेहरबानी करके अधिक संवेदनशील मत बनिए।

श्री अमल दत्त : मैं अधिक भावुक नहीं बन रहा हूं। परन्तु बात यह है कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित किया जा रहा है और मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह न्यायसंगत नहीं है।

सभापति महोदय : जब आपकी बारी आए तब आप अपनी बात कह सकते हैं।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : दत्त जी, मैं आपके अनुरोध का पालन करूंगा क्योंकि आपके राज्य के बारे में और कुछ कहने के लिए नहीं है।

श्री अमल दत्त : क्योंकि आप कोई बात नहीं जानते हैं·····(**व्यवधान**)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि श्यामपट्ट अभियान (आप्रेशन ब्लेकबोर्ड), अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और नवोदय विद्यालय, जैसे कार्यक्रम अमीरों के लिए कार्यक्रम नहीं हैं; ये कार्यक्रम गरीबों के लिए, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं। यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति निश्चित ही एक ऐसी नीति है जिसे अपने राष्ट्र के गरीबों के उत्थान के लिए बनाया गया है। पिछला एक वर्ष दिखाता है कि श्यामपट्टों की संख्या गांवों में बढ़ी है और शिक्षा की गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ है। निस्सन्देह नई शिक्षा नीति सही दिशा में है।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे देश में औद्योगिक विकास सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ा है। 8.7 प्रतिशत विकास कम नहीं है। विकास के इन आंकड़ों को देखकर अनेक विकसित देशों को भी ईर्ष्या होगी।

राष्ट्रपति का अभिभाषण निस्सन्देह यह बात स्थापित करता है कि हम राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहे हैं और तेजी से विकसित हो रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से विशेषकर निहित स्वार्थों द्वारा नियन्त्रित प्रचार माध्यमों से बहुत आलोचना की गई कि हमारी सरकार सरकारी क्षेत्रों के विरुद्ध है या गैर-सरकारीकरण के पक्ष में है। सरकारी क्षेत्र में 15000 करोड़ रुपए का निवेश करके, कुल निवेश को 50000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है, यह एक ऐसा आंकड़ा है जो सिद्ध करेगा कि ये विनाश के प्रवक्ता जो यह कह रहे हैं और दबी जबान से बोल रहे हैं वह गलत कह रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र विनाश के कगार पर है। जैसाकि श्री भागवत झा आजाद ने कहा है कि सरकार के नाते हम यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध हैं कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र प्रभावशाली उपलब्धियां प्राप्त करता रहे। कुछ ताकतें सरकारी क्षेत्र को स्वायत्तता देने के विरोध में हैं, वे सरकारी क्षेत्र को जिम्मेदारी सौंपने के विरोध में है क्योंकि ये निहित स्वार्थ सरकारी क्षेत्र का निजी स्वार्थों के लिए दोहन कर रहे हैं और इस समय सरकारी क्षेत्र के दोहन के खेल को जारी रखने में कठिनाई पा रहे हैं। दुर्भाग्यवश, जो गिरोह आज हम पाते हैं, जिसका हम सबने उल्लेख किया है—महत्वपूर्ण क्षेत्र कोर सेक्टर एक ऐसा रंग है जो निस्सन्देह सभी पर एक-सा चढ़ा है और कहा जा सकता है कि यह प्रचार निहित स्वार्थों द्वारा प्रभावित और प्रोत्साहित है और उन्होंने ही इसे शुरू किया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ क्रान्तिकारी ताकतें·····(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : यह सब क्या है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं देख रहा हूं कि वह बहुत अधिक संवेदनशील हैं।

श्री अमल दत्त : इसका क्या मतलब है ?

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : 'क्रान्तिकारी ताकतें'—वह समझते हैं कि केवल वह ही क्रांतिकारी ताकत हैं। (व्यवधान)

संचार मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आप अपने हाथ खड़े कर दें।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : कर दूंगा। स्पष्टतः वास्तविक बात यह है कि ये ताकतें यह प्रचार कर रही हैं कि सरकार सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध है। वे दिमाग में केवल एक ही स्वार्थ रखकर प्रचार कर रहे हैं कि किसी भी परिवर्तन को रोका जाए, सरकारी क्षेत्र का विकास न किया जाए। उनके लिए उत्पादकता अभिशाप है। ये ताकतें राज्यों में भी, जहां उनका ही शासन है, विकास पर विश्वास नहीं करतीं। वे आश्वस्त हैं कि उत्पादकता केवल एक नारा नहीं है, इसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। निहित स्वार्थ तथा पूंजी की आवाज कहती जा रही है, सरकार को, श्रेष्ठ जनों की सरकार को कहने के लिए निशाना बनाया है। प्रश्न उठता है, क्या उस सरकार को, जो विशाल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए 65 प्रतिशत अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था करती है, श्रेष्ठ जनों की सरकार कहा जा सकता है? क्या समेकित ग्रामीण विकास और समेकित ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जो वास्तव में जनता के लिए क्रियान्वित किए गए हैं जिनसे गरीबों का विकास हुआ है, श्रेष्ठ जनों की सरकार के कार्यक्रम हैं? अभी तक भी जब वे इस सरकार को श्रेष्ठ जनों की सरकार कहते हैं। तब मुझे आश्चर्य होता है। क्या वे यह मानने को तैयार हैं कि जो सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए वचनबद्ध है, वह एक प्रगतिशील सरकार है। सभापति महोदय, क्या मैं आपके हस्तक्षेप और संरक्षण के लिए अनुरोध कर सकता हूं? (व्यवधान)

सभापति महोदय : आप उन्हें क्यों सुनते हैं? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कृपया जारी रखिए।

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : महोदय, हमारी सरकार गरीबों की है तथा गरीबों के लिए है और यह एक स्पष्ट वचनबद्धता है। हम सरकार में केवल इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हमें गरीबों का समर्थन करना है। महोदय, मैं यह कहना चाह रहा हूं कि पिछले वर्ष हुई राजस्व में वृद्धि से पता चलता है कि हमारी नीतियां विशेषकर वित्तीय क्षेत्र में ठीक दिशा में रही हैं। हमने निस्संदेह स्थापित किया है कि निजी आय कर में वृद्धि सन्तुलन की सही दिशा की ओर गई है। रेल बजट आज दोपहर को सभापटल पर रखा गया और यह सिद्ध करता है कि हमारी सरकार वह है जो शासन चलाना जानती है, जिसे जनता के हितों का पता है तथा उनको संरक्षणता देना भी जानती हैं। मैं विशेषकर राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के उस भाग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जिसमें उत्पादन तथा तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए औद्योगिक मजदूरों के योगदान का उल्लेख किया गया है, विशेषकर सरकार की उनके हितों की रक्षा के लिए वचनबद्धता और सहयोग को शामिल करने तथा औद्योगिक विकास को तीव्र करने के लिए श्रम शक्ति का सहयोग लेने की उनकी वचनबद्धता का उल्लेख है। यह एक अपरिहार्य तथ्य है कि हमें 21वीं शताब्दी में प्रवेश करना है, लोगों के पूर्ण सहयोग के बिना, प्रेरित तथा वचनबद्ध श्रम शक्ति के प्रत्यक्ष सहयोग के बिना हम ऐसा नहीं कर सकते, यद्यपि यह निस्संदेह एक तथ्य है कि सुधार की प्रक्रिया, जिसकी प्रशासनिक ढांचे में जरूरत है, शुरू हो चुकी है। तथापि उसकी गति कम है। हमने सम्पूर्ण देश में श्रम शक्ति के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन देखा है। उन्होंने दिखाया है कि वे उत्पादकता के पक्ष में हैं और जब तक नौकरशाही अपना दृष्टिकोण नहीं बदलती, अपनी अकर्मण्यता से, बाहर नहीं निकलती, तब तक आमूल परिवर्तन, जिसकी जरूरत

है, नहीं हो पाएगा। मैं इस अवसर का प्रयोग यह चेतावनी देने हेतु करना चाहता हूं कि यह उपयुक्त समय है कि हम इन जिद्दी, अधोगामी, अफसरशाह सरकारी अधिकारियों पर नियन्त्रण रखें जो किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं और वे उत्पादनोन्मुख ताकतों को पूरी तरह प्रोत्साहित करने के विरोधी हैं।

सभापति महोदय, इस समय प्रौद्योगिकी मिशनों का उल्लेख करने की विशेष आवश्यकता है। इन मिशनों में से किसी एक को सफल बनाने के लिए हमें इन क्षेत्रों में श्रम शक्ति का सक्रिय सहयोग और समर्थन प्राप्त है। लेकिन विपक्ष में बैठे कुछ निहित स्वार्थ उत्पादकता और कार्यकुशलता में सक्रिय सहयोग के विचार को नीचा दिखाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके समक्ष अन्य लोग हैं जो अपने आप को क्रान्तिकारी कहते हैं और वातावरण को बिगाड़ने में उनकी सक्रिय मिलीभगत है। एक मामले का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो दूर संचार विभाग के जूनियर इंजिनियरों का मामला है। देश के विकास के लिए दूर संचार एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। जूनियर इंजिनियरों ने एक प्रस्ताव रखा है कि वे टेलीफोन कार्य प्रणाली की कार्यकुशलता में 100 प्रतिशत तक सुधार कर सकते हैं। सरकार इस प्रस्ताव से अवगत है। लेकिन सरकार में अफसरशाही ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है कि जूनियर इंजिनियरों का प्रस्ताव न माना जाए और न लागू किया जाए। यह एक दुर्भाग्य है और यह समय है कि इन अफसरशाहों को पाठ पढ़ाया जाए।

महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय नीति का सम्बन्ध है, श्रीलंका के बारे में महत्वपूर्ण उल्लेख किया गया है। श्रीलंका का मामला आज का नहीं है। इस सभा में श्रीलंका की जातीय समस्या पर और श्रीलंका के तमिलों की समस्या पर अनेक चर्चाएं हुई हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्रीलंका सरकार ने भारत से इस तरीके से व्यवहार किया है। यह उचित समय है जब भारत सरकार न केवल शब्दों से खण्डन करने का फैसला करे अपितु अन्तर्राष्ट्रीय जगत में श्रीलंका द्वारा अपनाए दृष्टिकोण के विरोध में समर्थन जुटाने हेतु प्रस्ताव करे, जहां तक ऐसे घटिया तरीके का सम्बन्ध है जिससे श्रीलंका सुरक्षा सेनाएं श्रीलंका में तमिल असैनिक जनसंख्या को समाप्त कर रही है। आतंकवादियों को दबाने के नाम पर विशेषकर पिछले चार महीनों में उन्होंने घरों को बर्बाद किया है, बच्चों की हत्या की है और महिलाओं के साथ बलात्कार किया है। रिकार्ड तो रिकार्ड है ऐसा मैं समझता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास में कहीं नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, श्रीलंका की जातीय समस्या निस्संदेह इसे केवल राजनैतिक वार्ता के द्वारा सुलझाई जा सकती है लेकिन यह राजनैतिक वार्ता तभी सफल हो सकती है जब भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय जगत में प्रस्ताव प्रस्तुत करके विश्व में राष्ट्रों का समर्थन जुटाए। अन्यथा यह प्रश्न बिना सुलझे रह जाएगा और यह उप महाद्वीप में हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में मदद नहीं करेगा।

सभापति महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में निस्संदेह सिद्ध किया है कि हमारी सरकार गरीबों की, गरीबों के लिए है, ऐसी सरकार जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाजवाद के लिए वचनबद्ध है।

सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं श्री कौशल द्वारा प्रस्तुत उस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

'कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तिलहनों, दालों, कपास और पटसन के उत्पादन में गतिरोध का उल्लेख नहीं है।" (17)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्यान्नों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद उनके मूल्यों में हुई असाधारण वृद्धि का उल्लेख नहीं है।" (18)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन की तुलना में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई बेमेल वृद्धि का उल्लेख नहीं है।" (19)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, रुग्ण होते जा रहे बड़े और छोटे उद्योगों की संख्या में हो रही निरन्तर वृद्धि का उल्लेख नहीं है।" (20)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, भारतीय महासागर को शांति क्षेत्र बनाने सम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बार-बार स्थगित होने के बारे में सरकार की चिन्ता का उल्लेख नहीं है।" (21)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगार व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (22)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के महत्व और सरकारी क्षेत्र के एककों को सुदृढ़ और सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित उपायों जैसे परियोजनाओं को समय से पूरा करना, उनकी पूर्ण क्षमता का उपयोग करना आदि का उल्लेख नहीं है।" (23)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों और उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने, कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों तथा आदानों के मूल्यों में समानता लाने, मूल उत्पादकों को दिए गए मूल्यों और वास्तविक उपभोक्ताओं से वसूल किए गए मूल्यों के अन्तर को 20

प्रतिशत तक सीमित करने और थोक व्यापारियों का राष्ट्रीयकरण करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की नियंत्रित मूल्यों पर सप्लाई सुनिश्चित करने की गारन्टी देने के लिए एक मिश्रित मूल्य नीति के क्रियान्वयन की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (24)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो मूल्य वृद्धि को रोकने और लोगों को दैनिक आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है, में मूल रूप से सुधार करने और इसका विस्तार करने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (25)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पटसन, सूती वस्त्र, चीनी, वनस्पति, चिकित्सीय औषधियों और अन्य आवश्यक खाद्य परिष्करण उद्योगों के राष्ट्रीयकरण करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (26)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धनराशि मुख्य रूप से धनवानों के लाभार्थ व्यय की जाती है जबकि निर्धन वर्ग को इन लाभों से वंचित कर दिया जाता है।" (27)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिकांश राज्यों में अधिकतम भूमि सीमा सहित भूमि सुधार के क्रियान्वयन और अतिरिक्त भूमि को जोतने वालों में वितरित करने की योजना के क्रियान्वयन में आए पूर्ण गतिरोध का उल्लेख नहीं है।" (28)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि कई राज्यों में सरकार एवं प्रशासन पर भू-स्वामियों के प्रभाव के परिणामस्वरूप न्यूनतम कृषि मजदूरी से सम्बन्धित विद्यमान कानूनों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है।" (29)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात पर गम्भीर चिन्ता का उल्लेख नहीं है कि स्वतन्त्रता के 39 वर्षों के बाद भी लगभग एक तिहाई भारतीय गांवों को पेयजल भी उपलब्ध नहीं है।" (30)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के लिए कोई व्यापक केन्द्रीय विधान बनाने की तत्काल आवश्यकता का उल्लेख नहीं है।" (31)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस देश से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा लाभ, ब्याज, रायल्टी और लाभांशों को देश से बाहर जमा कराए जाने के परिणामस्वरूप हमारे राष्ट्रीय संसाधनों के बाहर जाने पर कोई प्रभावी नियन्त्रण लगाने का प्रस्ताव नहीं किया गया है।" (32)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, बढ़ते हुए क्षेत्रीय असन्तुलनों और उन्हें ठीक करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (33)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी और अल्प रोजगार का उल्लेख नहीं है।" (34)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, काले धन का प्रभावी ढंग से पता लगाने में सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (35)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गुप्त मतदान द्वारा ट्रेड यूनियनों की मान्यता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।" (36)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक नीति को एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के पक्ष में निरन्तर उदार बनाने का उल्लेख नहीं है।" (37)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश में दहेज और दहेज-मौतों के बढ़ते हुए खतरे का उल्लेख नहीं है।" (38)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में महिला बेरोजगारी की समस्या का हल ढूंढने के लिए महिलाओं के लिए 25 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने के किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है।" (39)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में गैर कानूनी खनन कार्यों में लगे हुए खान मालिकों द्वारा आदिवासियों के लगातार शोषण के सम्बन्ध में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (40)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चुनाव सुधारों के एक उपाय के रूप में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उल्लेख नहीं है।" (41)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं, जिनके परिणाम-स्वरूप अधिक से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे जा रहे हैं, के बारे में चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (58)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मताधिकार का प्रयोग करने के अधिकार को संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (59)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश में एकाधिकार औद्योगिक गृहों की वृद्धि पर रोक लगाने में सरकार की असफलता के बारे में उल्लेख नहीं है।" (60)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम तथा उसे सक्रिय बनाने के लिए प्रस्तावित उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (61)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (62)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, देश में चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को किए जाने वाले भुगतान की बहुत बड़ी बकाया राशि का उल्लेख नहीं है।" (63)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र में न बदले जा सकने का मुख्य कारण अमेरिका का साम्राज्यवाद है, का उल्लेख नहीं है।" (64)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्व शांति, विशेषकर यूरोप में शांति को खतरे में डालने वाला मुख्य कारक संयुक्त राज्य अमेरिका है, का उल्लेख नहीं है।" (65)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दिएगो गार्शिया में अमेरिकी सैनिक अड्डे के निरन्तर प्रसार तथा परमाणु हथियारों के जमाव का उल्लेख नहीं है।" (66)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी, संथाली और भोजपुरी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए की गई कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।" (67)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुराष्ट्रीकों के बढ़ते हुए प्रभाव का उल्लेख नहीं है।" (68)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बंधुआ श्रमिक पद्धति को समाप्त करने तथा बन्धुआ श्रमिकों के उचित पुनर्वास हेतु कार्यवाही का उल्लेख नहीं किया गया है।" (69)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद की है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष आने वाली भयानक बाढ़ों और सूखे को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए किसी योजना का उल्लेख नहीं है।" (70)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती हुई निरक्षरता की समस्या को हल करने के लिए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (71)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बूढ़े कृषि श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (72)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में हरिजनों और आदिवासियों पर किए जाने वाले निरन्तर पाशविक अत्याचार का उल्लेख नहीं है।" (73)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे अनेक कार्यक्रमों की क्रियान्वित में कदाचार का उल्लेख नहीं किया गया है।" (74)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकार की कर्मकार विरोधी नीति जिसके द्वारा श्रमिक संघ अधिकारों का हनन तथा दमनकारी उपाय किए जा रहे हैं तथा आवश्यक सेवाएं बनाए रखना अधिनियम, जैसे अधिनियमों का निरसन करने के सरकार के इरादे का उल्लेख नहीं है।" (75)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लगातार बढ़ रही विदेशी ऋण अदायगी दायित्व का उल्लेख नहीं है।" (76)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारतीय महिलाओं का उल्लेख नहीं है जो कि रूढ़िवादिता, अर्ध सामन्तवादी दृष्टिकोण का शिकार हैं तथा संविधान में घोषित लिंग के आधार पर समानता के बावजूद समान मजदूरी सहित समान व्यवहार से वंचित हैं।" (77)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

'किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के विभिन्न भागों में बार-बार होने वाली साम्प्रदायिक हिंसा, जिसके परिणामस्वरूप साम्प्रदायिक एकता टूटती है का उल्लेख नहीं है।" (78)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान के अनुच्छेद 311(2) के सम्बन्ध में

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त बढ़ती हुई असुरक्षा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (79)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संविधान में की गई व्यवस्था के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में असफलता का उल्लेख नहीं है।" (80)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों, जो भरे नहीं गए हैं उनको भरने के लिए प्रभावी तथा तुरन्त कार्यवाही का उल्लेख नहीं है।" (81)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनेक राज्यों में सूखा प्रभावित लोगों की दशा सुधारने के लिए पर्याप्त धन मंजूर करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (82)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों तथा गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की दशा सुधारने हेतु उपायों का उल्लेख नहीं है।" (83)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी लागू करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (84)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में (क) बलात्कार के विरुद्ध अधिक कठोर कानून बनाने; (ख) महिलाओं के विक्रय पर प्रभावशाली रोक लगाने; (ग) परिभाषा को संशोधित करते हुए दहेज कानून में संशोधन और इसको लागू करने के लिए प्रभावशाली तन्त्र की व्यवस्था करने; (घ) मुस्लिम महिला (विवाह-विच्छेद पर अधिकार का संरक्षण) भरण-पोषण अधिनियम, 1986, से सम्बन्धित कानून को समाप्त करने; (ङ) महिलाओं को राहत पहुंचाने वाले कानूनों को लागू करने के लिए प्रभावशाली तन्त्र की स्थापना करने; (च) सामाजिक उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए आश्रय-गृहों की स्थापना करने; (छ) लगभग देश के सभी भागों में महिलाओं के विरुद्ध व्याप्त ज्यादतियों, जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, लड़कियों का विक्रय, पत्नी उत्पीड़न, दहेज सम्बन्धी मौतों, आदि को रोकने की दृष्टि से तुरन्त परिवार न्यायालयों की स्थापना करने की आवश्यकता के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।" (125)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महिलाओं द्वारा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कम भाग लिए जाने पर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई तथा (क) प्रत्येक बालक को एक किलोमीटर की अधिकतम दूरी में प्राथमिक पाठशाला उपलब्ध कराने; (ख) स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क मध्याह्न भोजन दिए जाने और (ग) श्रमजीवी महिलाओं के बच्चों के लिए देखभाल केन्द्रों की स्थापना किए जाने जैसे उपचारी उपाय करने की आवश्यकता पर कोई चिन्ता नहीं व्यक्त की गई है।" (126)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रीगन प्रशासन की शस्त्रों को बढ़ाने की नीति और परमाणु परीक्षणों को बन्द करने के लिए अमेरिका सहित विश्व जनमत की परवाह न करने तथा अन्तरिक्ष में हथियार पहुंचाने की उन्मन्त योजना की निन्दा नहीं की गई है।" (127)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग और गोवा के साहित्यिक सांस्कृतिक-शैक्षिक जीवन में मराठी की स्थिति को देखते हुए इसको प्रमुख सहभाषा का दर्जा देकर कोंकणी को आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग का कोई उल्लेख नहीं है।" (128)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में रथ समिति की सिफारिशों के अनुसार परिवार बजट का उपयुक्त सर्वेक्षण कराने के पश्चात् तथा कार्मिक संघों से सलाह करके सूचकांक के संकलन की विधि विकसित करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में विद्यमान कमियों को दूर करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (129)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विद्युत प्रणाली और विद्युत उत्पादन को गैर-सरकारी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रकों को सौंपने, जोकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और अर्थव्यवस्था की आत्म-निर्भरता के हित में नहीं है, के सरकार के सतत प्रयासों पर कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है।" (130)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही स्फीतिकारी प्रवृत्तियों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।" (131)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में समूचे रूप में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है।" (132)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में चिकित्सा एवं इन्जीनियरिंग विद्यालयों में कैपिटेशन फीस को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय विधान लाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (133)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उच्च सरकारी अधिकारियों और वैज्ञानिकों में व्याप्त व्यापक असन्तोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (134)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूरे देश में कनिष्ठ डाक्टरों के लिए एक समरूप वेतन नीति बनाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (135)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय भवन हेतु फरियाद करने वाले हजारों गांवों में विद्यालय भवन और अन्य बुनियादी सुविधाएं देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है जबकि आदर्श विद्यालयों और रिहायशी विद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं।" (136)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के साथ हुए समझौते को क्रियान्वित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (137)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में दहेज प्रथा को प्रभावित रूप से समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (138)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खानों में निरन्तर बढ़ती हुई दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (139)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खानों से बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी और तस्करी के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (140)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्युत संकट जिससे औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान क्षमता के प्रयोग पर प्रभाव पड़ रहा है और समस्या का समाधान करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है।" (168)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हस्तक्षेप के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (169)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी सेवा में आरक्षण के बारे में मण्डल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (170)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्वदेशी पूंजी माल उद्योग पर उदार आयात नीति के कुप्रभाव का कोई उल्लेख नहीं है।" (171)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आंतरिक संसाधनों में वृद्धि करने के लिए कृषि आय पर कर लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (172)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मोटरगाड़ी नीति पर पुनः विचार करने और कुशल तथा विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात पर अधिक बल देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (173)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में वृद्ध और अशक्त लोगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना बनाने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।" (174)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऋण देने में विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रबन्धकों

द्वारा बढ़ती अनियमितताओं, घोटालों और अन्य कदाचारों तथा इस मामले में एक स्वतन्त्र जांच करने की आवश्यकता और भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखाओं की एक अलग लेखा-परीक्षा आयोग द्वारा जांच कराने की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है।" (175)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले अफ्रीकी नेता श्री नेल्सन मंडेला के लम्बे कारावास तथा उन्हें तुरन्त बिना किसी शर्त के दक्षिणी अफ्रीका में जातीय शासन से रिहा करने के लिए अनुरोध करने की आवश्यकता की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है।" (176)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अयोध्या में विवादास्पद राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद परिसर के खोले जाने के पश्चात् देश के विभिन्न भागों में विद्यमान साम्प्रदायिक तनाव और परिसर को राष्ट्रीय स्मारक बनाकर तथा पुरातत्व विभाग को देकर विवाद को हल करने की आवश्यकता की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है।" (177)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आय और व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (178)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विदेशी बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा और उनका राष्ट्रीयकरण करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (179)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम पाने के अधिकार को संविधान में मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित करने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (180)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश भर में निर्माण उद्योग में लगे कर्मकारों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून लाने के प्रस्ताव के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (181)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी भूमि के मूल्यों में विशेष रूप से महानगरों में, निरन्तर वृद्धि और भूमि के मूल्यों में सभी प्रकार की सट्टेबाजी का खात्मा करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (182)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि ग्रामीण आवास समस्या को प्रभावशाली रूप से सुलझाने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (183)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि देश में विभिन्न राज्यों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे नदी जल विवादों, जिनसे विभिन्न सिंचाई और पन-बिजली परियोजनाओं की प्रगति में बाधाएं पड़ती हैं और देश को कृषि तथा विद्युत क्षेत्रों में भारी घाटा होता है और इन समस्याओं को तत्काल सुलझाने की आवश्यकता की ओर गम्भीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया है।" (184)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विश्वविद्यालय और विद्यालय स्तर पर छात्रों में नशीली दवाओं की बढ़ती हुई आदत पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है और इस समस्या को प्रभावी रूप से सुलझाने में सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपाय करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (185)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि देश में गांवों, विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं करायी गई चिकित्सा सुविधाएं अपर्याप्त हैं और ऐसे गांवों में पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता के आधार पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है।" (186)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र को धीरे-धीरे गैर-सरकारी में बदलने और सरकारी क्षेत्र के कार्यों में बहुराष्ट्रिकों और एकाधिकारी कम्पनियों के प्रवेश पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त नहीं की गई है और इस नीति, जो आर्थिक क्षेत्र में देश की आत्म-निर्भरता को बर्बाद कर रही है, को तत्काल रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (187)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी और माल जिनसे उद्योग के स्वदेशी विकास में बाधा पहुंचती है, के आयात को तत्काल रोकने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (188)

[हिन्दी]

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के तमाम राज्यों के समान रूप से विकास के लिए सरकारी मदद का उल्लेख नहीं है।" (320)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबी, खासकर गांव की गरीबी को समाप्त करने के लिए कोई कालबद्ध योजना का उल्लेख नहीं है।" (321)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश की सिंचाई के मामले में सम्पूर्ण खेती योग्य भूमि को पूरी तरह सिंचित करने की योजना का कोई समयबद्ध कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (322)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के लगभग 40 लाख बीड़ी मजदूर जिसमें औरतें भी हैं, के आर्थिक एवं सामाजिक शोषण को समाप्त करने एवं उनके व्यापक हित की सुरक्षा के लिए कोई व्यापक कानून बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (323)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के करोड़ों खेत मजदूरों को शोषण से बचाने एवं उनकी दयनीय अवस्था में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाने या केन्द्रीय कानून बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है।" (324)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बीस सूत्री कार्यक्रम की कई राज्यों में हो रही विफलता एवं उसमें पनप रहे व्याप्त भ्रष्टाचार की और उसमें सुधार के लिए कोई कदम उठाने का उल्लेख नहीं है।" (325)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में स्व-नियोजन कार्यक्रम के ऋण देने में गड़बड़ियों और स्थिति में सुधार करने के लिए कारगर और अवलिम्ब कदम उठाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (326)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए किसी कालबद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (327)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांव एवं टोलों में अविलम्ब पेयजल की कारगर व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (328)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाल श्रम को पूरी तरह समाप्त कर उनके पूरी तरह पुनर्वास करने की कालबद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (329)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तमाम गरीब छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा, वस्त्र एवं आवास की व्यवस्था करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (330)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गृहविहीनों को लाजिमी तौर से शहर और देहात में एक समय के भीतर निःशुल्क गृह प्रदान करने की कोई योजना का उल्लेख नही है।" (331)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमि सुधार, सीमा से बाहर की जमीन को गृहविहीनों एवं गरीब किसानों के बीच वितरित करने की कोई कालबद्ध योजना का उल्लेख नहीं है।" (332)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बटाईदारों के हितों की हिफाजत का कोई उल्लेख नहीं है।" (333)

[अनुवाद]

श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काम के अधिकार को मूल अधिकार बनाये जाने का उल्लेख नहीं है।" (42)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन चुनाव सुधारों का उल्लेख नहीं किया गया है जिनके लिए वचन दिया गया था।" (43)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निकाय बनाने का उल्लेख नहीं है।" (44)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक में होसपेट में विजय नगर इस्पात संयंत्र की स्थापना किए जाने के बारे में उल्लेख नहीं है जिसका शिलान्यास 1977 में तत्कालीन प्रधान मंत्री ने किया था।" (45)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद सम्बन्धी महाजन आयोग के दीर्घकाल से लम्बित प्रतिवेदन के कार्यान्वयन का उल्लेख नहीं है।" (46)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुद्रा स्फीति रोकने तथा लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में असामान्य वृद्धि रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।" (47)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक में बंगलौर तेल शोधक कारखाने की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।" (48)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उस तारीख का उल्लेख नहीं है जब कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धी सम्बन्धों सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन तैयार हो जाएगा।" (49)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगलौर में डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज कारखाने की स्थापना किए जाने का उल्लेख नहीं है।" (50)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के संस्थानों का गैर-सरकारीकरण नहीं करेगी।" (226)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, कोई भी कारण बताये बिना सरकारी कर्मचारियों

की पदच्युति के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (227)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय शहरी विकास नीति की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (228)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में लोगों की आय में असाधारण असमानताओं को दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (229)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि सरकार औद्योगिक रूग्णता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाएगी।" (230)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आम आदमी को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (231)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत में बड़े शहरों में गन्दी बस्तियों में रह रहे लोगों को हटाकर उनका पुनर्वास करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (232)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य देने की गारन्टी और इस प्रकार उनकी स्थिति में सुधार लाने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (233)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कर्नाटक में मलनाड विकास के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (234)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (235)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन राज्यों में भूमि सुधार को लागू करने के लिए, जहां अभी तक उनको लागू नहीं किया गया है भारत सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (236)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के कार्यान्वयन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (237)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को पुनः क्रियाशील बनाने के लिये उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (238)

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बढ़ती बेरोजगारी तथा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।" (51)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लगभग सभी राज्यों में विद्यमान बिजली की कमी का उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप फैक्टरियां बन्द हो गयी हैं और लोग बेरोजगार हो गए हैं।" (52)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में जनता की गिरती क्रय शक्ति तथा काले धन की वृद्धि और स्विस बैंकों में धन जमा होने का उल्लेख नहीं है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था मे अस्थिरता आ गयी है।" (53)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगों के निजीकरण की नीति को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं है।" (54)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विदेशों खासतौर से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से बेहतर सम्बन्ध बनाने में असफल होने के कारण विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों में बढ़ते असन्तोष का उल्लेख नहीं है।" (55)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक तनाव पूरी तरह से दूर करने के लिए किए जाने वाले उपायों का उल्लेख नहीं है।" (56)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुटीर उद्योग संरक्षण तथा सम्वर्धन सम्बन्धी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है।" (57)

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी क्षेत्रों में महिलाओं तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (85)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गांवों और नगरों में शुद्ध और पीने का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (86)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विचाराणाधीन कैदियों के, उचित विचारण किए बिना, वर्षों तक जेलों में पड़े रहने विशेष कर जोधपुर सेंट्रल जेल में विचाराणाधीन कैदियों की स्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (87)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी क्षेत्रों में लाभ की सीमा निर्धारित करने की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (88)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन का पता लगाने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (89)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (90)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में असमानताओं को कम करने के लिए उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (91)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों और औद्योगिक मजदूरों की मजदूरी में अन्तर को कम से कम करने के उपाय करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (92)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बड़े उद्योगों द्वारा स्वयं विनिर्मित न की गयी वस्तुओं, किन्तु छोटे विनिर्माताओं से खरीदी गयी वस्तुओं के लिए अपना ब्रांड नाम इस्तेमाल करने की पद्धति को रोकने के लिए कदम उठाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (93)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वन-भूमि के अन्य उपयोग में लाए जाने सम्बन्धी लगभग हजारों मामले लम्बित पड़े रहने तथा इसके परिणामस्वरूप उन विकास परियोजनाओं की प्रगति में रुकावट आने के बारे में कोई उल्लेख नही है।" (94)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में क्षेत्रीय असन्तुलन को एक निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करने के लिए कार्यवाही करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (95)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक रूप से उन्नत शहरी क्षेत्रों तथा शेष अन्य क्षेत्रों में अलग-अलग प्रति व्यक्ति आय का पता लगाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (96)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सिंचाई के लिए पानी का समान रूप से वितरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (97)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि को रोकने के लिए कोई उल्लेख नहीं है।" (98)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी आवश्यक वस्तुओं की उचित दर पर सप्लाई के लिए एक समयबद्ध योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (99)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बिचौलियों को हटाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (100)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की न्यूनतम और अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (101)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष व्यय की अधिकतम सीमा पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (102)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबों और अमीरों की आय के बीच अन्तर को कम करने की योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (103)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में गरीबों और अमीरों की आय के बीच बढ़ती हुई असमानता के बारे में कोई खेद प्रकट नहीं किया गया है।" (104)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी उतार-चढ़ाव को रोकने की किसी विशिष्ट योजना का उल्लेख नहीं है।" (105)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण के लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अन्तर्गत विकास बोर्ड स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (106)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहु विज्ञापित 'आप्रेशन ब्लैक बोर्ड' की गैर क्रियान्वित के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (107)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बढ़ते हुए मूल्यों के कारण गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों की बिगड़ती हुई दशा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (108)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषकों, कृषि श्रमिकों और कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की कृषि भूमियों को लोक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत किए जाने के कारण उनके छीन लिए गए आजीविका के साधन के बाद उनका पुनर्वास करने की किसी निश्चित योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (109)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के प्रश्न पर हिन्दू और मुसलमान साम्प्रदायों के बीच बढ़ते हुए तनाव और इस तनावपूर्ण स्थिति को समाप्त करने के लिए की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (110)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में साम्प्रदायिक दंगे रोकने की किसी विशिष्ट योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (111)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब समझौते की क्रियान्वित के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (112)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान में प्रशिक्षित किए जा रहे आतंकवादियों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (113)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को हथियारों की सप्लाई के बारे में कोई निरनुमोदन व्यक्त नहीं किया गया है।" (114)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा को एक समान बनाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (115)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में जिन रोजगार के अवसरों को पैदा करने की संभावना है, उनका पता नहीं लगाया जा रहा है और लोक प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत भूमि वाले क्षेत्रों में कृषकों, कृषि श्रमिकों और कृषि पर निर्भर रहने वाले अन्य व्यक्तियों तथा उनके बच्चों

को इन क्षेत्रों में जो रोजगार उत्पन्न किए जाने की संभावना है उनके लिए परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के लिए कौशल का अधिग्रहण करने के लिए कोई प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं हैं।" (116)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण जिन कृषकों, कृषि श्रमिकों और कृषि पर निर्भर रहने वाले व्यक्तियों की आजीविका के साधन छीन लिए गए हैं उनको आजीविका के साधन वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (117)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार को प्राथमिकता देने, यद्यपि इसके लिए सहमति हो गई थी, में असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (118)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण, आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए उचित शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (119)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रमिकों की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों के माध्यम से स्थायी स्वरूप के कार्य के निष्पादन के निरनुमोदन के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (120)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बेरोजगारी की समस्या पर कम्प्यूटरों के प्रभावों का मूल्यांकन करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (121)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीलंका-समस्या का समाधान करने और तमिलों को नृशंस हमलों से बचाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (122)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (123)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योग में एकाधिकार पूंजीवादी तथा बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के प्रभाव को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (124)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों के तत्काल कार्यान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।" (141)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मण्डल आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वित न किए जाने के कारण पिछड़े वर्गों और अन्य अल्पसंख्यकों में बढ़ते हुए असन्तोष का कोई उल्लेख नहीं है।" (142)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय सरकार के विभागों में आरक्षित न भरे गए पदों को भरने के लिए प्रभावी और तत्काल कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (143)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास के बारे में उपेक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।" (144)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, समाज के कमजोर वर्गों और महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार और इन अत्याचारों को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (145)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के बीच सीमा विवादों को सिद्धान्ततः तय करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (146)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषकों की उत्पादन लागत और उनको जीवन स्तर पर विचार करते हुए कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (147)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों को जीवन निर्वाह मजदूरी देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (148)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वित न किए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (149)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है।" (150)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उद्योगपतियों से भविष्य निधि के हिस्से की देय भारी बकाया राशि का कोई उल्लेख नहीं है।" (151)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न श्रमिक कानूनों के कार्यान्वित न किए जाने और इस प्रकार श्रमजीवी वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (152)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बन्धुआ मजदूर प्रणाली की बुराई को समाप्त करने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (153)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पदों और कार्य की स्थाई प्रवृत्ति का होने के बावजूद कामगारों को वर्षों तक नैमित्तिक और अस्थाई तौर पर नियोजित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (154)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई में हुई मिलों की हड़ताल की अवधि में नौकरी से निकाले गए हजारों कामगारों के पुर्नवास का कोई उल्लेख नहीं है।" (155)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सूखा पीड़ित राज्यों को सामयिक एवं पर्याप्त सहायता देने में सरकार की असफलता को कोई उल्लेख नहीं है।" (156)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् : -

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में सूखा सम्भाव्य क्षेत्रों के लिए किसी विशिष्ट समयबद्ध कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है।" (157)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बाढ़ पीड़ित राज्यों को सामयिक एवं पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (158)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों के आने को रोकने के लिए किए जाने वाले विशिष्ट उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (159)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में झोपड़ पट्टियों में रहने वाले लोगों को समुचित आवास और सुविधाएं देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (160)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में उन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों का जिन्हें अक्सर उनके आवासों से हटा दिया जाता है, परेशानियों का कोई उल्लेख नहीं है।" (161)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि कटाव और उसके द्वारा विशेष रूप से मछुआरों को होने वाली भारी असुविधा और हानि का कोई उल्लेख नहीं है।" (162)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में छोटी नौकाओं पर मछली पकड़ने वाले बड़े ट्रालरों के हमले और इस प्रकार से छोटे मछुआरों को उनकी जीविका के साधनों से वंचित किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (163)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बम्बई सेशून डोक का कार्य शीघ्र पूरा करने का कोई उल्लेख नहीं है। (164)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मछली पकड़ने वाले बड़े ट्रालरों द्वारा छोटे मछुआरों के जालों को क्षति पहुंचाने और कभी-कभी मछुआरों की मछली पकड़ने वाली छोटी नौकाओं के साथ टकराने और उन नौकाओं को तोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है।" (165)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी को रोजगार देने के लिए विशिष्ट समयबद्ध योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (166)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (167)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्य तथा संघ-राज्य क्षेत्रों को विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में भूमि सीमा विधियों के अन्तर्गत अधिशेष घोषित की गई भूमि की उर्वरकता की जांच करने के निर्देश देने और इस प्रकार वितरित भूमि पर कृषि की गई है या नहीं, के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (239)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूल किए जाने वाले शुल्कों तथा करों के मामले में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (240)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन भारी मात्रा में धन के दुरुपयोग तथा दुर्विनियोग के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (241)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में न्यायपालिका के प्रत्येक स्तर पर वादों के लम्बित पड़े रहने के कारण न्याय मिलने में विलम्ब के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (342)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध रूप से पेड़ों को काटने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (243)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दहेज प्रथा को समाप्त करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (244)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में काले धन के विदेशों में जाने को रोकने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (245)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि उपज और औद्योगिक उत्पादन के मूल्यों में असमानता को दूर करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (246)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का मूल्यांकन करने के विशेष प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है कि विकास का लाभ आम जनता को हुआ है या नहीं।" (247)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हिन्द महासागर में अमरीका की सैनिक उपस्थिति के बारे में नाराजगी का उल्लेख नहीं है।" (248)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में हमारे देश में एकाधिकारी धृति (होल्डिंग) का राष्ट्रीयकरण करने के लिए किसी विशेष योजना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (249)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में लोगों को जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने के लिए न्यूनतम भोजन उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (250)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों को कच्चे तेल के लिए अधिक रायल्टी देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (251)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ऐसे किसी प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है कि किसानों की भूमि का लोक प्रयोजनों के लिए तब तक अधिग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक किसानों, कृषि मजदूरों तथा उस क्षेत्र में कृषि पर निर्भर अन्य लोगों के पुनर्वास की योजना तैयार न की जाए और इसके लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध न कराई जाएं।" (252)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी कृषि जन्य उत्पादों की एकाधिकारी खरीद लागू करने हेतु विशिष्ट योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (260)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र में भयंकर अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मांगी गई 494.69 करोड़ रुपये की सहायता की तुलना में अधिकतम 30.27 करोड़ रुपये नियत कर के दिखाई गई कारगर उपायों की कमी का कोई उल्लेख नहीं है।" (261)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र राज्य में भयंकर अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुझाये गए (1) सहायता नियोजन (2) चारा सप्लाई और मवेशी कैम्प (3) चिकित्सा, स्वास्थ्य और देखभाल (4) खाद्य कर्यक्रम (5) नगद अनुदान जैसे कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (262)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कपास एकाधिकार वसूली योजना के अधीन खरीदी गई कपास की चार लाख गांठों को निर्यात करने के लिए महाराष्ट्र कपास उत्पादक महासंघ को अनुमति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार का अनुरोध स्वीकार करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (263)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र सरकार के इस अनुरोध को स्वीकार करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है कि 1986-87 में राज्य कपास महासंघ को लगभग 52 करोड़ रुपये की राशि नगद प्रतिपूर्ति सहायता के रूप में दी जाय, जो कि कपास के निर्यात वसूली मूल्य और आन्तरिक समर्थन मूल्य के बीच कमी के बराबर है।" (264)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र में निर्माणाधीन ग्यारह सहकारी कताई मिलों को वित्तीय सहायता देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है जहां महाराष्ट्र सरकार ने 23 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश कर रखी है और सदस्यों से 5 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी भी इकट्ठी कर ली गई है और इस कारण से यह निवेश निष्फल हो सकता है।" (265)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नाबार्ड को निदेश देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है जैसाकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुरोध किया गया था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को अपने ही संसाधनों से धनराशि प्रदान करके महाराष्ट्र में निर्माणाधीन 11 कताई मिलों को सहायता करने के अनुमति दी जाए।" (266)

कि प्रस्ताक के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शुष्क भूमि कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए संसाधन तलाश करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (267)

कि प्रताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में मुख्य रूप सिंचाई के लिए निर्धारित जल को औद्योगिक उपयोग के लिए दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (268)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में सिंचाई के लिए पानी के अत्यधिक उपयोग और खारेपन के कारण कृषि प्रयोजनों के लिए अयोग्य हुई भूमि का कोई उल्लेख नहीं है।" (269)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में वायु, जल और शोर प्रदूषण के बढ़ते हुए खतरे को रोकने के लिए किसी विशिष्ट योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (270)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कुछ भागों में, नदियों के पानी में, समुद्र की संकरी खाड़ियों में और तटवर्ती इलाकों में जल प्रदूषण के कारण मछुआरों की जीविका के साधन समाप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (271)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नकली, जाली और घटिया दवाओं के कारण हो रही मौतों का कोई उल्लेख नहीं है।" (272)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग विहीन जिला नीति को उद्योग विहीन तहसील में परिवर्तित करने का कोई उल्लेख नहीं है।" (273)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, गंगा-कावेरी परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है जो देश के कुछ भागों में स्थाई रूप से सूखा प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा कर सकती है।" (274)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कुल मिलाकर देश में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण सामान्य व्यक्ति द्वारा महसूस की जा रही असुरक्षा का कोई उल्लेख नहीं है।" (275)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बहुत समय से लम्बित पड़े चुनाव सुधारों का कोई उल्लेख नहीं है।" (276)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भूमिहीनों को उस भूमि के वितरण के लिए उठाए जाने वाले नए विशिष्ट कदमों का कोई उल्लेख नहीं है जो विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम की कमियों का लाभ उठाते हुए जमींदारों द्वारा हथियायी गई है।" (277)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में इस बात की जांच करने के लिए निदेश देने का कोई उल्लेख नहीं है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को दी गई जमीनें कृषि के अन्तर्गत लाई गई हैं अथवा नहीं।" (278)

श्री बाजू बन रियान (त्रिपुरा पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय भवनों हेतु मांग करने वाले हजारों गांवों में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालय भवन और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उसी समय मॉडल विद्यालयों और आवासी विद्यालयों पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (189)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार द्वारा पंजाब समझौते को लागू करने में जानबूझकर किए गए विलम्ब के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (190)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में प्रत्येक क्षेत्र में गैर-सरकारीकरण करने की सरकार की नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (191)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि के कारणों का कोई उल्लेख नहीं है।" (192)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि सभी वस्तुओं के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण रुपए के मूल्य में आई भारी गिरावट के फलस्वरूप सम्पूर्ण आर्थिक ढांचा अत्यधिक अस्त-व्यस्त हो गया है।" (193)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (194)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले के तीनों पर्वतीय उपमण्डलों और पड़ौसी जिले के संलग्न क्षेत्रों जहां पर पश्चिम बंगाल राज्य के भीतर नेपाली भाषी लोग बहुत संख्या में हैं, के लोगों को क्षेत्रीय स्वायत्ता देने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (195)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले में पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता देने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (196)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में दार्जिलिंग जिले, जो विश्व में सब से सुन्दर पर्यटन स्थलों में से एक है, में पर्यटन का विकास करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (197)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सभी चाय उत्पादक राज्यों में बन्द पड़े और रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (198)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में, कामगार वर्ग के हित में श्रम कानूनों और त्रिपक्षीय समझौतों के अवार्डों आदि को लागू करने में सरकार की असफलता के बारे मे कोई उल्लेख नहीं है।" (199)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कोयला खानों में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए प्रभावी कदम उठाने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (200)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिनियमन के लिए कोई श्रम कानून लाने से पूर्व सभी केन्द्रीय मजदूर संघों और स्थाई श्रम समितियों से परामर्श करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (201)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात्—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में साम्प्रदायिक और जातिगत भावनाओं के बढ़ने से देश की अखण्डता को पैदा हुए खतरे तथा इस बुराई को समाप्त करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (202)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के क्रियान्वयन में असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (203)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (204)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कृषि मजदूरों, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों को पेंशन देने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नही है।" (205)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश से व्यापक निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए एक नीति निर्धारित में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (206)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षा के क्षेत्र में सभी दकियानूसी, साम्प्रदायिक और अलोकतांत्रिक विचारों के विरुद्ध संघर्ष करने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (207)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भोपाल विभीषिका के विनाशकारी प्रभावों का उपशमन करने के लिए दीर्घावधि उपाय करने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (208)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इस बात का उल्लेख नहीं है कि सरकार उन चुनाव सुधारों को लागू करने में असफल रही है जिनके लिए राष्ट्रपति के पिछले अभिभाषण में वायदा किया गया था।" (209)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में बंगलादेश के लोगों की भारत में हो रही घुसपैठ जो कि देश की आन्तरिक तथा बाहरी सुरक्षा के लिए स्पष्ट खतरा है को रोकने के लिए किए गए उपायों का उल्लेख नहीं है।" (210)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पंजाब और देश के अन्य भागों में आतंकवादियों से उत्पन्न उस संकट को समाप्त करने के मामले में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है जिसे पाकिस्तान में आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर सक्रियतापूर्वक भड़काया जा रहा है।" (211)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी कर्मचारियों को बिना कारण बताये सेवा से पदच्युत किए जाने के उनके भय को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कोई कारगर कदम उठाये जाने के कारण सरकारी कर्मचारियों में व्याप्त गहन असन्तोष का उल्लेख नहीं है।" (212)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए किन्हीं ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (213)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के कई राज्यों में बाढ़ तथा अकाल की समस्या को स्थायी रूप से हल करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (214)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न शुल्कों तथा करों के मामले में राज्यों का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता का कोई उल्लेख नहीं है।" (215)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश में विद्यमान बिजली संकट तथा उसे दूर करने के लिए किए गए उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (216)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आणविक हथियारों पर पूर्ण प्रतिबन्ध के बारे में अमेरिका के नकारात्मक रवैये का कोई उल्लेख नहीं है।" (217)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में भारत की अर्थव्यवस्था में विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के हस्तक्षेप का जो कि अब अधिक स्पष्ट है, और इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं है कि विश्व बैंक खाद्य पदार्थों के लिए दी जाने वाली राज सहायता को बन्द करने की मांग कर रहा है तथा लोगों के खपत मानकों को कम करने के लिए दबाव डाल रहा है।" (218)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शहरी अमीरों और ग्रामीण निर्धनों के बीच की खाई को समाप्त करने और गरीबी हटाने के लिए किए गए उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (219)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में औद्योगिक क्षेत्र की रुग्णता और औद्योगिक श्रमिकों में व्याप्त अशान्ति को दूर करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (220)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में केन्द्र सरकार की अदूरदर्शिता और आत्मघाती कपड़ा नीति के कारण हथकरघा कामगारों को हुई कठिनाइयों का कोई उल्लेख नहीं है।" (221)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में ग्रामीण लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए एन० आई० ई० पी०, आई० आर० डी० पी०, डी० पी० ए० पी०, आर० आई० ई० जी० पी० और ट्राइसेम कार्यक्रमों की पूर्ण असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (222)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में शिक्षित बेरोजगारों और ग्रामीण लोगों में व्याप्त बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को समाप्त करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (223)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 'काम करने के अधिकार' को एक मूल अधिकार बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और अल्प-रोजगार वालों को बेरोजगारी भत्ता देने का कोई उल्लेख नहीं है।" (224)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में किसानों की दशा में सुधार करने के लिए उन्हें उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य देने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (225)

श्री समर गुहा चौधरी (कोकराझर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अनुसूचित जनजातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने; उन्हें अन्य उच्च और उन्नत समुदायों के स्तर पर लाने के लिए पर्याप्त शिक्षा सुविधाएं देने, भूमि और उनके क्षेत्रों में उनके हितों का संरक्षण करने तथा उन पर होने वाले विभिन्न प्रकार के शोषणों का प्रतिकार करने में सक्षम बनाने हेतु "जनजाति सोसाइटियों" में पर्याप्त आंतरिक शक्ति फूंकने में सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (253)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आसाम के मैदानी जनजातियों द्वारा उदयाचल; आसाम के पर्वतीय जनजातियों द्वारा कर्बी अंगलोंग और नार्थ कछार हिल्स नामक स्वायत्त-शासी राज्य; छोटा नागपुर क्षेत्रों आदि के आदिवासियों द्वारा झारखण्ड की लोकप्रिय मांगों का कोई उल्लेख नहीं है।" (254)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में 21 जनवरी, 1987 को सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल में सम्मिलित होने पर कोयला खानों के कर्मकारों के आठ दिन के वेतन की कटौती रोकने में भारत सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (255)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उद्योगपतियों को चेयरमैनों के रूप में नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाए गए गलत कदमों का कोई उल्लेख नहीं है।" (256)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इण्डियन नेशनल शिपओनर्स एसोसिएशन में फारवर्ड सीमेंस यूनियन आफ इण्डिया (सीटू) जो कि कलकत्ता स्थित नेशनल मेरीटाइम बोर्ड के नाविकों का एक मान्यता प्राप्त संघ है, के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने को राजी न कर सकने में भारत सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (257)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में इण्डियन एयरलाइन्स प्रबन्धकों द्वारा सुरक्षा नियमों का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में भारत सरकार की असफलता का उल्लेख नहीं है।" (258)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में डाक विभाग में कार्यरत विभागोत्तर कर्मचारियों को उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार विभागीय कर्मचारी घोषित करने में भारत सरकार की असफलता का कोई उल्लेख नहीं है।" (259)

डा० वसन्त सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में कपड़ा मिल मालिकों के लिए लाभकर और कपड़ा कर्मकारों के लिए हानिकर गलत कपड़ा नीति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (298)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमा पर मराठी भाषी लोगों को कन्नड़ सीखने के लिए बाध्य न किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।" (299)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के 8 करोड़ असंगठित श्रमिकों को विद्यमान श्रमिक कानूनों के अन्तर्गत समुचित रूप से सुरक्षा न मिलने का कोई उल्लेख नहीं है।" (300)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के 7 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।" (301)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में तीसरी और चौथी श्रेणी के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चौथे वेतन आयोग से कोई लाभ न प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं है।" (302)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में सात पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद भी देश की आबादी का 50 प्रतिशत लोग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं की दशा सुधारने का कोई उल्लेख नहीं है।" (303)

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में आन्ध्र प्रदेश और विपक्षी दलों के शासनाधीन अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तावित सभी नदी घाटी परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए ठोस उपायों का सुझाव देने वाली किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।" (312)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में संघ सरकार द्वारा हस्ताक्षर किये गए विभिन्न समझौतों को कार्यान्वित करने में सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (313)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे कट्टर पंथियों को, जो राजनीतिक हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर समझते हैं, रियायतें देना बन्द करने की आवश्यकता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (314)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में देश के समक्ष विद्यमान आर्थिक और राजनीतिक विकट समस्या को हल करने के लिए अगले वित्तीय वर्ष के दौरान संघ सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले नए निर्देशों तथा नए उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (315)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में अस्थिरता, बढ़ते हुए सामाजिक तनावों, बेरोजगारी तथा अमीर और गरीब के बीच बढ़ती हुई खाई पर ध्यान नहीं दिया गया है।" (316)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में निर्यात के क्षेत्र में सरकार की असफलता के कारण देश की भुगतान संतुलन की स्थिति के खराब होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (317)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में श्रीलंका की समस्या को हल करने तथा श्रीलंका के बेकसूर तमिलों की हत्याओं को रोकने में संघ सरकार की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (318)

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में थोक तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।" (319)

सभापति महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन सभा के समक्ष हैं।

***डा० एस० जगतरक्षकन** (चेंगलपट्टू) : माननीय सभापति महोदय, मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए खुशी हो रही है। यद्यपि राष्ट्रपति ने सरकार की गत वर्षों की उपलब्धियों का स्पष्ट उल्लेख किया है, लेकिन मुझे बताते हुए खेद है कि 21वीं सदी की दिशा में हो रहे विकास के बारे में अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है अतः मैं कहूंगा कि अभिभाषण में कुछ कमी रह गई है। विशेषकर, इसमें श्रीलंका की समस्या का कोई उल्लेख नहीं है जिसका हम बेताबी से इन्तजार कर रहे हैं। हालांकि हाल ही में भारत में हुए 'सार्क' सम्मेलन का उल्लेख है इसके अतिरिक्त इसमें श्रीलंका समस्या के हल की निरर्थकता का कोई उल्लेख नहीं है।

गत एक वर्ष में श्रीलंका में 6000 तमिल लोग मारे गये हैं। हम बातचीत के लिए बड़े चिन्तित हैं। तमिलों की हत्या जारी है। उनके परिवार सूने हो गये हैं तथा यह स्थिति अभी बनी हुई है। पड़ोसी राष्ट्र अपने को मित्र राष्ट्र बताते हैं लेकिन वही राष्ट्र किसी हल पर पहुंचाने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। समस्या का कोई समाधान नहीं है। अतः मैं भारत सरकार से हल निकालने के लिए निरन्तर प्रयास करने का निवेदन करता हूं।

कुछ चार या पांच वर्ष पहले हमें श्रीलंका को कच्चा टीवू देना पड़ा था। जबकि यह क्षेत्र श्रीलंका को दे दिया गया था लेकिन यह स्पष्टतः तय हुआ था कि दोनों देशों के मछुआरे मछली पकड़ सकेंगे और आसपास का जल क्षेत्र सम्मिलित जल क्षेत्र होगा। श्रीलंका ने इसका अब तक उल्लंघन किया है, भारतीय मछुआरों को पकड़ लिया गया है तथा उन्हें छोड़ा नहीं गया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कच्चा टीवू को एक सैनिक अड्डे में परिवर्तित कर दिया गया है और इसके लिए कतिपय बड़ी शक्तियों की सहायता ली गई है। वे वहां पर एक शक्तिशाली नौसैनिक अड्डा स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बार फिर सरकार से अनुरोध करूंगा

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कि लम्बी और बेकार बातचीतों की बजाय, एक अर्थपूर्ण तथा परिणामोन्मुख बातचीत श्रीलंका सरकार के साथ, एक ठोस हल निकालने के इरादे से, शुरू की जानी चाहिए। तमिलनाडु में, पाक स्ट्रेट और नारीमनम् क्षेत्र के आसपास, सोवियत संघ के विशेषज्ञ ने यह राय दी है कि वहां पर बहुत मात्रा में तेल सम्पदा है। मैं केन्द्रीय सरकार से सोवियत संघ के विशेषज्ञों को बुलाकर तेल संसाधनों को ढूढ़ने और देश का विकास करने के लिए अनुरोध करूंगा।

इसके अतिरिक्त महोदय, हमारे प्रिय नेता डा० एम० जी० रामचन्द्रन ने केन्द्रीय सरकार के पास पुनरीक्षित बाल कल्याण योजना सम्बन्धी प्रस्ताव भेजा है। इस बारे में, मैं मध्याह्न भोजन योजना की अभूतपूर्ण सफलता का उल्लेख करूंगा, जो पुरातपश्ची थलैवर डा० एम० जी० रामचन्द्रन के दिमाग की देन है। इसमें प्रतिदिन लगभग 8 लाख गरीब बच्चों को लाभ पहुंचता है। अन्य मूल सुविधाएं बच्चों को देकर योजना का विस्तार करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से और अधिक धन देने के लिए आग्रह किया है।

दूसरी बात महोदय, नदियों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित है। 40 वर्षों की स्वतन्त्रता के पश्चात् भी हम इस बारे में केवल बातें ही करते रहते हैं। जहां तक अन्तर्राज्यीय जल समस्याओं का प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण समस्या कावेरी जल की है। महोदय, तमिलनाडु में तंजौर सबसे अधिक समृद्ध जनपद हैं और यह एक चावल प्रधान राज्य है। अगर प्राथमिकता के आधार पर कावेरी विवाद को हल किया जाता है तो सर्वाधिक समृद्ध जनपद भी सूख जायेगा। हम सरकार से एक ट्रिब्यूनल नियुक्त करने के लिए आग्रह करते रहे हैं। चूंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक आम वार्षिक बात हो गयी है इसी तरह से हमारी इस ट्रिब्यूनल की मांग है। अतः मैं कावेरी प्रश्न के सम्पूर्ण मामले में एक ट्रिब्यूनल बनाने की मांग को दोहराता हूं।

महोदय, पर्यटन के बारे में मैं कह सकता हूं कि केवल यही एक सांस्कृतिक गतिविधि है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने तथा देश की एकता में अंशदान करने का काम करती है। प्रतिवेदनों में कहा गया है कि भारत को गत वर्ष पर्यटन से लगभग 1300 करोड़ रुपये की आय हुई तथा इस वर्ष 1600 करोड रुपये की आय हुई। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है, पर्यटन क्षेत्र में वे इसे "स्वर्ण त्रिकोण" (गोल्डन ट्राइऐंगल) कहते हैं जो हैदराबाद, बंगलौर, मद्रास और कतिपय अन्य क्षेत्र जैसे कोडैकनाल, ऊटी इत्यादि को जोड़ती है; इन क्षेत्रों को हेलीकाप्टर सेवा से जोड़ने की मांग काफी समय से चल रही है। हेलिकाप्टर कारपोरेशन आफ इण्डिया ने लगभग सभी प्रबन्ध कर लिए हैं लेकिन अभी तक हेलीकाप्टरों द्वारा सम्पर्क स्थापित नहीं हो सके हैं। विदेशियों के आकर्षण के बहुत से पर्यटन केन्द्र हैं और केवल गम्भीर प्रयास ही पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होंगे और उससे बहुत सी विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। अतः तमिलनाडु को पर्यटन आकर्षण का मुख्य केन्द्र बनाया जाए।

तमिलनाडु में केवल अर्द्ध-निर्मित चमड़े के निर्यात से ही 800 करोड़ रुपये की मुद्रा अर्जित हुई है। यह गत वर्ष में बहुत कम हुई है। कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार ने अर्द्ध-निर्मित चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए प्रतिबन्ध को तुरन्त समाप्त कर देना चाहिए विशेषकर जबकि हमारे चर्म-उत्पादों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी मांग है।

मैं केन्द्र सरकार का, इस अवसर पर, ध्यान एक बहुत ही सुन्दर तथा विश्व विख्यात भारत

के एक स्थल की तरफ दिलाना चाहूंगा अर्थात् कांचीपुरम । कांचीपुरम में (स्वर्ण धागे) जरी का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसे एक आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए ताकि जरी के उत्पादन और व्यापार का विस्तार हो सके ।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान अचानक कावेरीपुमपट्टिनम में चल रहे खुदाई कार्य के पुरातत्व आप्रेशन के एक वर्ष पश्चात् निलम्बन की तरफ दिलाना चाहूंगा जोकि एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल है । आप्रेशन में बहुत सारी मूल्यवान बातों का पता चला है । जबकि, एक समीपीय स्थल अर्थात् द्वारका में पुरातत्व आप्रेशन गत 10 वर्षों से चल रहे हैं जिसमें कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक चीज का पता नहीं चला है, कावेरीपुमपट्टिनम में आप्रेशन का कार्य क्यों छोड़ दिया गया है ? सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ।

बहुत से सैनिक विशेषज्ञों का विश्वास है कि तीसरा विश्व युद्ध एक समुद्री युद्ध के रूप में सामने आ सकता है जबकि सभी बड़ी शक्तियां एक दूसरे के साथ विभिन्न मिसाइलों तथा इस प्रकार के युद्ध से सम्बन्धित प्रौद्योगिकी के बारे में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, सरकार सेतू समुद्र परियोजना के पूरा करने पर समुचित महत्व नहीं दे पायी है । हम संसद में इस मामले पर अन्य विभिन्न रूपों में बल देते रहे हैं । वर्तमान उप-राष्ट्रपति तथा पूर्व रक्षा मंत्री जब वह रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने मामले पर बल देते हुए घोषणा की थी कि परियोजना को एक रक्षा परियोजना के रूप में लिया जायेगा । सरकार को अपनी घोषणा पर कायम रहना चाहिए और छठी अथवा सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं से धन आबंटित करने की बजाय सरकार को प्राथमिकता के आधार पर धन का आबंटन किया जाना चाहिए । अत: मैं सरकार से परियोजना को पूरा करने पर तुरन्त ध्यान देने का आग्रह करूंगा ।

इसी तरह से, गंगा कावेरी परियोजना को ब्रिटिश समय में शुरू किया गया था लेकिन इसका अभी भी कार्य पूरा होना बाकी है । परियोजना में करोड़ों रुपये की बात है । लेकिन, सरकार को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वे इतने पक्के इरादे से राजस्थान नहर परियोजना को पूरा करके इसे सफल कर सकते हैं तो वे उसी तरह से गंगा-कावेरी परियोजना को भी पूरा कर सकते हैं । यह तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है । महोदय, विशेषकर, जब राज्य में दो मानसूनों के असफल हो जाने के पश्चात् गम्भीर सूखा पड़ने की स्थितियां उत्पन्न हो रही है ।

इसी प्रकार से तेलगु-गंगा परियोजना है । पूर्व-प्रधानमंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने परियोजना की नींव रखी थी और कई करोड़ रुपये इस परियोजना के लिए अब तक आबंटित किए जा चुके हैं । हालांकि, राजनीतिक कारणों से, परियोजना अभी तक अपूर्ण है । मैं निश्चय से कह सकता हूं कि परियोजना के मात्र पूरा करने से नदी जल समस्या हल नहीं होगी लेकिन इससे लगभग 80 से 90 लाख लोगों को तमिलनाडु में पेयजल उपलब्ध होगा ।

महोदय, इसी प्रकार से मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान आंतरिक परिक्रमा रेल प्रणाली की तरफ, जो पारगीमलाई, विल्लीवक्कम इत्यादि मद्रास के बाहरी क्षेत्रों को जोड़ेगा, दिलाना चाहूंगा । सर्वेक्षण कुछ समय पूर्व किए गए थे । लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारीगण कह रहे है कि और सर्वेक्षण करने पड़ेंगे । इस तरह से, एक के बाद एक सर्वेक्षण सम्पूर्ण योजना के महत्व को कम कर देता है । मैं सरकार से इस मामले पर ध्यान देकर परियोजना को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्यवाही करने का आग्रह करूंगा ।

शिक्षा नीति के सम्बन्ध में, मैं यह कह सकता हूं कि सरकार नवोदय विद्यालयों के जरिए हिन्दी थोपने का भरसक प्रयास कर रही है। सरकार आत्म-निर्भर भारत का निर्माण करने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने तथा सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में कम दिलचस्पी ले रही है। यही कारण है कि हमारे देश में 70% लोग अनपढ़ हैं। इस निरक्षरता को समाप्त किया जाना चाहिए।

महोदय, विद्युत पैदा करने के सम्बन्ध में, मुझे यह कहते हुए दुःख है कि हम इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त 30% विद्युत पारेषण में खर्च हो जाती है।

जब लेनिन ने सोवियत संघ की सत्ता सम्भाली तो उसने अपने देश के लिए दो महत्वपूर्ण कार्य किए—एक तो उसने निरक्षरता को दूर करने के लिए कदम उठाए तथा दूसरा उसने पर्याप्त विद्युत पैदा करने के लिए उपाय किए। मैं चाहता हूं कि भारत भी उसी स्तर तक पहुंचे।

भारत में लगभग 5½ लाख गांव हैं। उपलब्ध आंकड़े के अनुसार लगभग 3½ लाख गांवों में पीने के पानी की उचित सुविधा नहीं है। इस स्थिति का समाधान किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय, पुराची थालईवर, ने सभी स्वस्थ नागरिकों को आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मैं अपने नेता की इच्छा को एक बार पुनः दोहराता हूं कि सभी भारतीयों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, विशेष-तौर पर उस समय जब हमारे देश को शत्रु के षडयन्त्रों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं पुनः आपका शुक्रिया करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : सभापति महोदय, मैं श्री जगन्नाथ कौशल जी द्वारा प्रस्तुत और श्री भागवत झा आजाद जी द्वारा समर्थित प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण देने की कृपा की उसको मैं भारतीय एकता, अखण्डता, प्रगति और प्रतिष्ठा का दस्तावेज मानता हूं।

इस अभिभाषण में सबसे बड़ी बात आरम्भ में ही पंजाब के बारे में कही गई है। पंजाब के प्रश्न पर चिन्ता प्रकट की गई है और जो समस्याओं का समाधान दिखाई पड़ा उसकी चर्चा की गई। पहली बार राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर किसी एक विशेष राज्य का और उसकी सरकार के विषय पर चर्चा हुई। मैं ऐसा समझता हूं कि यह उचित हुआ क्योंकि पंजाब को लेकर जो कुछ भी घटनाएं पिछले वर्षों से हो रही थी उसने बहुत ही चिन्ता का रूप राष्ट्रीय स्तर पर ग्रहण कर लिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं अपने गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह जी को इस अवसर पर जिन्होंने आज से कुछ वर्ष पहले ही उस काम को करने की शुरूआत की थी जिसको आज बरनाला सरकार और स्वयं बरनाला और उनकी पार्टी ने पंजाब में किया। तनख्वैया घोषित करने के बाद और पन्थ से निष्कासित करने के बाद सरदार बूटा सिंह वह व्यक्ति थे जिन्होंने अच्छे और सच्चे सिख होने के बावजूद भी धर्म को राजनीति में इस तरह से मिलाने से इन्कार कर दिया था। आज वही काम हमारे अकाली दल के नेता ने भी किया और उसके अनौचित्य को समझा और भारतीय लोकतन्त्र के उस महान राष्ट्र के उस राष्ट्रीय चिंतन को आगे रख कर यह सिद्ध किया कि राष्ट्र की चिन्ता किसी भी धर्म की चिंता से बड़ी चीज है। किसी भी धर्म-निरपेक्ष राज्य में यह देश का संविधान संकुलरिज्म

की शिक्षा देता हो या देश का प्रशासन धर्म-निरपेक्ष ढंग से किया जाता हो उसमें धर्माचार्य लोग इस तरह से उसको मिस-यूज करने की चेष्टा करें तो उनको इस ढंग से हटा दिया जाना चाहिए। इसी के लिए हम सब लोगों ने पंजाब सरकार को बधाई दी और सम्भवतः इसीलिए हमारे राष्ट्रपति जी ने इसकी इसमें चर्चा की। निश्चय ही वह बधाई के पात्र हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि लोकतन्त्रात्मक भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च सत्ता और सर्वोच्च सतह अगर कोई है तो वह भारतीय पार्लियामेंट है, कोई धर्म की गद्दी नहीं। यह बात बिल्कुल सच है कि सिखों के लिए अकाल तख्त सर्वोच्च हो सकता है, हिन्दुओं के लिए शंकराचार्य की गद्दी सर्वोच्च हो सकती है और मुसलमानों के लिए सर्वोच्च कोई भी इमाम हो सकता है, लेकिन भारतीय गणराज्य में भारतीय नागरिक के नाते अगर कोई भी सर्वोच्च सत्ता है तो वह भारतीय पार्लियामेंट है और वह जो निर्णय करेगा वह सारे देश में लागू होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इस बात पर विशेष रुचि दिखाई। मैं इस बात के लिए उनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं।

इस सन्दर्भ में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि पंजाब समझौते का ठीक तरह से इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ है, इस कारण वहां गड़बड़ी होती है। इसका उत्तर भी कई बार दिया जा चुका है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसका उत्तर कई बार बहुत ही औचित्यपूर्ण ढंग से दिया है। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि जो प्रधान मंत्री जी ने उत्तर दिया है वही सर्वोत्तम उत्तर है और वह समझौता भी तभी लागू होता है जब वह सब पर पूरी तरह से लागू हो। ऐसा नहीं कि एक पक्ष को जो चीज मंजूर हो वह तो लागू हो लेकिन जो दूसरे पक्ष को नुकसान पहुंचाने वाली हो तो वह नुकसान पहुंचाने के बावजूद लागू कर दी जाए। ऐसा न कभी हुआ है और न ही होगा। देश के प्रधान मंत्री जी ने जो प्रारम्भ में फैसला किया है वह फैसला उसी तरह से लागू होगा और उसी तरह से लागू हुआ है, उसमें कांग्रेस का कोई स्वार्थ नहीं है।

5.00 म० प०

कांग्रेस का अगर स्वार्थ होता तो पंजाब की सरकार अकालियों को ऐसे नहीं सौंप देती। जो लोग इस प्रकार का आरोप लगाते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पंजाब का समझौता क्या हमने इसलिए किया था कि पंजाब में अपनी सरकार की जगह बरनाला जी की सरकार हम बना दें? असम का समझौता क्या इसलिए किया था कि असम में हम गण-संग्राम परिषद् की सरकार बना दें? मिजोरम का समझौता क्या हमने इसलिए किया था कि वहां लालडेंगा की सरकार बना दें? नहीं। हमने ये सब समझौते इसलिए किए कि हिन्दुस्तान में शांति और सुव्यवस्था हो, हिन्दुस्तान में सद्-भावना हो, हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र हो। हिन्दुस्तान की सुव्यवस्था, हिन्दुस्तान की एकता और अखण्डता, हिन्दुस्तान के बहुमुखी रूप की सुरक्षा हो और हिन्दुस्तान का जो लोकतांत्रिक संघात्मक स्वरूप है वह ज्यादा बड़ी चीज है बनिस्वत हमारे कहीं भी सरकार बनाने या न बनाने के! यही काम हमारे राजीव गांधी जी ने किया है। आज जब वह इतना बड़ा काम करते हों तो कुछ लोग बहुत ही छोटे ढंग से विचार करके इस ढंग से आलोचना करते हैं तो आश्चर्य होता है। कांग्रेस के नेता और देश के प्रधानमंत्री ने जब इस तरह का समझौता किया तो लोग उसमें भी दुरभिसंधि देखते हैं। मैं समझता हूं इसमें लोगों को कुछ ऊपर उठना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के बाद हमारे देश की कई अन्य

स्थितियों और विशेषकर आर्थिक मामले की भी इसमें चर्चा की गई है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि यहां पर प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर की बात कही जाती है। कुछ लोग उसको नारेबाजी के रूप में उछालकर कभी हमारी सरकार पर हमला करते हैं कि वह दक्षिणपंथी होती चली जा रही है, कभी लोग कहते हैं उसकी सफाई में कि नहीं नहीं, हम तो वामपन्थी हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी की सरकार प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में जो असन्तुलन चला आ रहा था, मिक्स्ड एकोनामी में, उसमें सन्तुलित अर्थ-व्यवस्था का युग प्रारम्भ किया है। वह युग प्रारम्भ हो गया है उनके नेतृत्व में और राष्ट्रपति ने उसी की ओर संकेत किया है। आज यह स्थिति नहीं है कि हम प्राइवेट अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर सकें और यह भी सम्भव नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर में सब कुछ हम दे चुके हैं, बहुत कुछ दे चुके हैं उसको वापस ले लें। लेकिन उसकी कमियां, उसकी खामियां, उसके गुण, उसके दुर्गुण, इन सारी चीजों की तरफ आपको देखना ही पड़ेगा। अगर राष्ट्र को आपको आगे बढ़ाना है तो लगातार उनकी समीक्षा करनी पड़ेगी। श्री राजीव गांधी की सरकार बार-बार यही करती है और अगर उसको दिखाई पड़ा कि पब्लिक सेक्टर में चीजों को लेकर निरन्तर घाटे की अर्थव्यवस्था चल रही है तो उन्होंने चेतावनी दी और यह स्पष्ट कहा कि लगातार यदि कोई फैक्ट्री, मिल या कम्पनी घाटे में जाती है तो उसको देखना पड़ेगा। हम उत्पादन, श्रम, पूंजी निवेश, इन चीजों पर लगातार अपनी दृष्टि को रखेंगे और उसमें अगर समानता नहीं दिखाई पड़ेगी, उसमें पब्लिक सेक्टर की बेईमानी की लोग चर्चा करते हैं, पब्लिक सेक्टर में खाने-उड़ाने की चर्चा करते हैं, इन सारी चीजों की ओर ध्यान जाएगा, राष्ट्र एक अध्ययन करेगा और अध्ययन के बाद जिस चीज में दोष पाया जाएगा उसके बारे में कार्यवाही की जाएगी। मैं समझता हूं कि यह नई अर्थ-नीति हमारे देश के लिए बहुत हितकर साबित होगी जिस पर कि राष्ट्रपति जी ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है।

नई शिक्षा नीति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। अभी हमारे एक साथी ने नवोदय स्कूल के नाम पर हिन्दी लदने की बात भी कही। हमें आश्चर्य होता है। आखिर सम्पूर्ण देश जिन भाषाओं के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है, क्या हिन्दी, क्या तमिल, क्या गुजराती, क्या मराठी, क्या बंगला, क्या पंजाबी, यह हिन्दुस्तान 15-16-17 भाषाओं का देश है। रीजनल लैंग्वेज और देश की अन्य भाषाएं, संस्कृत, उर्दू इन सभी भाषाओं को हमें विकसित करना है। यही हमारी राष्ट्रीय एकता की मूलाधार बनेंगी। इसमें किसी एक भाषा विशेष के बारे में अगर कोई आदमी ऐसी छोटी बातें कहेगा तो उससे राष्ट्र की एकता को धक्का पहुंचता है। इस प्रकार की भाषा से हम को बचना चाहिए। अल्पसंख्यकों की बात इसी में कही गई है। कहा गया है कि उनके हितों की सुरक्षा की जाएगी, उनको संरक्षण दिया जाएगा। मैं मानता हूं कि जितनी जबरदस्त सुरक्षा और संरक्षण अल्पसंख्यकों को हमारी सरकार बराबर देती रही है, उतनी अन्य कोई भी नहीं दे सकता है। अभी हमारे एक लायक मित्र, विरोधी दल के, बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उनको हिन्दू-अहमदाबाद और मुस्लिम-अहमदाबाद देखने को मिलता है। मुझे नहीं मालूम उनको कहां मिलता है। हो सकता है कि उनके दिल्ली के निवास स्थान पर या और कहीं मिलता है। मैं अभी अहमदाबाद से 15-20 दिन पहले ही हो कर आया हूं। मैंने वहां कोई मुस्लिम अहमदाबाद और हिन्दू अहमदाबाद नहीं देखा। जिस दिन अखबारों में यह खबर छपी वहां पर हिंसा हुई, उस दिन भी मैं वहीं मौजूद था, मैंने नहीं देखा। यह हिन्दू-अहमदाबाद और मुस्लिम अहमदाबाद उनके दिमाग में इसलिए आया कि उनके दिमाग में सिक्ख-पंजाब और हिन्दू पंजाब रहता है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे अपने को

इस रूप में न रखें। इस तरह से हिन्दुस्तान का काम नहीं बनेगा। मुसलमान, हिन्दुस्तान और हिन्दू हिन्दुस्तान की बात करने पर ही तो हमारे शहाबुद्दीन साहब कह देते हैं, एक दम कह देते हैं। 26 जनवरी के बहिष्कार की बात उन्होंने कह दी, मैं समझता हूं कि इस पर अपोजीशन को जबरदस्त विरोध करना चाहिए था और उनका मुंह बन्द कर देना चाहिए था। इस सम्बन्ध में मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उनको निश्चित रूप से कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए, जो राष्ट्र-गीत का अपमान करे, राष्ट्रीय चिह्नों का अपमान करे और जो राष्ट्रीय महापर्वों के बहिष्कार करने की बात करे, उसको इस हाउस की सदस्यता से वंचित कर देना चाहिए। 26 जनवरी हमारा गणतन्त्र दिवस है। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसके कारण हम सब लोग इस लोकसभा के सदस्य हैं, जिसके कारण वोट पाकर हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, जिसके कारण हमारी यह हैसियत बनी है, उस महापर्व का विरोध करते हुए शहाबुद्दीन साहब ने मुसलमानों से यह बात कही, जो कि इसी संसद के लोकसभा के सदस्य हैं और उसको लोग अनचैलेंज्ड रहने दें, मैं समझता हूं कि यही राष्ट्रीय एकता में सबसे बड़ी बाधा है। चाहे दक्षिण की बात हो, चाहे पश्चिम की बात हो, चाहे पूर्व की बात हो और चाहें उत्तर की बात हो—सारी बात सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की है और यही चिन्तन हमारे देश में होना चाहिए। अगर दक्षिण-भारत साउथ इण्डिया है, तो इण्डिया ही है, नार्थ-इण्डिया इण्डिया ही है, वेस्ट इण्डिया इण्डिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ-इण्डिया कुछ अलग है। दक्षिण के भारतीय, मैं नहीं जानता कि सम्पूर्ण हिन्दुस्तान के लोग कैसे पहचानते हैं, जब मैं शकराचार्य को पढ़ता हूं, जब मैं माधवाचार्य को पढ़ता हूं, जब मैं निंबारकाचार्य को पढ़ता हूं, जब मैं बलवाहचार्य को पढ़ता हूं, तो मुझे कभी नहीं लगता कि ये दक्षिण के हैं। मुझे लगता है कि सम्पूर्ण भारत की संस्कृति इनमें साक्षात है। जब मैं गुरुनानक देव को पढ़ता हूं, जब मैं गुरुतेग बहादुर सिंह को पढ़ता हूं, जब मैं गुरुगोविन्द सिंह को पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि इनमें सम्पूर्ण भारत साक्षात हो गया है। महाराष्ट्र में नामदेव को जब मैं पढ़ता हूं, जब मैं सन्त ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरी को पढ़ता हूं, तुलसीदास को पढ़ता हूं, जब मैं ऋग्वेद को पढ़ता हूं, तो मुझे लगता है कि सम्पूर्ण भारत की संस्कृति उसी रूप में है, जैसे कि आज हमारा सम्पूर्ण भारत एक है। जब हम इस एकता की भावना को आगे रखेंगे, तभी हम इस देश की एकता को, इस देश की सुरक्षा को, इस देश की अखण्डता को और इस देश की प्रगति की व परम्पराओं की रक्षा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

*श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह माननीय राष्ट्रपति की सहृदयता है कि उन्होंने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को सम्बोधित किया है। माननीय सदस्य श्री जगन्नाथ कौशल ने उनके अभिभाषण के लिए संसद सदस्यों के समक्ष एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस सदन में श्री कौशल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। चाहे अभिभाषण लम्बा है या संक्षिप्त है हम सभी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अधिक पढ़ा-लिखा व्यक्ति नहीं हूं परन्तु मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर कुछ कहना चाहता हूं, यद्यपि संक्षिप्त में कहूंगा। मुझे अपना भाषण पूरा करने में अधिक समय लग सकता है परन्तु मुझे दिया गया समय बहुत सीमित है। अतः मैं अपने भाषण को केवल कुछ ही मुद्दों तक सीमित रखूंगा। मेरा भाषण बहुत संक्षिप्त होगा। मैं कुछ आवश्यक मुद्दों पर ही बोलूंगा।

*मूलतः उड़िया में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आज, भारतवर्ष प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। 1947 में जो स्थिति थी अब वह नहीं है। हमारे देश में राजकुमारों तथा जमींदारों के दिन लद गए हैं। जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। प्रिवी-पर्सों को भी समाप्त कर दिया गया है तथा राजकुमार और जमींदार अब विशेषाधिकृत भत्तों के अधिकारी नहीं हैं। दूसरी ओर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। एक समय था जब देश का समस्त धन राजकुमारों और जमींदारों के पास एकत्र होता था। परन्तु आज स्थिति बिलकुल अलग है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य बैंक हैं। यहां तक कि निर्धन से निर्धन लोगों ने भी ग्राम्य बैंकों में अपने खाते खोल रखे हैं तथा बचत करने की आदत डालना शुरू कर दी है। इस प्रकार गरीब लोगों की आर्थिक दशाओं में सुधार हुआ है। उनके जीवन स्तर में भारी परिवर्तन आया है। जो परिवर्तन आए हैं हमें उनके सन्दर्भ में सोचना चाहिए। ये परिवर्तन सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के कारण आए हैं। यह केवल एक प्रजातन्त्र प्रणाली में ही सम्भव है जैसाकि हमारे देश भारत में है तथा मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में विकास तथा इस महान परिवर्तन के लिए पूरा श्रेय कांग्रेस सरकार को जाता है।

कांग्रेस ने देश की बागडोर राजकुमारों तथा जमींदारों से ली थी। गरीब लोगों के उत्थान के लिए विभिन्न उपाय किए गए। सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों के लाभ दलितों तक पहुंचे हैं। गरीब लोगों, विशेषतौर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों, की दशाओं को बेहतर बनाने के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए थे। तथा उन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस सरकार का सबसे बड़ा योगदान 20 सूत्री कार्यक्रम का विकास करना है। यह हमारे समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारे संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। धन के विकेन्द्रीकरण के लिए हमारे संविधान में प्रावधान हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कांग्रेस सरकार ने कई कार्यक्रम बनाए हैं। हमारी पार्टी के पिछले चुनाव घोषणापत्र में भी हमारा यह मुख्य वायदा था। सत्ता में आने के बाद हमने इस दिशा में कार्य किया है। इस अवसर पर मैं सरकार के देश के समग्र विकास के इस दृष्टिकोण को पुनः दोहराता हूं। हम गर्व कर सकते हैं कि हम विकसित देशों की उपलब्धियों से थोड़ा ही नीचे हैं। इस बात की पर्याप्त झलक, देश को 21वीं सदी में ले जाने वाले हमारे प्रधानमन्त्री जी के वक्तव्य में ही मिल जाती है।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहूंगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय इस क्षेत्र में हम बहुत पीछे थे। 1947 में जब मैं उच्च विद्यालय में पढ़ रहा था, हमारे क्षेत्र में केवल वही विद्यालय था। परन्तु अब वह स्थिति नहीं है। वह स्थिति पूर्णतया बदल गई है। अकेले मेरे उपखण्ड में ही 25 महाविद्यालय है। प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक भी खण्ड ऐसा नहीं है जहां 10 उच्च विद्यालयों से कम विद्यालय हों। यहां तक कि हमने दूर-दराज के क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार किया है। हमारे प्रयासों का उद्देश्य निरक्षरता को दूर करना तथा देश के कोने-कोने में शिक्षा का प्रसार करना है। शिक्षा के क्षेत्र में इन सफलताओं को परिणामों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए परन्तु सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए जिससे वे सम्भव हो सके हैं। कुछ स्वार्थी तत्व हैं जो अधिकांश समाज को निरक्षर रखना चाहते हैं। वे शिक्षा के प्रसार में सरकार के कार्यक्रमों के विरुद्ध कार्य करते हैं। कुछ विदेशी ताकतों सहित वे स्वार्थी तत्व ही हमारे देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। वे देश की एकता तथा शांति को

भंग करना चाहते हैं। ये विघटनकारी ताकतें देश की एकता और अखण्डता के विरुद्ध व्यवस्थित तरीके से कार्य कर रही हैं। वे लोगों में साम्प्रदायिक भावना को भड़काते हैं तथा उन्हें हिंसा के लिए उत्तेजित करते हैं। इन तत्वों से हमारे देश की किसी भी कीमत पर रक्षा करने के लिए हमें निडर रहना चाहिए।

हमारे देश में लोग अपनी समस्याओं से अवगत हैं अतः वे जानते हैं कि किसे सत्ता में लाने के लिए वोट देना चाहिए और उनकी पसन्द हमेशा ही कांग्रेस पार्टी रही है। वे हमारी विचारधारा में विश्वास करते हैं। वे यह भी जानते हैं कि केवल कांग्रेस सरकार ही समाजवादी समाज की स्थापना कर सकती है जो समय की चुनौतियों का सामना करती है।

संसद के समक्ष अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने सरकार की नीतियों तथा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत कर दी है। अभिभाषण में 1987-88 के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम भी शामिल हैं। यदि उन सब कार्यक्रमों को ठीक ढंग से लागू किया जाता है तो निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी अत्याधिक लाभान्वित होंगे। अतः यह सुनिश्चित करना हमारा कर्त्तव्य है कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को उत्साहपूर्वक लागू किया जाए। उन कार्यक्रमों को प्रभावी ढ़ग से लागू करने के लिए सभी दलों को अपना सहयोग देना चाहिए। केवल तब ही देश समृद्ध बन सकता है।

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में कोरम पूरा नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घण्टी बजाई जा रही है। अब सभा में कोरम पूरा है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री अनादि चरण दास : महोदय, मैं देश में लोगों की वर्तमान दशा के बारे में चर्चा कर रहा था।

5.10 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए कई माननीय सदस्यों ने नये 20 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख किया है। हमारे प्रधानमन्त्री जी तथा हमारी सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ग से लागू करने पर अधिक बल दिया है। 20 सूत्री कार्यक्रम का उचित ढ़ंग से क्रियान्वयन हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक बढ़ावा देगा; गरीब लोग अपनी आजीविका कमा सकेंगे।

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति जी ने एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम का उल्लेख किया है। यह कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार है। वास्तव में हमारे देश में दफ्तरशाहों की प्रवृत्ति में भारी परिवर्तन की जरूरत है। यदि कोई हमारे राष्ट्र की प्रगति में अड़चनें पैदा कर रहा है तो वह दफ्तरशाही है। वे देश में दूसरों को कुछ नहीं समझते। जनता दफ्तरशाहों के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठा सकती। दफ्तरशाहों को अपनी प्रवृत्ति बदलनी चाहिए। राष्ट्रपति ने उचित ही कहा है कि देश में प्रशासनिक सुधार की जरूरत है।

दूसरे, देश की धीमी प्रगति के लिए हमारी धार्मिक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। हमें राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए।

तीसरे, विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के विफल होने का अन्य कारण हमारी संकीर्ण प्रवृत्ति है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी भागों का विकास हो तो हमें क्षेत्रीय असन्तुलन दूर करना होगा। जनसंख्या वृद्धि देश में एक अन्य प्रमुख समस्या है। हमें जन्म दर को नियन्त्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम की गति बढ़ानी है। लेकिन पुनः मुझे अफसोस है कि मैं परिवार कल्याण कार्यक्रम की धीमी गति के लिए दफ्तरशाहों को दोष देता हूं।

महोदय, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को लागू करने वाले अनेक प्रभारी ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहे हैं। वे गरीबों के लिए बनी विभिन्न योजनाओं की धनराशि में से कुछ हिस्सा चाहते हैं। वे धन के दुरुपयोग में लगे हुए हैं। जब तक यह प्रथा नहीं रोकी जाती तब तक गरीब को वास्तविक लाभ नहीं पहुंच सकता। सरकारी अधिकारी सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते हैं। उनके अपने मकान हैं, लेकिन वे सरकारी आवास में रह रहे हैं। यह खेद की बात है कि शोषण को समाप्त करने की बजाय वे शोषण में सम्बद्ध हैं। सरकारी कर्मचारियों की संख्या कुल जनसंख्या की 40 प्रतिशत है। उनके पास पर्याप्त अधिकार हैं। उन्हें कुछ सुविधाएं प्राप्त हैं जो बाकी के 60 प्रतिशत लोगों को नहीं मिलती हैं। वास्तव में वे असली लाभ-भोगी वर्ग हैं। उनके पास मकान, भूमि और धन है और उनमें से कुछ के पास बैंकों में अच्छी राशि जमा है। अनेक सरकारी कर्मचारी दूसरा काम करते हैं, दूसरों के नाम से उद्योग लगाते हैं और बहुत धन इकट्ठा करते हैं। साथ ही महीने के अन्त में वे अपना वेतन प्राप्त करते हैं। लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे देश में रहने वाले लाखों गरीब और पददलित लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें अपने ग्रामीणवासियों और पड़ोसियों के प्रति सहानुभूति तक नहीं है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि कुछ दफ्तरशाह जनता के प्रतिनिधियों से भी नफरत करते हैं। शायद वे सोचते हैं कि सांसद और विधायक पांच वर्षों के लिए आते हैं और उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते और आखिरकार पांच वर्ष पूरे होने पर उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे जब कि उन्हें सेवा-निवृत्ति तक सत्ता में बने रहने का विश्वास है। यह अहं भावना अधिकांश दफ्तरशाहों के मस्तिष्क में भली-भांति विद्यमान है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कर्मचारी भी अच्छा पैसा कमाते हैं। वे कस्बे में मकान बनाते हैं और अच्छा किराया प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ कालाबाजारी भी करते हैं। वे अनुचित तरीकों से धन संग्रह कर रहे हैं।

महोदय, हमारे प्रधानमन्त्री एक स्वच्छ प्रशासन देना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, प्रेस में आलोचनाएं छपीं। क्या प्रेस को भ्रष्ट अधिकारियों का पता नहीं है? यदि उन्हें हैं तो भ्रष्टाचार का भण्डा-फोड़ क्यों नहीं किया जाता?

मुझे यह कहने में प्रसन्नता है कि हम 100 दिन के लिए कार्य की व्यवस्था कर सके हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को उचित तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए मैंने निरीक्षण किया कि कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने वाले प्रभारी अधिकारी ठेकेदारों को काम देते हैं जो लोगों को ठेके के आधार पर नौकरियां प्रदान करते हैं। काम लाभ भोगी वर्ग, जिसके लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, को नहीं दिया जाता। यह कार्यक्रम केन्द्रीय मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार क्रियान्वित होना चाहिए। अधिकारी

दावा करते हैं कि वे भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। यदि अनादि दास शिकायत करते हैं तो उन्हें काम वापिस दे देना चाहिए। यदि राजीव गांधी कहें तो उन्हें काम आपको सौंप देना चाहिए। महोदय, हम संसद सदस्य प्रहरी की तरह हैं। सांसद और विधायक चार से पांच महीने के लिए अपने मुख्यालयों से बाहर रहते हैं। इसलिए, यदि जनता के सभी वर्ग सहयोग नहीं देते तो इन कार्यक्रमों को कैसे कार्यान्वित किया जाएगा। महोदय, हजारों लोग अपनी आजीविका दैनिक मजदूर के रूप में काम करके कमाते हैं। सैकड़ों औरतें अपने बच्चों को जन्म कार्य स्थान पर स्थित झोपड़ियों के निकट देती हैं। वे हमारे लिए मकानों का निर्माण कर रही हैं लेकिन दफ्तरशाहों को उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। राष्ट्रपति अभिभाषण में सरकार के निश्चय का उल्लेख है जिसे हमारे प्रशासन में सुधार लाकर दफ्तरशाहों की प्रवृत्ति को बदलने के लिए कहा गया है। हम सभी कीमत पर लक्ष्य प्राप्त करेंगे।

महोदय, अन्त में भूमि सुधारों के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने भूमि सुधार कानूनों के कार्यान्वयन पर जोर दिया है। हमने ग्रामीण भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है लेकिन दफ्तरशाहों के कारण शहरी भूमि की अधिकतम सीमा के उपायों को पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया है। मैं आशा तथा विश्वास करता हूं कि हमारी सरकार शहरी भूमि की अधिकतम सीमा के उपायों को कार्यान्वित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जैसाकि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है कि वित्तीय वर्ष 1987-88 में हम सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करेंगे। मैं पूरी तरह से धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और बोलने हेतु समय देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, इस बात की प्रसन्नता है कि जो दिशा-निर्देश हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में दिए हैं, वे इस प्रकार के हैं कि यदि अगले वर्ष उन्हें पूरे किए जाएं तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो अशान्ति का वातावरण है, वह दूर होगा और औद्योगिक दृष्टि से तथा अन्य प्रकार के जो उत्पादन हमारे देश में होते हैं, हम उनको भी इस स्तर पर ले जाएंगे ताकि हमारे देश को अगली कतार में खड़े होने पर भी अन्य राष्ट्रों के सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरह का भाषण हम दूसरी साईड से सुन रहे हैं, उससे हमको लगता है कि जिस प्रकार की एकरूपता इस देश को आगे ले जाने के लिए आवश्यक है, उसको हमारे सामने पहुंचाने में कुछ अड़चनें हमारे विपक्ष के लोगों के द्वारा डाली जा रही हैं। मैं इसे आरोप के तौर पर नहीं लेकिन ठण्डे दिल से उन्हें भी सोचने की बात कहूंगा कि इस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में लंका के मामले को हल करने के लिए क्या नहीं किया है, यह बताइए। इस सरकार ने पाकिस्तान की तरफ से खतरा पैदा होने के बाद जिस तरह से आनल-फानन स्थिति को संभालने के लिए ऐसे कदम उठाए, आपको जानकारी हुए बगैर ही, वह स्थिति आपके सामने संभल गई है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के औद्योगिक विकास का प्रश्न है तो उस मामले में भी, इस सरकार ने जितनी कठिनाइयां इसके सामने हैं, उन कठिनाइयों के रहते हुए 8.7 प्रतिशत की वृद्धि आपको दिखाई है और दिखाई ही नहीं बल्कि आपके सामने है। इस बात को महसूस करने के बाद भी यदि आप अपना सहयोग प्रदान नहीं करें और

केवल नक्साचीनी की आड़ में इसमें बाधाएं डालने की चेष्टा करें तो विपक्ष अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहा है, यह निश्चित बात है। इस मामले में उनसे अपील करना चाहूंगा कि तरह-तरह की बाधाएं खड़ी करने की बजाए कम से कम एक दशक इस प्रकार का होने दीजिए जिसमें विकास के रास्ते पर यह देश आगे बढ़े और ज· विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने पर बाधाएं आएं तो बाधाओं का संयुक्त रूप से मुकाबला करें। इन सारे मामलों पर सोच-विचार करते समय, कुछ बातें अपनी सरकार के सामने भी रखना चाहता हूं। जो प्रशंसनीय कार्य हुए हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं लेकिन फिर भी कार्य प्रणाली में कुछ सुधार की आवश्यकता है। उसके ऊपर हमको और आपको ध्यान देना चाहिए। मसलन् औद्योगिक विकास का मामला है। आठ प्वाइंट सात प्रतिशत की वृद्धि, इसमें कोई शक नहीं कि गर्व करने योग्य है। लेकिन यह और भी अधिक हो सकती थी। यदि हम अपनी नीतियों को ढंग से और कुछ को अधिक सुधार करके लागू करते। मसलन् हमने पचास हजार, 51 हजार करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र में लगा रखे हैं। हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अब सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन इस क्षेत्र का इन्तजाम हम जिन लोगों के हाथ में देते हैं, उन्हें कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है जो कि औद्योगिक प्रशिक्षण कहा जा सके या चलाने के लिए जो पटुता चाहिए वह पटुता प्राप्त करने के लिए उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है। आज इत्तफाक से प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि हमको एक मैनेजीरियल काडर इस देश में पैदा करना चाहिए। अभी पचास हजार करोड़ रुपये लगा रखे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, लेकिन उनका प्रबन्ध आइ० ए० एस० पास करने वाले लोगो के हाथ में दे दिया और उन्हें कोई औद्योगिक प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया और जो मैनेजीरियल काडर बनाने की बात की है, उसे लागू नहीं किया तो हमारा ख्याल है कि उस रुपये का जितना सदुपयोग होना चाहिए उतना नहीं हो पायेगा। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर के कर्मचारियों के साथ उचित और माननीय व्यवहार नहीं किया तो उसमें भी हम जो उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कमी आयेगी। मानवीय व्यवहार हमारी तरफ से हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अभी जो मैनेजरियम पोस्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनके सामने वहां के मजदूरों की मांगों को लेकर जाते हैं तो जैसे उनको पब्लिक सेक्टर की तरह करना चाहिए वह न करके प्राइवेट सेक्टर का भी काम काटते हैं।

5.31 म० प०

[श्री शरद बिघे पीठासीन हुए।]

मजदूरों की मांग संवैधानिक रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए ठीक उसी वक्त उनको बुलाकर उनसे उनके मामलों का निपटारा किया जाये तो हमारे देश में जो मैन पावर का नुकसान होता है, नहीं होगा। बहुत-सी समस्याओं में विपक्ष के लोग कभी-कभी राजनीतिक तरीके अपनाकर हड़ताल का नारा देते हैं, वह भी इससे उनके शिकार नहीं होंगे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी 21 तारीख को उन लोगों ने पब्लिक सेक्टर में ही, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए अहम् सेक्टर है उसमें उन्होंने हड़ताल का नारा दे दिया। यह बहुत सन्तोष की बात है, मैं बधाई देना चाहता हूं हिन्दुस्तान के श्रमिकों को जिन्होंने उनकी काल को कोई रिस्पांस नहीं दिया। मुश्किल से 8.10 प्रतिशत लोग उनके साथ रहे बाकी 90 प्रतिशत लोगों ने इंटक आदि जो देशभक्त जमाते हैं उनके साथ मिलकर इसका बहिष्कार किया और अपने काम में डटे रहे।

5.32 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह एक दिशा निर्देश है जिसे विपक्ष को भी पहचानना चाहिए। उनके लिए लड़ाई के राजनीतिक मैदान हैं वहां वह लड़ाई लड़ें, लेकिन देश के औद्योगिक उत्पादन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। यह मेरी उनसे अपील है। उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज की तरफ हमारा ध्यान जाना नितान्त आवश्यक है। वह है हमारे विकास का कार्य और 20 सूत्री कार्यक्रम लागू करने में जो प्रमुख मुद्दे हैं जैसे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए स्व-रोजगार योजना और उनको ऊंचा उठाने की योजनाएं हमने लागू की हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं यदि महाराष्ट्र की सरकार और दूसरी जगहों की सरकारें औद्योगिक उत्पादन के लिए औद्योगिक ईकाइयों की स्थापना के लिए एक खिड़की से सर्विस दे सकती हैं तो फिर क्या जरूरत है आर० एल० इ० जी० पी०, आई० आर० डी० पी० आदि जो तरह-तरह के विभाग इस समय विकास कार्य में लगे हुए हैं एक वर्ग की सेवा के लिए। अगर इन सबके नाम गिनाने की जरूरत पड़े तो मेरे जैसा पार्लियामेंटेरियन भी फेल हो जाए। जब किसान या मजदूर विकास के लिए अपने लिए सहायता प्राप्त करने के लिए वहां जाता है तो उसके सामने यह समस्या होती है कि वह कौन-से दफ्तर में किस काम के लिए जाये। इसलिए एक ऐजेंसी पैदा करके एक छत के नीचे जो भी सहायता है उसको देने की व्यवस्था की जाये। यह चीज अगर कर दी जाये तो विकास की गति दुगुनी-चौगुनी बढ़ सकती है।

मैं पंजाब के मसले पर दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं। पंजाब का मसला केवल पंजाब का मसला नहीं है, यह पूरे राष्ट्र का है, हमारा देश किसी भी मायने में एक है और एक इंच जमीन का टुकड़ा करने की भी बात नहीं सोची जा सकती। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि जिस तरह से प्रधानमन्त्री जी ने स्वागत योग्य कदम उठाया है, हर दल के लोगों को और हम सबको मिलकर उस प्रयास को सफल बनाना पड़ेगा। पहली मार्च को जो चण्डीगढ़ का आयोजन है उसे कामयाब बनाना हम सबका कर्त्तव्य है। इस योजना को सभी जगह लागू करने के लिए देश भर में इसका जाल बिछाना पड़ेगा और पूरे देश में इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी इससे पंजाब के लिए उपयुक्त वातावरण पैदा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि यह समस्या निश्चित रूप से हल होने वाली है और इसमें ज्यादा विलम्ब अब नहीं है। सारी दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है कि केवल एक आदमी भी आतंक पैदा करने की चेष्टा कर सकता है। यदि हमने आतंकवाद की समस्या को सदा के लिए हल करना है तो उसके लिए गम्भीरता से विचार करना होगा। यह समस्या आनन-फानन में हल होने वाली नहीं है। इसमें देर लगेगी और इस समस्या के लिए इस देश के हर छोटे से लेकर बड़े सभी निवासियों को डण्डा लेकर, अपनी कमर कस कर तैयार होना पड़ेगा। देश में इस प्रकार के वातावरण का निर्माण करना होगा ताकि कोई भी आतंकवादी किसी जगह पनाह न ले पाये, आतंकवादियों की कोई मदद न करे और उनको किसी भी स्तर पर सहायता न मिलने पाए। उस स्थिति में आतंकवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। जिस तरह से किसी जमाने में गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोगों ने साम्प्रदायिकता से डटकर लोहा लिया था और अपने जीवन तक का बलिदान दे दिया था, हमें आज भी वैसा ही वातावरण निर्माण करना है। वैसे तो पंजाब में हमारे लोग बलिदान दे रहे हैं परन्तु हम लोगों को बाहर से भी उनकी मदद करनी है। मेरा ख्याल है कि तभी आतंकवादियों की खून की प्यास बुझ पायेगी और तभी ऐसे वातावरण का निर्माण हो सकता है।

उसके बाद पंजाब फिर से अपनी पूर्व स्थिति में लौट सकता है, सोने की चिड़िया बन सकता है, जिस पंजाब पर हम सभी भारतवासियों को गर्व रहता आया है, हम आज भी गर्व करते हैं और आगे भी करते रहेंगे ।

इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर उनके धन्यवाद हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अपने विचार प्रकट करने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री लाल विजय प्रताप सिंह (सरगुजा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जगन्नाथ कौशल जी ने इस सदन में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, तथा जिसका अनुमोदन श्री भागवत झा आजाद ने किया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं ।

जैसा आप जानते हैं, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में न केवल अपनी क्रांतिकारी उपलब्धियों का जिक्र किया है बल्कि हमारी विदेश नीति, आन्तरिक नीति, हमारे देश-विदेश से सम्बन्ध, अपनी तथा प्रधानमन्त्री द्वारा की गई सद्भावना यात्रा में तथा इसी से सम्बन्धित अनेक व्यापक पहलुओं की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया है । इतना ही नहीं, दोनों सदनों के माध्यम से पूरे देश की जनता तक यह सन्देश पहुंचाया है ।

राष्ट्रपति जी ने देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपने उद्बोधन के प्रारम्भ में सर्वप्रथम पंजाब का जिक्र किया है और यह बात बड़े स्पष्ट रूप से कही है कि हमारे देश में जिस तरह से कुछ प्रतिक्रियावादी शक्तियां, कुछ थोड़े से व्यक्ति, खासतौर से पंजाब में, आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सारे देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, उनसे निपटने के लिए हमारा शासन कटिबद्ध है और उनके काले कारनामों को विफल करने के लिए हर तरीके से, हर सम्भव कोशिश कर रहा है ।

जैसाकि आप जानते हैं, राष्ट्रपति जी ने इस कुकृत्य में कुछ विदेशी शक्तियों के हाथ होने की सम्भावना व्यक्त की है । इसीलिए निश्चय ही यह समस्या बहुत गम्भीर है और इसे साधारण रूप से लेना या विचार करना उपयुक्त नहीं होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में जिस तरह की विषम परिस्थितियां विद्यमान हैं, जहां एक ओर कम्यूनल भावनाएं उभारने का प्रयत्न किया जा रहा है और दूसरी ओर अकाल तख्त के माध्यम से कुछ अजीबोगरीब हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं, वहीं हमें बरनाला जी की सराहना करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है । उन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपना काम जारी रखा, किसी प्रकार से अपने को इस दिशा में मजबूर नहीं पाया । मुझे बड़ी खुशी है कि राष्ट्रपति जी ने बरनाला जी की प्रशंसा की है और उम्मीद की है कि हमारे देश के तमाम नागरिक अपनी सभी साम्प्रदायिक भावनाओं को भूलकर राष्ट्र-हित में जुट जाएंगे तथा एक मजबूत राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे ।

इसी तारतम्य में महामहिम ने अपने एड्रेस दि बार्डर देशों की भी चर्चा की । अभी कुछ दिन पूर्व पाकिस्तान ने अपने सीमावर्ती क्षेत्र में अपनी सेनाओं को लगाने का कार्य प्रारम्भ किया था और इतने व्यापक पैमाने पर यह कार्य किया जा रहा था कि अनायास ही यह आभास होता था

कि कुछ ही दिनों में आक्रमण होने वाला है। मैं इसे बहुत ही गम्भीर बात मानता हूं। वैसे तो एक बड़ी कठिनाई पाकिस्तान के लिए है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अपने देश में प्रजातन्त्र है और पाकिस्तान में दूसरी किस्म का शासन है और वहां लोगों को, वहां के शासकवर्ग के लिए बहुत कठिन हो जाता है यह बतलाने के लिए कि हम आपके यहां प्रजातन्त्र क्यों कर लागू नहीं कर पा रहे हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है कि वह अपनी जनता को समझा सके। इसलिए पाकिस्तान को बाध्य होकर इस प्रकार की घटनाओं में उसे उलझना पड़ता है। आप तो जानते हैं हमारे युवा प्रधानमंत्री जो विश्व बन्धुत्व की बात में विश्वास रखते हैं तथा सदा शांति चाहते हैं, उन्होंने बातचीत के जरिये से, इस गम्भीर समस्या को बड़ी ही कुशलता-पूर्वक निपटाया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

इसी प्रकार राष्ट्रपति जी ने चाहना का जो उल्लेख अपने अभिभाषण में किया है, यह भी संकेत दिया है कि एक बड़ी शक्ति हमारे इलाके में घुस आई है और उनके बारे में भी अपने देश की यही राय है कि धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बातचीत के माध्यम से यह स्थिति सुलझेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार राष्ट्रपति जी ने अपने देश में होने वाली अनेक बातों की ओर ध्यान दिलाया है। इनमें प्रमुख बातें, जो प्रमुख उपलब्धियां हैं, उनका वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, खासकर पिछले सत्र में उन्होंने अपने उद्बोधन में जो घोषणाएं की थीं, कुछ आश्वासन देश को दिए थे, उनके बारे में उल्लेख है कि किस प्रकार से उनका निराकरण हुआ। इस बारे में भी बड़े स्पष्ट तौर पर उन्होंने बताया है। मैं इन बातों की गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारे देश का विकास शिक्षा के माध्यम से हो सकता है और आज की परिस्थिति में जो नई शिक्षा नीति हमारे देश में लागू हुई, वह निश्चित तौर पर सराहनीय बात है। आप तो जानते हैं कि अपनी नई शिक्षा नीति में गैर-परम्परागत शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा नवोदय स्कूल, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी एड की हैं, उनमें सम्मिलित की हैं, निश्चित तौर पर अच्छे परिणाम निकलेंगे और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा।

इतना ही नहीं, कृषि के क्षेत्र में भी काफी सराहनीय कार्य हुआ है। 150 मिलियन टन अनाज उत्पादन करने की स्थिति में हम पहुंचे हैं और इससे भी कहीं अधिक लक्ष्य हमारे सामने है जिसे हम धीरे-धीरे पूरा कर रहे हैं। अनाज के साथ-साथ दो चीजें ऐसी हैं, जिनमें हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाए थे, वह हैं दलहन तथा तिलहन। इस मामले में भी राष्ट्रपति जी के उद्बोधन से हमें पता चला है कि समुचित राशि इसके लिए आवंटित की गई है तथा निकट भविष्य में इस विषय में भी हम स्वावलम्बन की ओर अग्रसित हो रहे हैं।

स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था, 1990 तक पूरी करने का आश्वासन हमारे युवा प्रधान मंत्री जी का है और मुझे खुशी है कि इस वर्ष 40 हजार गांवों से भी अधिक गांवों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था की जाएगी और इसी तरह यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा।

जहां तक राष्ट्रीय आय का सवाल है, बड़ी अच्छी आय के स्रोत भी हमने अर्जित कर लिए हैं। इस वर्ष केन्द्रीय आय की वृद्धि में 23 प्रतिशत और व्यक्तिगत आय की वृद्धि में 30 प्रतिशत की सम्भावना राष्ट्रपति जी ने बताई है। इसी प्रकार से निर्यात में भी 17.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का उल्लेख राष्ट्रपति जी ने किया है।

जहां तक विदेशों से सम्बन्ध का सवाल है, सभी जानते हैं कि हमारे युवा प्रधान मन्त्री जी ने बड़े अच्छे सम्पर्क विदेशों से किए हैं। हमारे प्रधान मन्त्री अनेक राष्ट्रों के नेता रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने गुट-निरपेक्ष देशों के अध्यक्ष का भार जिम्बाब्वे को सौंपा है। इसी तारतम्य में हमारे देश में भी बहुत कार्यक्रम हुए। सार्क सम्मेलन हुआ तथा इसी प्रकार के अनेक सम्मेलन, दक्षिण अफ्रीका से सम्बन्धित अपार्थाइड का मामला, अफ्रीका कोष का निर्माण आदि सारी बातें हमारे देश में हो रही हैं। हमें गर्व है कि हमारे युवा प्रधान मन्त्री बड़े अच्छे तरीके से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं।

अभी हाल में श्री गोर्बाचेव की यात्रा विशेष उल्लेखनीय है। मुझे उम्मीद है कि इसी प्रकार से हमारे सम्बन्ध देश-विदेशों से अच्छे मजबूत होते जाएंगे। राष्ट्रपति जी द्वारा दिए गए भाषण में इन सारी बातों का समावेश है।

मैं श्री कौशल जी और श्री आजाद साहब को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अच्छे तरीके से विस्तारपूर्वक इन बातों का अपने भाषण में संकेत किया है तथा मैं भी अपने आपको उनके साथ जोड़ता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर लाए गए इस धन्यवाद प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्री बरनाला जी को हम सभी बधाई देते हैं कि बहुत ही साहसपूर्ण तरीके से आज वह इस विपत्ति के समय उन लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं, जिन्होंने बराबर इस देश को खण्डित करने की कोशिश की है। हम लोगों को थोड़ा इस बात का दुःख है कि विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने हमारी आर्थिक नीति, जिस पर राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद चर्चा करने हम यहां बैठे हैं, उसे नजर-अंदाज करने की कोशिश की। एक माननीय सदस्य तो इतना तक कह गए कि पिछले 40 वर्षों में भारतवर्ष ने विकास ही नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि अभी वह माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं वरना हम उन्हें यह बताते कि सही बात को नजर-अन्दाज नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति सही बात को नजर-अन्दाज करता है शायद लोग उसे भी नजर-अन्दाज कर दें। अगर 40 वर्षों के इतिहास में हमने कोई प्रगति नहीं की है तो इस माननीय सदस्य द्वारा यह बात कहना यहां की जनता के साथ सरासर बे-इन्साफी के समान होगी। हमारा यह कहना है कि हमने जो उन्नति की है उसे जनता के सामने रखना चाहिए और सिर्फ नेगेटिव बातों को उजागर करने से कोई लाभ होता नहीं है। जो पाजेटिव चीजें हैं उनकी तरफ भी अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और मनुष्य को आशावादी होना चाहिए। जिस विरोधी दल के माननीय सदस्य ने यह बात कही है मुझे ऐसा लगता है कि वह आशावादी नहीं हैं। मेरे विचार से निराशावादी होकर वह इस देश का विकास शायद नहीं कर पाएंगे। हम सभी आशावादी हैं और आशावादी होने के साथ-साथ इस बात को महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इन 40 वर्षों में जो तरक्की की है वैसी तरक्की कोई दूसरी पार्टी कर भी नहीं सकती है।

राष्ट्रपति जी की अभिभाषण में जो चीज व्यक्त की गई है उसका बहुत सुन्दर आकलन माननीय सदस्य श्री आजाद जी ने किया है। हम लोग यह जानते हैं कि गरीबी उन्मूलन की जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं पर पिछले बित्तीय वर्ष में और इस बित्तीय वर्ष में बहुत बड़े पैमाने

पर धनराशि उपलब्ध कराई है । आज हर गांव में एन० आई० ई० पी०, आर० एल० ई० जी० पी० और आई० आर० डी० पी० आदि कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर फैले हुए है । मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कार्यान्वयन में जो उन्नति करनी चाहिए वह उन्नति नही कर पाए हैं । यह बात हम मानते हैं और इसी के लिए हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में संवेदनशील प्रशासन की बात कही है । इस चीज का 20 सूत्री कार्यक्रम के 20वें सूत्र में उल्लेख भी है । इस चीज को हम स्वयं मानते हैं कि कार्यान्वयन में कहीं न कहीं कमजोरी हमारी रही है । इस कारण अब इस पर बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि मात्र ब्यूरोक्रेसी को गलत या सही ढंग से पेश करना भी निराशावादी बातें होती हैं । सारे के सारे ब्यूरोक्रेट्स खराब हैं यह कहना भी निराशावादी है । मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि समाज का 10 प्रतिशत तो खराब हो सकता है बाकी 90 प्रतिशत लोग अच्छे हैं जो कि इस देश को समृद्धि प्रदान कराने के लिए प्रधान मंत्री जी की अगुवाई में कटिबद्ध हैं । लेकिन हमें निराशा तब होती है जब यह 10 प्रतिशत लोग कभी न कभी किसी न किसी आधार पर 90 परसेंट लोगों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और हम वैसे लोगों को पकड़ नहीं पाते । इसमें हमारा भी दोष है । हमें इसका भी हल ढूंढना चाहिए । सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को दोष देने से काम नहीं चलता है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि पायी है । कृषि हमारा मुख्य आधार है । इस देश के जन-जन का मुख्य आधार कृषि है । कृषि में जो उपलब्धियां हमारी रही हैं, उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता की ओर हम अग्रसर हुए हैं । कृषि में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, यह बात सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, इस पर कुछ और ध्यान देने की आवश्यकता है । कृषि में हमने जो विकास किया है, वह विकास गांव के अन्तिम छोर तक पहुंचा है यह बात भी सही है लेकिन अभी उस अन्तिम छोर तक पहुंचने में जो कठिनाइयां होती हैं, जिसकी तरफ हमारे श्री भागवत झा आजाद ने बहुत सुन्दर ढंग से अपना आंकलन पेश किया है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है । ब्लाक स्तर पर जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको भी वही ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है जो ऊपर के लेवल के लोगों को दे रहे हैं । मुख्यतः हमारी परेशानी ब्लाकों से ही उत्पन्न होती है । यहां की प्लानिंग में कोई खामियां नहीं है, राज्यों की प्लानिंग में भी खामियां नहीं हैं । क्रियान्वयन में हमारे प्रखंडों के जो पदाधिकारी हैं वहां ट्रेनिंग की आवश्यकता आज सबसे ज्यादा है और इसीलिए हम यह बार-बार कहना चाहते हैं कि इसके लिए व्यापक रूप से संस्था बनायी जाए ताकि हर प्रदेश के ब्लाक के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको हम सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से एक तरह की ट्रेनिंग में एक साथ लगा सकें ।

दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं । मैंने बिहार के लगभग सारे जिलों का दौरा किया है, किसानों की हालत देखी है । हमारे किसानों ने कृषि क्षेत्र के विकास में मुख्य भूमिका निभाई है और सरकार की मदद से बहुत बड़ा काम किया गया है, लेकिन थोड़ी बहुत खामियां उसमें हैं । किसानों को जिन एग्रीकल्चरल इम्पुट्स की आवश्यकता होती है, उसको उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को भी प्रश्रय दिया है, सहकारिता आन्दोलन के रूप में । सहकारिता आन्दोलन हमने चलाया और बहुत सारे राज्यों में उसके बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण रिजल्ट भी निकले हैं, लेकिन हमारे यहां दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमने वह रिजल्ट हासिल नहीं किया है, जो अन्य

प्रदेशों ने किया है । इसमें भी थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है । सहकारिता आन्दोलन के कानून में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे हम इसे सही रूप में किसानों तक पहुंचा पायें । अभी इसमें कुछ थोड़ी सी कमियां हैं ।

हमारी जो बड़ी-बड़ी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, वह पूरी नहीं हुई हैं । आपको मालूम होगा कि आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ड्राई-लैंड फार्मिंग की है जिसकी बात इसमें कही गई है । 330 मिलियन हैक्टेयर भूमि आज वेस्टलैंड है और 140 मिलियन हैक्टेयर भूमि में 70 मिलियन हैक्टेयर भूमि आज ड्राई है । तो यह बहुत ही अहम प्रश्न है और इस पर एक व्यापक गोष्ठी करने का आयोजन किया गया है । ड्राईलैंड डैवलपमेंट बोर्ड बनाए गए हैं । सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है कि इसके तहत 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष रिक्लेम करने जा रहे हैं । उसको रिक्लेम करके खेती-योग्य बनाना होगा ताकि आने वाले वर्षों में 21वीं सदी में जाने से पहले हम ज्यादा से ज्यादा भूमि कृषि योग्य बना सकें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, कौशल जी और आजाद जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जितनी अच्छी तरह व्याख्या की, उसके बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता है । वस्तुतः पिछले एक बरस में हमारे देश ने जितनी तरक्की की है, उतनी पहले कभी नहीं की थी । मैं यह समझता हूं कि जो आंकड़े आजाद जी ने प्रस्तुत किए थे, वे बहुत ही रिलैवेंट स्टेटिस्टिक्स थे और उससे यह पता चलता है कि हमारे मुल्क ने क्या कुछ आर्थिक स्थिति में किया है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राजहंस, आप परसों बोल सकते हैं । सभा पुनः समवेत होने के लिए शुक्रवार, 27 फरवरी, 1987 के 11.00 म० पू० तक के लिए स्थगित होती है ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 27 फरवरी 1987/8 फाल्गुन, 1908 (शक) के ग्यारह बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : चौधरी मुद्रण केन्द्र, खाजू झीजपुर, दिल्ली-53